दशम माला,

7 अगस्त 1992
16, श्रावण 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

IV-Session

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 7 अगस्त, 1992/16 श्रावण, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (I)	5	"निर्धन" के स्थान पर "निर्धन" पढ़िये ।
विषय सूची (II)	नीचे से पंक्ति 10	"4कक" के स्थान पर "4क" पढ़िये ।
3	7	"अध्यअ" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये ।
21	नीचे से पंक्ति 13	"445" के स्थान पर "455" पढ़िये ।
44	5	"श्रपूर्णचन्द्र मलिक" के स्थान पर "श्री पूर्णचन्द्र मलिक" पढ़िये ।
68	13	"(ख) से (ङ)" के स्थान पर "(ख" से [illegible]" पढ़िये ।
73	3	"प्रो० उम्मरोड्डिड वेंकटेश्वरलु" के स्थान पर "प्रो० उम्मारेड्डिड वेंकटेश्वरलु" पढ़िये ।
132	5	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
159	नीचे से पंक्ति 9	"श्री मनोरंज भक्त" के स्थान पर "श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये ।
163	19	"(क)" से (च)" के स्थान पर "(क) से (ङ)" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 7 अगस्त, 1992/16 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	4—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 450 से 453	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 454 से 470	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4691 से 4835, 4837 से 4848, 4850 से 4854, 4856, 4858 से 4880, 4882 से 4913 और 4913क	30—184
कर वसूली के बारे में दिनांक 24-7-1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2620 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	185
मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में	185—201
राज्य सभा से सन्देश	201
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के विसम्मति-टिप्पण	202—215
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	215
सभा का कार्य	215—218
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक—पुर:स्थापित	218

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
170	2	" श्री मोरंजन भक्त" के स्थान पर " श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये ।
231	3	" वैयक्ति" के स्थान पर "वैयक्तिक" पढ़िये ।
261	12	" उपसभा अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।
अन्तिम पृष्ठ	अंतिम पंक्ति	" स्थिगित" के स्थान पर "स्थगित" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 7 अगस्त, 1992/16 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	4—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 450 से 453	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 454 से 470	20—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4691 से 4835, 4837 से 4848, 4850 से 4854, 4856, 4858 से 4880, 4882 से 4913 और 4913क	30—184
कर वसूली के बारे में दिनांक 24-7-1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2620 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	185
मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में	185—201
राज्य सभा से सन्देश	201
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के विसम्मति-टिप्पण	202—215
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	215
सभा का कार्य	215—218
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक—पुर:स्थापित	218

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	219—227
विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) श्रमजीवी बाल कल्याण विधेयक	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	227
(दो) देश में विदेशी राष्ट्रिक अन्तर्वाह निवारण विधेयक	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	227
(तीन) लघु परिवार सन्नियम (संवर्धन और प्रोत्साहन) विधेयक	
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी	228
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 में संशोधन)	
श्री दिलीप भाई संघानी	228
(पांच) संसद (सभा की गणपूर्ति) विधेयक	
श्री दिलीप भाई संघानी	229
(छः) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक	
श्री मोहन सिंह देवरिया	229
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 330क, आदि का अन्तःस्थापन)	
श्री मोहन सिंह देवरिया	229
(आठ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नये भाग 4कक का अन्तःस्थापन)	
श्री चित्त बसु	230
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 22 में संशोधन)	
श्री चित्त बसु	230
(दस) वैयक्तिक स्वतन्त्रता (संरक्षण) विधेयक	
श्री चित्त बसु	231
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 आदि में संशोधन)	
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी	231

विषय	पृष्ठ

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 330क और 330ख आदि का अन्त:स्थापन)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 231

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 31 आदि का अन्त:स्थापन)

श्री भगवान शंकर रावत 232

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 46क का अन्त:स्थापन

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 232

(पन्द्रह) पंथनिरपेक्षता संवर्धन विधेयक

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 233

(सोलह) संविधान सभा विधेयक

श्री मोहन सिंह देवरिया 233

(सत्तरह) विदेशी राष्ट्रिकों के साथ विवाह (विनियमन और रजिस्ट्रीकरण) विधेयक

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 234

(अठारह) विदेशस्थ भारतीय राष्ट्रिक (संसद में प्रतिनिधित्व) विधेयक

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 234

(उन्नीस) प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 234—235

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आंठवी अनुसूची में संशोधन)—वापस लिया गया

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी 235—242

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम०एम० जैकब 235

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक

(अनुसूची में संशोधन) 243—266

श्री भगवान शंकर रावत 243

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री भगवान शंकर रावत 243

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 247

श्री सैयद मसूदल हुसैन 248

विषय	पृष्ठ

प्रो॰ प्रेम धूमल 250

श्री हरचन्द सिंह 251

श्री राजेश कुमार 253

श्री संतोष कुमार गंगवार 254

श्री एस॰बी॰ सिदनाल 255

श्री एस॰एम॰ लालजान बाशा 258

श्री प्रेमचन्द राम 258

मेजर डी॰डी॰ खनोरिया 261

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 261

श्री वीरेन्द्र सिंह 262

श्री पी॰सी॰ चाक्को 264

श्री छेदी पासवान 266

श्री राम टहल चौधरी 266

आधे घंटे की चर्चा 267—280

अरब देशों को बच्चों की तस्करी 267

श्री रबि राय 267

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 271

प्रो॰ रासा सिंह रावत 273

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 274

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 276

लोक सभा

शुक्रवार, 7 अगस्त, 1992/16 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री एम० गुलाम मोहिदीन के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री मोहिदीन 1957-62 के दौरान भूतपूर्व मद्रास राज्य के डिंडीगुल निर्वाचन-क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य थे।

सक्रिय राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री मोहिदीन ने स्वतन्त्रता संग्राम, खासतौर से 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में जोर-शोर से भाग लिया था।

श्री मोहिदीन अपने जिले की विकास सम्बन्धी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे।

वह सभा की कार्यवाही में बड़े सक्रिय रूप से भाग लेते थे और इसमें उन्होंने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया।

श्री मोहिदीन का देहावसान 74 वर्ष की आयु में 29 जुलाई, 1992 को उत्तमापलयम में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े हो जायें।

11.02 म०पू०

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना से भारत की टीम आ गई है और पर इस देश की शर्मनाक पराजय हुई है ···(व्यवधान)··· निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में सदन में दो मिनट का मौन रखना चाहिए और निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, चार सदस्यों के बारे में हमने 20-25 दिन मे नोटिस दिया हुआ है, उनकी बाबत आपने क्या फैसला किया है। कल होलीडे-इन में बाकायदा खरीद-फरोख्त और पैसा देकर के··· (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : ··· (**व्यवधान**) होलीडे-इन में पचास-पचास लाख रुपया दिया गया। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार और प्रधानमन्त्री के कार्यालय से काम हो रहा है। हम मांग करते हैं कि आप उस पर निर्णय दीजिए। यह नाटक हम नहीं चलने देंगे। इस जनतन्त्र की हत्या को नहीं चलने देंगे, मजाक हो रहा है। (**व्यवधान**)** का राज है और श्री नरसिंह राव की सरकार है ···(**व्यवधान**) आपको बताना पड़ेगा।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि कशोर सिंह, सदस्यों द्वारा दिए गए किसी भी आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय उस समय तथा तारीख से लागू होगा जब से आवेदन-पत्र मुझे दिया गया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो कुछ भी निर्णय आज अथवा कल लिया गया है वह उस समय तथा तारीख से लागू होगा, जब वह आवेदन-पत्र मुझे दिया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का उल्लेख न किया होता, लेकिन आपने सभा में इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए सभा यह बात जानना चाहेगी कि मुद्दे का विषय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया, ऐसे मामलों को सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। मुझे एक आवेदन-पत्र···

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री शरद यादव : मैं पार्टी का सवाल नहीं उठा रहा हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं यह विषय सदन में नहीं आना चाहिए, मगर बहुत सारे ऐसे विषय उठाते हैं जिनको यहां नहीं आना चाहिए। उठाने के बाद ऐसी चीजें नहीं छोड़नी चाहिएं जिससे लोगों के मन में शंका आए। मेरे पास एप्लीकेशन आई थी जनता दल के लीडर की तरफ से कि कुछ लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। हम उसमें यह प्रोसिजर फालो करते हैं कि ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है जिस सदस्य के खिलाफ आती है हम उसको नोटिस देते हैं, उस पर वह सदस्य बताता है फिर वह नोटिस लीडर को देते हैं और लीडर को सुनकर फैसला देते हैं। मगर

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

एप्लीकेशन आती है उस वक्त उस पर समय और तारीख डली होती है, जो भी निर्णय होता है वह उस समय और तारीख से एप्लीकेबल होगा।

श्री शरद यादव : जो आपकी रूलिंग होती है उसका तारतम्य पीछे से भी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कहा आपने नहीं समझा, न यह कोर्ट है, यह पार्लियामेंट है यहां अपने प्रोसिजर के द्वारा होगा···

श्री शरद यादव : लेकिन लोकतन्त्र को साफ रखने की परम्परा तो है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह की शंका ले रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : आप पर शंका नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बी बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कोर्ट में भी मैटर जाता है, कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मैटर आते हैं? जो भी तरीका कोर्ट एप्लाई करता है उस तरीके से मैं भी यहां करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं बिना नोटिस दिए हुए, बिना पूछे हुए एक्शन ले लूं तो कल आपके ऊपर भी हो सकता है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम एक बात कहना चाहते हैं आज से 20 दिन पहले पार्टी ने निर्णय किया···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में ही मुझसे जिरह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम क्रास एक्जामिन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो नोटिश आया था मैंने आपको दिया है उसका उत्तर आपने नहीं दिया है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों ने निर्णय करके आपको दे दिया, अब आपको निर्णय लेना है। कल आपसे मिलकर हमने आग्रह किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप बता दो उस पर आपको कहना नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : बाजार में प्रचारित हो रहा है कि अनअटैच नहीं हुए हैं उसको जोड़कर एक तिहाई पूरा करने के लिए खरीद-फरोख्त चल रही है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आप देर करेंगे और वहां खरीद-फरोख्त का बाजार गर्म हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो निर्णय लूंगा आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, हाउस में इस प्रकार से न उठाएं।

श्री नीतीश कुमार : आपको अधिकार है शिड्यूल 10 में, उसमें दूसरा कैसे कर सकता है। यह संसद की चीज है, संसद का निजी मामला है इसमें आपका निर्णय सर्वोपरि है, आपके निर्णय को हम मान रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सारी चीजें चेम्बर में समझा दूंगा।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गुवाहाटी से सिल्चर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग

*450. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी से शिलांग होते हुए सिल्चर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का, विशेषरूप से सोनपुर से सिल्चर तक का भाग सभी मौसमों में उपयोग के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सड़क के संचारगत कम्यूनीकेटिव और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके सुधार के लिए विशेष कोष के अन्तर्गत धनराशि आबंटित करने काहै ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) से (घ) शिलांग से होकर जाने वाला गुवाहाटी से सिल्चर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें सोनपुर से सिल्चर तक का भाग भी शामिल है, सभी मौसमों में यातायात के योग्य है। इस पूरे मार्ग को दो लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम चल रहा है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी द्वारा दिया गया उत्तर सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सोनपुर तथा बदरपुर के बीच का मार्ग सभी मौसमों में यातायात के योग्य बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वर्षा के मौसम के दौरान यह मार्ग अनेकों बार बन्द रहता है। जोवाई से बदरपुर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत आता है और इसकी लागत का भार परिवहन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाता है। लेकिन जोवाई तथा बदरपुर के बीच के मार्ग की दशा शोचनीय है और विशेषरूप से सोनपुर तथा बदरपुर के बीच मार्ग की दशा तो और भी अधिक खराब है।

क्या मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा यह जान सकता हूं कि क्या ऐसा मुख्यत: बी० आर० ओ० द्वारा किए जा रहे अंधाधुंध विस्फोटों के कारण है, जिससे कि भारी भूस्खलन होता है और दूसरे घटिया स्तर का पत्थर इस्तेमाल करने के कारण और तीसरे वर्षा के मौसम के दौरान लुक लगाने जैसे कार्यों का रखरखाव न करने के कारण हैं ? मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या यह सच है कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा एन० एच० एस० के जरिए किए गए कार्य की जांच तथा निरीक्षण परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ? यह सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए कार्य के मामले में नहीं किया जाता है। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार नियमित जांच तथा निरीक्षण करने तथा इन कमियों को दूर करने का विचार रखती है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसाकि मुख्य उत्तर में कहा जा चुका है, हम फिर से यह दोहराना चाहेंगे कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित गुवाहाटी से सिल्चर तक का मार्ग सभी मौसमों में यातायात के योग्य है। इसके विपरीत किसी भी आरोप अथवा राय को हम स्वीकार नहीं करते। यह

मार्ग सभी मौसमों में यातायात के योग्य है। इसका निर्माण कार्य अनेक दौरों में चल रहा है और हो सकता है इस कारण मार्ग की दशा अच्छी न हो। लेकिन यह सभी मौसमों में यातायात के योग्य है। इस मार्ग के आस-पास ऐसे कोई अंधाधुंध विस्फोट नहीं हो रहे हैं, जैसाकि माननीय सदस्य द्वारा आरोप लगाया गया है। इस मार्ग का कुछ भाग नागालैंड तथा असम में सम्बन्धित पी० डब्ल्यू० विभागों के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य द्वारा इंगित मार्ग दो राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना हुआ है—एक सोनपुर तथा बदरपुर के बीच राजमार्ग 44 तथा दूसरा बदरपुर तथा सिल्चर के बीच राजमार्ग 53। जहां तक कि सीमा सड़क संगठन से सम्बन्धित मार्गों का सम्बन्ध है, उनका निरीक्षण भी सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। हमें इस मार्ग के फेज II और फेज III का विकास कार्यक्रम सौंपा गया है। हम पहले ही 15 करोड़ रु० की राशि खर्च कर चुके हैं और अगले कुछ वर्षों में तथा मार्च 1995 तक 42 करोड़ रु० की राशि खर्च की जाएगी तथा जोवाई से सिल्चर तक का पूरा मार्ग दोहरी लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाएगा।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। ये तथ्य नहीं है। मैं वहां का निवासी हूं, मैं इसी रास्ते से कई बार गया हूं और मैं इस तमाम स्थिति के बारे में पूरी जानकारी रखता हूं।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 बंगलादेश की सीमा के साथ काफी लम्बाई तक लगता है और पूरी सीमा पट्टी से व्यापक घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं हो रही हैं, क्या सरकार राजमार्ग का और अधिक सुधार करने और इसे बारहमासी बनाने की दिशा में तत्काल कदम उठायेगी। मैं पुन: यही बात कहूंगा कि बारहमासी बनाने खासकर जो बे रोक-टोक घुसपैठ और तस्करी हो रही है, उस पर नियंत्रण लगाने की दिशा में तत्काल कदम उठायेगी। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मौजूदा सड़कों के आवश्यक सुधार करने के साथ-साथ क्या सरकार राज्य सरकार को सुझाव देगी कि गुवाहाटी और सिल्चर के बीच एक अन्य राजमार्ग के निर्माण पर विचार करे और सरकार इसके लिए पूर्ण अथवा आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये।

श्री एस० कृष्ण कुमार : घुसपैठ का प्रश्न तो एक आम प्रश्न है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, गुवाहाटी और सिल्चर के बीच बना राष्ट्रीय राज मार्ग जोकि दो राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ मिलकर बना हुआ है, वह एक बारहमासी राजमार्ग है। हमारा एक विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा इस राजमार्ग को दोहरा किया जा रहा है। इसलिए, सड़क का सुधार किया जा रहा है। ऐसी प्रक्रिया चल रही है।

जहां तक इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाले एक मुख्य वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध है, इस समय रक्षा मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिकन्दराबाद में एक कंटोनमेंट के अन्दर एक नेशनल रोड है निजामाबाद तक जाती है लेकिन जब लोग वहां से ट्रेव्हल करते हैं तो डिफेंस के अधिकारी रास्ता बन्द कर देते हैं। इस प्रकार सिविल लोगों के लिए रुकावट है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इसके बारे में लोगों ने एप्लीकेशन देकर कई बार शिकायत की है? क्या उनकी प्राबलम का हल नहीं हुआ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो गोहाटी से सिल्चर तक का है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रश्न तो सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में है, सीमा सड़क संगठन द्वारा कुछेक राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और निर्माण करने के बारे में है। माननीय सदस्य तो उस राष्ट्रीय र जमार्ग के बारे में पूछ रहे हैं जोकि सिकन्दराबाद के निकट छावनी क्षेत्र से गुजरता है । यह बात इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। फिर भी यदि छावनी अधिकारियों के बारे में इनकी कोई शिकायत है तो हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं जिससे कोई सार्थक जन-शिकायत दूर हो सके ।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, मैं इस वर्ष जनवरी माह में जोवेई से बदरपुर गया था। लम्सहोंग तक तो सड़क काफी अच्छी है जोकि जोवेई से लगभग 40 किलोमीटर तक है । परन्तु उसके बाद लगभग 14 किलोमीटर तक की सड़क वास्तव में बहुत ही खराब हालत में है । आजकल लोग सड़क के साथ-साथ खड़ी पहाड़ियों को अंधाधुंध तरीके से तोड़ रहे हैं जिससे सड़क के निर्माण के लिए पत्थर आदि प्राप्त की जा सके। जैसाकि आप जानते हैं कि खासी और जैंतिया पहाड़ियों की भूमि सरकार की भूमि नहीं है । यह वहां के लोगों की, व्यक्तियों की अथवा कबीलों की भूमि है। इस तरह से पहाड़ियों को अंधाधुंध तरीके से तोड़ने और पत्थर प्राप्त करने के रवैये ने वहां के लोगों के मन में काफी भ्रम पैदा कर दिया है और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि रक्षा विभाग कानून को अपने हाथों में ले रहा है। वहां पर ऐसे भी कई पुल हैं जोकि कई वर्षों से पूरे नहीं हो पाये हैं ।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यदि सम्भव हो सके तो जी० आर० ई० एफ० की देखरेख में स्थानीय ठेकेदारों से सड़कों का निर्माण करवाया जाये । सड़क निर्माण कार्य जी०आर०ई०एफ० की देखरेख में आता है न कि सीमा सड़क संगठन की देखरेख के अन्तर्गत । यदि स्थानीय ठेकेदार उपलब्ध हैं तो जी०आर०ई०एफ० को अधिकाधिक ठेके उन्हें ही देने चाहियें जिससे वे लोग सड़कों को समय के भीतर ही यानि 1995 तक पूरा कर सकें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सीमा सड़क संगठन को देश में उत्तर में और पूर्वोत्तर में संवेदनशील और परिचालन किस्म की सड़कों के विकास का कार्य सौंपा गया है और इनका अपना एक विशेष संगठन है जोकि उनके विभाग का ही है । यह कार्य सेना की टुकड़ियों आदि के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार केवल बड़े पुलों के मामले में ही प्राइवेट ठेके दिये जाते हैं। इस संगठनात्मक ढांचे को बदलने का हमारा कोई विचार नहीं है।

जहां तक पहाड़ियों को अंधाधुंध तोड़ने का सम्बन्ध है, हमें यह बताया गया है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है । केवल अनिवार्य तोड़फोड़ ही की जा रही है क्योंकि वहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते और आप लम्बी दूरी तक पत्थर आदि नहीं ले जा सकते। इसलिए तोड़फोड़ का कार्य स्थानीय स्तर तक ही किया जाता है । वहां का भू-क्षेत्र काफी कठिन है, आवागमन की परिस्थितियां काफी कठिन हैं और यदि प्राइवेट ठेकेदारों को काम दिया जाता है तो वह काफी महंगा पड़ेगा । हम यह भी नहीं सोच सकते कि प्राइवेट ठेकेदार इस समय-सीमा के अन्दर कार्य को पूरा कर देंगे जोकि सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में हमने तय की है ।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, क्या यह बात सही है कि अधिकतर सीमा सड़कें पहाड़ियों को तोड़ने के कारण और विशेषकर बरसात के मौसम में भू-स्खलन के कारण बंद हो जाती हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या सीमा सड़कों के निर्माण के लिए बार-बार मांग की जाती रही है खासकर

हिमालय सीमा रेखा पर जो सिल्चर से गंगटोक के बीच मार्ग है, इस मार्ग पर दोहरे मार्ग का निर्माण किया जाए, ताकि यातायात ठप्प न हो सके और इन क्षेत्रों से सम्पर्क बना रहे। क्या सरकार ने भी इस बात की आवश्यकता को अनुभव किया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सभी सीमा सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम है। हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। लेकिन, इस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

चारा मशीनें

*451. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी चारा मशीनों का आयात किया गया है;

(ख) इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(ग) क्या ये सभी मशीनें कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनसे क्या लाभ हुए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) देश में अब तक आयात की गयी चारा मशीनों की कुल संख्या के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 32 लाख अमरीकी डालर की राशि के आयात लाइसेंसों के आधार पर वर्ष 1987 में 50 चारा मशीनों का आयात किया गया था; 5 अन्य मशीनों का देश में ही निर्माण किया गया था, जिन्हें स्पष्टतः उपर्युक्त 50 मशीनों के साथ आयात किए गए कलपुर्जों से तैयार किया गया था। 2 अन्य मशीनों का पता लगाया गया है, किन्तु उनके वैध आयात के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अधिकांश मशीनों के बारे में यह सूचित किया गया है कि ये काम नहीं कर रहीं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन मशीनों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मान्यवर अध्यक्ष जी, आपको शायद ध्यान होगा कि नौवीं लोक सभा के प्रारम्भ में कई दिनों तक लोक सभा की कारंवाई में बाधा पड़ी थी इस विषय को लेकर के। 1987 में 50 चारा मशीनों का आयात किया गया था और इस विश्वास के साथ कि देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, जानवरों के चारे में एक बहुत ही क्रान्ति आएगी और परिवर्तन होगा और उसी के आधार पर इसका प्रदर्शन पूरे देश में होगा। करीब 3 करोड़ 4 लाख रुपए की कस्टम

ड्यूटी में छूट भी दी गई थी। विदेशी कम्पनी के द्वारा, भारत कृषक समाज के माध्यम से पूरे देश में इनका प्रदर्शन होगा और उसके माध्यम से देश भर के किसानों में एक नयी जागृति आने की बात थी और वित्त मंत्रालय ने जो इतनी छूट दी थी, 3 करोड़ 4 लाख की उसमें स्पष्ट रूप से दो शर्तें बनाई थीं। पहली शर्त यह थी कि ये मशीनें बेची नहीं जाएंगी और दूसरी शर्त यह थी कि इनका पूरे देश के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा और किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी और यह प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, आज जो उत्तर मुझे मिला है, वैसे कृषि मंत्रालय को इसका उत्तर देना चाहिए, लेकिन वित्त राज्य मंत्री दे रहे हैं, उन्होंने अपने उत्तर में यह तो बता दिया कि 50 चारा मशीनें आयात हुईं और इतना पैसा खर्च हुआ और उत्तर के "ग" और "घ" भाग में यह बात लिखी है कि "उपर्युक्त अधिकांश मशीनों के बारे में यह सूचित किया गया है कि ये काम नहीं कर रही हैं।" तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि अगर एक विशेष कार्य के लिए इनका आयात किया गया था और 3 करोड़ रुपए से अधिक की छूट वित्त मंत्रालय ने दी, तो उन कार्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाई, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई जबकि वर्ष 1990 के प्रारम्भ में यह बताया गया था कि इसमें जांच होगी और जांच के साथ एक आवश्यक कार्रवाई होगी, रुपया वसूलने की कार्रवाई होगी, तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और क्या प्रक्रिया अब तक इस दिशा में अपनाई गई है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महाशय, 1985 के दिसम्बर में, कर्नाटक सरकार की ओर से उनसे अनुरोध किया गया था कि मशीनों के आयात पर छूट दी जाए। पहले इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। पुनः कई राज्य सरकारों ने और सांसदों ने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को लिखा कि इसमें छूट देनी चाहिए क्योंकि इससे हरितक्रांति में सहूलियत मिलेगी और इससे सुविधा होगी, तो इसमें छूट की व्यवस्था के लिए सब लोगों का अनुरोध होने पर, इसमें वित्त मंत्रालय ने छूट दी और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि शर्त यह रखी गई थी कि व्यावसायिक कारोबार में ये मशीनें नहीं लाई जाएंगी और इनके द्वारा प्रदर्शन और प्रशिक्षण का काम होगा देश के विभिन्न क्षेत्रों में, यह दर्शाया गया था, और इसी दृष्टि से यह छूट दी गई थी। कई कारणों से हमारे विभाग को यह सूचना मिली 1987 में कि वास्तव में इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है और जो शर्तें दी गई थीं, वित्त मंत्रालय की ओर से एडहॉक एग्जम्पशन के लिए उन शर्तों की पूर्ति नहीं हुई है। फलस्वरूप हमारे डी०आई०आर० ने उनको सूचना दी और इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की और मार्च, 1990 में उन्होंने विधिवत् इस पर नोटिस दिया कि इस सम्बन्ध में आप कारण बताइए कि क्यों न आप के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाद में ये मशीनें डिटेंशन में ली गईं और इस पर हमारे विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। अभी हाल ही में एक सुनवाई हुई है और दूसरी सुनवाई इसी महीने की 27 तारीख को रखी गई है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मैं उत्तर की विवेचना में नहीं जाना चाहता हूं। स्थिति से आप स्वयं अवगत हैं कि वास्तविकता क्या है। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी 1987 से लेकर, अब तक, 1992 तक, 5 वर्षों में हम जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए जब कि प्रारंभिक शर्तें ही पूरी नहीं हुई थीं? उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जो नियम प्रतिबंधित किए गए हैं, यदि इनकी पूर्ति नहीं होगी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई और दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई दबाव आ रहा

है जिसके कारण इसमें कारंवाई नहीं की जा रही है ? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में एक स्पष्ट जानकारी दें और निश्चित अवधि बताएं कि इतने दिनों के अंदर कारंवाई होगी और जो पैसा माफ किया गया है, उसको वसूला जाएगा ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महाशय, इसमें किसी प्रकार की विभाग की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : पांच साल में कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मार्च 90 में यह सूचना मिली और डी० आई० आर० ने कार्यवाही शुरू की। 91 के मध्य में हमने पांच पार्टियों को नोटिस दिए। उनमें से बहुत-सी पार्टियां विभिन्न तिथियों पर हाजिर नहीं हुईं। कुछ पार्टियां हाजिर हुई थीं। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट में केस हो गया। केस में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि तात्कालिक कमर्शियल यूज कर सकते हैं क्योंकि यह शर्त थी। उन्होंने कहा कि इससे जो आमदनी होगी उस रुपये को कोर्ट में जमा करना पड़ेगा अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना पड़ेगा। उसको खर्च नहीं कर सकते। इस दरम्यान, जैसा मैंने निवेदन किया, हमारी तरफ से ऐजूडीकेशन का जो काम होता है वह कानूनी काम है। जब तक सारा विवरण और विटनैसेस देश के विभिन्न भागों से आ जाएं क्योंकि मशीनें विभिन्न जगहों में हैं 14 मशीनें मद्रास में, 12 मशीनें बोलाराम, आंध्रप्रदेश में, 12 मशीनें बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में, 12 मशीनें बगरू, राजस्थान में, इस प्रकार से विभिन्न स्थानों में विभिन्न पार्टियों को 22 बार नोटिस दिए गए।

हम पूरी तत्परता के साथ प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी-से-जल्दी ऐजूडीकेशन पूरा हो जाए और अगली तिथि 27 अगस्त को रखी गई है। (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। 30 मार्च, 87 को ऐग्रीमेंट में 15 दिन की बात स्पष्ट लिखी थी कि 15 दिन में ऐसा नहीं होगा तो कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि देश में सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कितनी चारा मशीनें काम कर रही हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है, हम आपको उन मशीनों के संबंध में सूचना दे सकते हैं जिनके मामले में राजस्व विभाग द्वारा छूट दी गई है। जहां तक इस सामान्य प्रश्न का संबंध है कि सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत देश में कुल कितनी चारा मशीनें काम कर रही हैं, यह मामला हमारे मंत्रालय से संबद्ध नहीं है। यदि एक अलग सूचना दी जाती है तो संभवतः हम कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय जैसे संबद्ध मंत्रालयों और सहकारिता विभाग आदि से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं तभी इसका उत्तर दिया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो मशीनें मंगाई गई वे कौन-सी कम्पनी की तरफ से

सप्लाई की गई। क्या उस कम्पनी में केन्द्रीय मंत्री का कोई रिश्तेदार संबद्ध है ? दूसरा सवाल यह है कि जब मशीनें चलती नहीं हैं, नाकाम हैं तो इवैलुएशन कमेटी किसलिए ऐपाइंट की है ? 608 करोड़ रुपये का जो फ्रॉड है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है, वह देखने के लिए एक कमेटी ऐपाइंट की जाए तो अच्छा है। क्या उस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि वह संजीवनी फौडर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई की कम्पनी है जिसके जरिए इम्पोर्ट लाइसेंस दिया गया था और जैसा मैंने बताया, यह शर्त थी कि मशीनें आने के बाद वे भारत कृषक समाज को दान के रूप में प्रदान करेंगे। किन्तु बाद में जानकारी मिली कि जो मशीनें लाई गई थीं उन मशीनों के रुपये का प्रावधान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के स्रोत से कर्ज लेकर किया गया था जिसमें आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा 38 लाख रुपये और प्रदेशीय इंडस्ट्रियल इनवैस्टमैंट कार्पोरेशन, यू० पी० के द्वारा 90 लाख रुपये··· (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : सप्लायर कौन है और क्या उसका कोई रिश्तेदार है ? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेशनल कारपोरेशन के 71.90 लाख रुपये इनके लोन से आये थे। इसलिये यह प्रश्न आया कि बैंक वाले यह कहते हैं कि यह हाइपॉथिकेट है, हमारा अधिकार पहले है, इसलिए आपको यह दान में पहले नहीं देने देंगे। हमारी जानकारी में संजीवनी कम्पनी जिसने इसे मंगाया है, उसमें किसी मंत्री का हाथ नहीं है। ऐसी हमारी जानकारी है। इस बारे में और जानकारी प्राप्त करके मैं इन्हें कुछ बता सकूंगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारत कृषक समाज के अध्यक्ष आज के कृषि मंत्री हैं और इन्हीं को ये मशीनें डोनेट की गई थीं ? दुर्भाग्य यह है कि मद्रास हाई कोर्ट का बहाना लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने व्यावसायिक परपज के लिए ही इसको घोषित किया है। जब आप स्वयं यह जवाब दे रहे हैं कि ये मशीनें कारगर ही नहीं हैं, एक भी मशीन काम में नहीं आई, एक भी चारा पैदा नहीं हुआ फिर आप व्यावसायिक प्रबन्ध में उसको किस प्रकार से लेंगे ? कृपया इन प्रश्नों का उत्तर हमें दें।

श्री रामेश्वर ठाकुर : बिल्कुल चलित नहीं हैं, यह बात ठीक नहीं है··· (व्यवधान)·· यह बात ठीक है और हमें जो सूचना मिली है··· (व्यवधान) ···

श्री राजवीर सिंह : यह कृषि मंत्रालय बताये कि पैदा की या नहीं··· (व्यवधान) ···

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपके उत्तर में लिखा है कि यह काम नहीं कर रही हैं··· (व्यवधान)···

श्री रामेश्वर ठाकुर : आप पहले सुन लीजिए।

[अनुवाद]

उत्तर में कहा गया है कि इन में से बहुत-सी मशीनों को कथित रूप से चलाया नहीं जा रहा है। इस समय उन्हें चलाया नहीं जा रहा।

[हिन्दी]

मशीनें शुरु में चलायी गई थी··· (व्यवधान)···

श्री दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान में 12 मशीनें गई हैं, 7 ने प्रोडक्शन नहीं किया है··· (व्यवधान)···

श्री रामेश्वर ठाकुर : अन्यत्र हमें सूचना मिली है कि कुछ मशीनें शुरुआत में चली थीं। उससे जो रुपये मिले थे, वे भी जमा किए गए थे लेकिन बाद में, कई कारणों से मशीनें नहीं चलीं। हाई कोर्ट में मामला चला गया। बाद में यह सवाल उठा कि ये मशीनें कौन चलायेगा? भारत कृषक समाज को 15 दिन के अन्दर जो दिया जाना चाहिये था, वह नहीं दिया गया क्योंकि बैंक वालों ने अपना हाईपॉथिकेशन का अधिकार रखा और कमर्शियल उसकी बात आई थी। इसको हाई कोर्ट ने स्वीकृत नहीं किया। बैंक वाले हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि हमारा इतना अधिकार है। मद्रास हाई कोर्ट के अधीन यह विचाराधीन है।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। न गंगवार साहब के सवाल का जवाब आया है और न ही जोशी जी के सवाल का जवाब आया। उन्होंने पूरा पढ़ दिया। संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजमेंट किसके पास है? इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इसका चेयरमैन कौन है? क्या मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन किसी उच्च पदस्थ पद पर बैठे मंत्री या लोक सभा के उच्च पदस्थ पद पर बैठे व्यक्ति का बेटा है? मंत्री जी ने जैसा कहा कि मशीनें चल रही हैं, क्या वित्त मंत्री को इस बारे में कोई ज्ञान है? यह तो कृषि मंत्रालय का मामला है। चारा पैदा होना या न होना कृषि मंत्रालय का काम है। आप उनकी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? मेरी जानकारी के अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र . इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, वहां मशीनें खरीदी गई लेकिन आज तक उन मशीनों का पैकिंग नहीं खुला है कि वे मशीनें अन्दर से कैसी हैं और आप कह रहे हैं कि चारा उत्पादन हो रहा है। इसी आधार पर उसके डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया था मगर जब ये आये तो इन्होंने उसको बहाल कर दिया और उसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाकर तरक्की दे दी।

एक माननीय सदस्य : इतने बड़े घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है यह भी बता दें?

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि यह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है और यह मैं समझता भी हूं। और जो मशीनें चलाई जाती हैं कृषि के क्षेत्र में हैं, यह भी मैं समझता हूं। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार मशीनें आई और मशीनों की हमें विभाग से जो सूचना मिली है, अपने विभाग से और सम्बन्धित विभागों से, उसके अनुसार कुछ मशीनें प्रारम्भ में चलाई गई थीं और कुछ रुपये जो आये हुए थे, वह भी जमा किये गए थे। सारी मशीनें चली थीं, ऐसा तो हमने कभी कहा नहीं है। हमने अपने रिप्लाई में यह···

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, यह प्रिवलेज में फंस जायेंगे। इनको सारी बात मालूम हो तो बोलें, नहीं तो यह प्रिवलेज में फंसेंगे।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम कोई गलत बात बोलेंगे तो प्रिवलेज में फंसेंगे न, हम सही बात आप से बता रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : यह आपको मालूम है न। अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें कृषि मंत्रालय भी इन्वाल्व है, वित्त मंत्रालय भी इन्वाल्व है इसलिए मैं चाहता हूं कि आधे घण्टे की चर्चा कराने का आप आदेश दे दें। यह बता तो पा ही नहीं रहे हैं, न चेयरमैन का नाम बता रहे हैं, न मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बता रहे हैं···

एक माननीय सदस्य : और वह किसके लड़के हैं, यह भी नहीं बता रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : वह तो वल्दियत से पता लग जायेगा।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जो प्रश्न है, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। यह मेरा कहना है कि इसमें जो सूचनाएं मिली हैं, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में मशीन नहीं चली हो, यह सूचना हमें आई है···

श्री अन्ना जोशी : कहां चली है, कोई नहीं चली। कोई एक भी मशीन चली है तो आप बताओ।

श्री राजवीर सिंह : आप कृपया यह बता दें कि मशीन कहां चल रही है? (व्यवधान)

श्री विनय कटियार : मेरा इतना निवेदन है कि इतना गम्भीर मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, आप आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा है, आप उनको उत्तर देने दीजिए।

श्री राजवीर सिंह : वह नहीं दे रहे हैं। उत्तर तो आ ही नहीं रहा है, अभी तक एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया।

प्रो० रासा सिंह रावत : अपराधियों को उजागर करना चाहिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : सम्बन्धित प्रश्न के ही उत्तर देंगे और जो हमारी जानकारी है, वह मैं बता रहा हूं। मैंने यह बताया कि यह जो मशीनें हैं, इनके विषय में हमारे वित्त मंत्रालय ने, माननीय सदस्य ने ठीक बताया, हमारा सम्बन्ध यह था कि जिस काम के लिए और जिस उद्देश्य के लिए मंगाई थीं, उसका उपयोग और जो शर्त हमने एडहॉक एग्जम्पशन के समय दिया था, उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं। हमें जब सूचना मिली कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो इस पर नोटिस दिया गया और कारंवाई की गई, जो कारंवाई एडजुडिकेशन में है, जिसका विवरण मैंने बताया। लेकिन साथ में मैंने बताया कि यह सूचना हमको कृषि मंत्रालय से मिली थी कि कुछ मशीनें शुरू में चलाई गई थीं, उनके रुपये जमा किए थे, सारी मशीनें नहीं, थोड़ी सी वह अभी चल रही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि प्रारम्भ में कुछ मशीनें चलाई गई थीं और उसका कुछ रुपया जमा किया गया है, वह विवरण अलग प्रश्न पूछने पर मैं सदन के पटल पर रख दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उत्तर से यह साफ जाहिर है कि चार मशीनों के बारे में सरकार का अनुभव सुखद नहीं है। इसके लिए पूंजीगत पदार्थों के आयात को और अधिक उदार

बनाया गया है। चार मशीनों के बारे में जो अनुभव सामने आए हैं, उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं अथवा क्या सरकार ने पूंजीगत पदार्थों के आयात के लिए कोई कार्य-प्रणाली तैयार की है जिससे चारा मशीनों के सम्बन्ध में जो अनुभव अब सामने आया है, उसकी पुनर्वृत्ति न हो।

महोदय, इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान आयात-निर्यात नीति प्रविष्टि 2 ई-जी, पृष्ठ 10 के अंतर्गत पैकेजिंग और पैकेजिंग सामग्री क्षेत्र के बिना लाइसेंस के पुरानी मशीनों के आयात की अनुमति दे रही है और क्या यह विधेयक पैकेज सामग्री अधिनियम, 1987 के विपरीत तो नहीं है जिससे एच०डी०पी० द्वारा बुनी गई बोरियों की उत्पादन लागत कम हो जाएगी और उसके परिणामस्वरूप पटसन उद्योग कमजोर पड़ जाएगा।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : जहां तक पहले प्रश्न का ताल्लुक है, इस विशिष्ट लेन-देन में विशेष छूट दी गयी थी। नई आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत अब इन मशीनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस पर आयात-शुल्क लगता है और इस प्रकार की मशीनरी के निरपेक्ष आयात पर आयात शुल्क के लगाये जाने से पर्याप्त संयम रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, इस पर तो आधे घण्टे की चर्चा के लिए अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे की चर्चा का सवाल आपके नोटिस देने पर उठता है।

श्री राजवीर सिंह : हम नोटिस दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : किस किस्म का पूंजीगत सामान आयात किया जा रहा है? कुछ मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त होने चाहिए। (व्यवधान)

बिना उचित दिशा-निर्देशों पूंजीगत पदार्थों का आयात नहीं किया जा सकता। पैकेजिंग सामग्री के लिए आप पुरानी मशीनरी क्यों खरीद रहे हैं? आप इस बात का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : मालिनी जी, हम अब अगले प्रश्न को ले रहे हैं।

बैंकों के लेखे

*452. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अपने लेखे तैयार करते समय उनमें देश में विद्यमान अपनी सभी शाखाओं के तुलन-पत्र शामिल नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक ने 1991-92 के अपने वार्षिक लेखे तैयार करते समय अपनी कितनी-कितनी शाखाओं को उनमें शामिल नहीं किया था;

(ग) क्या ऐसा इसलिए किया जाता है कि कई शाखाएं अपने लेखे का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं करती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) ऐसी बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के लिए विद्यमान नियमों और विनियमों के अंतर्गत किस दण्ड का प्रावधान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) राष्ट्रीयकृत बैंक अपने वार्षिक तुलन-पत्र और लाभ व हानि के लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 29 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार करते हैं। तुलन पत्र और लाभ व हानि के लेखे तैयार करते समय बैंक को अपनी सभी शाखाओं और कार्यालयों के लेखे से संबंधित सूचना शामिल करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1991-92 के अपने लेखों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है और उन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में यह उल्लेख नहीं किया गया है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने वार्षिक लेखे तैयार करते समय अपनी किसी शाखा को शामिल नहीं किया है। यदि कोई बैंककारी कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं करती है, तो इसके लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम में बैंकों के संबंधित अधिकारियों के लिए जुर्माना और कारावास में डालने का भी प्रावधान है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह स्पष्ट नहीं है। वास्तव में उन्होंने बड़े ही सौम्य ढंग से सच्चाई पर पर्दा डाला है। उन्होंने वह बात बताई है जोकि भारतीय रिजर्व बैंक ने वह बात बतायी थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने वह बात बतायी जोकि लेखापरीक्षकों ने बतायी और बात दरअसल यह है कि जो कुछ भी बताया गया है उसके पीछे रहस्य की बात यह है :

> "वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने वार्षिक लेखे तैयार करने में अपनी किसी शाखा को शामिल न किया हो।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा नहीं बताया गया कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने वार्षिक लेखे तैयार करने में अपनी सभी शाखाओं को शामिल किया है। यही तथ्य को छिपाया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1991-92 के अपने वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तव में अपनी सभी शाखाओं को शामिल किया है ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि इसमें गलत जानकारी दी गई है, ऐसी बात नहीं है और जहां तक 1991-92 की एन्युअल रिपोर्टस की बात है, वे भी आ गई है। खासकर राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो फोरमैट है, उसके अनुसार ही बैलेंसशीट बनती हैं और उसमें लाभ-हानि के एकाउन्ट्स को बताया जाता है। माननीय सदस्य का यह कहना कि इसमें कुछ

छिपाया गया है, ऐसा नहीं है। छिपाने की कोई बात ही नहीं है। आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में पूछा कि क्या एन्युअल एकाउन्ट्स रिपोर्टस आ गई है, तो वे आ गई हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जिसके बारे में उन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिए था कि यदि ऐसा है तो उन्हें 'हां' में उत्तर देना चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसलिये मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि उनके वक्तव्य के पीछे कुछ न कुछ अभी भी छिपा हुआ है।

यह तो सर्वविदित है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पूरे देश में छोटी छोटी शाखाएं खोली हुई हैं उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए मुझे इस बात का ज्ञान है कि बैंकिंग कानून के अंतर्गत जो काम इन शाखाओं को हर रोज पूरा कर लेना चाहिए, वह काम भी ये शाखाएं दिन में नहीं कर पाती और यह काम है प्रतिदिन का अतिशेष निकालना और उस पर हस्ताक्षर करना। वास्तव में बहुत सी स्थानीय शाखायें ऐसा नहीं कर रही; और इसलिए वार्षिक लेखे तैयार करने में यह विसंगति पैदा हुई है। ये शाखाएं अपने वार्षिक लेखे अपने प्रधान बैंक मुख्यालय अथवा प्रादेशिक कार्यालय को समय पर भेजने की स्थिति में नहीं हैं जिससे बैंक वार्षिक लेखे तैयार कर सके।

अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने निरीक्षण प्रणाली अपनायी हुई है जिससे इस बात पर निगरानी रखी जा सके कि प्रत्येक बैंक बेंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं अथवा नहीं और क्या विगत पांच वर्षों में निरीक्षण के दौरान ऐसी कोई गलती उपर्युक्त अधिकारियों के ध्यान में आयी है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : महोदय, जहां तक इन्टर-ब्रांच रिकंसीलिएशन की बात है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारा नेटवर्क काफी बड़ा है और लगभग 61 हजार ब्रान्चेज हैं। मैं उनको इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, जहां हमारी एक करोड़ रुपए की आउटस्टेंडिंग रिकवरीज होती हैं, वहां तो हर साल स्टैचुटरी बॉडी आडिटर्स/सीए···

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : लेखापरीक्षकों को जो सूचना उपलब्ध करायी जाती है, उसके आधार पर ही वे अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : हमारा पूरा रिप्लाई तो सुन लें। मैं मानता हूं कि हमारी इतनी ब्रान्चेज हैं और एक-दूसरी ब्रान्चेज में लेन-देन, ट्रान्सेक्शन्स, में रिकंसिलिएशन के लिए समय लगता है। इसमें तीन महीने से लेकर छह महीने तक का समय लग जाता है। इसके बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में भी यह बात कही गई है कि इसमें बहुत समय लगता है और राज्य सभा की एश्योरेंस कमेटी ने भी उसमें राय दी। इसी तारतम्य में आर०बी०आई० ने एक ग्रुप सेट-अप किया है। इस बारे में मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसका मतलब यह उस ग्रुप में रहेंगे, तो यह भी अभी विचाराधीन है। हम भी चाहते हैं कि हमारे इंटर ब्रांचिस में शीघ्र रिकांसीलिएशन हो, इसमें ज्यादा समय न लगे।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा। क्या प्रत्येक बैंक ने इस बात की जांच करने के लिए निरीक्षण प्रणाली लागू की है कि क्या इसकी सभी शाखाओं द्वारा बैंकिंग प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर "हां" में है। किसी बैंक के कार्यों का प्रतिवेदन तैयार करते समय सांविधिक लेखापरीक्षक उस बैंक की सभी शाखाओं के खातों पर विचार करता है। मैं मानता हूं कि सांविधिक लेखापरीक्षा, जो सभी शाखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित होती है, के अतिरिक्त प्रत्येक बैंक का एक बाह्य लेखा-परीक्षक होता है। बाह्य लेखापरीक्षा प्रणाली ऐसी है कि उन सभी शाखाओं की लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष की जाती है जिनके अग्रिमों का कुल योग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक होता है। जहां तक शाखाओं का संबंध है जिनके अग्रिमों का कुल योग एक रुपए से कम होता है, उनमें से 25 प्रतिशत शाखाओं की लेखापरीक्षा यादृच्छिक आधार पर की जाती है ताकि इन सभी शाखाओं की बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा चार वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा की जा सके।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमारे राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ दो मुख्य समस्याएं हैं।

पहली समस्या यह है कि अन्तरशाखा और अन्तरबैंक दोनों में मिलान कार्य काफी समय से नहीं किया गया है, दूसरी समस्या यह है कि तुलन-पत्र के लिए नया प्रपत्र निर्धारित करने के बावजूद तुलन-पत्र में बैंकों के निष्पादन के बारे में वास्तविक स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं होती है। इसके बावजूद इसमें कतिपय अस्पष्ट बातें सामने आती हैं जहां कि तुलन पत्र में दिए गए पिछले आंकड़ों का सही मिलान नहीं होने की वजह से बैंकों की आय खण्ड के सन्दर्भ में उनके निष्पादन की वस्तु-स्थिति का पता नहीं चलता है। तुलन-पत्र केवल विकृत स्थिति प्रस्तुत करता है या इसमें बैंकों के निष्पादन की स्थिति बढ़ा-चढ़ाकर दी जाती है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि बैंकिंग क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की पृष्ठभूमि में क्या सरकार किसी सुधार की बात सोचती है और तुलन-पत्र के प्रपत्र में सुधार करना चाहती है ताकि ऐसे निराशाजनक क्षेत्र न हों जहां पर बैंक अपने निष्पादन को छिपाते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि बैंकिंग प्रणाली में समस्याएं हैं और पूंजी पर्याप्तता या बैंकों के विभागों के वर्गीकरण के संबंध में और आय स्वीकृति मानदण्डों के संबंध में हमारा प्रयास यह रहा है कि हमने तीन या चार वर्ष की अवधि में बैंकिंग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया अपनायी है। इसमें समय लगता है। इसके लिए बैंकों को अधिक धन की आवश्यकता है। हमें अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करने की व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी होगी। अतः इसमें कुछ समय लग सकता है। यह एक दिन में नहीं किया जा सकता है। परन्तु हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

श्री मुमताज अंसारी : बैंकिंग कंपनियां जिस प्रपत्र का उपयोग कर रही हैं उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित किया गया था। वह इतना स्पष्ट नहीं है। यह बात हाल के प्रतिभूति घोटाले से भी बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो चुकी है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून में कोई संशोधन करने का विचार है जिससे तुलन-पत्र अंतिम लेखाओं और लाभ एवं हानि लेखाओं को और अधिक सुस्पष्ट बनाया जा सके ताकि सभी सृजनात्मक

गुप्त विधियों को सम्बन्धित बेंकिंग के शुद्ध लाभ को कम आंकने के लिए न दर्शाया जा सके। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : महोदय, बेंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के प्रावधान के अनुसार ही राष्ट्रीयकृत बेंक अपने जो एनुअल एकाउंट्स बैलेंस शीट बनाते हैं। और जहां तक इसका सवाल है इसमें ऐसा कुछ नहीं है हमारे एकाउंट्स में, इसमें जो स्टेंडिंग एडवायजरी कमेटी आन बेंक आडिट है इसमें सी०ए०जी० का प्रतिनिधि रहता है, इसमें बेंकिंग डिवीजन का प्रतिनिधि भी होता है, आर०बी०आई० का डिप्टी गवर्नर भी होता है और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पेनल तैयार करते हैं। फिर एप्रूव्ड पैनल इसको आर०बी०आई० में भेजते हैं और आर०बी०आई० रिसपेक्टिव स्टेट बेंक में भेजती है और वे सारी चीजों को देखते हैं।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : आप गोपनीयता कैसे सुनिश्चित करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : जहां तक सीक्रेसी का सवाल है बेंकिंग सिस्टम में सीक्रेसी तो रहेगी और बेंकिंग कम्पनी एक्ट 1970 की क्लाज 31 का हम वायलेशन नहीं कर सकते। लेन-देन की सारी चीजें हैं तो हमारी सीक्रेसी तो रहेगी। दुनिया में और बेंक हैं, उनमें भी सीक्रेसी तो रहती है।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय शाहाबुद्दीन जी के सवाल के जवाब में दलबीर सिंह जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो जवाब दिया है, सारी चीजें आपके सामने हैं। हमको लगता है कि पूरा जवाब असंतोषजनक है, क्योंकि दलबीर सिंह जी ने इसके बारे में पासिंग रेफरेंस किया है, क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह चीज आई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी आन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस ने कहा है कि 1991 का जो बेंकिंग री-कंसीलेशन स्टेटमेंट है, उसमें 2 लाख 31 हजार करोड़ रुपया एन्वाल्व है, इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

दूसरा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय सोच-विचार कर के जवाब दें कि केनरा बेंक और बेंक आफ बड़ौदा, दोनों की जो 1991-92 की बैलेंस शीट है, उससे पता चलता है कि केनरा बेंक की 554 ब्रांचें और बेंक आफ बड़ौदा की 915 ब्रांचें अन-आडिटेड हैं। इस पर जो फारमेट है, सारे बेंकों ने एक फारमेट लिखा हुआ है, उस पर दस्तखत करा लेते हैं, वही आडिट रिपोर्ट है, यह स्थिति है। पार्लियामेंट्री एश्योरेंस कमेटी ने सारी चीज बताई है, तो बेंकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। 100-200-300 ब्रांचें ऐसी हैं, जिनका एक-एक साल तक आडिट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि उनका प्राफिट और लॉस जो बताया जाता है वह वास्तविक नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें रेफार्म्स करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री दलबीर सिंह : जहां तक माननीय सदस्य का कहना है, मैं इस चीज को मानता हूं। पी० ए० सी० का भी कहना है कि कोई ग्रुप सेटअप हो, जो इसको देखे। इसके तारतम्य में जो

हमारी कमेटी सेटअप हुई है, वह और आर० बी० आई० इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से इसको किया जाए।

दूसरा सवाल जो आपने यहां पर बताया है बैंक आफ बड़ौदा और केनरा बैंक के बारे में। इस चीज को में मानता हूं और हमारी जो स्टेचुटरी आडिट है, वह इसको देखती है। (व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या है, सैकड़ों ब्रांचेज अन-आडिटेड हैं, इसका क्या मतलब है ?

श्री बलबीर सिंह : आप सुन तो लें। हमारी ब्रांचेज का इतना नेटवर्क हमारा है, इसको हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तारतम्य में और भी कमेटी बनी है उन्होंने भी व्यूज दिए हैं कि 3 से 6 महीने तक इंटर ब्रांच की रीकंसीलेशन के लिए समय लगता है, इस समय को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए गहराई से सरकार सोच रही है, आर० बी० आई० सोच रहा है। और जहां तक आडिट का सवाल है, इंटरनल आडिटर्स रहते हैं, वे भी ब्रांचों का आडिट करते हैं और किसी चीज को छुपाने की कोई बात नहीं है, लेकिन किस तरह से हम इस समय सीमा को कम करें, इस पर बराबर विचार चल रहा है।

श्री रवि राय : लेकिन इस विचार का नतीजा क्या है, आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो 2 लाख 31 हजार करोड़ रुपए का जिक्र किया है और आप कह रहे हैं कि सोच रहे हैं, लेकिन इस सोच का नतीजा क्या निकला है, यह में जानना चाहता हूं ? पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो एक्सपोजर किया है, उसके लिए क्या कार्यवाही की गई और उस कार्यवाही का नतीजा क्या है ?

श्री बलबीर सिंह : कमेटी सोच रही है, में माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, जो भी उनकी एडवाइज होगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : में केवल यही सोच कर कांप उठता हूं कि यदि यही काम सहकारी बैंकों ने किया होता तो क्या होता। हम में से अधिकांश लोगों को सहकारी बैंकों का कुछ अनुभव है। हम लोग इतने सतर्क हैं कि प्रत्येक शाखा अपना कार्य सही ढंग से करती है और यदि वह अपना काम उचित रूप से नहीं करते हैं तो सहकारी विभाग या रिजर्व बैंक उन बैंकों पर झपट पड़ता है। इस मामले में 2,31,000 करोड़ रुपए का मिलान कार्य बकाया है ! क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन दे सकते हैं कि मिलान की बकाया भारी राशि को ध्यान में रखते हुए क्या वह इस संबंध में युद्धस्तर पर कारंवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी असमानताओं को कम से कम दिसम्बर के अन्त तक तो दूर कर ही दिया जाए ? क्या सरकार इस काम को पूरा करने के लिए इन प्रयासों को इस ढंग से करेगी कि यह दिसम्बर, 1992 के अन्त तक पूरा हो सके ?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : इसमें निश्चित डेट नहीं दे सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला करें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकारी करों का संचयन बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

क्या इस बात के लिए कोई मार्ग-निर्देश हैं कि संचयित करों की राशि को इतने दिन के अन्दर सरकार को दे दिया जाना चाहिए और इस धन को सरकार को अन्तरित करने में कितने दिन लगते हैं ?

श्री बलबीर सिंह : मैं इसका पता लगाऊंगा और माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बहुत सारा धन बैंकों में रह जाता है और वह उससे खिलवाड़ करते हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए । यह जानकारी हमारे पास है परन्तु इस समय और यहां पर नहीं । इसके लिए अलग नोटिस की जरूरत है ।

श्री हन्नान मोल्लाह : सदस्य द्वारा की गई जांच के संदर्भ में और मंत्री जी द्वारा दिए गए असंगत उत्तरों के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जांच के लिए बैंक खातों की जांच हेतु रखने के लिए तैयार है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है । अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 453.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे प्रश्न पर आ गया हूं ।

हीरे-जवाहरात का निर्यात

*453. **श्री पी० एस० चेतन चौहान** :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1992 के दौरान कितने मूल्य के हीरे-जवाहरात का निर्यात किया गया; और

(ख) इस समय इन वस्तुओं का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जनवरी से जून, 1992 तक 3881.25 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और आभूषणों का निर्यात किया गया था ।

(ख) हीरे और आभूषण मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, बेल्जियम, जापान, हांगकांग, थाइलैण्ड, ब्रिटेन, जर्मनी, यू० ए० ई०, कुवैत और सिंगापुर को निर्यात किए जाते हैं ।

श्री पी० एस० चेतन चौहान : महोदय, 1989 में परिष्कृत हीरों का मूल्य 7.2 बिलीयन डालर था जबकि हीरे के आभूषणों का खुदरा विक्रय मूल्य 39.7 बिलयन डालर था । वास्तव में हो यह रहा है कि परिष्कृत हीरों का मूल्य कम है और आभूषणों का मूल्य अधिक है । हीरे के आभूषण तैयार करने वाले विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : सबसे महत्वपूर्ण समस्या अपरिष्कृत हीरों की उपलब्धता की है

और सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है और अपरिष्कृत हीरों की उपलब्धता को सरल और कारगर बना दिया है। निर्यातक स्वयं हीरों का आयात कर सकते हैं और इस काम के लिए एच० डी० सी० भी है जो हीरों का आयात कर सकता है। अतः मुख्य बात कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि किसी निर्यातक को कोई वास्तविक शिकायत है तो हम उस पर गौर करेंगे।

श्री पी० एस० चेतन चौहान : इस समय विश्व में हीरे के आभूषणों की कुल खुदरा बिक्री का 31 प्रतिशत आभूषणों की बिक्री जापान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 30 प्रतिशत और यूरोपीय देश 20 प्रतिशत आभूषणों की बिक्री करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को ध्यान में रखते हुए क्या प्रबंध किए गए हैं या क्या जापान और अन्य देशों को हीरे के आभूषणों का हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए इस मामले को उठाया गया था ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, हम हीरों और आभूषणों का निर्यात केवल जापान को ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य सभी देशों को कर रहे हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और हमारा निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरों के मामले में इस वर्ष हमारा निर्यात पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक है और आभूषणों के मामले में हमारा निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार सभी प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री की यात्रा के संबंध में अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी ऋणों का उपयोग

*454. **डॉ० सुधीर राय** :

श्री हाराधन राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न विदेशी स्रोतों से प्राप्त सहायता-राशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्रोतों से लिए गए ऋण में से कुल कितना ऋण अप्रयुक्त रहा;

(ग) क्या देश को अप्रयुक्त रही धनराशि पर भी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी धनराशि पर कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ा; और

(ङ) विदेशी सहायता राशि का पूरी तरह से और समय पर उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विदेशी सहायता का अधिकांश भाग विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़ा होता है और इसलिए इसका सविस्तार परियोजना कार्यान्वियन अनुसूची के अनुसार किया जाता है। वास्तविक कार्यान्वियन की गति परियोजना-दर-परियोजना अलग-अलग होती है। तथापि, किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण की अप्रयुक्त राशि सामान्यत: व्यपगत नहीं होती तथा उस राशि को बाद के वर्षों के लिए अग्रनीत कर लिया जाता है।

(ख) सरकारी खाते में लिए गए ऋणों की कुल राशि के संचयी योग में से वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के अंत में ऋणों की अप्रयुक्त कुल शेष राशि क्रमश: 43029 करोड़ रुपए, 50551 करोड़ रुपए और 73045 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वियन तथा विदेशी सहायता के उपयोग की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इन उपायों में, विदेशी मुद्रा जारी करने और निविदा मूल्यांकन की प्रणाली का सरलीकरण, राज्यों को शत-प्रतिशत विदेशी सहायता दे देना और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अग्रिम धनराशि जारी करना शामिल है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग को भी बढ़ा दिया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए धनराशि

*445. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री महेश कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए धनराशि कैसे जुटाई जाती है;

(ख) नौवें वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए "सीमान्त धन सीमा" (मार्जिनमनी लिमिट) में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 1990-95 की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष गठित करने की सिफारिश की थी जिसमें केन्द्र और राज्य तिमाही किश्तों में 75 : 25 के अनुपात से 804 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अंशदान करेंगे।

(ग) से (ङ) आयोग द्वारा राज्यों की निधियों में आबंटन 1988-89 तक के पिछले

दस वर्षों के अनुमोदित व्यय की वास्तविक सीमा के औसत को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। राज्यों को इस तरह आबंटित राशि में सीमान्त धन, अग्रिम योजनागत सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा बाढ़ राहत के राज्य सरकार का अपना 25% का हिस्सा शामिल है। राज्यों को ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटना होता है और उन्हें इस प्रकार से दी गई धनराशियों के भीतर बिना केन्द्र को लिखे अथवा केन्द्र से अधिकार प्राप्त किए बिना ही अपने कार्य की व्यवस्था करनी होती है।

राहत व्यय की वित्त व्यवस्था सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों को केन्द्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया है और उन्हें 1-4-1990 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए, आयोग द्वारा राज्यों की निधियों के लिए आबंटित धनराशियों में इस स्थिति में वृद्धि नहीं की जा सकती है। तथापि, दसवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में आपदा राहत के लिए व्यवस्था की पुनरीक्षा करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियां

*456. श्री मृत्युंजय नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे का अध्ययन और जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ-समिति ने रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) सरकार द्वारा श्री एच० एन० रे की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने मई, 1992 के प्रथम सप्ताह में कार्य करना शुरू कर दिया था। समिति से अन्य बातों के साथ-साथ वेतन पुनरीक्षण की प्रवृत्ति तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की तुलना में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों में असमानता के मामले को शामिल करते हुए एक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस दस्तावेज के चार महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों का पंजीकरण

*457. **डॉ० विश्वनाथम कैनिथी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के पंजीकरण और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों से सम्बन्धित वर्तमान नियमों और विनियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के पंजीकरण और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वर्तमान नियमों और विनियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में सुधार

*458. **श्री अनिल बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम

*459. **श्री सत्य देव सिंह** :

आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री दिनांक 20 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदलने के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम की दीर्घावधिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार इसके सुधार के लिए एक अन्त: सम्बद्ध पैकेज को अन्तिम रूप दे रही है। दिल्ली परिवहन निगम को कंपनी के रूप में बदलना उन विकल्पों में से एक है जिन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

इस्राइल के साथ व्यापार सम्बन्ध

*460. **प्रो० राम कापसे** :

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान इस्राइल के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित किए गए थे अथवा चालू वर्ष में स्थापित किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उन क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनमें संयुक्त उद्यम लगाये जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग, में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क` और (ख) वर्ष 1991 के दौरान कोई भी व्यापार सम्बन्ध स्थापित नहीं किए गए थे, परन्तु प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) से (ङ) एक इस्राइली आर्थिक प्रतिनिधिमंडल ने इस्राइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के नेतृत्व में मार्च, 1992 में भारत का दौरा किया था और भारत के उद्योग संघों से मुलाकात की थी। भारत के उद्योग संघों के साथ चर्चा के दौरान संयुक्त उद्यमों की गुंजाइश पर आमतौर से चर्चा हुई थी। और कोई खास परियोजना अभिज्ञात नहीं की गई थी ।

बैंक कर्मियों के परिवारों को मुआवजा

***461. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश स्थित भारतीय स्टेट बैंक में पड़ी डकैतियों में गत छः माह के दौरान कितने बैंक कर्मियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या इन कर्मियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुआवजे के कितने मामले इस समय लंबित हैं और इनको निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंक डकैतियों/लूटपाटों का सामना करते समय पिछले छः महीनों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारतीय पटसन

***462. डॉ० असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन के मामले में आई० एस० ओ० 9000 मानक प्राप्त करने हेतु कोई कार्यक्रम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) आई० एस० ओ० 9000 आई० एस० 14000 श्रृंखला के मानकों के प्रावधानों के अनुसार क्वालिटी प्रबन्धन प्रणाली के प्रमाणीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने सितम्बर, 1991 में क्वालिटी प्रणाली प्रमाणीकरण योजना आरम्भ की है। इस योजना को पटसन उद्योग सहित उद्योग के सभी क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा सकता है।

फूलों का उत्पादन और निर्यात

*463. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में फूलों के बढ़ते बाजार में भारत को भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है; और

(ख) व्यवस्थित रूप से फूलों के उत्पादन के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस दिशा में किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना को प्रोत्साहित करना;

(2) बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी सहायता (विमान पत्तनों पर शीत-भण्डारगृहों की सुविधाएं और रेफ्रिजरेटेड वाहनों की खरीद में सहायता देना);

(3) रोपण सामग्री के आयात और पुष्प उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में सरलीकृत क्रिया-विधि; और

(4) बाजार विकास, आदि।

(ख) सरकार द्वारा गठित एक ग्रुप ने गहन पुष्पोत्पादन सम्बन्धी विकास के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों को अभिज्ञात किया है।

बीड़ी पर उत्पाद शुल्क और उपकर

*464. **डा० वसंत पवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी पर लगे उत्पाद शुल्क और उपकर की वसूली से 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक राज्यवार और क्षेत्रवार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या बीड़ी पर लगे उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु उन्हें अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पहली अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 के दौरान बीड़ी पर वसूल किए गए उत्पाद शुल्क और उपकर की कुल राशि अनन्तिम रूप से क्रमश: 188 करोड़ रुपये और 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों के क्षेत्राधिकार के आधार पर तैयार किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और उपकर की वसूली के राज्यवार ब्यौरे "अनुबन्ध-1" में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पहली अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक की उपर्युक्त अवधि के दौरान खर्च की की गई राशि 7.75 करोड़ रुपए है।

(घ) पहली अप्रैल, 1992 से सामूहिक बीमा योजना आरम्भ की गई है। किसी अन्य प्रस्ताव अथवा योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान बीड़ी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं उपकर से प्राप्त राजस्व (आंकड़े अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य	उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व (हजार रुपयों में)	उपकर से प्राप्त राजस्व (हजार रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	396928	20825
2.	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश	1634	114
3.	बिहार	89842	3274
4.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	—	316
5.	हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	—	2191
6.	गोवा	—	—
7.	गुजरात एवं संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	3259	179
8.	कर्नाटक	228834	15596
9.	केरल तथा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	68041	3526

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	313006	21552
11.	महाराष्ट्र	174033	9457
12.	उड़ीसा	20792	1194
13.	राजस्थान	16897	1104
14.	तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	275404	18706
15.	उत्तर प्रदेश	108659	6760
16.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा संघ राज्यक्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	186233	14821
	जोड़ :	1883562	119615

पाद टिप्पणी :—ये आंकड़े राज्य के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालियों से प्राप्त राजस्व वसूलियों पर आधारित हैं और इस संबंध में और विस्तृत ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करना

*465. श्री के० पी० सिंह देव :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक, भुवनेश्वर और विजयवाड़ा-गुन्टूर सैक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करके उसे चार लेनों वाला बनाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण के अंतर्गत, विश्व बैंक की सहायता से कटक-भुवनेश्वर खण्ड को चार लेन का बनाने का कार्य शुरू किया जाना है और इस संबंध में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। बैंक के साथ परामर्श करते हुए ठेकेदारों की पूर्व योग्यता संबंधी कार्य प्रगति पर है। तत्पश्चात् परियोजना के लिए बोली शुरू की जाएगी। इसी बीच परियोजना को 126.74 करोड़ रु० के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया गया है।

विजयवाड़ा-गुन्टूर खण्ड को चार लेन का बनाने का कार्य, अखिल भारतीय आधार पर

विभिन्न परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता तथा आठवीं योजना के दौरान चार लेन बनाने के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निधियों की कमी को देखते हुए अभी से यह नहीं बताया जा सकता कि चार लेन बनाने का यह कार्य कब संस्वीकृत होगा।

ऊनी कालीन का निर्यात

*466. **श्री बलराज पासी :**

डा० रमेश चन्द तोमर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान तथा 1992-93 में अब तक हाथ से बुनी ऊनी कालीनों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1991-92 और 1992-93 (अप्रैल-जून, 92) के दौरान हाथ से बुने ऊनी कालीन के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष		अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए में) (अनंतिम)
1991-92	—	628.58
1992-93 (अप्रैल-जून)	—	148.60

(ख) हाथ से बुने ऊनी कालीनों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। इनमें से कुछ हैं शुल्क वापसी का प्रावधान, कालीन ग्रेड कच्चे ऊन के आयात की सुविधा, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् को विदेशों में प्रचार के लिए सहायता जिसमें विदेशी मेलों में भाग लेना शामिल है। निर्यात गृह/व्यापार गृह को मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कालीन के निर्यात से अर्जित नेट विदेशी मुद्रा की ट्रिपल वेटेज दिया जाता है।

हथकरघा परियोजना

*467. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम कोष के अंतर्गत हथकरघा परियोजनाओं के विकास के लिए कुछ राज्यों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के दौरान स्वीकृत की गई हथकरघा परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी गई तथा 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके कितने बुनकरों को लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के लिए ग्रामीण हथकरघा विकास परियोजना के लिए सहायता संबंधी एक प्रस्ताव वर्ष 1987 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के समक्ष रखा गया था लेकिन इसे उनके ऋण संबंधी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को 34 के साथ जोड़ना

*468. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्णिया कुमेदपुर-हरिश्चन्द्रपुर-गजोला सम्पर्क मार्ग बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार ने आठवी पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से संबंधित कुछ प्रस्ताव भेजे थे जिनमें अन्य के साथ-साथ कोरा (बिहार में रा० रा० 31 पर) से हरीशचन्द्रपुर (पश्चिम बंगाल में) तक की सम्पर्क सड़क शामिल है न कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पूर्णिया (बिहार में रा० रा० 31 पर) से गजोल (पश्चिम बंगाल में रा० रा० 34 पर) तक की सड़क। तथापि नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों से लगभग 37,566 कि०मी० की कुल लम्बाई के 135 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। निधियों की कमी के कारण अभी से 8वीं योजना के दौरान प्रश्न गत सड़क और नये राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में किसी निर्णय का संकेत देना समय-पूर्व होगा। प्रश्न गत सड़क इस समय राज्यीय सड़क नेटवर्क का एक भाग है, इसलिए बिहार और पश्चिमी बंगाल सरकार इसके निर्माण/विकास आदि से संबंधित है।

[हिन्दी]

बजट स्थिति की पुनरीक्षा

*469 **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** :

डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय को नियंत्रित करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पूर्ण बजट स्थिति की तिमाही आधार पर कोई पुनरीक्षा की गई है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बजट व्यय को नियंत्रित करने और राजस्व वसूली बढ़ाने की दिशा में हुई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पहली तिमाही के अन्त तक प्रधान करों से प्राप्तियां उत्साहवर्धक रही थीं जबकि व्यय सामान्यत: अधिकांश क्षेत्रों में आनुपातिक स्तरों के भीतर रहा ।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि निकाला जाना

*470 **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान तथा वर्ष 1992-93 के पहले दो महीनों में देश में जमा की गई विदेशी मुद्रा में से निकाली जा रही विदेशी मुद्रा का महीनेवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस जमा विदेशी मुद्रा में से अनिवासी भारतीयों द्वारा मुद्रा निरन्तर निकाली जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीयों की जमा विदेशी मुद्रा को निकाले जाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा से विदेशी मुद्रा को निकाली गई राशि 1627 मिलियन अमरीकी डालर थी । अप्रैल, मई, 1992 के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा से निकाली गई विदेशी मुद्रा की राशि क्रमश: 188 मिलियन अमरीकी डालर और 76 मिलियन अमरीकी डालर थी ।

(ख), (ग) और (घ) 1992-93 के प्रथम दो माहों के दौरान अनिवासी भारतीय निक्षेपों से लगातार विदेशी मुद्रा निकाले जाने के सुनिश्चित कारणों को बता पाना सम्भव नहीं है । फिर भी यह ध्यान में रखना संगत होगा कि विदेशी मुद्रा अनिवासी निक्षेपों के लिए लिबोर दर से ऊपर अदा की जा रही विभेदक दर पिछले वर्ष की स्थिति की तुलना में कम हो गई है। इसका कारण विदेशी मुद्रा अनिवासी निक्षेपों का अपेक्षाकृत उच्च लागत वाली प्रकार का उधार होना है तथा हमारे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार की स्थिति में सुधार होने से हम विभेदक दर को और समुचित स्तर तक काम कर सकते हैं । सरकार लगातार स्थिति पर निगरानी रखती है और भुगतान सन्तुलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक निक्षेपों में अनिवासी भारतीय निवेशों हेतु प्रोत्साहनों का समुचित ढंग से बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाती है ।

विदेशी मुद्रा के लेखे में घपला

4691. **श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा लेखे में घपले का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए "इंटरपोल" की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोने का पकड़ा जाना

4692. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जनवरी, 1990 को जर्मन अधिकारियों ने फ्रेंकफर्ट होकर पेरिस से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान (ए० आई० 142) से फ्रेंकफर्ट हवाई अड्डे पर 63.5 किलोग्राम सोना जब्त किया था;

(ख) क्या इस निषिद्ध सोने को रहस्यमय ढंग से पाए जाने के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) यह बहुमूल्य धातु इस समय किसके कब्जे में है; और

(ङ) इस सोने के दावे के सम्बन्ध में विवाद को किस प्रकार सुलझाया जाएगा तथा इसे भारत लाया जाएगा तथा इसे निर्दिष्ट अधिकारी जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच से किसी सुराग का पता नहीं चला है । तथापि, मामले की परिस्थितियों और प्राप्त हुई सूचना से यह प्रतीत होता है कि सोना चोरी-छिपे भारत में लाए जाने के लिए अभिप्रेत था ।

(घ) और (ङ) यह सूचित किया गया है कि सोना इस समय जर्मन-सीमा शुल्क के कब्जे में है । फ्रेंकफर्ट में एयर इंडिया प्राधिकारियों ने भारत सरकार की ओर से महानिदेशक, राजस्व आसूचना द्वारा दिए गए प्राधिकार के आधार पर 20-1-92 को जर्मन सीमा शुल्क के समक्ष एक दावा दायर किया है, जिसमें सोना भारत सरकार को वापस करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है । तथापि, यह भी पता चला है, कि फ्रेंच प्राधिकारियों ने भी प्रश्नगत सोने के लिए दावा किया है ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शाखाएं खोलना

4693. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) चयनित स्थानों पर कब तक ये शाखाएं खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सभी राज्यों में उनकी शाखाएं क्षेत्रीय कार्यालयों/उपकार्यालयों के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त, 150 जिलों में इसके जिला कार्यालय हैं जिसका संचालन एक ही व्यक्ति करता है। 1992-93 के चालू वित्त वर्ष के दौरान, इसने 57 और जिला कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है जिसकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। प्रस्तावित 57 जिला कार्यालयों में से 15 कार्यालय 30 जून, 1992 तक खोले गए हैं। शेष कार्यालय तभी खोले जा सकेंगे जब पता लगाए गए स्थानों पर आवश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो।

विवरण

1992-93 के दौरान नाबार्ड द्वारा खोली जाने वाली एकल व्यक्ति संचालित कार्लालयों की राज्यवार स्थिति

राज्य	जिला
1	2
असम	एन० सी० हिल्स,
	सोनितपुर
आंध्र प्रदेश	करीम नगर
	मेढक
	नालगोंडा
	वारंगल
बिहार	मुजफ्फरपुर
गुजरात	खेडा
	मेहसाणा
	राजकोट
हरियाणा	फरीदाबाद
	सिरसा
हिमाचल प्रदेश	सोलन
जम्मू व कश्मीर	रजौरी
कर्णाटक	बेलगांव
	चिकमगलूर/कोडागु
	कोलार
	बिदार

1	2
केरल	इदुक्की
	कोल्लाम
	मालापुरम
	वायनाड
महाराष्ट्र	अमरावति
	बुल्डाना
	धुले
	नासिक
	रायगढ़
	सांगली
	उस्मानाबाद
मध्य प्रदेश	देवास
	राजनन्द गांव
	रतलाम
	सरगूजा
	विदिशा
उड़ीसा	मयूरभंज
	कोरापुट
पंजाब	लुधियाणा
राजस्थान	बांसवाड़ा
	दौसा
	झुनझुनू
	नागपुर
	सिरची
तमिलनाडु	चेंगी नगर
	पुडुकोट्टाई
	मदुरै
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
	अल्मोड़ा
	बस्ती
	बुलन्दशहर
	जौनपुर

1	2
	मुजफ्फरनगर
	प्रतापगढ़
	टिहरी गढ़वाल
	रायबरेली
पश्चिम बंगाल	जलपाइगुड़ी
	मुर्शीदाबाद

बीड़ी का निर्यात

4694. **श्री गोविन्द राव निकाम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अब देशों को बीड़ी का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में बीड़ी को लोकप्रिय बनाने तथा इसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पश्चिम एशिया को बीड़ी के निर्यात का ब्यौरा (अनन्तिम) नीचे दिया गया है :—

देश	निर्यात मात्रा (टन)	1991-92 मूल्य (लाख रुपये)
यू०ए०ई०	56.5	97.77
बहरीन	25.05	42.84
कुवैत	2.22	4.24
ओमान	40.11	69.41
कतर	26.44	44.30
दक्षिण अरेबिया	148.2	305.92
इराक	2.0	3.7
योग :	300.52	567.85

(ग) तंबाकू बोर्ड द्वारा बीड़ी के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है: अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में विभिन्न ब्रांडों की बीड़ियां प्रदर्शित करना, व्यापार शिष्टमंडलों की यात्राओं के दौरान ग्रस्ट बाजारों का पता लगाना, बाजार सर्वेक्षण करना तथा बीड़ी के निर्यातकों के बीच व्यापार जानकारी वितरित करना। तथापि, बीड़ी का विदेशी बाजार इस वजह से सीमित रहता है क्योंकि इसकी मांग पश्चिम एशियाई देशों में अधिकांशतः भारतीय जाति के लोगों तक ही सीमित है।

[अनुवाद]

बारहवें विधि आयोग की सिफारिशें

4695. श्री राम नारायण बैरवा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को 12वें विधि आयोग से अनेक सिफारिशें रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) बारहवें विधि आयोग ने सरकार को बारह रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं। इन रिपोर्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बारह रिपोर्टों में से, पांच रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई थी और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वियन के लिए भेज दी गई थीं। शेष रिपोर्टों का हिन्दी पाठ तैयार किया जा रहा है।

विवरण

बारहवें विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

क्रम संख्या	रिपोर्ट का संख्यांक	विषय
1	2	3
1.	132	उपेक्षित महिलाओं, बालकों और माता-पिताओं की कठिनाइयों को दूर करने और उनके कष्ट को कम करने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के उपबंधों के संशोधन की आवश्यकता।
2.	133	अवयस्क बालकों की संरक्षकता और अभिरक्षा से सम्बन्धित मामलों में, महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव को दूर करना तथा कल्याण के सिद्धांत का विस्तार करना।

1	2	3
3.	134	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के कतिपय उपबंधों की कमियों को दूर करना।
4.	135	अभिरक्षा में महिलाएं।
5.	136	कैसे प्रतिबन्ध लगाया जाए और कैसे समाधान किया जाए इस पर उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों या केन्द्रीय विधियों में विरोध।
6.	137	ओम्बुड्समैन के पद के सृजन की आवश्यकता और विधायी-प्रशासनिक उपाय विकसित करने के साथ-साथ भविष्य निधि के फायदा ग्राहियों के दावों को निपटाने में हुए अत्यधिक विलम्ब के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करना।
7.	138	गंदी बस्ती और पटरी पर रहने वालों के लिए विधायी संरक्षण।
8.	139	सिविल प्रक्रियां संहिता के आदेश 21, नियम 92(2) का संशोधन करने की अत्यन्त आवश्यकता, जिससे उस विषमता को दूर किया जा सके जो विधान-मंडल के सद्भावपूर्ण आशय को अकृत करती है और ऐसे निर्णीत ऋणियों के प्रति, जिनको फायदा पहुंचाना आशयित है, अन्याय होता है।
9.	140	संभावित अन्याय पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन की तामील किए जाने से सम्बन्धित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5, नियम 19-क का संशोधन करने की आवश्यकता।
10.	141	दांडिक पुनरीक्षण आवेदनों और उपसंजात होने में व्यतिक्रम के कारण खारिज किए गए दांडिक मामलों को पुनःस्थापित करने की न्यायालयों की शक्ति के सम्बन्ध में विधि का संशोधन करने की आवश्यकता।
11.	142	ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में, जो स्वप्रेरणा से बिना किसी सौदे-बाजी के दोषी होने का अभिवचन करना वरण करते हैं, रियायती व्यवहार।
12.	143	छोटे जमाकर्ताओं का शोषण से संरक्षण करने के लिए विधायी सुरक्षा।

जनता कपड़े पर राजसहायता

4696. मेजर डी०डी० खनोरिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जनता कपड़े के लिए राज्य सरकारों को कितनी धनराशि की राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) इससे कितने जुलाहे और सहकारी समितियां लाभान्वित हुए;

(ग) क्या उनके काम-काज की समीक्षा के लिए कोई केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय अभिकरण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े के उत्पादन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 13,000.31 लाख और 12,582.00 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए।

(ख) यह योजना राज्य हथकरघा विकास निगमों और राज्य शीर्ष/क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। देश में 19 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में सचालित इस योजना के 45 कार्यान्वियन अभिकरण हैं। ये कार्यान्वियन अभिकरण अपनी सदस्य सहकारी समितियों और इनके पास पंजीकृत बुनकरों के माध्यम से जनता कपड़ा तैयार करवाती हैं। वर्तमान स्तर के उत्पादन से ऐसा अनुमान है कि जनता कपड़ा योजना लगभग 9.6 लाख लोगों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान कर सकती है।

(ग) जी, हां। प्रत्येक कार्यान्वियन राज्य में मुख्य सचिव अथवा हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की जनता कपड़ा योजना कार्यान्वियन समिति इस योजना के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है।

(घ) एस०एल०आई०सी० के कार्यों में (1) कपड़े के प्रकार का निर्धारण, तिमाही और वार्षिक उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम; (2) लोक वितरण प्रणाली और अन्य वितरण व्यवस्था के कार्यों की देख-रेख; (3) सूत सप्लाई की देख-रेख; (4) बुनकरों को समय से भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करना; (5) योजना के कार्यान्वियन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना और (6) योजना में सुधार के लिए सुझाव शामिल हैं।

उत्पादन और सीमा शुल्क के मामलों में आकलन किया जाना

4697. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के मामलों में कम आकलन किए जाने के कारण करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हुई है जैसाकि नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की 1989-90 (1990 की संख्या-4) की और 1990-91 (1992 की संख्या-4) की रिपोर्टों से सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगे से शुल्क का कम आकलन किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए निर्धारणों की जांच करने पर, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने न्यून मूल्यांकन,

गलत वर्गीकरण, गलत छूट मंजूर करने, गलत तरीके से क्रेडिट देने, अनियमित रिबेट और वापसी अदायगी आदि के कारण कम वसूली करने का आरोप लगाया है। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में दिए गए कम लेवी के ऐसे मामलों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है और उन पर की गई टिप्पणियों को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाता है, जो अधिकांश मामलों में उन्हें भेजी गयी टिप्पणियों के आधार पर कुछेक मसौदा-लेखा परीक्षा पैराओं को रद्द कर देते हैं। अभिकथित कम उगाही के इन मामलों में निर्धारितियों को वसूली नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और मांग की पुष्टि होने पर राशियों की वसूली कर ली जाती है। कुछेक मामलों में, निर्धारिती मुकदमा दायर कर देते हैं, ऐसे मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही वसूली की जा सकती है। अतः अभिकथित कम उगाही के मामलों को वास्तविक राजस्व हानि के मामलों के रूप में मानना ठीक नहीं है।

(ग) सरकार आन्तरिक लेखा परीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों और पहले ही न्यायनिर्णयन हो चुके मामलों की समीक्षा करने की पद्धति के जरिये क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारण में की गई गलतियों और अनियमितताओं की जांच करने के मामले में पूरी तरह से चौकस रहती है। न्यून-निर्धारण की जांच के लिए दस्तावेजों की समवर्ती लेखा परीक्षा सहित गहन संवीक्षा की जाती है। जहां अधिकारियों के मामले में कदाचार प्रमाणित हो जाता है, उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के अनुपात में विदेशी धन

4698. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऋण, सहायता निवेश आदि के रूप में 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश की अर्थ-व्यवस्था के अनुपात में विदेशी धन का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा भुगतान संतुलन की स्थिति के प्रबन्धन के लिए यह आवश्यक है कि चालू लेखा घाटे को पूंजी अन्तः प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किया जाए जिनमें ऋण, सहायता और विदेशी निवेश शामिल हैं। चालू लेखा घाटा, जिसे बहुधा विदेशी पूंजी प्रवाहों द्वारा निधिबद्ध किया जाता है उसे प्रायः सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह अनुपात 1990-91 में 2.8 प्रतिशत तथा 1991-92 में 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। ऐसे चालू लेखा घाटे को वित्त पोषित करने के साधनों का अनुमान, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संग्रहीत किया गया है, इस समय 1990-91 के लिए उपलब्ध हैं। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	(दस लाख डालर) 1990-91 (तुरन्त अनुमान)
चालू लेखा घाटा निम्न द्वारा वित्त पोषित किया गया :	7294

ऋण	
(i) निवल वाणिज्यिक उधार	693
(ii) निवल अनिवासी जमा राशियां	117
(iii) निवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायता, निवल	1214 1806
अन्य पूंजी निवल (1120 लाख डालर के अनुमानित विदेशी निवेशों सहित)	2186
प्रारक्षित मुद्रा का उपयोग	1278

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दस्तकारी का विकास

4699. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में दस्तकारी के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) राज्य से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, जसे और जब प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर गुणावगुण आधार पर निर्णय लेने से पहले विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

विवरण

(ख) से (घ) जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए 1991-92 एवं 1992-93 (जुलाई, 92 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	संगठन का नाम	प्रस्ताव का उद्देश्य	स्वीकृत प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर	बरेली में बेंत एवं बांस शिल्प के लिए शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करना	जी हां 24-3-92 को
2.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर	कलकत्ता/मद्रास/जयपुर/दिल्ली में नए एम्पोरियम खोलना	—
3.	—वही—	दिल्ली में वर्तमान शोरूम का नवीकरण	—
4.	—वही—	शिल्प बाजार, बाजार बैठक आदि आयोजित करना।	—
5.	राज्य पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	शिल्पग्राम, आगरा में ताज महोत्सव	जी हां 26-3-92 को

1	2	3	4
6.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, कानपुर	नई दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, बंगलौर, मंगलौर, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, जयपुर और भोपाल में प्रदर्शनियां आयोजित करने के सम्बन्ध में	जी हां 15-5-92 को
7.	—वही—	चिकन कशीदाकारी के लिए प्रशिक्षण योजना के सम्बन्ध में	—
8.	उपसचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	—
9.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, कानपुर	उत्तर प्रदेश में रंगाई तथा धुलाई संयंत्र की स्थापना	—

[अनुवाद]

बैंकों में बहादुरी के लिए पुरस्कार

4700. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकिंग संस्थाओं के उन कर्मचारियों, जो बैंक अधिकारियों पर हमला करने वाले लुटेरों/डकैतों/आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं, को पुरस्कार देने की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) लूटपाट/डकैती करने वालों का प्रतिरोध करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए जून, 1986 में एक योजना बनाई गई थी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दिनांक 22-6-87 के परिपत्र के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ के लिए भी लागू की गई थी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जारी दिशा-निर्देश की सरकार द्वारा संवीक्षा की गई थी तथा 14-10-1991 को इस बारे में नवीन निर्देश जारी किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न है)।

संशोधित दिशा-निर्देशों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर उपयुक्त ढंग से लागू करने के बारे में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सरकार के परामर्श से विचार कर रहा है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को लिखे गए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रणाली के दिनांक 14-10-1991 के पत्र सं० 22/14/91-सतर्कता/डी की प्रतिलिपि

विषय—बैंक कर्मचारियों को, जो डकैती/आतंकवादी घटनाओं में मारे जाते हैं, की क्षतिपूर्ति के संबंध में मार्गनिर्देश।

सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 20 जून, 1986 के अ० शा० पत्र सं० 1/26/86-सतर्कता द्वारा बैंक डकैतियों में मुकाबला करने वाले बैंक कर्मचारियों और जनता के सदस्यों को दी जाने वाली क्षति पूर्ति और पुरस्कार के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार के मामलों में क्षतिपूर्ति/पुरस्कार के पैकेज की भारतीय बैंक संघ के परामर्श से संवीक्षा की गयी है और मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय किया गया है। इसमें निहित मार्गनिर्देश तत्काल प्रभावी होंगे और कर्मचारियों के सभी ग्रेड के लिए लागू होंगे।

(i) देश के किसी भी भाग में कार्यालय अवधि के दौरान अथवा उसके बाद बैंक कर्मचारियों पर आतंकवादियों द्वारा बैंक डकैती और हमले के परिणामस्वरूप अथवा उसके दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार को बैंक द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रतिपूर्ति की जानी होगी :—

कार्यालय स्केल IV से ऊपर	—मृत्यु के मामले में	5 लाख रुपये
अधिकारी स्केल I से III	—वही—	3 लाख रुपये

लिपिकीय कर्मचारी की मृत्यु के मामले में	2 लाख रुपये
अधीनस्थ कर्मचारी की मृत्यु के मामले में	1 लाख रुपये

(2) संबद्ध बैंक मृतक के बच्चों के शैक्षणिक खर्चों को स्नातक सहित स्नातक कक्षा तक पूर्ति करेगा।

(3) बैंक मृतक के परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के मार्ग-निर्देशों के अनुसार तत्काल नियोजन उपलब्ध कराएगा। यदि रोजगार तत्काल पाने में कोई भी योग्य नहीं है, तो परिवार के किसी सदस्य के पात्र होने और ऐसी नियुक्ति पाने की स्थिति में होने तक यह पात्रता आस्थगित रखी जाएगी। बहरहाल, विशेष मामलों में अधिकारी के रूप में अनुकम्पा पर आधारित नौकरी पर, पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करने के तहत सरकार के अनुमोदन से विचार किया जा सकेगा।

यदि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं ली जाती है, तो मृतक के परिवार को मृतक द्वारा अंत में लिये गये वेतन और भत्ते, मृतक के परिवार के किसी एक बच्चे को 21 वर्ष की आयु पर पहुंचने तक अथवा सामान्य रूप में उस तारीख को जब मृतक ने सेवा निवृत्त होना था, इनमें जो भी पहले हो, दिये जायेंगे। वेतन और भत्तों को ऐसी अदायगी केवल तब ही उपलब्ध होगी यदि आश्रित कहीं उपयुक्त तौर पर नियोजित नहीं है।

(4) मृतक कर्मचारी द्वारा आवास आदि के लिए लिया गया ऋण परिवार के उस सदस्य के नाम, जिसे अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गयी है, उसकी सामान्य पात्रता पर ध्यान दिये बगैर अंतरित कर दिया जाएगा। परिवार द्वारा यदि अनुकम्पा पर नौकरी नहीं मांगी गयी है तो ऋण के ब्याज का भाग माफ कर दिया जाएगा और मात्र मूलधन को क्षतिपूर्ति/अन्य देय धनराशियों में से वसूल किया जाएगा।

(5) बैंक कर्मचारी के अलावा, व्यक्तियों के मामले में जो डकैती के परिणामस्वरूप अथवा उसके दौरान और/या आतंकवादियों के हमले से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बैंक मृतक के परिवार को एकमुश्त एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

(6) बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों/जनता के सदस्यों के मामले में जो बैंक डकैती और बैंकों पर आतंकवादी के हमले में सक्रिय रूप से मुकाबला करते हैं, बैंक 50,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों को यदि वे पद की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता की न्यूनतम शर्तों को, परन्तु की गयी सेवा के वर्षों की संख्या का संदर्भ दिये बगैर, पूरा करते हैं तो उन्हें बिना क्रम के पदोन्नति दी जा सकती हैं। उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा कवर न होने वाले कर्मचारियों को स्थायी आधार पर उनके वर्तमान ग्रेड में तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियों की मंजूरी दी जा सकती है।

(7) बैंक कर्मचारियों, जनता के सदस्यों/पुलिस बलों आदि के सदस्यों सहित दुर्घटनाग्रस्तों के अस्पताल में रख-रखाव सहित चोट के उपचार के लिए सभी व्ययों को बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।

(8) उपर्युक्त खण्ड "6" में उल्लिखित नकद पुरस्कार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होंगे, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति उसे नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र होगा।

वेतनभोगी वर्ग से आयकर की वसूली

4701. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयकर की कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं से इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वसूल आयकर का प्रतिशत कितना था; और

(ग) 31 मार्च, 1992 को वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं से संबधित आयकर के कितने प्रतिशत मामले न्यायालयों के विचाराधीन थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान वसूल किए गए आय-कर की राशि नीचे दी गई है—

		(करोड़ रु० में)
1990-91	—	5371
1991-92	—	6739 (अवन्तिम)

ये आंकड़े आयकर की शुद्ध वसूली को दर्शाते हैं; तथा इन आंकड़ों में निगम कर के आंकड़े शामिल नहीं हैं तथा ये आंकड़े वापस-अदायगी की राशि का समायोजन करने के पश्चात् के हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयकर की शुद्ध वसूली के संदर्भ में वेतनभोगी श्रेणी के करदाताओं से स्रोत पर काटे गए कर के रूप में वसूल किए गए आयकर की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

1790-91	—	24%
1991-92	—	23% (अनन्तिम)

(ग) आयकर से संबंधित अदालती मामलों के लिए आंकड़े कर-निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग से नहीं रखे जाते हैं। अतः यह सूचना दे पाना संभव नहीं हो सकेगा।

समुद्री निर्यातों की गुणवत्ता

4702. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्य की सुरक्षा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्री खाद्यों की छवि बनाए रखने हेतु इनकी गुणवत्ता में और सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और निर्यात निरीक्षण अभिकरण के जरिए निर्यात किए जा रहे समुद्री खाद्यों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

इस दिशा में किए जा रहे उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात के लिए सामग्री की गुणवत्ता की जांच के उद्देश्य से निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण करना और साथ ही एम्पीडा की कोचीन स्थित प्रयोगशाला में आयातक देशों द्वारा मांग की गई विष-विज्ञान संबंधी जांच करना शामिल है।

संसाधन पूर्व चरण पर एम्पीडा निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

—उतारे गए कच्चे माल की गुणवत्ता की नियमित मानीटरिंग और विभिन्न चरणों पर इसका आगे प्रबंध करना।

—संसाधन-पूर्व संयंत्रों से जुड़े कर्मचारियों, मछुआरों और मछलियों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य गुणवत्ता पहलुओं को देखने वाले व्यक्तियों को शिक्षित करना।

—समन्वित मत्स्य परियोजना, कोचीन द्वारा चलाए जा रहे 6 महीने के मछली संसाधन तकनीशियन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों को भेजने सहित व्यापार कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करना।

—संसाधन संयंत्रों से जुड़े स्वयं की प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए उपदान के रूप में वित्तीय सहायता में वृद्धि करना, ताकि संसाधन के विभिन्न चरणों पर जांच/निरीक्षण में उन्हें सहायता मिल सके।

—प्रौद्योगिकीविदों को आयातक देशों की नवीनतम निरीक्षण/जांच प्रणालियों की जानकारी लेने के लिए विदेश स्थित प्रयोगशालाओं में ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु उन्हें यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की लागत का 50 प्रतिशत पूरा करना।

—समुद्री उद्योग को उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार ने गुणवत्ता के लिए स्वाप्रमाणीकरण योजना शुरू कर दी है। निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा कुछ मुद्दों को लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है।

(ख) सरकार का निर्यातकों और संसाधन संयंत्रों द्वारा उच्च-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाकर निर्यात की गुणवत्ता में और सुधार करने का विचार है। इस कार्य के लिए एम्पीडा द्वारा वेरावल में एक और विष-विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इसके अलावा, समुद्री खाद्य उद्योग, निर्यात निरीक्षण अभिकरण आदि को भी हाल में भेजे गए चेतावनी पत्र के रूप में निर्देश दिए गए हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण को और अधिक गहन जांच और निगरानी करने के लिए भी चेतावनी दी जाती रही है। कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपाय अपनाकर गन्दगी और सड़न से बचने के लिए संसाधन-पूर्व और संसाधन चरणों पर मानीटर करने के लिए एक प्रणाली भी शुरू की गई है।

ऋणों/अग्रिम राशियों को डूबा ऋण मानने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश

4703. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कंपनियों को दिए गए ऋणों और अग्रिम राशि को डूबा ऋण मानने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के कोई मार्गनिदेश हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अशोध्य ऋणों/हानियों और ऋण-कर्ताओं/उधारकर्त्ताओं के साथ किए गए समझौतों सम्बन्धी राशियों को बट्टे-खाते डालने के बारे में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को अशोध्य ऋणों के रूप में वर्गीकृत ऋणों पर ब्याज लगाने के बारे में भी मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी निर्देशों में उन मुद्दों की जानकारी दी गयी है जिन पर किसी राशि को बट्टे-खाते डालने से पूर्व प्राधिकारियों को विचार करना होता है। इन मार्गनिर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जिस अधिकारी ने ऋण मंजूर किया है वही अधिकारी उस ऋण को बट्टे-खाते नहीं डालेगा। मार्गनिर्देश में यह भी कहा गया है कि बट्टे खाते/समझौतों पर निर्णय से पूर्व इनकी वसूली के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए। अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे-खाते डालने सम्बन्धी एक विवरण निदेशकों के बोर्ड को भी आवधिक तौर पर भेजना होता है।

[हिन्दी]

प्लास्टिक के जूतों पर उत्पाद शुल्क

4704. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों द्वारा कम विकसित क्षेत्रों में बनाये गये प्लास्टिक के जूतों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क में कोई छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन समितियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में यह छूट दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कम विकसित क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा विनिर्मित प्लास्टिक के जूतों को कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है। तथापि, 150/- रुपये प्रति जोड़ी तक की कीमत वाले सभी जूतों के लिए दि० 1-3-88 की अधि-सूचना सं० 88/88-के० उ० शु० के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है बशर्ते कि इनका विनिर्माण विनिर्दिष्ट किस्म की सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया हो।

(ग) प्लास्टिक के जूतों का विनिर्माण करने वाली समितियों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना नहीं रखी जाती है। इन आंकड़ों को संकलित करने में जितना समय और श्रम लगेगा, वह इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

[अनुवाद]

तुर्कमेनिस्तान को उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

4705. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमेनिस्तान ने, जो पूर्व सोवियत संघ का एक गणराज्य था और अब एक स्वतंत्र देश है, भारतीय उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके प्रति तुर्कमेनिस्तान ने रुचि प्रकट की है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) तुर्कमेनिस्तान सरकार ने भारतीय वस्तुओं की खरीद के प्रति सिद्धान्त रूप में उत्सुकता व्यक्त की है।

(ख) तुर्कमेनिस्तान के विदेश व्यापार मंत्रालय के अनुसार उनके द्वारा भारत से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की खास सूची सितंबर/अक्टूबर 1992 के अंत तक तैयार हो जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल

4706. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अधिकारियों ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है किन्तु देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में हड़ताल जारी है;

(ख) यदि हां, तो यह हड़ताल कितने राज्यों में जारी है;

(ग) सरकार ने स्थिति से निबटने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है; और

(घ) ट्रांसपोर्टरों द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने 7 जुलाई, 1992 की मध्यरात्रि से ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल समाप्त कर दी थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान तथा महाराष्ट्र में यह हड़ताल क्रमशः 11 जुलाई तथा 12 जुलाई तक जारी रही।

राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की तथा केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं हुई।

कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबंध

4707. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कच्चे रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। सरकार को रेशम के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध लगाने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) नई निर्यात और आयात नीति के अन्तर्गत कच्ची रेशम को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है और इसका आयात केवल लाइसेंस के आधार पर अथवा इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार ही किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार रेशम का आयात करने के बारे में पहले से ही एक प्रतिबंधित दृष्टिकोण अपना रही है।

इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया है कि पेबरीन रोग के फूट पड़ने की स्थिति में 200 टन कच्चे रेशम का आयात करने की जो अनुमति दी गई थी उसमें से कच्चे रेशम की 153.74 टन की बाकी मात्रा का आयात करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

पौड़ी और चमोली जिलों में शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार की योजना के अन्तर्गत दिया गया ऋण

4708. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में कुल कितने बेरोजगार युवकों ने शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन किया था; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितने युवकों को इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के चमोली और पौड़ी जिलों में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्रों को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के पास भेजे गए आवेदन पत्रों की संख्या और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा

स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

	चमोली		पौड़ी	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1. जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	174	110	258	386
2. जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल द्वारा बैंकों के पास भेजे गए आवेदन पत्रों की संख्या	109	71	131	143
3. बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	45	46	75	101

[अनुवाद]

जनता कपड़े का उत्पादन

4709. श्री एस० बी० थोरात : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों को समुचित राहत पहुंचाने के लिए यह कोटा प्रर्याप्त था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के हथकरघा बुनकरों के जनता कपड़े के कोटे का आवंटन बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) देश में और विशेषरूप से महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा जनता कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य और उसकी उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है :—

	लक्ष्य			(मिलियन वर्ग मीटर में) उपलब्धि		(अनुमानित)
	1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
देश में	609.00	600.00	450.00	503.80	477.15	433.14
महाराष्ट्र में	64.34	64.34	40.00	53.74	34.43	37.84

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की शाखाएं

4710. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शाखाएं खोली जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट का अगले दो वर्षों में पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और मिदनापुर में शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्वामित्व फर्मों द्वारा करापवंचन

4711. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत अधिक संख्या में स्वामित्व फर्मों की स्वामिनी गृह कार्य करने वाली महिलाएं हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश फर्मों की देखरेख उनके पतियों और श्वसुरों द्वारा की जाती है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें एक समूह के व्यक्तियों द्वारा एक ही नाम से एक से अधिक फर्में विभिन्न परिसरों में चलाई जा रही हैं;

(घ) क्या उपरोक्त व्यवस्था आय छिपाने और करापवंचन के साधन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) ऐसे कुछ मामले जानकारी में आए हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं है। आयकर अधिनियम घरेलू स्त्रियों को इस बात से मनाही नहीं करता है कि वे स्वयं अथवा किसी अन्य की मार्फत कारोबार करें। कानून व्यक्तियों के किसी समूह को भी इस बात से मनाही नहीं करता है कि वे एक ही परिसर से अथवा भिन्न-भिन्न परिसरों से कार्य का संचालन करके भिन्न-भिन्न लाभ की हिस्सेदारी के अनुपात सहित भिन्न-भिन्न फर्मों को स्थापित करें।

(घ) तथा (ङ) उनके द्वारा स्वयं की गई उक्त प्रबंध-व्यवस्था आय को छिपाने का तथा कर की चोरी करने का एक स्रोत नहीं है जब तक कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नकली नहीं हों। जब कभी भी ऐसे मामले जानकारी में आते हैं, पूछताछ करके, सर्वेक्षण करके, तलाशी लेकर अथवा अन्य जांच-पड़ताल के तरीकों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। आयकर अधिनियम में ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके तहत कर की चोरी के मामलों में पति-पत्नी, अवयस्क बच्चों आदि की आय को इकट्ठा जोड़ा जाता है।

सैनिक समाचार

4712. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 13 भाषाओं में प्रकाशिक साप्ताहिक "सैनिक समाचार" छह महीने पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सैनिक समाचार के विभिन्न भाषाओं के संस्करणों के प्रकाशन के लिए जिन मुद्रणालयों के साथ संविदाएं की गई थी उनके द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा न किए जाने के कारण, इन संस्करणों का प्रकाशन पिछड़ गया है। सैनिक समाचार के सभी भाषाओं के संस्करणों का समय पर मुद्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और क्षमता वाले नए मुद्रणालयों को लगाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तरी राज्यों में प्याज और आलू का निर्यात

4713. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज और आलू के निर्यात की विशेषरूप से उत्तरी राज्यों से पर्याप्त संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने किन संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) क्या कुछ उत्तरी राज्यों ने भी इस संबंध में उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) जहां उत्तरी राज्यों सहित प्याज के निर्यात की अच्छी गुंजाइश है, वहीं उत्तरी राज्यों की तुलना में परिवहन और पारगमन सम्बन्धी हानियां कम होने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात से प्याजों का निर्यात करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। इसके अतिरिक्त उत्तरी राज्यों में प्याज का उत्पादन बेशी नहीं होता है और अधिकांशतया इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। उत्तरी राज्यों से निर्यात योग्य बेशियों का निर्यात भू-भाग द्वारा नेपाल और बंगला देश को किया जाता है।

उत्तरी राज्यों में आलू का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है। तथापि, निर्यात योग्य किस्म की बेशियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है और परिवहन का खर्चा भी बहुत पड़ता है जिससे उत्तरी राज्यों से आलू के निर्यात का संवर्धन करने में बाधा उत्पन्न होती है। तथापि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेशनल एग्रीकल्चरल को आपरेटिव मार्किटिंग फैडरेशन ऑफ इण्डिया लि०) ने मारिशस को प्याज का निर्यात करना शुरू कर दिया है।

नैनी में यमुना नदी पर पुल

4714. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय द्वारा यथा अपेक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-27 (इलाहाबाद-रेवा सेक्शन) के सम्बन्ध में 28 अप्रैल, 1992 को एक पूरक राष्ट्रीय राजमार्ग शहरी सम्पर्क समझौता करके नैनी इलाहाबाद में यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल की स्वीकृति हेतु सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस परियोजना को स्वीकृति कब तक देगी ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना नदी पर प्रस्तावित पुल तथा इसके सम्पर्क मार्गों को जो रा० रा०-27 में मिलते हैं, एक उपयुक्त अर्बन लिंक घोषित करने हेतु पूरक समझौते को कार्यान्वित कर दिया है। चूंकि यह परियोजना अभी मूल्यांकन की अवस्था में है, इसलिए अभी से यह बताना मुश्किल है कि इसे कब स्वीकृति मिलने की संभावना है।

हलके छिलके और कठोर छिलके वाले बादामों के आयात के लिए शुल्क में अंतर

4715. **श्री विजय एन० पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के छिलके वाले बादामों और कठोर छिलके वाले बादामों के आयात शुल्क में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सख्त और नरम छिलके वाले बादामों पर आयात शुल्क की दरों को उनकी गुणवत्ता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तर होने जैसे कारकों पर विचार करके निर्धारित किया गया है।

(ग) फिलहाल, सख्त और नरम छिलके वाले बादामों पर शुल्क की दरों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा

4716. **श्री पी० जी० नरायणन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक आयात की वस्तुओं की सूची से कुछ ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने का है जिनके लिए विदेशी मुद्रा सरकारी विनिमय दर पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जैसाकि केंद्रीय बजट 1992-93 में घोषणा की गई थी, विदेशी मुद्रा सरकारी विनिमय दर पर पेट्रोलियम एवं तेल उत्पादों, उर्वरकों, रक्षा और जीवन रक्षक औषधियों जैसे सभी आवश्यक आयातों के लिए

उपलब्ध होती है। पेट्रोलियम एवं तेल उत्पादों में से कच्चे तेल, मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल जैसी आवश्यक समझी जाने वाली मदों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाती है। इनमें से किसी भी मद को उन आवश्यक आयातों की सूची से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनके लिए विदेशी मुद्रा सरकारी विनिमय दर पर जारी की जाती है।

पान के पत्तों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन

4717. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान पान के पत्तों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पान के पत्तों का कुल निर्यात 9,00,535 अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था। पान के पत्तों के निर्यात के रूप को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान उसका निर्यात कमोबेश वही रहेगा।

(स्रोत : वाणिज्य जानकारी एवं सांख्यिकी महा-निदेशालय)।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों को कमीशन

4718. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के भारी संख्या में एजेंटों को काफी लम्बे समय से कमीशन नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में सरकार कोई उपचारात्मक उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार 1991-92 में इसके एजेंटों को कमीशन का भुगतान करने में कुछ विलम्ब हुआ है। इसका मुख्य कारण इसकी हालकी कुछ स्कीमों में निवेशों द्वारा भारी निवेश का किया जाना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपने एजेंटों को कमीशन का भुगतान शीघ्र करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, रजिस्ट्रारों की संख्या बढ़ाना, कार्यकुशलता में सुधार करना, मौजूदा रजिस्ट्रारों के जरिए आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करना, कमीशन के भुगतान की और अधिक गहन मानीटरी करना तथा कमीशन चेकों भेजने के लिए लक्ष्य तारीखें निश्चित करना शामिल है।

केरल में रबड़ के पौधे लगाना

4719. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर रबर के पेड़ लगाने का विचार है; और

(ख) राज्य में किन-किन नए स्थलों को रबर का पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त पाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केरल में 22,500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को रबड़ की खेती के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) समुद्र तल से 400 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित केरल के सभी भीतर प्रदेश रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त हैं। केरल के जिलों में से पलाक्काड, मलाप्पुरम, कन्नूर, कसरगोड, त्रिचुर, कोइलुन और तिरूवरन्नतपुरम में, अन्य जिलों की अपेक्षा रबड़ की खेती के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने की ज्यादा संभावना है।

सिले सिलाए वस्त्रों और ऊनी मदों का निर्यात

4720 **श्री सुभाष चन्द्र नायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिले-सिलाए वस्त्रों और ऊनी क्षेत्र के निर्यात में इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आठवीं योजना के लिए क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिधानों के निर्यात लक्ष्यों को पार कर गए। वर्ष 1991-92 में प्रमुख आयातक देशों में गिरावट की प्रवृत्ति रहने के कारण वर्ष 1990-91 में लक्ष्य की तुलना में मामूली गिरावट आई। तथापि, वर्ष 1991-92 में परिधानों के निर्यात में वर्ष 1991-92 में 4639.64 करोड़ रु० के निष्पादन की तुलना में 36.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1989-90 में ऊनी वस्त्रों के निर्यात लक्ष्य को पार कर गए। तथापि, क्रमशः खाड़ी संकट तथा पूर्व सोवियत संघ में व्याप्त परिस्थितियों जैसे प्रमुख कारणों से वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लक्ष्यों की तुलना में मामूली गिरावट आई।

(ग) आठवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1992-93 के लिए परिधानों और ऊनी वस्त्रों के निर्यात लक्ष्य क्रमशः 2707 मिलियन अमरीकी डालर तथा 94 मिलियन डालर निर्धारित किए गए हैं।

राजस्थान को केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन

4721. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत धन का अतिरिक्त आबंटन करने तथा आबंटन में वृद्धि करने का आग्रह किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने से संबंधित, संशोधित संकल्प, जो 13-5-1983 को संसद द्वारा पारित किया गया था, के अनुसार निधियां जारी करने से है। चूंकि संसद द्वारा पारित संकल्प के अनुसार निधि में वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है इसलिए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के लिए अतिरिक्त निधियां जारी करना संभव नहीं हुआ है। इसी दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि को संचालित करने वाले पुराने संकल्प के अनुसार देय निधियां राज्यों को जारी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

4722. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की औसत चौड़ाई 25 मानकर उसके रख-रखाव के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) मध्य प्रदेश में सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत के सम्बन्ध में वर्ष 1992-93 के संक्षिप्त विवरण राज्य सरकार से प्राप्त हो गए हैं। ये विवरण राष्ट्रीय राजमार्गों की वास्तविक चौड़ाई के रख-रखाव के सम्बन्ध में हैं न कि किसी औसत चौड़ाई के लिए।

(ख) संक्षिप्त अनुमानों की जांच की जा रही है और कार्यों की आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु आयात-निर्यात बैंक द्वारा अध्ययन

4723. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात बैंक ने पूर्वी यूरोपीय देशों और भूतपूर्व सोवियत संघ के नए बने देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) इस अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार के लिए उत्पादों और संयुक्त उद्यम सहयोगों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण करने, पूर्व यूरोपीय देशों में व्यापार और प्रतिनिधि

कार्यालयों की स्थापना करने, व्यापार संवर्धन में वेयरहाऊसिंग को महत्व देने और पूर्व यूरोपीय देशों में प्रत्यक्ष निवेश करने के सम्बन्ध में देश पार्श्वदृश्य एवं बाजार अनुसंधान अध्ययन प्रारम्भ करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है ।

(ग) यह अध्ययन सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है । लेकिन सुझाव नोट कर लिए गए हैं ।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना

4724. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के कार्यान्वयन में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कार्यान्वियन में शामिल विभिन्न अभिकरणों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा 5 परम्परागत राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा 555 करोड़ रु० के परिव्यय वाली राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड 12 गैर-परम्परागत राज्यों के 20 जिलों में परियोजना क्रियान्वित कर रहा है ।

परियोजना की जटिलता के बावजूद इसके क्रियान्वयन की प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है । परियोजना के क्रियान्ययन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति की स्थापना की गई है ताकि समस्त परियोजना की समय-समय पर समीक्षा/मानीटरी की जा सके । इसी प्रकार परम्परागत राज्यों ने अपने सम्बन्धित संघटकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी-अपनी संचालन समितियों का गठन किया है। इस उद्देश्य के लिए प्रायोगिक राज्यों में जिला स्तरीय मानीटरिंग समितियों का गठन किया गया है ।

सिक्किम में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र

4725. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए कुछ पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र जिलावार कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को कुछ धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथा इन केन्द्रों के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन केन्द्रों के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों के लिए सिक्किम में कोई पुनर्वास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी वायु सैनिकों को प्रशिक्षण देना

4726. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बाहरी देशों के वायु सैनिकों को कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार का प्रशिक्षण किन शर्तों पर दिया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जी, हां। ऐसे देशों का नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मित्र देशों के प्रशिक्षार्थियों को लिया जाता है, वे निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाते हैं :—

(एक) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम।

(दो) स्ववित्तपोषित योजना।

विवरण

उन देशों के नाम जिनके प्रशिक्षार्थी भारतीय वायुसेना की विभिन्न स्थापनाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं

1. बांग्लादेश
2. बोत्सवाना
3. घाना
4. केन्या
5. मारिशस
6. नेपाल
7. श्रीलंका
8. जाम्बिया

मिल श्रमिकों को देय उपदान

4727. **श्री राम नाईक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मिलों का अधिग्रहण

करने से पहले की अवधि की श्रमिकों के उपदान की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है कि श्रमिकों की समस्त बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जाये ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वस्त्र उपक्रम (प्रबन्धन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1983 में बम्बई के 13 वस्त्र उपक्रमों का अधिग्रहण किया था, अधिग्रहण करने की तारीख से पहले वस्त्र कम्पनी की किसी भी देयता को पूरा करने के लिए भूतपूर्व मालिकों को बाध्य किया जाएगा न कि केन्द्रीय सरकार अथवा राष्ट्रीय वस्त्र निगम इसके लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार/राष्ट्रीय वस्त्र निगम इन मिलों के कामगारों को अधिग्रहण-पूर्व अवधि से सम्बन्धित उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ट्वन्टीयथ सेंचुरी फूड्स लिमिटेड

4728. **श्री जसवन्त सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्वन्टीयथ सेंचरी फूड्स लि० द्वारा भारतीय ओवरसीज बैंक मद्रास और सिंगापुर में हुई कथित धोखाधड़ी में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के दो भूतपूर्व अध्यक्षों और कुछ कर्मचारियों ने वर्ष 1979-84 के दौरान अपनी विवेकाधीन शक्तियों से बढ़कर और अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए मै० ट्वन्टीयथ सेंचुरी फूड्स लि० सिंगापुर को विभिन्न ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई थीं।

(ग) से (ङ) भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक नियमित मामला दर्ज किया है।

[हिन्दी]

विदेशी दौरों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

4729. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने भारतीयों ने विदेश यात्रा की;

(ख) उन्हें जारी की गई विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने हेतु उपाय के रूप में विदेश यात्रा के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा को सीमित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रमशः 1990-91 और 1991-92 के दौरान विदेशों में दौरे पर गए 2,95,653 और 2,78,857 भारतीयों को 1093 करोड़ रुपए और 1373 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया। तथापि, इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने ब्लेंकट, सी० ए० एफ० ई० एक्स०, बी० ए० एफ० ई० एक्स० अनुज्ञाओं के अन्तर्गत विदेशों का दौरा किया, क्योंकि ऐसे ब्यौरों का संकलन नहीं किया जाता है।

(ग) विदेश में यात्रा के लिए जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा को सीमित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपास विकास निगम की चौथी योजना के अन्तर्गत नई सूती मिलों की स्थापना

4730. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से राष्ट्रीय कपास विकास निगम की चौथी योजना के अन्तर्गत नई सूती मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सूती मिल के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(घ) इनमें से प्रत्येक मिल का प्रस्तावित उत्पादन कितना है; और

(ङ) इन मिलों को स्वीकृति व सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(1) संजय कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, हुबली, जिला धारवाड़।

(2) श्री महावीर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, बेदकीहाल, चिक्कोडी, बेलगांव।

(3) श्री सिद्धेश्वर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, चिक्कोडी, जिला बेलगांव।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एम०सी०

डी०सी० को अभी प्राप्त होनी है। इसलिए इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं में सुधार करने के बारे में विश्व बैंक की सिफारिशें

4731. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कुछ परियोजनाओं में सुधार करने की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) किस आधार पर ये सिफारिशें की गई हैं तथा सिफारिशों का प्रारूप किस प्रकार का है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही सभी चालू परियोजनाओं की समीक्षा दौरा करने वाले विश्व बैंक मिशन के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है, जो कार्यनिष्पादन या कार्यान्वियन के सम्बन्ध में, जहां आवश्यक हो, सुधार सम्बन्धी विशिष्ट सिफारिशें करते हैं। ऐसी सिफारिशों की समीक्षा की जाती है और इन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मध्य प्रदेश की बन्द कपड़ा मिलें

4732. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जिनके मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित पड़े हैं तथा इनमें से प्रत्येक मिल के कार्यक्षम होने की की कितनी संभावना है;

(ख) बन्द एककों में से प्रत्येक के बन्द होने की तारीख क्या है, कितनी अवधि से यह बन्द हैं तथा इसका कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) श्रमिकों को राहत पहुंचाने और उनका पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन मिलों के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। चूंकि मामले बी०आई०एफ०आर०/ए०ए०आई० एफ० आर० के विचाराधीन हैं इसलिए पुनरुद्धार की संभावना पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार के मिल का पुनरुद्धार करने के लिए पुनर्वासन पैकेज बनाने तथा उसका संचालन करने के लिए नोडीय अधिकरण/औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना

की है। मिल के आंशिक/स्थायी रूप से बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरित राहत प्रदान करने के लिए वह वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना की स्थापना की गई है।

विवरण

क्रम संख्या	मिलों का नाम	बन्द होने की तारीख	प्रभावित कामगारों की संख्या
1.	होप टैक्सटाइल मिल्स (यूनिट सं० 2)	6-6-86	268
2.	विनोद मिल्स कं० लि०	18-9-91	3249
3.	हुकुम चन्द मिल्स लि०	9-12-91	5659
4.	होप टैक्सटाइल मिल्स (नन्दलाल भण्डारी मिल्स यूनिट सं० 1)	6-6-86	2368

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के घरों पर आयकर छापे

4733. **श्री सत्यपाल सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश के संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से पकड़े गए/जब्त किए गए लेखा बाह्य धन, सम्पत्ति और अभियोगात्मक कागजात का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) कर्नाटक बैंक लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं में कुल मिलाकर 64.5 लाख रु० के नकली निक्षेपों के बारे में प्राप्त हुई सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने दिनांक 22 जून, 1990 को इस बैंक के विकास अधिकारी श्री राजाराम खांडिगे के परिसर की तलाशी ली थी, जिन्होंने इन सभी जमाकर्ताओं का परिचय करवाया था। इस तलाशी के दौरान दर्ज किए गए श्री खांडिगे के बयान में उन्होंने यह बताया कि इन निक्षेपों के लिए धनराशि कर्नाटक संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री जे० अलेक्जेंडर द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। इस सूचना के बारे में लोक-आयुक्त को अवगत करवाया गया, जिसके आधार पर बाद में लोक आयुक्त तथा आयकर विभाग ने श्री अलेक्जेंडर के परिसर की तलाशी ली। कोई भी परिसम्पत्ति अभिगृहीत नहीं की गई थी। आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के

अधीन सावधि जमा निक्षेपों को रोक लिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारा 132(5) के अधीन कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। फिर भी, आयकर अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसमें तलाशी के दौरान पकड़ी गई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के स्रोत की जांच-पड़ताल भी शामिल है।

इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के परिसर की तलाशी नहीं ली गई थी।

निर्यात हेतु कृषि मदों और फलों का उत्पादन

4734. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कृषि मदों और फलों का उत्पादन केवल निर्यात हेतु ही किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) कृषि मदों का उत्पादन सामान्यतया घरेलू बाजार एवं निर्यात बाजार दोनों प्रयोजनों के लिए किया जाता है। किन्तु कुछ वस्तुओं का मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है जैसे कपास वाली काली मिट्टी में उत्पादित तंबाकू, अलफोन्सों आम, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत प्रसंस्कृत काजू गिरी, मसाला तेल और तेल-राल आदि। इसके अलावा, 100% निर्यात अभिमुख एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में उत्पादित कृषि वस्तुओं का उत्पादन इस इरादे से किया जाता है कि उनके कुल उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात किया जाए।

[अनुवाद]

आलू का निर्यात

4735. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न देशों को आलू का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जाएगा; और

(ग) पिछले वर्ष आलू का औसत निर्यात मूल्य कितना था ?

वाणिज्य में मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) आयात-निर्यात नीति, 1992-97 के अनुसार आलू का निर्यात खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है। मात्रा-सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा आलू का निर्यात समान मूल्य पर किसी भी नियत स्थान को किया जा सकता है।

(ग) पिछले वर्ष के दौरान, आलू का औसत निर्यात मूल्य 4.5 रु० प्रति कि०ग्रा० था।

कश्मीरी प्रवासियों को ऋण राहत

4736. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कश्मीरी प्रवासियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋणों को पुनर्निर्धारित करने अथवा उन पर ब्याज में छूट देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में चल रही असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में कार्य कर रहे वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे ऋणकर्ताओं को कई रियायतें दें। ये रियायतें 31 मार्च, 1993 तक उपलब्ध हैं। इन रियायतों में पात्र मामलों में घाटी के ऋणकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि को उचित रूप से पुनर्निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए ऋणों को पुनर्निर्धारित करने या ब्याज में छूट देने की कोई विशिष्ट योजना शुरू नहीं की है। ब्याज दर एक सामान्य प्रयोजन लिखत है और किसी क्षेत्रों को इससे रियायत देना न तो उचित होगा और न ही व्यवहार्य।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत जारी की गई राशि

4737. **श्री सोमजीभाई डामोर** :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री रामपूजन पटेल :
श्री वी० धनन्जय कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों को राहत दी गई;

(ख) 1991-92 के दौरान इस योजना के कार्यान्वियन के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार को 50 प्रतिशत भागीदारी के रूप में राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31-3-1991 को समाप्त कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत सहायता प्राप्त हिताधिकारियों की कुल संख्या 315.12 लाख थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) योजना के कार्यान्वियन के लिए अब तक संघ सरकार के 50% हिस्से के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यों को जारी अनुदान की राज्यवार राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) नाबार्ड ने सभी सहकारी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उनके द्वारा दी गई राहत की पूरी जांच करें और अपात्र उधारकर्ताओं के दावों को छोड़कर संशोधित दावे प्रस्तुत करें। आशा है कि राज्यों को देय राशि, यदि कोई हो, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान दे दी जाएगी, बशर्ते कि, दावों का सत्यापन हो जाए और धन उपलब्ध हो।

विवरण-I

उन व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिन्हें पहली जुलाई, 1992 की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत राहत प्रदान की गई हैं

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राहत प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	29,90,540
2.	अरुणाचल प्रदेश	11,960
3.	असम	5,17,500
4.	बिहार	37,26,899
5.	गोवा	19,185
6.	गुजरात	13,44,246
7.	हरियाणा	5,98,820
8.	हिमाचल प्रदेश	2,86,366
9.	जम्मू व कश्मीर	33,721
10.	कर्नाटक	15,78,278
11.	केरल	8,44,857
12.	मध्य प्रदेश	19,77,099
13.	महाराष्ट्र	28,74,348
14.	मणिपुर	78,331
15.	मेघालय	71,609
16.	मिजोरम	6,396
17.	नागालैण्ड	23,604
18.	उड़ीसा	21,53,963
19.	पंजाब	4,56,505
20.	राजस्थान	20,20,663
21.	सिक्किम	9,394

1	2	3
22.	तमिलनाडु	19,74,435
23.	त्रिपुरा	2,09,628
24.	उत्तर प्रदेश	51,81,160
25.	पश्चिम बंगाल	24,54,93
26.	चण्डीगढ़	3,280
27.	दादरा और नगर हवेली	2,798
28.	दमन और दीव	1,115
29.	दिल्ली	10,590
30.	लक्षद्वीप	91
31.	पाण्डिचेरी	45,219
32.	अंण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,754
	कुल :	3,15,12,232

विवरण-II

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत तोजना, 1990 के अन्तर्गत प्रदान की गई ऋण राहत की राशि के लिए भारत सरकार के 50% हिस्से के रूप के नाबार्ड द्वारा दिए गए अनुदान की राज्य-वार राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	नाबार्ड द्वारा दी गई राशि		
		राज्य सहकारी बैंक	राज्य भूमि वि० बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	113.074	17.120	130.194
2.	कर्नाटक	32.678	14.516	47.194
3.	मध्य प्रदेश	83.651	16.650	100.301
4.	उड़ीसा	55.517	13.674	69.291
5.	पश्चिम बंगाल	41.895	9.920	51.815

1	2	3	4	5
6.	अंडमान निकोबार	0.075	—	0.075
7.	पंजाब	50.00	3.000	53.000
8.	हरियाणा	41.000	13.520	54.520
9.	हिमाचल प्रदेश	8.451	0.830	9.281
10.	असम	7.869	0.645	8.514
11.	मेघालय	2.712	—	2.712
12.	त्रिपुरा	2.430	0.389	2.819
13.	मणिपुर	1.155	—	1.155
14.	मिज़ोरम	—	—	—
15.	नागालैण्ड	1.025	—	1.025
16.	अरुणाचल प्रदेश	0.500	—	0.500
17.	आन्ध्र प्रदेश	87.659	44.350	132.009
18.	राजस्थान	109.209	7.960	117.169
19.	उत्तर प्रदेश	201.542	36.172	238.714
20.	तमिलनाडु	66.857	28.790	95.647
21.	पाण्डिचेरी	1.336	0.050	1.386
22.	बिहार	93.373	44.000	137.373
23.	महाराष्ट्र	140.583	41.300	181.883
24.	गोवा	0.508	—	0.508
25.	जम्मू व कश्मीर	9.765	0.445	10.210
26.	केरल	26.125	5.000	31.125
27.	नई दिल्ली	0.100	—	0.100
28.	चण्डीगढ़	0.076	—	0.076
	कुल :	1179.165	299.331	1478.496

[हिन्दी]

आयात-निर्यात और प्रतिपूरक लाइसेंसों की दूसरी प्रति

4738. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन लोगों को जिनके आयात-निर्यात तथा प्रतिपूरक लाइसेंस खो गए हैं, लाइसेंसों की दूसरी प्रति जारी करने का है;

(ख) क्या नई दूसरी प्रति जारी करने हेतु कोई शुल्क लिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो शुल्क राशि कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) 1 मई, 1992-31 मार्च, 1997 के लिए क्रियाविधि पुस्तिका के पैरा 21 के अनुसार जब कोई लाइसेंस खो जाता है अथवा गुम हो जाता है तब उसकी दूसरी प्रति दिए जाने संबंधी आवेदन पत्र पर उस स्थिति में ही विचार किया जा सकता है जब संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस अनुरोध की प्रामाणिकता के संबंध में संतुष्ट होता है। तथापि, मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय आयात लाइसेंसों के मामले में दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी। 1-4-90 को अथवा उसके बाद जारी किए गए प्रतिपूर्ति लाइसेंस/एग्जिम स्क्रिप की दूसरी प्रति दिये जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं बशर्ते कि गुम होने की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 11-9-91 को अथवा उससे पहले दे दी गई हो और यह या तो डाकघर में अथवा डाक-आवागमन में या सीमा शुल्क विभाग में गुम हुआ हो। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को लाइसेंस की दूसरी प्रति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन शुल्क में 100 रु० का भुगतान करना पड़ता है।

[अनुवाद]

सोने का आयात

4739. श्री के० राममूर्ती टिंडीवनाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने का आयात आशा के अनुरूप नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक देश के किस हवाई अड्डे के माध्यम से सबसे अधिक सोने का आयात हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए 30 से 35 मीट्रिक टन के अनुमानित आयात की तुलना में अप्रैल से जुलाई, 1992 तक 30.05 मीट्रिक टन का आयात हुआ है और इससे 73.49 करोड़ रुपए की शुल्क वसूली हुई है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बम्बई में सहार अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सबसे अधिक सोने का आयात हुआ है।

सूती धागा विकास योजना

4740. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का किसी सूती धागा विकास योजना को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना के कार्यान्वियन के फलस्वरूप बढ़िया किस्म की कपास के उत्पादन में किस हद तक वृद्धि होगी;

(घ) क्या उपरोक्त योजना को कपास उगाए जाने वाले किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा;

(ङ) सरकार इस पर कितनी धनराशि व्यय करेगी; और

(च) यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

फिल्म कलाकारों द्वारा कर अपवंचन

4741. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने फिल्म कलाकारों, निर्देशकों और निर्माताओं को कर अपवंचन का दोषी पाया गया;

(ख) विभिन्न न्यायालयों में इन लोगों के विरुद्ध लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन से कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान फिल्मी कलाकारों, निर्देशकों तथा निर्माताओं के संबंध में आयकर अपवंचन के 118 मामले जानकारी में आए। उपर्युक्त मामलों में से कर-अपवंचन के बारे में दायर किए गए अभियोजन के दो मामले न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हुए हैं।

(ग) उचित मामलों में वसूली के लिए दण्ड तथा परिसम्पत्तियों की कुर्की के रूप में कठोर उपाय किए जाते हैं।

बिहार में सीप आभूषणों के निर्यात के लिए सुविधाएं

4742. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के चम्पारन जिले में सीप आभूषणों के निर्यात के लिए अब तक कोई सुविधा नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में व्यापार को पर्याप्त निर्यात सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मदर ऑफ पर्ल (सीपी) और या आम कौड़ी से बने हुए हस्तशिल्प उत्पादों के लिए निर्यात की सुविधाएं सारे देश में दी जाती हैं जिसमें बिहार के चम्पारन जिले में उत्पादित वस्तुओं के लिये सुविधाएं शामिल हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

(ग) मदर ऑफ पर्ल (सीपी) और/या आम कौड़ी से बने हुए हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात के लिए पूरे देश में निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :—

(1) पोतलदान-पूर्व की 90 दिन की क्रेडिट ।

(2) पोतलदान के बाद की रियायती ब्याज-दर पर क्रेडिट जो अन्य प्रकार के निर्यात के लिए उपलब्ध है ।

(3) किसी फर्म को निर्यात घराना/व्यापार घराना की मान्यता देने के लिए हस्तशिल्प की निर्यात से अर्जित निबल विदेशी मुद्रा के लिए तीन गुनी विचार-सुविधा दी जाती है ।

(4) मदर ऑफ पर्ल (सीपी) और/या आम कौड़ी से बने हस्तशिल्प सामानों का निर्यात बिना किसी लाइसेंस के करने की अनुमति है ।

(5) हस्तशिल्प सामानों का निर्यात बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के जरिए अनेक संवर्धन उपाय किए जा रहे हैं । इनमें यह उपाय शामिल हैं : उच्च स्तर पर मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, विदेशों में परम्परागत बाजारों के अलावा अन्य बाजारों में हस्तशिल्प सामानों की बिक्री की संभावना का पता लगाने के लिए बिक्री-सह-अध्ययन टीम प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में भाग लेना, देश में ही निर्यात अभिमुख सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करना, आदि ।

संसद सदस्यों के पत्र

4743. श्री काशी राम राणा :

श्री महेश कनोडिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कुल कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें ऐसे पत्रों के प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर पावती भेजी गई तथा कितने मामलों में अभी तक अन्तिम उत्तर नहीं भेजा गया है;

(ग) पावती पन्द्रह दिनों के भीतर तथा अन्तिम उत्तर तीन महीने के भीतर न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पत्रों/अभ्यावेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) वाणिज्य मंत्रालय में दिनांक 31-7-1992 को समाप्त पिछले 6 महीनों में माननीय संसद सदस्यों से कुल 327 पत्रादि प्राप्त हुए हैं।

(ख) सामान्यतया 15 दिनों के भीतर इन पत्रादि की पावती भेज दी जाती है और 84 मामलों में अन्तिम उत्तर अभी नहीं भेजा गया है।

(ग) अन्तिम उत्तर भेजने की तीन महीनों की अवधि कुछ मामलों में अभी समाप्त नहीं हुई है। अन्य मामलों में दूसरे मंत्रालयों/कार्यालयों से कार्रवाई की प्रतीक्षा है।

(घ) माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रादि के निपटान की क्रियाविधि संबंधी अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और उन्हें दोहराया गया है।

बंद कपड़ा मिलों के कामगारों को सहायता

4744. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्द कपड़ा मिलों के ऐसे कामगारों को कपड़ा मिल कामगार पुनर्वास निधि योजना के अन्तर्गत सहायता भुगतान से वंचित रखा है जिनकी सेवाविधि 5 वर्ष से कम है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं और अब तक कितने कामगारों को उपयुक्त योजना के उपबंधों के अन्तर्गत सहायता से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के उपबंधों को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) ऐसे कामगार जो किसी एकक के स्थायी/आंशिक रूप से बन्द होने के कारण बेकार हुए हों और मिल के बन्द होने के समय लगातार 3 वर्ष और उससे अधिक समय से कार्यरत रहे हों, ये वस्त्र कामगार पुनर्वासिन निधि योजना के अन्तर्गत अन्तरिक राहत पाने के पात्र होंगे। चूंकि अन्तरिम सहायता तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है इसलिए न्यूनतम पात्रता मानदण्ड निर्धारित करना आवश्यक है।

सरकार ने उन कर्मचारियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया है जोकि 5 वर्ष की

निर्धारित न्यूनतम सेवा न कर पाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत राहत के लिए योग्य पात्र नहीं बन पाते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेना में भर्ती में कमी

4745. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 से सेना में होने वाली भर्ती में भारी कमी आयी है जैसाकि 19 मई, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भर्ती स्तर को पूरा करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है ताकि सेना के युद्धाभ्यास की तैयारी पर कोई प्रभाव न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले दशक में भारी संख्या में लोग सेना में भर्ती होने के लिए आये हैं। 1984 से भर्ती में कोई कमा नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा तथा लेखा परीक्षा अधिकारियों के वेतनमान

4746. **श्री पवन कुमार बन्सल** :

श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा तथा लेखा परीक्षा अधिकारियों ने अपने वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा परीक्षा और लेखा अधिकारियों की एसोसिएशनों/फेडरेशनों ने 2375-3500 रु० के अपने वेतनमान को संशोधित करके 3000-4500 रु०/2200-4000 रु० करने हेतु अभ्यावेदन दिए हैं। इस मामले की ओर सरकार का ध्यान है।

नकदी फसलों पर उपकर

4747. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकदी फसलों के निर्यात के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) इन फसलों पर उपकर लगाने का क्या प्रभाव पड़ा है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान नकदी फसलों के निर्यात पर उपकर की कितनी धनराशि वसूल की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) नकदी फसलों के निर्यातक उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाली (एल० ई० आर० एम० एस०) के लाभों के हकदार हैं।

(ख) उपकर इसलिए लगाया जाता है ताकि निर्यात को बढ़ाने तथा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निधियां जुटाई जा सकें।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कुछ नकदी फसलों के निर्यात पर वसूल किया गया अनुमानित उपकर नीचे दर्शाया गया है :

		(करोड़ रु०)
1.	कॉफी	2.45
2.	तम्बाकू (अविनिर्मित)	1.80
3.	काजू गिरी	4.00
4.	मसाले (काली मिर्च, इलायची, हल्दी)	1.23
5.	अन्य कृषि उत्पाद	8.70

[हिन्दी]

पटना में "कार्गो बर्थ" का निर्माण

4748. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग संख्या-1 के विकास के लिए पटना में कार्गो बर्थ के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा गायघाट, पटना में 4.90 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक सामान्य कार्गो बर्थ से निर्माण संबंधी स्कीम को 20 सितम्बर, 1991 को संस्वीकृति दी गई थी। प्रस्तावित बर्थ की क्षमता प्रति वर्ष 80,000 टन कार्गो हैंडलिंग करने की होगी। इस स्कीम को तीन वर्ष की अवधि में अर्थात् सितम्बर, 1994 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

आन्तरिक और विदेशी कर्ज

4749. प्रो० उम्मरेड्डि वेंकटेश्वरलु :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1992 को स्रोतवार आन्तरिक और विदेशी कर्ज कितना था;

(ख) 31 मार्च, 1991, 31 मार्च, 1990 और 31 मार्च, 1989 को बकाया आन्तरिक और विदेशी कर्ज कितना था;

(ग) 31 मार्च, 1992 को बकाया धनराशि पर प्रति वर्ष ब्याज की राशि तथा सेवा शुल्क के भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1992-93 के दौरान कितना अनुमानित कर्ज लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) सूचना नीचे सारणी में दी गई हैं :—

निम्नलिखित के अंत तक बकाया (करोड़ रुपए)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (सं० अ०)
केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां जिसके मुख्य घटक हैं :—	203725	239550	282733	317218
बाजार ऋण	55161	62565	70565	78065
91-दिवसीय राजकोष हुंडियां	50273	61184	75953	78149
अल्प बचतें	33833	41791	50100	55620
भविष्य निधियां	7950	9676	11670	13920
विशेष जमा	19876	26866	33588	40438
अन्य	36632	37468	40857	51026
सरकारी लेखे पर विदेशी ऋण (खाता मूल्य पर)	25746	28342	31525	35501
जोड़ :	229471	267892	314258	352719

(ग) वर्ष 1992-93 में उधार, जहां उसी वर्ष में ही ब्याज देय होगा समेत उधारों पर वर्ष

1992-93 के बजट में अनुमानित ब्याज संदाय निम्नानुसार हैं :

	बजट अनुमान, 1992-93 (करोड़ रुपए)
निम्नलिखित पर ब्याज संदाय	
आंतरिक ऋण	29084
विदेशी ऋण (वचनबद्धता प्रभार सहित)	2916
जोड़ :	32000

(घ) वर्ष 1992-93 में व्यय की जाने वाली अनुमानित अतिरिक्त ऋण देनदारी निम्नानुसार है :

	बजट अनुमान, 1992-93 (करोड़ रुपए)
आंतरिक ऋण	38166
विदेशी ऋण (सरकारी लेखे पर)	4509
जोड़ :	42675

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की मरम्मत

4750. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 का कुछ भाग अप्रैल, 1992 के प्रथम सप्ताह में बाढ़ से बह गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के उस भाग की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सड़क-मार्ग के अभाव में अरुणाचल प्रदेश की दिवंगत घाटी और लोहित जिले तथा असम का तिनसुकिया जिले अप्रैल, 1992 से देश से कटे रहे; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रभावित जिलों में सड़क सम्पर्क पुनः कायम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर पुल सं० 636/1 और इसके सम्पर्क मार्गों को और क्षति से बचने के लिए अस्थायी बचाव संबंधी प्रयास किए गए हैं। तथापि, बाढ़ का पानी अधिक ऊपर तक होने के कारण इस अवस्था में क्षतिग्रस्त भाग पूरी मरम्मत करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अरुणाचल प्रदेश की डिबांग घाटी और लोहित जिलों और असम का तिनसुखिया जिला से सम्पर्क नहीं टूटा क्योंकि रा० रा०-52 और रा० रा०-38 से होते हुए वैकल्पिक मार्ग और अन्य राज्य सड़कें उपलब्ध थी।

विभिन्न क्षेत्रों में उतार/चढ़ाव

4751. श्री इन्द्रजीत यादव :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 की तुलना में 1991-92 और 1992-93 (अब तक) के दौरान में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर में कुल कितना उतार/चढ़ाव हुआ है;

(ख) पतनोन्मुखी क्षेत्र में असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए किन-किन कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) इन क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद की धीमी गति की वृद्धि मुख्यतः वास्तविक क्षेत्रों में अनुभव की गई कठिनाइयों का परिणाम थी। कृषि उत्पादन में गिरावट आने का कारण प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मानसून के अनियमित रुख के कारण खरीफ के उत्पादन में कमी होना था। विदेशी मुद्रा की कमी और मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्रमशः अपनाई गई गम्भीर आयात संकुचन की नीति और 1990-91 से अपनाई गई कठोर ऋण नीति के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1991-92 में निर्माताओं में कमी के कारण औद्योगीकृत देशों में मंदी की स्थितियां, आयातित निविष्टयों के लिए प्रतिबंधित पहुंच और रुपया भुगतान क्षेत्र के साथ व्यापार-विच्छेद रहे।

विवरण

क्षेत्रवार वृद्धि दरें—चयनित संकेतक
(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन)

क्रम सं०	क्षेत्र/संकेतक	1990-91	1991-92	1992-93 नवीनतम
1	2	3	4	5
1.	उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (1980-81 के मूल्य)	5.6	2.5 अनुमानित	—

1	2	3	4	5
2.	कृषि उत्पादन	2.6	—2.0 अनुमानित	—
3.	औद्योगिक उत्पादन	8.5	—0.1	4.1 (अप्रैल)
4.	आधार-भूत उद्योग (छह आधार भूत उद्योगों का सूचकांक जिनमें विद्युत, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, क्रूड पेट्रोलियम और सीमेंट शामिल हैं)	4.7	6.0	2.2 (अप्रैल-मई)
5.	मुद्रापूर्ति (एम 3)	15.1	18.5	5.8 (26 जून, 1992 तक)
6.	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	8.4	6.5	—
7.	मुद्रास्फीति की दर–थोक मूल्य सूचकांक	12.1	13.6	10.9 (18 जुलाई, 1992 तक)
8.	भुगतान संतुलन—सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा घाटा	2.8	1.1	—
9.	$ के अनुसार निर्यात	9.1	—1.9	—4.0 (अप्रैल-मई)
10.	$ के अनुसार आयात	13.2	—19.4	24.7 (अप्रैल-मई)
11.	अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तिया (दस लाख $)	2236	5644	6389 (30 जुलाई, 1992)

1991-92 में हुआ तीव्र मौद्रिक विस्तार मूल रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बड़ी मात्रा में वृद्धि के कारण था जबकि इसके बिल्कुल विपरीत 1990-91 में इसमें काफी निकासी की गई थी। 1991-92 में मुद्रास्फीतिकारी स्थिति, विगत के बड़े राजकोषीय घाटे के कारण नकदी

बाहुल्य, मानसून के असामान्य होने के कारण पैदा हुई मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं, कुछ संवेदी वस्तुओं में पूर्ति-मांग असंतुलन, घरेलू उत्पादन में गिरावट और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयातों के माध्यम से घरेलू पूर्तियों को बढ़ाने में अड़चनों तथा कुछ वस्तुओं के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि जैसे उपादानों का परिणाम थी।

अर्थव्यवस्था के संवर्धन की क्षमता को सुदृढ़ बनाने तथा उसे मध्यावधि में अविच्छिन्न विकास के मार्ग पर लाने के लिए सरकार ने पहले से ही एकमुश्त (पैकेज) बृहद आर्थिक स्थिरीकरण संबंधी उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन आरंभ कर दिए हैं। आयात प्रतिबंधों और कठोर ऋण नीति के कारण नियंत्रण में काफी ढील दी गई है। चालू वर्ष के दौरान किए गए अन्य उपायों में राजकोषीय घाटे में और कमी करना, करों तथा मुल्कों का यौक्तिकीकरण, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को लागू करना, व्यापार के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी करना, विदेशी निवेश और पूंजी बाजारों को और अधिक उदार बनाना आदि शामिल हैं। मध्यावधि के लिए ब्यौरेवार क्षेत्रीय नीतियां, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे हाल ही में स्वीकार किया गया है, में बताई गई है। आशा है कि इन नीतियों से कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था में लचीलापन और स्थिरता आएगी।

चीनी का निर्यात

4752. **श्री के० चोक्का राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि निजाम चीनी कारखाने को राज्य के अन्य एककों से इस कारखाने द्वारा खरीदी गई चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने खाद्य मंत्री को एक अनुरोध भेजा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया गया है कि मैसर्स निजाम शूगर फैक्टरी लि० को चीनी के निर्यात के लिए एक पृथक अभिकरण के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चीनी चूंकि आम खपत की वस्तु है इसलिए इसके अव्यवस्थित रूप में निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी के निर्यात को इंडियन शूगर एण्ड जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (सभी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष निकाय) तथा स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के माध्यम से आरक्षित करने का निश्चय किया है।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन संबंधी समिति की सिफारिशें

4753. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन संबंधी समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) निर्यात संसाधन जोनों के विकास के लिए एक वैकल्पिक माडल की जांच करने के लिए दिनांक 9-10-91 को एक समिति गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० वी० कृष्णमूर्ति थे और इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र, वाणिज्य मंत्रालय, फिक्की, एसोचेम, भारतीय उद्योग परिसंघ, एग्जिम बैंक तथा औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ग) से (ङ) समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 29-4-92 को सरकार को प्रस्तुत कर दिया जिसमें निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजेड) के विकास के लिए या तो निजी तौर पर अथवा एवं निजी विनियोजकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करने के लिए एक वैकल्पिक माडल का सुझाव दिया है। यह रिपोर्ट सभी संबंधित विभागों और निर्यात संसाधन जोनों के विकास आयुक्तों को उनके विचार जानने के लिए भेजी गई है ताकि सरकार उक्त सिफारिशों पर कोई निर्णय ले सके।

कोकनिया से अराडि तक सम्पर्क सड़क

4754. **श्री अनादि चरण दास** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 2-8-1991 के तारांकित प्रश्न संख्या/273 के उत्तर से सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से कोकनिया से अराडि तक बरास्ता बालासोर सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शराब का आयात

4755. **श्री बी० देवराजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशवार प्रत्येक वर्ष कितनी शराब का आयात किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वदेशी शराब उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शराब के आयात पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान शराब के देशवार आयात को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। मार्च, 89 के बाद के प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) शराब के आयात की निषेधात्मक सूची में रखा गया है; अतः इसके आयात की अनुमति विशेष लाइसेंस पर दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान शराब के देशवार आयात को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

मात्रा-लीटर में

मूल्य-लाख रुपयों में

क्रमांक	मद/देश का विवरण	1986-87		1987-88		1988-89	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	शराब						
	डेनमार्क	170	0.13	460	0.19	—	—
	फ्रान्स	1723	1.58	9850	9.61	549	0.44
	जर्मन संघीय गणराज्य	553	0.27	—	—	—	—
	इटली	270	0.11	—	—	—	—
	नीदरलेंड	730	0.15	—	—	281	0.17
	सिंगापुर	360	0.21	87	0.08	2000	1.90
	ब्रिटेन	729	0.45	649	0.59	1360	1.00
	संयुक्त राज्य अमरीका	1730	1.53	—	—	—	—
	स्पेन	—	—	—	—	110	0.09
	योग :	6165	4.43	11046	10.47	4310	3.60

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खण्ड 2 (आयात)।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

4756. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० ए० के० पटेल :
श्री दाऊद याल जोशी :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री अन्ना जोशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का कुछ भाग दुर्घटना प्रवण क्षेत्र अथवा खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होने के कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों का सारांश निम्नलिखित हैं :—

(1) अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाना, यातायात विनियमों का पालन करना, दबाव अथवा थकान में गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना और ठीक दिखाई न देने अथवा अस्वस्थता की हालत में गाड़ी चलाना।

(2) सड़क सुरक्षा के बारे में ज्ञान न होने के कारण पैदल चलने वाले अथवा साईकिल चालकों जैसे सड़क प्रयोक्ताओं की गलतियां।

(3) वाहन में यंत्रों की खराबियां।

(4) सड़क की खराब स्थिति।

(5) खराब मौसम।

(6) वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा तेजी से शहरीकरण जिसके परिणामस्वरूप सड़कों पर भीड़-भाड़ होना और शहरों में विविध प्रकार का यातायात, वाहनों की ओवर लोडिंग आदि।

(7) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में अधिक कड़ी अपेक्षाएं हैं और अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है।

2. परिहवन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु किसी ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्व अपेक्षा बनाया गया है।

3. हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित ट्रकों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदान भार निर्धारित किया गया है।

4. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

5. देश भर में वाहनों की फिटनेश की जांच करने के लिए समान अंतराल निर्धारित किया गया है।

6. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा उपस्कर लगाए जाएंगे अर्थात् वाहनों के लिए ब्लिकर प्रणाली सहित दिशा संकेतक, खतरनाक जोखिम वाले माल की ढुलाई करते समय विशेष लेबल लगाए जाएंगे।

7. सड़क सुरक्षा उपाय तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करें।

8. यातायात नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।

9. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राईविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, खराब हैड लाइटों, ओवर स्पीडिंग, ओवर-लोडिंग आदि के विरुद्ध नियमित रूप से विशेष अभियान चलाना।

10. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करके नियमित अभियोजना।

11. दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सैल द्वारा स्कूली बच्चों को सड़कों के नियमों और सम्बन्धित सुरक्षा पहलुओं के बारे में नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

12. दुर्घटना बहुलता क्षेत्रों के ब्लिकर/संकेत लगाना।

13. राडार गनों द्वारा "प्रासीक्यूशन"।

14. दुर्घटना बहुत क्षेत्रों के अधिक पुलिस तैनात करना।

15. प्रात:कालीन विशेष अभियान और रात्रि मोबाइल गश्त।

16. सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करने के जिला दूरदर्शन/आकाशवाणी, प्रेस का उपयोग।

17. बस बाक्सेज और येलो बाक्सेज की पेंटिंग।

18. राजमार्गों पर विशेष रात्रि चेकिंग।

19. बसों, भारी परिवहनों, टी० एस० आर०, टैक्सियों आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

20. सड़क सुरक्षा कक्ष सभी विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं और बच्चों में सड़क सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिताएं और अन्य सड़क सुरक्षा कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बेनामी पालिसियां जारी करना

4757. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा बेनामी पालिसी जारी करने के किसी मामले के बारे में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के वस्त्र निर्यातक

4758. श्री राम बदन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख वस्त्र निर्यातकों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन्होंने कितना निर्यात किया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वस्त्र निर्यातकों की सूची, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए प्रमाणित माल का मूल्य दर्शाया गया है, नीचे दी गई है। निर्यातकों को वर्ष 1991 के दौरान कम से कम 1 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात करने के आधार पर अभिज्ञात किया गया है। इस सूची में केवल परिधानों और हथकरघा उत्पादों के निर्यातकों के नाम पर दिए गए हैं क्योंकि अन्य वस्त्र उत्पादों से संबंधित इस प्रकार के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं :

मूल्य करोड़ रु० में

निर्यातक का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान निर्यात के लिए प्रमाणित माल का मूल्य		
	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
मैसर्स साहनी ब्रदर्स, नोएडा	1.74	1.50	3.33
मैसर्स स्वाति एक्सपोर्टस्, नोएडा	0.11	0.86	2.93
मैसर्स मिंट मुरादाबाद	2.42	2.12	2.30
मैसर्स मनोहर लाल कपूर एण्ड सन्स, लखनऊ	0.98	0.94	2.30
मैसर्स सचदेव टैक्सटाइल प्रा० लि०, नोएडा	1.85	0.86	2.22

1	2	3	4
मैसर्स मैकसन्स क्रियेशन्स, नोएडा	0.18	0.06	1.43
मैसर्स सेनस्पोर्ट इंटरनेशनल, नोएडा	0.44	1.61	1.40
मैसर्स विर्क इंडिया, नोएडा	0.47	0.65	1.32
मैसर्स एस० आई० डी० इंडस्ट्रीज, नोएडा	—	0.59	1.06
मैसर्स अल्पस् टैक्सटाईल्स प्रा० लि०, गाजियाबाद*	0.85	1.61	2.89
मैसर्स ओम इंटरनेशनल, हाथरस	0.49	1.63	1.77

*यह आंकड़े वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के निर्यात निष्पादन से संबंधित हैं।

स्रोत : ए० ई० पी० सी० तथा एच० ई० पी० सी०।

[अनुवाद]

गोवा को जनता कपड़े का आवंटन

4759. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान गोवा को कितना जनता कपड़ा आवंटित किया गया था, क्या यह आवंटन राज्य सरकार की खपत के अनुसार किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो कम आवंटन करने के क्या कारण हैं और शेष जनता कपड़े की सप्लाई कब तक कर दी जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क)और (ख) भारत सरकार के पास गोवा राज्य सरकार से राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य के आवंटन अथवा इसके वितरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

4760. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पारादीप पत्तन के विकास हेतु उड़ीसा सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ; हैऔर

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्तमान प्रयोजनाओं के अनुसार वर्ष 1992-93 में पारादीप पत्तन के माध्यम से 1.1 एम० टी० लौह-अयस्क का निर्यात किया जाएगा, जो वर्तमान स्तर से कम होगा।

(ग) और (घ) पारादीप में पत्तन संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनकी आवश्यकता अधिक यातायात और वर्तमान स्तर से बड़े जहाजों को हैंडल करने के लिए होगी। इन सुविधाओं में बन्दरगाह का विकास, नए बर्थ का निर्माण, यंत्रीकृत हैंडलिंग सुविधाओं का प्रावधान तथा इससे संबंधित अन्य कार्य शामिल हैं। उड़ीसा सरकार ने भी पत्तन संबंधी ऐसी सुविधाओं के विकास हेतु अनुरोध किया है और वह लौह अयस्क खानों को विकसित करने पर सहमत हो गई है।

(ङ) इस प्रस्ताव पर अभी निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रमुख पत्तनों में गाद का जमना

4761. **श्री अनन्त राव देशमुख :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में प्रमुख पत्तनों पर गाद जमा हो जाने की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या गाद जमा होने तथा इसे रोकने के पहलू के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) महापत्तन गाद भरने की समस्या का अपने ड्रेजरों द्वारा और भारतीय निकर्षण निगम के ड्रेजर लगाकर नियमित अनुरक्षण निकर्षण द्वारा समाधान करते हैं।

(ख) तथा (ग) सामान्यतः गाद भरने के पहलुओं को नए विकास कार्यों के समय किए गए नमूना अध्ययनों में शामिल किया जाता है और यदि आवश्यकता हो तो विशेष अध्ययनों द्वारा भी इसकी अनुपूर्ति की जाती है।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन

4762. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 28 और 30(2) में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) यह विषय अन्तर्राज्यिक परिषद् के विचाराधीन है ?

कम्पनियों को अधिकार में लेने के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं को दिशानिर्देश

4763. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनियों के प्रमुख शेयर धारक व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा कंपनियों को अधिकार में लेने के मामले में वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस प्रकार अधिकार में ली गई कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) किन-किन कंपनियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं ने अधिग्रहण का समर्थन किया तथा किन-किन मामलों में वे तटस्थ रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा उन कंपनियों का अधिग्रहण करने के मामले में, जिनमें उनको अधिकांश शेयरधारिता है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई विशिष्ट मार्ग-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। अलबत्ता, जब कभी आवश्यक अधिग्रहण करने के प्रस्तावों पर वित्तीय संस्थाओं की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तब वित्तीय स्थिति, समामेलन होने वाली कंपनी को नकदी की समस्याएं और तकनीकी अवरोध तथा अंतरिती कंपनी और प्रवर्तकों के लेन-देन के रिकार्ड जैसे विभिन्न तथ्यों के संदर्भ में उनकी जांच की जाती है। यह सामान्यतः दूसरी भागीदार संस्थाओं और बैंकों के साथ परामर्श करके किया जाता है।

इसके साथ ही जो रुग्ण इकाइयां रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार में आती हैं उनके पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और दूसरे उपाय करने के लिए जांच की जाती है।

भारत सरकार और एस० ई० बी० आई० ने करार सूचीकरण के खण्ड 40 (स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) में मई 1991 में संशोधन किया था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पर्याप्त प्रकटीकरण के आधार पर कंपनियों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और निवेदन करने वाली जनता को किए जा रहे तदनुरूप प्रस्ताव किए जाने चाहिए। इस प्रकार किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अधिग्रहण किए गए अधिकांश शेयरों को अब इन मार्गनिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबन्धों, विश्वसनीयता और गोपनीयता के प्रति बाध्यता अधिनियम, 1983 और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार शामिल कंपनियों के नामों सहित अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

कोचीन विश्वविद्यालय की बी० टेक डिग्री को मान्यता

4764. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विश्वविद्यालय में एम० ओ० टी० प्रशिक्षण के लिए "नवल आर्किटेक्चर शिप बिल्डिंग" में कोचीन विश्वविद्यालय की बी० टेक डिग्री पाठ्यक्रम को मान्यता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन महानिदेशक, बम्बई के परामर्श से कोचीन विश्वविद्यालय सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की जा रही है। कोचीन विश्वविद्यालय से प्राप्त पाठ्यक्रम और नमूने के प्रश्न पत्रों की नौवहन अभियंता अधिकारी परीक्षा नियमों की अपेक्षाओं के संदर्भ जांच की जा रही है। उपर्युक्त जांच के बाद किए गए मूल्यांकन के आधार पर बी० टेक की उपाधि को मान्यता देने पर विचार किया जाएगा।

चमड़े का सामान का निर्यात

4765. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य रखे गए थे;

(ख) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य और किए गए निर्यात नीचे दर्शाए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

मद	1890-90		1990-91		1991-91	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
अर्ध तैयार चमड़ा		21.07	—	12.36	—	—
तैयार चमड़ा	650	693.53	600	789.94	750	726.21
चमड़े के जूते	200	171.43	300	280.47	350	456.20
जूते के संघटक	550	518.25	650	573.01	850	702.44
चमड़े के परिधान	300	332.83	450	554.81	950	780.29
चमड़े की वस्तुएं	300	392.77	500	343.26	600	549.57
कुल	2000	2030.03	2500	2553.85	3500	3214.71

संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में, जिनको भारत के चमड़ा क्षेत्र से 75% निर्यात होता है, मन्दी की प्रवृत्तियां और भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन वे मुख्य कारण थे, जिनके कारण पिछले वर्ष लक्ष्य से कम निर्यात हुआ।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा स्क्रेप सामग्री की बिक्री

4766. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री लाल बाबू राय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं/गोदामों में करोड़ों रुपयों का स्क्रेप/पुराना सामान बिना बिका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसका अनुमानतः मूल्य कितना है;

(ग) उक्त सामान की बिक्री न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सामान की बिक्री करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) स्क्रेप का अनुमानित मूल्य 4 से 5 करोड़ रु० के बीच है।

(ग) और (घ) परिवहन उद्योग में स्क्रेप नियमित रूप से उत्पन्न होता रहता है इस प्रकार उत्पन्न स्क्रेप का समय समय पर खुली निविदा, प्रचलित ठेका-दर (रनिंग रेट कंट्रेक्ट) इत्यादि के माध्यम से निपटान किया जाता है। स्क्रेपड वाहनों के निपटान में कुछ बिलम्ब मुकदमेबाजी के कारण हुआ है। दिल्ली परिवहन निगम स्क्रेपड वस्तुओं के निपटान के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर चुका है और आशा है कि अधिकांश स्क्रेप का शीघ्र ही निपटान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा शेयरों का निजी स्थापन

4767. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने कम्पनियों के शेयरों/डिबेन्चरों को निजी स्थापन के माध्यम से उनके अभिदायकों और मध्यस्थों द्वारा जारी किए जाने के सम्बन्ध में हाल ही में अनुदेश/नीति जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ कंपनियों द्वारा नीति/अनुदेशों का उल्लंघन करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कारंवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी, हां। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 67(3) के उपबंधों के संदर्भ में दिनांक 6-7-92 को कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अन्तर्गत कंपनियों, संप्रवर्तकों और बिचौलियों को सलाह दी गई है कि कंपनियों द्वारा शेयरों के तथाकथित "निजी" नियोजन के लिए बिचौलियों और अन्य मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करना, समाचार-पत्रों, जन-सम्पर्क साहित्य में विज्ञापन देना, कंपनियों द्वारा बाजार में स्वयं ही त्याग देने का अधिकार प्रसारित किया जाना और निवेशकारी जनता से अनौपचारिक प्रीमियम लेना, कंपनी अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए दण्ड की कारंवाई की जायेगी।

(ग) व (घ) कतिपय कंपनियों के विरुद्ध, शेयरों के निजी नियोजन से सम्बन्धित उपबंधों का उल्लंघन करने के आरोप सरकार के ध्यान में आए हैं तथा मामलों की जांच करने के बाद, कानून के अन्तर्गत यथा अधिदिष्ट कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब में लघु उद्योगों को ऋण

4768. **श्री कमल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1992 को पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की कार्यरत जिलावार शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) 1991 तथा 1992 में 30 जून तक पंजाब में उक्त बैंकों द्वारा जिलावार तथा बैंक-वार कितने लघु एककों को ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पंजाब में कार्यरत भारतीत स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं की जिलावार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	भारतीय स्टेट बैंक (31-7-92 की स्थिति के अनुसार)	पंजाब नेशनल बैंक (30-6-92 की स्थिति के अनुसार)
1.	अमृतसर	30	57
2.	भटिंडा	18	19
3.	फरीदकोट	25	20
4.	फिरोजपुर	22	28
5.	गुरुदासपुर	23	34
6.	होशियारपुर	11	35
7.	जालंधर	38	52
8.	कपूरथला	3	17
9.	लुधियाना	28	35
10.	पटियाला	11	18
11.	रोपड़	5	11
12.	संगरूर	12	15

(ख) जिलावार ब्योरा, जैसाकि मांगा गया है, तात्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक ने 1-7-90 से 30-6-91 के बीच 3019 और 1-7-91 से 30-6-92 के बीच 631 लघु उद्योग एककों का वित्तपोषण किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1-1-91 से 31-12-91 के बीच 4460 और 1-1-92 से 31-3-92 (आद्यतन उपलब्ध) के बीच 1040 लघु उद्योग एककों वित्तपोषण किया है।

बैंक स्थानान्तरण सम्बन्धी पिल्लै समिति की सिफारिशें

4769. **श्री अन्बारासु इरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयाकृत और वाणिज्यक बैंकों में श्रेणी पांच और इससे उच्च अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में पिल्ले समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिल्लै समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 8.10 में बताया था कि वर्तमान संदर्भ में वरिष्ठ प्रबन्धन (स्केल IV और V) स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है। अतः बैंकों की कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति की प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सिफारिश भी की गई थी कि कमजोर बैंकों के कर्मचारीगत ढांचे को मजबूत करने या पदारोहण अंतर को पूरा करने या निहित स्वार्थी तत्वों से बचने के लिए उच्च कार्यपालकों (स्केल VI और स्केल VII) को एक बैंक दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों से वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड और उच्च प्रबन्धन ग्रेड के अधिकारियों को एक बैंक से दूसरे बैंक में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता रहा है ताकि जिन बैंकों के कुछ स्तरों पर अंतर है उसे पूरा किया जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों को अब नीति के रूप में सामान्यतः अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ मामलों में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन ग्रेडों के अधिकारियों को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से त्यागपत्र देकर दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च ग्रेड/वेतमान में जाने की अनुमति भी दी गई है।

जोरहाट में केन्द्रीय मूगा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान स्थापित करना

4770. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड का विचार असम में जोरहाट में एक केंद्रीय मूगा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र/संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब लिया गया तथा वहां अब तक यह संस्थान स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास प्रस्तावित केंद्रीय मूगा अनुसंधान केंद्र को असम से बाहर स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त संस्थान जोरहाट में स्थापित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) असम राज्य में एक केंद्रीय मूगा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का एक प्रस्ताव केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास है। फिर भी, प्रस्तावित संस्थान के लिए स्थान सम्बन्धी निर्णय केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा गठित तकनीकी समिति, जोकि असम राज्य सरकार द्वारा जोरहाट के नजदीक और राज्य में अन्य क्षेत्रों में दी गई भूमि की उपयुक्तता की जांच के लिए गठित की गई है, कि सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त मांग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी विधि बोर्ड में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध लम्बित पड़े मामले

4771. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कुछ मामले अभी भी कम्पनी विधि बोर्ड में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्योरा क्या है जो बोर्ड के पास दो वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को तत्काल निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत "बहुराष्ट्रीय" वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष किसी फेरा (एफ० ई० आर० ए०) कंपनी के विरुद्ध 2 वर्ष से अधिक कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा कम्पनियों का विदेशों में पुनर्बीमा कारोबार

4772. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भारतीय बीमा कम्पनियों द्वारा, विदेशों में श्रेणीवार किए गए पुनर्बीमा का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय दलालों को विदेशी दलालों से अधिक वरीयता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान किए गए पुनर्बीमा कारोबार का क्या ब्योरा है;

(ङ) क्या विदेशी बीमा कंपनियों के साथ दावों का निपटान करने में कोई विवाद है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा भारत के बाहर किए गए श्रेणी-वार कारोबार की स्थिति निम्नानुसार है :—

कारोबार की श्रेणी	निम्नलिखित वर्षों के दौरान भारत से बाहर किए गए कारोबार का प्रतिशत		
	1989-90	1990-91	1991-92
अग्नि	19.1	17.9	17.1
समुद्री नौभार	7.9	7.4	8.4
समुद्री पोत खोल (मेरिन हल)	44.5	44.2	43.6
मोटर	—	—	—
अन्य विविध	13.2	8.5	9.8
विमानन	81.8	91.1	88.7
सभी श्रेणियां	12.3	11.0	10.9

(ख) और (ग) भारतीय दलालों का सेवाओं का इस्तेमाल कारोबार करने में उनकी क्षमता, पुनर्बीमा बाज़ार की जानकारी, तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता, व्यापार और तकनीकी पूछताछ का उत्तर देने की योग्यता, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर रहते हुए किया जाता है। अधिकांश भारतीय दलाल विदेशी दलालों की सेवा का भी इस्तेमाल करते हैं।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान साधारण बीमा निगम और सहायक कपनियों द्वारा भारत से बाहर कुल प्रस्तावित पुनर्बीमा 10.56 प्रतिशत बैठता है और साधारण बीमा कारोबार की सभी श्रेणियों को मिलाकर भारत में जोखिम समस्त निवल प्रतिधारण 89.44 प्रतिशत बनता है।

(ङ) जी, नहीं। जहां तक पुनर्बीमा का सम्बन्ध है, दावों के निपटान के सम्बन्ध में विदेशी बीमा कंपनियों के साथ कोई विवाद नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पथ कर संग्रहण

4773. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र से पथ कर द्वारा कुल कितना राजस्व एकत्र किया गया; और

(ख) उसमें से महाराष्ट्र में सड़कों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) केंद्र सरकार सड़क कर के रूप में महाराष्ट्र राज्य से कोई राजस्व वसूल नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनता कपड़े का उत्पादन

4774. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार देश में जनता कपड़े का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) कपड़े के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत जनता कपड़ा गुजरात में उत्पादित होता है;

(ग) क्या सरकार का देश में जनता कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्यवार जनता कपड़े के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जनता कपड़े के राष्ट्रीय उत्पादन में से वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गुजरात में जनता कपड़े के उत्पादन का अनुपात क्रमश: 1.87%, 2.33% और 2.58% रहा।

(ग) और (घ) सब्सिडी योजनाओं को समाप्त करने की सरकार की नीति को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव है कि जनता कपड़ा योजना को आगामी वर्षों में समाप्त कर दिया जाए।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	(मिलियन वर्ग मीटर में उत्पाद)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्रप्रदेश	55.59	56.65	59.26
2.	आसाम	39.54	34.45	41.26
3.	बिहार	15.22	11.28	12.00
4.	गुजरात	7.86	11.75	12.35
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	0.01

1	2	3	4	5
6.	हि० प्रदेश	0.02	शून्य	शून्य
7.	ज० व कश्मीर	शून्य	0.81	0.08
8.	कर्नाटक	33.18	35.29	40.25
9.	केरल	0.31	0.20	0.17
10.	मध्य प्रदेश	16.57	15.85	16.42
11.	महाराष्ट्र	52.26	53.74	34.43
12.	मणिपुर	0.02	0.01	0.02
13.	उड़ीसा	30.48	26.07	31.62
14.	पंजाब	शून्य	0.38	0.50
15.	राजस्थान	5.93	7.91	9.44
16.	तमिलनाडु	21.96	64.27	30.77
17.	त्रिपुरा	3.00	3.20	3.73
18.	उत्तर प्रदेश	92.51	120.62	119.14
19.	पश्चिमी बंगाल	45.01	61.27	65.69
20.	पांडिचेरी	0.11	0.05	0.03
	कुल :	419.57	503.80	477.15

समेकित हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याणकारी योजना

4775. **श्री रवि राय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वयन हेतु दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है और जिन गांवों को ये योजनाएं दी गयीं हैं उनके राज्यवार नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) हथकरघा बुनकर बाहुल्य ग्रामों के गहन विकास के लिए वर्ष 1991-92 में एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। यह योजना अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे—थ्रिफ्ट फंड योजना, समूह बीमा योजना और कार्यशाला-सह-आवास योजना के अतिरिक्त

है। ये योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न राज्यों को कुछ योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है—

	लाख रुपयों में
1. निस्सहाय हथकरघा बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	30.75
2. प्रोजेक्ट पैकेज योजना (एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना सहित)	248.57
3. थ्रिफ्ट फंड योजना (समूह बीमा योजना सहित)	82.06
4. कार्यशाला-सह-आवास योजना	324.17

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के कार्यान्वियन के लिए विभिन्न राज्यों के 20 ग्रामों/जिलों की अनुमति दी है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है—

क्रम सं०	राज्य का नाम	ग्राम का नाम	जिले का नाम
1	2	3	4
		1991-92	
1.	असम	कुलबती और भगोड़ा	उत्तरी लखीमपुर और कामरूप
2.	त्रिपुरा	नबी नगर	पश्चिम त्रिपुरा
3.	महाराष्ट्र	अंबलगांव	भंडारा
4.	मध्य प्रदेश	घोती	छिंदवाड़ा
5.	उत्तर प्रदेश	अघोली और अचल गढ़ी	आजमगढ़, गाजियाबाद और पिथोरागढ़
6.	उड़ीसा	बाजपुर, भील-मुंडा और केनडूपली	संबलपुर, पुरी और बोलंगीर
7.	कर्नाटक	हीरेमाम्नूर	धारवड़
8.	मनीपुर	लइमारम	बिशनुपुर
9.	पश्चिमी बंगाल	—	मिदनापुर
10.	राजस्थान	उसीयन	जोधपुर
11.	बिहार	—	माधेपुरा

1	2	3	4
		1992-93	
1.	कर्नाटक	—	रायचूर
2.	हिमाचल प्रदेश	कोठी	बिलासपुर गुमारविन सब-डिवीजन
8.	उड़ीसा	मनीजुंगा	कटक
4.	तमिलनाडू	विलागम	घांगई एम०जी०आर० जिला

सिंधी भाषा में भारत का संविधान

4776. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में संविधान प्रकाशित करने का निर्णय लिया है;

(ख) वर्ष 1987 में सिंधी भाषा में भारत का संविधान तैयार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो संविधान को पांच वर्षों के बाद भी सिंधी भाषा में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आठवीं अनुसूची में शामिल कुछ और ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अब तक संविधान प्रकाशित नहीं लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ये कौन-सी भाषाएं हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास करने पर भी कोई भी प्रकाशक, भारतीय संविधान का सिंधी भाषा में मुद्रण करने के लिए, तैयार नहीं हुआ।

(घ) जी, हां।

(ङ) कश्मीरी भाषा।

रबड़ की खेती

4777. श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वर्ष में रबड़ की खेती का अपारम्परिक क्षेत्रों में विस्तार करने हेतु क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है; और

(ख) इनके परिणामस्वरूप अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) रबड़ बोर्ड गैर-परम्परागत क्षेत्रों में उपयुक्त पाये गए क्षेत्रों में रबड़ रोपण हेतु आगे आने वाले सभी प्रकार के उपजकर्ताओं को रबड़ रोपण विकास योजना में परिकल्पित तकनीकी सहायता, सामग्री संबंधी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। रबड़ रोपण विकास योजना में एक सहायता पैकेज का प्रावधान है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 7 वार्षिक किस्तों में दी जाने वाली 5000/- रु० प्रति हैक्टेयर की रोपण इमदाद।

(2) पोलीबैग की पौध का प्रयोग करने के लिए 6 रु० प्रति पौध की दर से इमदाद जो अधिक-से-अधिक 2,700/- रु० प्रति हैक्टेयर होगी।

(3) प्रथम तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी के उपजकर्ताओं को 50% की रियायती दर से उर्वरक।

(4) 5 हैक्टेयर तक के जोतधारी उपजकर्ताओं को रबड़ बागानों के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए भूमि की नाप के अनुसार अनु० जाति/अनु० जनजाति के उपजकर्ताओं को 1000/- रु० सेले कर 1500/- रु० प्रति हैक्टेयर तथा 2200 रु० से लेकर 4000 रु० प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता।

(5) सिंचाई सुविधाएं लगाने के लिए 2500 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता जो किसी भी उपजकर्ता को अधिक-से-अधिक 50000 रु० तक दी जा सकेगी।

(6) रबड़ की खेती के बारे में सभी पहलुओं पर विशेषज्ञ तकनीकी सलाह।

(ख) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में अब तक निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हुई हैं :—

विवरण

राज्य	रोपित क्षेत्र (हैक्टेयर में) यह आंकड़े वर्ष 1991-92 के हैं
1	2
त्रिपुरा	17,120
कर्नाटक	14,000
आसाम	9,380

1	2
मेघालय	3880
नागालैण्ड	1395
मिजोरम	1100
मणिपुर	1215
अरुणाचल प्रदेश	50
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1000
उड़ीसा	270
आंध्र प्रदेश	178
गोवा	1000
महाराष्ट्र	150

[हिन्दी]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के स्वामित्व वाली मिलें

4778. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर की, मिल-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के चीनी डिविजन ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लाभ अर्जित किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निगम के अधीन चीनी मिलों को सप्लाई किये गये गन्ने की बकाया राशि का भुगतान किसानों को नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से अब तक मिल-वार, और वर्ष-वार किसानों को देय बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 27 जुलाई, 1992 की स्थिति अनुसार गन्ने की कीमतों की बकाया राशि

के भुगतान की मिल-वार स्थिति निम्नोक्त अनुसार है :—

(लाख रु० में)

मिल	मौसम 1990-91	मौसम 1991-92
मधोराह	5.88	340.91
गौरी	—	234.97
पडरौना	—	528.54
कठकुआन	—	327.37
बरराह	—	329.46
चम्पातिया	—	375.12

(ङ) यदि निधियां उपलब्ध हो जाती हैं तो गन्ने की बकाया कीमतों का भुगतान संभवतः जनवरी, 1993 तक कर दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1991-92 के लिए बी० आई० सी० समूह की कम्पनियों से अनुमानित निवल घाटे (अनन्तिम) :—

कम्पनी का नाम	राशि (लाख रु०)
बी० आई० सी० (ऊनी एकक)	2290.00
एल्गिन मिल्स कम्पनी लि०	4282.73
कानपुर टैक्सटाईल्स लि०	547.17
ब्रशवेयर	10.74

[अनुवाद]

रिफैम्पीसियन के लिए आयात लाइसेंस

4779. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभी भी रिफैम्पीसियन के लिए मुक्त रूप से आयात जारी कर रही है जबकि स्वदेशी निर्माताओं ने इसका निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वदेशी निर्माताओं के संरक्षण के लिए इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) रिफैम्पीसियन तथा उसके मध्यवर्ती पदार्थ अर्थात् 3 फोरमाइलरिफा एस० वी०, रिफा एस०/रिफा एस० सोडियम तथा 1-एमिनो-4 मिथाइल पाइपरजाइन निर्यात-आयात नीति 1992-97 के अन्तर्गत आयातों को नकारात्मक सूची में कवर होते हैं। अतः उनके आयात की अनुमति स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश पर आयात लाइसेंसों के जरिए दी जा सकती है।

[हिन्दी]

निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी योजना

4780. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने हेतु एक योजना बनाने के लिए किसी समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कारंवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार द्वारा अभिज्ञात 34 "अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले" क्षेत्रों के संबंध में स्थापित 26 समूहों द्वारा की गई सिफारिशों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य इन उत्पादों के निर्यात में मूल्य अथवा मात्रा के रूप में प्रतिवर्ष 30% निर्यात वृद्धि प्राप्त करना था।

(ख) यह एक सात सदस्यीय समिति है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) जी, हां। समिति ने दिनांक 16 जुलाई, 1992 को "अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले उत्पाद समूहों में निर्यात वृद्धि के लिए कार्य नीति कारंवाई के लिए कार्य सूची" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) इस रिपोर्ट में (1) नीति (2) प्रक्रिया (3) बुनियादी संरचना और (4) संस्थागत तंत्र के संदर्भ में अपेक्षित समयबद्ध कारंवाई के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें विभिन्न समूहों के लिए सामान्य और साथ ही उद्योग/उत्पाद समूहों के लिए विशिष्ट है।

(ङ) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में सेना के कब्जे वाली भूमि के किराया मुआवजे का भुगतान

4781. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू जिले के अखनूर तहसील में गिगरियल ग्राम में सेना के कब्जे वाली भूमि का वर्ष 1989-90 का किराया मुआवजा अदा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका भुगतान कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जिला-जम्मू के तहसील-अखनूर में गिगरियल गांव में सेना द्वारा अधिगृहीत कुल 106.375 एकड़ भूमि का वर्ष 1989-90 का किराया मुआवजा अदा करने के आदेश दे दिए हैं।

सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा निर्यात

4782. **श्री नवल किशोर राय** :

श्री विजय नवल पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश से किए गए सॉफ्टवेयर निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने देश के सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा किये गए निर्यात में असफलता के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किन्ही एजेंसियों तथा सरकारी विभागों द्वारा भी ऐसा अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा सापटवेयर के लिए नए बाजारों को खोज हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए सॉफ्टवेयर का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष		निर्यात (करोड़ रुपए में)
1990-91	—	250 रु०
1991-92	—	508 रु०

(ख) और (ग) भारतीय सॉफ्टवेयर की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों, उत्पादों तथा भौगोलिक बाजारों से लाभ उठाया जा सकता है, उनका पता लगाने हेतु इलैक्ट्रानिक्स विभाग के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका वित्त पोषण विश्व बैंक ने किया है।

(घ) और (ङ) जैसाकि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है, भारतीय सॉफ्टवेयर की क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर बाजार के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

(च) भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकों के अनेक प्रतिनिधिमंडल सॉफ्टवेयर के नए बाजारों का पता लगाने के लिए भेजे गए हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, नए बाजारों का पता लगाने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ परस्पर सम्पर्क स्थापित करने को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं

4783. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक की इस समय कितनी शाखाएं हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सारे देश में उनकी 22 कार्यालय/शाखाएं हैं। प्रत्येक राज्य में इन शाखाओं/कार्यालयों की अवस्थिति निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	शाखा/कार्यालय की अवस्थिति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां अभ्यवस्थित हैं
1	2	3
1.	अहमदाबाद	गुजरात
2.	बंगलौर	कर्नाटक
3.	भोपाल	मध्यप्रदेश
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	बम्बई	महाराष्ट्र
6.	बाइकुला	
7.	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल
8.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
9.	कोचीन	केरल
10.	गुवाहाटी	असम
11.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
12.	जयपुर	राजस्थान
13.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
14.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
15.	लखनऊ	

1	2	3
16.	मद्रास	तमिलनाडु
17.	नागपुर	महाराष्ट्र
18.	नई दिल्ली	नई दिल्ली
19.	पणजी	गोआ
20.	पटना	बिहार
21.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
22.	त्रिवेन्द्रम	केरल

[हिन्दी]

मूंगफली के बीजों का निर्यात

4784. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के बीजों का निर्यात करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य के मूंगफली के बीजों का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्तमान निर्यात-आयात नीति में मूंगफली के बीजों सहित तिलहन के निर्यात की अनुमति लाइसेन्स के अध्यधीन है।

(ग) चालू वर्ष के लिए मूंगफली के बीजों के निर्यात के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों हेतु आधार-भूत सुविधाओं के विकास के लिए सहायता

4785. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तमिलनाडु में निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों विशेषतः होजरी उद्योग और तेजी से विकसित हो रहे चर्म उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु

सरकार ने तमिलनाडु स्थित तिरुपुर जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है।

(ग) बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्त पोषण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए योजना आयोग, तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन (टी०एन०आई०सी०) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आई०एल० एंड एफ०एस०एल०) के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

[हिन्दी]

शेयर/डिबेंचरों का आबंटन

4786. **श्री शिबू सोरेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक निगमों के शेयर/डिबेंचरों के आबंटन के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियमों/शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उन सार्वजनिक निगमों के कुल मूल्य की सीमा निर्धारित की है जिनके शेयरों/डिबेंचरों का आबंटन कम्पनी के प्रमोटरों द्वारा अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सीमा को कम करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके और क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने सार्वजनिक निगमों में शेयरों/डिबेंचरों के आबंटन के सम्बन्ध में कोई नियम/शर्तें जारी नहीं की हैं। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह निर्धारित किया गया है कि किसी कम्पनी की जारी की गयी पूंजी का अधिक से अधिक 80 प्रतिशत भाग प्रवर्तकों की मर्जी से आबंटित किया जा सकता है। क्योंकि मार्गदर्शी सिद्धान्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का उत्तरदायित्व, यदि कोई हो, बोर्ड का ही है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों द्वारा विदेशी बैंकों में नौकरी करना

4787. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी बैंकों ने बैंकों के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को अपने यहां नौकरी देने का प्रलोभन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों के कुछ सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों ने विदेशी बैंकों में नौकरी करने की अनुमति मांगी थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि विदेशी बैंकों को महत्वपूर्ण तथा वर्गीकृत सूचना न प्राप्त हो सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मत्स्यन क्षेत्र में उच्च तकनीक में मछली पालन

4788. डा० रवि मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1992 के इकानामिक टाइम्स में "हाइ-टेक एक्वाकल्चर टू बूस्ट फिश एक्सपोर्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में उच्च तकनीक से मत्स्यपालन शुरू करने के सम्बन्ध में मछुवारों और उनके परिवारों को समुचित प्रशिक्षण एवं रोजगार देना सुनिश्चित करने तथा मछुवारों को आसानी से मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में कतिपय बाधाओं का संकेत करने के अलावा उच्च तकनीक से मछली पालन करके निर्यात तथा रोजगार में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने निर्यातों के लिए विशेष ध्यान दिए जाने के लिए मछली पालन को एक अत्यधिक ध्यान दिए जाने योग्य मद के रूप में अभिज्ञात किया है। बीज तथा चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तथा समुद्री उत्पादों की पैदावार पश्चात् अनुरक्षण व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एम्पीडा मछली पालन के संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

(ग) एम्पीडा ने इस क्षेत्र ने कृषकों तथा उद्यमियों के लिए समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिए हैं और उन्हें अपनी संवर्धनात्मक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल कर लिया है। एम्पीडा ने छः क्षेत्रीय केन्द्र तथा दो उप क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं जो कि आठ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें सभी भी समुद्रवर्ती राज्य कवर हो जाते हैं। ये केन्द्र विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाएं कार्यान्वित करने के अतिरिक्त स्थानिक अल्पावधि (5 दिन के) क्षेत्र अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन्होंने हैचरी एवं श्रिम्प फार्मिंग प्रौद्योगिकी पर नियमित रूप से दीर्घावधि प्रशिक्षण देने के लिए एक अनन्य प्रशिक्षण काम्पलैक्स भी स्थापित किया है। उन्होंने दो वाणिज्यिक हैचरियां भी स्थापित की हैं जो देश के तकनीकी कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं।

एम्पीडा ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत अर्ध गहन श्रिम्प फार्मिंग के लिए तकनीकी आर्थिक क्षमता सिद्ध करने के लिए एक प्रदर्शन परियोजना तथा जीव-प्रौद्योगिकी

विभाग की वित्तीय सहायता से उड़ीसा में एक प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक आरम्भ की है। उसकी यह भी योजना है कि सभी समुद्रवर्ती क्षेत्रों में अर्ध गहन श्रिम्प की प्रौद्योगिक अन्तरित करने के लिए प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएं।

मध्य प्रदेश में सीमेंट एककों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

4789. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपवंचन प्रतिषेध महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली ने मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग द्वारा करोड़ों रुपयों की उत्पाद शुल्क चोरी का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1992 के दौरान कर अपवंचन के पकड़े गए मामलों का निदेशालय-वार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अपवंचन रोधी महानिदेशालय द्वारा दी गयी सूचना तथा मार्गदर्शन के आधार पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों द्वारा चुनिन्दा सीमेंट यूनिटों की विशेष लेखा परीक्षा की गयी, ताकि उत्पाद शुल्क अपवंचन का पता लगाया जा सके।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1-4-92 से 30-6-92 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में दो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों में सीमेंट विनिर्माण करने वाली इकाइयों के मामले में पता लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अभिकथित अपवंचन के प्रमुख मामलों का ब्यौरा

क्रम सं०	पार्टी का नाम	समाहर्तालय	पता लगाये गए अनुमानित शुल्क अपवंचन की राशि (लाख रुपयों में)	जिन्स
1.	मैसर्स डायमंड सीमेंट नरसिंगढ़, मध्य प्रदेश	इन्दौर	(i) 103.03	प्रदूषण नियंत्रण मशीनें
			(ii) 435.38	क्लिंकर सीमेंट
2.	सतना सीमेंट वर्क्स, सतना	रायपुर	(i) 78.02	जिप्सम
			(ii) 143.27	क्लिंकर/सीमेंट
3.	रेमंड सीमेंट वर्क्स, बिलासपुर	रायपुर	52.70	चूना-पत्थर
4.	बिरला विकास सीमेंट सतना	रायपुर	695.16	क्लिंकर/सीमेंट
5.	मोदी सीमेंट (प्रा०) लि०, मोदीग्राम	रायपुर	(i) 132.25	डी०जी० सेट्स
			(ii) 256.88	सीमेंट
6.	मोइहर सीमेंट, मेहर	रायपुर	34.22	इलेक्ट्रोस्टेटिक/प्रेसिपिटेटर

क्रम संख्या 2(ii), 4 और 5(ii) के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और अन्य मामलों में कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

अफीम की खेती संबंधी नीति की समीक्षा

4790. **श्री राम सागर :**

श्री दिग्विजय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए पोस्त की फसल हेतु निर्धारित की गई सामान्य शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है और अफीम की खेती सम्बन्धी अपनी नीति की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार किन-किन क्षेत्रों में पोस्त की खेती बंद करने, कम करने अथवा बढ़ाने का है; और

(घ) इसके मानदण्ड व कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार हर वर्ष पोस्त बुआई मौसम के आरम्भ होने से पहले अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस देने की नीति तैयार करती है। वर्ष 1992-93 के लिए लाइसेंस मंजूर करने की सामान्य शर्तों तथा किन-किन क्षेत्रों में अफीम पोस्त उगाई सकती है, का निर्णय अफीम के स्टाक, फार्मास्यूटीकल/औषधीय उपयोग तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में अफीम की स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग को देख कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

मारिशस को कृषि वस्तुओं का निर्यात

4791. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मॉरिशस अपने देश में भारत से आयात की जाने वाली कृषि वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तार कार्यक्रम और विगत समय में मॉरिशस द्वारा आयात की गई तथा आगे आयात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मारीशस द्वारा भारत से आयात की गई कृषि अन्य मदों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

मारीशस की सरकार भारत से आयात की जाने वाली कृषिजन्य मदों की सूची का विस्तार करने के बारे में सहमत हो गई है। विस्तार की गई इस सूची में शामिल की जाने वाली नई मदें हैं :—

सेब, अंगूर, कीनू तथा अन्य निम्बू-वंश के फल, प्याज, आलू, गुड़, बांस की कोंपल इत्यादि।

विवरण

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान भारत से मारीशस को कृषि-अन्य मदों का निर्यात

(मूल्य लाख रु० में)

क्रम सं०	मद	1990-91	1991-92
1.	चावल	1.11	4.31
2.	अन्य खाद्य	0.08	—
3.	मसाले	36.59	52.95
4.	शीशम तथा नाइजर बीज	0.21	—
5.	एच०पी०एस० मूंगफली	13.00	—
6.	तेल खाद्य	189.55	101.25
7.	रासायनिक रूप से रूपान्तरित नहीं किया गया अरण्डी का तेल	0.64	1.21
8.	फल और सब्जियां	42.19	129.58
9.	संसाधित फल और रस	0.34	1.59
10.	विविध संसाधित मदें	8.64	16.54
11.	अपशिष्ट सहित कच्ची रुई	337.05	175.66
12.	चाय	—	0.10
13.	उत्पादित तम्बाकू	—	0.12
14.	मूंगफली	—	90.62
15.	चीनी तथा शीरा	—	0.13
16.	फ्लोरीकल्चरल उत्पाद	—	0.01
	कुल :	629.40	574.01

कनाडा के साथ व्यापार सम्बन्ध

4792. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा का विचार भारत के साथ व्यापार सम्बन्धों में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कनाडा के इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान भारत-कनाडा व्यापार में विस्तार हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

दो देशों के बीच व्यापार द्विपक्षीय करार द्वारा संचालित नहीं होता है और सरकार की व्यापार में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। एक संयुक्त व्यापार परिषद होती है जिसमें दोनों देशों के उद्योगों के प्रतिनिधि समय-समय पर व्यापार का विस्तार करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। हाल ही में एक भारत-कनाडा व्यापार क्लब की भी स्थापना की गई हैं। इस क्लब का उद्देश्य द्विपक्षीय वाणिज्यिक सम्बन्धों में विकास के बारे में विचारों और सूचना आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। भारत-कनाडा संयुक्त व्यापार परिषद की छठी बैठक सितंबर, 1991 में टोरोंटो तथा मानट्रियल में हुई थी। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं में हाल में हुई प्रगति भारत-कनाडा व्यापार और भारत-कनाडा औद्योगिक सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया गया था। परिषद् ने महसूस किया कि भारतीय व्यापार नीतियों में किए जा रहे बड़े परिवर्तनों से आने वाले वर्षों में भारत-कनाडा व्यापार में वृद्धि होगी। अनेक वस्तुओं जैसे कॉफी, रंजक तथा उनसे बने मिश्रण, टायर, चमड़े की वस्तुएं, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए परिधान, आभूषण, इंजीनियरी सामान, कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर को कनाडा को निर्यात करने के लिए अभिज्ञात किया गया।

[हिन्दी]

जिंक का निर्यात

4793. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान किन-किन देशों को जिंक का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) इस वर्ष किन-किन देशों को जिंक निर्यात करने का विचार है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान जिंक का निर्यात नहीं किया गया। वर्ष 1991-92 में लीड तथा जिंक की एकीकृत परियोजना के शुरू होने के उपरान्त हिन्दुस्तान जिंक लि० ने 1992-93 के दौरान, पहली बार प्रयोग के आधार पर पड़ोसी देशों, मुख्यतः पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल और यू०ए०ई० को करीब 937 एम०टी० जिंक का निर्यात किया है। चालू वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लि० को जिंक के निर्यात से करीब 1.2 मिलियन अमरीकी डालर अर्जित होने की संभावना है।

रत्नगिरि में आम निर्यात केन्द्र

4794. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में आम निर्यात केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोंकण में ऐसे अन्य फल भी होते हैं जिनका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उन फलों का निर्यात करने तथा फल उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रवार निर्यात संभावना अध्ययन नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ऊन के आयात को उदार बनाना

4795. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को मुक्त सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत ऊन के आयात को उदार बनाने हेतु आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कांगड़ा में चाय उद्योग का विकास

4796. **मेजर डी०डी० खनोरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में चाय उद्योग हेतु कोई विकास परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) केन्द्रीय सहायता का उपयोग किस प्रकार किया गया तथा किया जाएगा; और

(ङ) कांगड़ा चाय का निर्यात कब तक किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) कांगड़ा घाटी में चाय उद्योग के विकास के लिए पहले से ही अनेक विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं जैसे खेती के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन, चाय खेती की तकनीकों के आधुनिक पहलुओं के बारे में छोटे उपजकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना, वर्तमान चाय का नवीकरण और समेकन, रोपण सामग्री तथा अन्य कृषि निविष्टियों की रियायती लागत पर आपूर्ति, सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विनिर्माण क्षमता में सुधार लाना आदि।

(ग) इस उद्देश्य के लिए भारतीय चाय बोर्ड द्वारा निम्नलिखित राशि रिलीज की गई है :—

1991-92	—	2,93,126.00 रुपये
1992-93	—	अब तक कोई राशि रिलीज नहीं की गई है।

(घ) प्रदर्शन, प्रशिक्षण, चाय पौधशालाएं तैयार करने और अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए चाय बोर्ड द्वारा सी०एस०आई०आर०, पालमपुर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तथा उद्योग विभाग जैसी एजेंसियों को निधियां प्रदान की जाती हैं जो सम्बन्धित विकास कार्यों में सीधे लगी हैं। चाय बोर्ड द्वारा उपजकर्त्ताओं को नवीकरण, भराई और पुनर्रोपण आदि के लिए उपदान सीधे वितरित किया जाता है।

(ङ) कांगड़ा चाय का निर्यात उसकी गुणवत्ता में सुधार और उसे कायम रखने तथा विदेशों में इसकी मांग पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार योजना

4797. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार योजना के कार्यकरण की तथा उसको हुए लाभ-हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस प्रकार की राष्ट्रव्यापी योजना को सरकार किस वजह से लागू नहीं कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1990 में महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार योजना का गहन मूल्यांकन किया था। महाराष्ट्र के कपास उपजकर्ताओं को इस योजना के विभिन्न कार्यों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस योजना को मौजूदा शर्तों पर 1 जुलाई 1990 में 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दी थी।

(ग) देश में कपास उपजकर्ता इससे अधिक लाभान्वित होंगे यदि भारतीय कपास निगम, राज्य सहकारी विपणन परिसंघ, निजी व्यापार आदि जैसे अनेक अभिकरण लाभप्रद कीमतों पर उनकी उपज को खरीदने के लिए प्रत्येक राज्य में कार्य करें।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सूती परिधानों का निर्यात

4798. डा० असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद सूती परिधानों के निर्यात पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में परिधानों का, देश-वार, निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद स्वत: परिधानों का निर्यात नहीं करती ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष अर्थात् 1992-93 के लिए परिधानों के निर्यात के लिए 2707 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्याज का निर्यात

4799. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल सीजन के दौरान प्याज का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ख) प्याज के निर्यात को सुदृढ़ करने तथा उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) प्याज की फसल कटाई का समय अक्टूबर से शुरू होता है और महाराष्ट्र/गुजरात में मई तक जारी रहता है । जुलाई-सितम्बर के दौरान दक्षिणी राज्यों में खरीफ प्याज उपलब्ध रहती है । वर्तमान फसल मौसम के दौरान अक्टूबर 1991 से जून 1992 तक 96.63 करोड़ रु० मूल्य की 281503 एम० टी० प्याज का निर्यात किया गया ।

(ख) प्याज के निर्यात को स्थिर करने तथा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से, प्याज का उत्पादन बढ़ाया गया है । इसके अतिरिक्त, दक्षिणी राज्यों में खरीफ प्याज का विकास करने से अब अक्टूबर-अप्रैल के बीच तीन फसलें उपलब्ध हैं ।

बैंकों के लेखा वर्ष

4800. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी बैंकों और सहकारी सोसाइटियों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च को लेखा वर्ष के रूप में स्वीकार किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक लेखांकन की अपनी पुरानी प्रक्रिया को फिर से अपना रहे हैं और वे खाताधारकों के बचत खाते में शेष राशि पर ब्याज की गणना जून और दिसम्बर में करते हैं;

(ग) क्या बैंक खाता धारकों के खाते में जुलाई और जनवरी के 10वें दिन के ब.द ब्याज की राशि दर्ज करते हैं जिससे खाता-धारकों को अनपेक्षित हानि होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बैंकों को इस सम्बन्ध में क्या अनुदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को लेखा वर्ष के रूप में अपनाया है। प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियों के लिए, लेखा वर्ष संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक बचत बैंक खातों की ऋण पर ब्याज की गणना और उनकी प्रविष्ट अर्धवार्षिक आधार पर करते हैं। उनके कार्यभार के आधार पर भिन्न-भिन्न बैंक इस प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न अर्धवार्षिक अवधि निर्धारित करते हैं।

(ग) और (घ) बैंक सामान्यतः प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि के बाद के माह के 10वें दिन से पहले बचत बैंक खातों पर ब्याज लगाते हैं। यदि किसी मामले में महीने के 10वें दिन के बाद ब्याज लगाया जाता है तो ग्राहक को माह के दसवें दिन से ब्याज का लाभ मिलता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शहरों का श्रेणीकरण

4801. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन शहरों/कस्बों को अलग-अलग "ए", "बी-1", "बी-2" और "सी" श्रेणी को घोषित किया गया है;

(ख) उक्त श्रेणियों के प्रत्येक शहर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शहरों का अन्तिम बार श्रेणीकरण कब किया गया था; और

(घ) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से वर्ष 1991 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क), (ख) और (ग) मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर किए जाने हेतु शहरों/कस्बों का वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर भिन्न-भिन्न श्रेणियों में किया जाता है। मकान किराया भत्ते/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजनों हेतु उत्तर प्रदेश समेत देश में विभिन्न शहरों/कस्बों का वर्गीकरण 1981 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया गया था। कुछ और नीचे बताए गए शहरों का बाद में पुनर्वर्गीकरण किया गया था :—

बरेली	1986
सुल्तानपुर	1987

बेला प्रतापगढ़	1988
गोरखपुर बलरामपुर बड़ौत मुगलसराय इलाहाबाद	1990

उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक "क", "ख-1", "ख-2" और "ग" श्रेणी के रूप में घोषित शहरों/कस्बों के नाम, उनमें स्वीकार्य मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) 1991 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या आंकड़े सितम्बर, 1992 तक उपलब्ध होने की संभावना है।

विवरण

वर्गीकरण	शहरों/कस्बों के नाम
नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए	
"क" श्रेणी	कानपुर
ख-1 श्रेणी	आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ
ख-2 श्रेणी	बरेली, मेरठ, गोरखपुर
मकान किराया भत्ता के लिए	
क श्रेणी	शून्य
ख-1 श्रेणी	कानपुर, लखनऊ
ख-2 श्रेणी	आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर
ग श्रेणी	अलीगढ़, अमरोहा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बड़ौत, बस्ती, बेला प्रतापगढ़, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौसी, देहरादून, देवबंद, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हलद्वानी एवं काठगोदाम, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जोनपुर, झांसी, कासगंज, काशीपुर, खुर्जा, लखीमपुर, ललितपुर, मथुरा, मैनपुरी, मौनाथ भंजन, मिर्जापुर एवं विन्ध्याचल, मोदीनगर, मुरादाबाद, मुगलसराय, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद, ओरई, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, रुड़की, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, शिकोहाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, टांडा, उन्नाव।

प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की दरें :

वेतन रेंज (रुपये)	निम्न श्रेणी के शहरों में नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की राशि (रुपये प्रतिमाह)		
	"क"	"ख-1"	"ख-2"
950/-रु० से कम	30	25	20
950/-रु० तथा उससे अधिक किन्तु 1500/-रु० से कम	45	35	20
1500/-रु० तथा उससे अधिक किन्तु 2000/रु० से कम	75	50	20
2000/-रु० तथा उससे अधिक	100	75	20

मकान किराया भत्ते की दरें :

वेतन रेंज (रुपये)	मकान किराया भत्ते की राशि (रुपये प्रतिमाह)		
	"क", "ख-1" "तथा "ख-2" शहर	"ग" श्रेणी के शहर	अवर्गीकृत स्थान
750-949	150	70	30
950-1499	250	120	50
1500-2799	450	220	100
2800-3599	600	300	150
3600-4499	800	400	200
4500 तथा उससे अधिक	1000	500	300

[अनुवाद]

पश्चिमी बंगाल को वित्तीय सहायता

4802. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूनिट्स स्कीम-1964

4803. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट्स स्कीम 1964 पर जाली बैंक-पावती घोटाले का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जैसाकि 19 मई, 1992 के टाइम्स आफ इण्डिया, में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि जाली बैंक रसीद घोटाले के कारण यूनिट स्कीम 64 के तहत यूनिटों की बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-8 का निर्माण

4804. **श्री महेश कनोडिया** :

श्री छीतू भाई गामीत : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरूच और बड़ोदा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-8 पर चल रहा निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर भड़ोच और बड़ौदा के बीच रांगव नदी पर दो लेन वाले एक अतिरिक्त पुल तथा पहुंच मार्गों के निर्माण का एकमात्र कार्य ही निर्धारित समय से पीछे है।

(ग) राज्य सरकार ठेके की शर्तों के अनुसार पहले ठेकेदारों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाई कर चुकी है तथा कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए अन्य संबंधित मुद्दों पर भी कारंवाई का है।

[अनुवाद]

कपड़ा अनुसंधान निधि की स्थापना

4805. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कपड़ा मदों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कपड़ा अनुसंधान निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि कब तक स्थापित की जाएगी; और

(घ) सूती धागे सहित कपड़ा मदों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वस्त्र अनुसंधान संघ के आर० एण्ड डी० प्रयासों में मुख्य बल निम्नोक्त को दिया गया है :

(1) मौजूदा प्रक्रियाओं में संशोधन।

(2) रसायनों और आगजीलिरी का विकास ताकि ऊर्जा बचाई जा सके तथा उत्पादन बढ़ाया जा सके।

(3) उत्पादन बढ़ाने तथा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए परम्परागत मशीनों में संशोधन।

(4) आयात प्रतिस्थापनों के लिए उपकरणों का विकास।

कम्पनी कानून बोर्ड तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के बीच मतभेद

4806. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1992 को "फाइनान्शियल एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में "कम्पनी लॉ बोर्ड सिक ऑफ सिक कम्पनीज टेक्टिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने कंपनी कानून बोर्ड तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के बीच उत्पन्न मतभेदों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनेक रूग्ण कंपनियों ने कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9) में अन्तर्गत पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में समावेदन किया है। मामले न्यायाधीन हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात पर विदेशी मुद्रा की आय/व्यय

4807. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में तथा 1992-93 के दौरान अब तक, कृषि उत्पादों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान कृषि आदानों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित अन्तिम निर्यात आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 4600 करोड़ रु० मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। विभिन्न वस्तु बोर्डों, निर्यात विकास प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात-मूल्य अन्तिम तौर पर 1130 करोड़ रु० आंका गया है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

"नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन डिजाइन" में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्तियां

4808. श्री विजय नवल पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन डिजाइन (राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों के संबंध में विद्यमान सरकारी नियमों के अनुकूल, नई नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए नियमित रूप से रोस्टर चल रहा है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में एसोसिएटेड प्रोफेसरों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का 1986 से उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तथा उनको सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय व्यापारिक घरानों को जाली भुगतान की पेशकश

4809. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख भारतीय व्यापारिक घरानों को हाल ही में कुछ देशों से जाली भुगतान की पेशकश की गई है, जैसाकि 18 जून, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क), (ख) और (ग) यह सूचित किया गया है कि भारत और दूसरे देशों में व्यापारियों को नाइजीरिया से निधियों के अंतरण के संबंध में नाइजीरिया से पत्र प्राप्त हुए हैं। नाइजीरिया की सरकार ने प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से ऐसी

हेराफेरी के विरुद्ध विदेशियों को सावधान किया है। भारतीय उच्चायोग, लाओस ने मार्च, 1992 में भारतीय व्यापारियों को ऐसे प्रस्तावों पर ध्यान न देने के लिए सावधान किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मार्च, 1992 में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ को नाइजीरिया को निर्यातों से संबंधित जोखिमों को अपने सदस्य बैंकों के ध्यान में लाने के लिए परामर्श दिया था।

विमानपत्तन छंटाई कार्यालय, मुम्बई से निषिद्ध इलैक्ट्रोनिक सामान जब्त किया जाना

4810. प्रो० राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा विमानपत्तन छंटाई कार्यालय, मुम्बई से निषिद्ध इलैक्ट्रोनिक सामान जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 3-10-1991 को हांगकांग से आए एक स्पीड पोस्ट पार्सल को पकड़ा था जिसमें लैप-टॉप कम्प्यूटर तथा उसके अनुषंगी पुर्जे रखे हुए थे।

(घ) सीमा शुल्क तथा राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की तस्करी

4811. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों को खाद्यान्नों की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस संबंध में कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि नेपाल तथा बांग्लादेश जैसे पड़ोसी राज्यों को खाद्यान्नों की तस्करी की जा रही है। तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, अतः इस तरह अवैध रूप से देश से बाहर ले जाए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान तस्करी संबंधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

	1990-91	1991-92*
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	3197	2393

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

तथापि, केवल खाद्यान्नों की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्ति को मुआवजा

4812. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटना के शिकार संबंधित व्यक्तियों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता है और इसमें अत्यधिक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन व्यक्तियों को तुरन्त मुआवजा राशि देने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिवार को दुर्घटना के तत्काल बाद अन्तरिम सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि वे उसे समुचित चिकित्सा-औषधियां दे सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) सरकार को सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे के भुगतान में विलम्ब की जानकारी है। यह विलम्ब अक्सर न्यायालय द्वारा अपनाई जा रही बोझिल न्याय प्रक्रिया के कारण होता है। इस प्रक्रिया में नोटिस जारी करना, लिखित विवरण पेश करना, मुद्दे तैयार करना, गवाही की जांच करना, साक्ष्य रिकार्ड करना इत्यादि शामिल है जिसके लिए बार-बार सुनवाई स्थगित की जाती है।

मुआवजे के शीघ्र भुगतान के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। सरकार का प्रक्रिया को सरल बनाने तथा दावा दायर करने की तारीख से 6 महीनों के अन्दर दावाकर्ताओं को मुआवजे की पूर्वनिर्धारित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए अन्तरिम राहत के भुगतान का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्ति/उनके उत्तराधिकारी "कोई गलती नहीं" संबंधी दायित्व के सिद्धांत पर मुआवजे के भुगतान के लिए आवेदन दे सकता है। ऐसे मामलों में, मृत्यु की दशा में मुआवजे की निर्धारित राशि 25,000/- रु० है तथा स्थाई विकलांगता की दशा में 12,000/- रु० है। धारा 140 के तहत मुआवजे के दावे को शीघ्रताशीघ्र निपटाया जाना होता है।

कोलवेल पुल

4813. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलवेल पुल के निर्माण हेतु पहला ठेका किस वर्ष में दिया गया था;

(ख) ठेकेदार द्वारा बीच में निर्माण कार्य किन कारणों से छोड़ दिया गया था;

(ग) ठेकेदार पर इस संबंध में कितना जुर्माना किया गया तथा वसूल किया गया;

(घ) क्या निर्माण कार्य अब किसी अन्य ठेकेदार को सौंप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पुल का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु अब कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(छ) यह पुल कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्ष 1980।

(ख) चूंकि ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में केवल 45% तथा लगभग ढाई वर्ष बढ़ाई गई अवधि को मिलाकर 56% कार्य ही पूरा कर सका इसलिए गोवा राज्य लोक निर्माण विभाग ने ठेका रद्द कर दिया।

(ग) 23.5 लाख रु० का जुर्माना किया गया लेकिन अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) शेष कार्य का ठेका अक्तूबर, 1929 में 375.00 लाख रु० की लागत पर मैसर्स यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि० को दिया गया है।

(च) पुल तथा पहली एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों के लिए जारी की गई संशोधित संस्वीकृति 630.32 लाख रु० के लिए है।

(छ) यह कार्य 1994 के अन्त तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

निर्यात संवर्धन

4814. **डा० विश्वनाथम कनिथी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु उद्यमियों में जागरुकता पैदा करने हेतु कोई योजना तैयार की है अथवा करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) निर्यातों का संवर्धन करने के लिए उद्यमियों में जागरुकता उत्पन्न करना सतत प्रक्रिया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तुबोर्डों का गठन किया है, जो उद्यमियों में यह जागरूकता पैदा करने में सहायता करते हैं कि निर्यातों को बढ़ाने के लिए वे स्वयं को शामिल करें। सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों तथा प्रमुख निर्यातकों के साथ अलग-अलग बातचीत करनी भी शुरू कर दी है जिसका उद्देश्य उनको निर्यात संवर्धन में शामिल करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने चार शीर्षस्थ उद्योग संगठनों अर्थात् फिओ, फिक्की, सी० आई० आई० और एसोचेम के सहयोग से

राष्ट्रीय गुणवत्ता जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य देश में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गुणवत्ता संबंधी संदेश का प्रसार करना है।

पोत कारखानों को राज-सहायता

4815. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**

श्री महेश कनोडिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के पोत कारखानों को राजसहायता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम में किलोमीटर योजना को पुन: आरम्भ करना

4816. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को 'कमाओ और चलाओ" आधार पर निजी बसों को चलाने के लिए किलोमीटर योजना को बन्द करने के फलस्वरूप भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाटे को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का विचार निजी बसों के लिए किलोमीटर योजना फिर से शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी 1990 की रिपोर्ट सं०-6 (वाणिज्यिक) में कि०मी० स्कीम बन्द होने के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुए 23.32 करोड़ रु० के घाटे का उल्लेख किया है। सरकार इस मूल्यांकन से सहमत नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए विद्यालय

4817. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा देश के कई भागों में अनेक विद्यालय चलाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सेना मुख्यालय द्वारा अजमेर, धौलपुर, चैल, बेलगांव और बेंगलूर में चलाए जा रहे पांच सैनिक स्कूलों में सशस्त्र सेनाओं में अफसर रेंक से नीचे के सेवारत कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 67% स्थान आरक्षित हैं। इन पांच स्कूलों में सशस्त्र सेनाओं के सेवारत/सेवानिवृत्त अफसरों के बच्चों के लिए 20% स्थान आरक्षित किए गए हैं। 13% स्थान खुली प्रतियोगिता के जरिए देशभर के अन्य छात्रों से भरे जाते हैं।

सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, द्वारा चलाए जा रहे 18 सैनिक स्कूलों में सभी रेंकों के सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित हैं।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

4818. **श्री राजेश कुमार** :

श्री हरी नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात की गई हस्तशिल्प वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इनका किन-किन देशों को निर्यात किया गया और राज्य-वार, अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इसमें वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ग्यारह प्रमुख आयातक देशों को निर्यातित हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प के ब्यौरे और उस पर अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रुपए में)

क्रमांक	देश का नाम	1990-91 (अनन्तिम)	1991-92 (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	2090.01	3309.28
2.	कनाडा	4118.30	6259.18
3.	फ्रांस	4615.70	6900.95
4.	जर्मनी	27573.12	39852.73

1	2	3	4
5.	इटली	2413.30	4027.00
6.	जापान	3184.63	5274.51
7.	नीदरलैंड	3034.39	4698.56
8.	साऊदी अरब	2324.79	3659.93
9.	स्विटजरलैंड	3530.96	5132.68
10.	संयुक्त राज्य अमेरिका	42892.15	63638.93
11.	ब्रिटेन	10952.50	16505.49
12.	अन्य देश	15270.15	21740.76
	योग :	1,22,000.00	1,81,000.00

(ख) और (ग) संघ सरकार द्वारा हस्तशिल्प और हाथ से बुने कालीनों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) अन्य ऊन पर 40% की तुलना में कालीन ग्रेड ऊन पर 10% का रियायती शुल्क।

(2) निर्यात की आकस्मिक लागत को कवर करने के लिए अनेकों शिल्प मदों के संबंध में हाल ही में बढ़ाई गई विभिन्न दरों पर शुल्क वापिसी।

(3) अन्य कालीनों के निर्यातों के लिए 90 दिनों की तुलना में कालीनों के संबंध में 180 दिनों के लिए लदानपूर्व ऋण।

(4) लदान पश्चात् ऋण पर ब्याज को रियायती दर जैसाकि अन्य निर्यातों पर उपलब्ध है।

(5) निर्यात गृह/व्यापार गृह के रूप में फर्म को मान्यता देने के उद्देश्य से हस्तशिल्प मदों के निर्यात से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को ट्रिपल वेटेज दिया जाता है।

(6) ब्रास स्क्रैप जैसी, अलौह धातुओं के आयात को, जो कलात्मक धातु-पात्र उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है, मुक्त रूप से अनुमति दी गई है जिसे पहले खुले सामान्य लाइसेंस पर अनुमति दी जाती थी।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से हस्तशिल्प के निर्यात को जारी रखने और बढ़ाने के लिए अनेकों संवर्धनात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें यूरोप में भारतीय कालीनों के लिए उच्च माध्यम से वार्षिक अभियान चलाना, विदेशों में परम्परागत बाजारों के अलावा हस्तशिल्प के विपणन का पता लगाने के लिए बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समारोहों में भाग लेना और देश में निर्यात अभिमुख सेमिनार एवं कार्यशालाएं आदि आयोजित करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

बाजार ऋण

4819. श्री प्रफुल पटेल :
श्री राम सागर :
श्री शिबू सोरेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के प्रतिभूति घोटाले से सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने हेतु उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राजस्थान में अफीम की खेती करने वालों की समस्याएं

4820. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विशेषरूप से राजस्थान के अफीम उत्पादकों की समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान सरकार को राज्य के, विशेषरूप से झालावाड़ क्षेत्र के अफीम उत्पादकों की समस्या के समाधान के लिए सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि उस क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटता जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान अफीम पोस्त के कुछेक काश्तकार मुख्य रूप से यह प्रतिवेदन करते रहे हैं कि वर्ष 1991-92 के दौरान उनकी पोस्त की फसल को काफी क्षति पहुंची है जिसके कारण उनकी अफीम की उपज के उस न्यूनतम अर्हकारी उपज से कम होने की संभावना है जिसे आगामी फसलवर्ष के लिए उनके लाइसेंसों का नवीकरण करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 1992-93 के लिए पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति तैयार करते समय पोस्त काश्तकारों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने का विषय अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में आता है। वर्ष 1991-92 के दौरान झालावाड़ क्षेत्र में अफीम का उत्पादन 70° संसक्ति के आधार पर 43.7 मीट्रिक टन (अनन्तिम) था जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 34.8 मीट्रिक टन का ही उत्पादन किया गया था।

सिंडिकेट बैंक में पदोन्नति में आरक्षण

4821. **श्री जी०एम०सी० बालयोगी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय का सिंडिकेट बैंक में वेतमान-सात तक की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय को पूरी तरह लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने, 1990 की पुनरीक्षा याचिका स० 592 और 608 पर दिनांक 1-4-1991 को दिए गए आदेश के साथ पठित रिट याचिका सं० 847/87 पर दिनांक 10-8-1990 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया था कि 1-1-1978 से अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करें। सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने उक्त निर्णय को कार्यान्वित कर दिया है।

एल्यूमिना का निर्यात

4822. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान बहरीन को कितना एल्यूमिना का निर्यात किया गया;

(ख) क्या 1992-93 के दौरान बहरीन का विचार भारत से एल्यूमिना के आयात में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान बहरीन को कितनी और कितने मूल्य की एल्यूमिना का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान बहरीन को अलुमिना का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान बहरीन द्वारा भारत से अलुमिना का आयात करने के किसी प्रस्ताव के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जेट प्रशिक्षण विमान की खरीद पर समिति की रिपोर्ट

4823. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल :
श्री बापू हरि चौरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स के लिए नवीनतम जेट प्रशिक्षक विमान की खरीद के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार को समिति से कब तक रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत किस्म के जेट ट्रेनर वायुयानों की पूर्ति के लिए विक्रेताओं से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों को सहायता

4824. श्री हरिकेवल प्रसाद :

डा० लाल बहादुर रावल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश सरकार कपड़ा मिलों के लिए कच्चे माल आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित एककों के लिए 50 लाख रु० की धनराशि की सहायता प्रदान करने के लिए 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :

(1) सहकारी कताई मिल्स, लि०, अमरोहा, जि० मुरादाबाद।

(2) यू० पी० सहकारी कताई मिल्स लि०, कम्पिल, जि० फरुर्खाबाद।

(3) मोइमा सह० कताई मिल्स लि०, मोइमा, जि० इलाहाबाद।

(4) नगीना सह० कताई मिल्स लि०, नगीना, जि० बिजनौर।

(5) सीतापुर सहकारी कताई मिल्स लि०, महमूदाबाद जि० सीतापुर।

(6) उ० प्र० सह० कताई मिल्स लि०, मैनपुरी रोड़, इटावा।

(7) कोओपरेटिव टैक्स० मिल्स, लि०, सहकारी नगर, बुलन्दशहर।

(8) संतकबीर सह० कताई मिल्स लि०, मगहर, जि० बस्ती।

(9) यू० पी० को० स्पि० मिल्स लि०, बहेड़ी, जि० बरेली।

(10) पूर्वांचल सह० कताई मिल्स लि०, बहादुर गंज, जि० गाजीपुर।

(11) यू० पी० सह० कताई मिल्स लि० कम्पिल, जि० फरुर्खाबाद।

(ग) वित्तीय सहायता के इन प्रस्तावों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वे एन० सी० डी० सी० द्वारा मार्जिन धनराशि सहायता के लिये निर्धारित पात्रता के मानदण्ड को पूरा नहीं करते।

[अनुवाद]

हुगली नदी के ड्राफ्ट में वृद्धि करने के लिए धनराशि

4825. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार का हुगली नदी के ड्राफ्ट में वृद्धि करने हेतु कितनी धनराशि देने का अधिकार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : संघ सरकार द्वारा 8वीं योजनावधि में नदी की गहराई में वृद्धि करने के प्रयोजन से 76 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

एकीकृत कार्गो व्यवस्था प्रणाली

4826. श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एकीकृत कार्गो व्यवस्था प्रणाली शुरू करने और पत्तन परिवहन के पुनर्गठन के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार एकीकृत कार्गो हैंडलिंग प्रणाली की अवधारणा का सिद्धांत रूप से अनुमोदन करती है। तथापि पत्तन परिवहन की पुनर्संरचना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एकीकृत कार्गो हैंडलिंग प्रणाली बनाने के प्रयोजनार्थ पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों को श्रमिक संघों के साथ स्थानीय स्तर पर विचार-विमर्श करने के लिए कहा गया है।

तम्बाकू निर्यात की संभावनाओं की समीक्षा

4827. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के देश में तम्बाकू निर्यात की समस्याओं तथा संभावनाओं की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990 में मंत्रालय द्वारा एफ० सी० वी० तम्बाकू के लिए गठित दीर्घकालीन नीति की समिति ने उत्पादकता में बाधा पैदा करने वाले कारकों, विपणन, निर्यात और एफ० सी०

वी० तम्बाकू की निर्यात संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था और आगामी 10 वर्षों के लिए कुछ रणनीतियों का सुझाव दिया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावित कदमों में निम्न शामिल है : (1) हल्की मिट्टी में तम्बाकू के उत्पादन को प्रोत्साहन देना जिससे निर्यात मांगों को पूरा किया जा सके।

(2) एफ० सी० वी० तम्बाकू की गुणवत्ता में और उत्पादकता में सुधार हेतु कई विस्तार/विकास कार्यों को लागू किया जाना।

(3) व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को विदेश भेजना जिससे मौजूदा बाजार को सुदृढ़ किया जा सके और नये बाजारों का पता लगाना।

भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में वरिष्ठ लेखा-परीक्षकों और लेखाकारों के वेतनमान

4828. **श्री अनादि चरण दास :**

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वित्त मंत्री दिनांक 20 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4792 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के वरिष्ठ लेखा-परीक्षकों और लेखाकारों के वेतनमानों को केंद्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमानों के समान रखने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे वरिष्ठ लेखा-परीक्षकों और लेखाकारों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमान के साथ समानता सम्बन्धी मांग पर पहले भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग की विभागीय परिषद् में विचार किया जा रहा था। अन्य लेखा संगठनों के मामले में इसी तरह की मांग भी, जोकि सामान्य प्रकृति की है, अलग से राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के समक्ष आई। इस प्रकार, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग की विभागीय परिषद में यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले को वापस ले लिया गया माना जाए।

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

4829. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की और उससे कितना लाभ कमाया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान एकत्रित की गई उक्त धनराशि में से प्रत्येक राज्य की विभिन्न योजनाओं में कितने धन का उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से एकत्रित की गई प्रीमियम आय तथा विभिन्न राज्यों में निगम द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

जीवन बीमा कारोबार के मामले में इस प्रकार किसी लाभ का निर्धारण नहीं किया जाता है। तथापि, जीवन बीमा निगम की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का समग्र रूप से बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के परिणामस्वरूप अनुमानित देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियां अधिक होने के कारण अधिशेष की घोषणा हर वर्ष की जाती है। राज्यवार कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

विवरण—I

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	इन वर्षों के दौरान प्रीमियम आय		
		1989-90	1990-91	1991-92 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	0·54	0·52	—
2.	आंध्र प्रदेश	364·55	461·16	590·78
3.	असम	73·26	89·35	141·70
4.	बिहार	177·85	231·61	288·69
5.	चण्डीगढ़	18·99	24·31	118·01
6.	दिल्ली	260·93	325·14	415·90
7.	गोआ	22·40	28·55	37·74
8.	गुजरात	391·20	467·09	582·90
9.	हरियाणा	76·91	96·06	95·40
10.	हिमाचल प्रदेश	20·52	27·49	34 97
11.	जम्मू एवं कश्मीर	21·10	22·31	27·75
12.	कर्नाटक	279·63	349·27	437·54
13.	केरल	174·23	216·13	279·45
14.	मध्य प्रदेश	181·97	231·67	289.75
15.	महाराष्ट्र	775·41	967·31	1167.29
16.	मणिपुर	4·54	5·84	—

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	4·51	5·15	—
18.	मिजोरम	0·47	0·57	—
19.	नागालैण्ड	2·63	1·50	—
20.	उड़ीसा	68·14	90·24	117·52
21.	पांडिचेरी	3·24	4·00	—
22.	पंजाब	139·51	166·86	166·14
23.	राजस्थान	164·31	207·90	266·99
24.	सिक्किम	—	—	—
25.	तमिलनाडु	344·59	445·07	565·26
26.	त्रिपुरा	8·24	10·26	—
27.	उत्तर प्रदेश	433·58	545·45	668·44
28.	पश्चिम बंगाल	408·17	532·30	651·78
	योग :	4421.42	5554·11	6884·00

विवरण—II

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए सकल निवेशों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	वर्ष के दौरान		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.49	1·50
2.	आंध्र प्रदेश	124·24	101·63	303·39
3.	असम	9·58	5·23	11·33
4.	बिहार	107·83	63·80	149·67
5.	चण्डीगढ़	0·25	0·50	0·50
6.	दिल्ली	39·13	318·65	189·00
7.	गोआ	6·92	4·12	6·78
8.	गुजरात	193·31	226·43	258·70

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	55·21	54·48	69·55
10.	हिमाचल प्रदेश	5·19	10·34	13·31
11.	जम्मू एवं कश्मीर	15·14	17·27	21·22
12.	कर्नाटक	93·16	118·10	141·03
13.	केरल	82·85	96·42	96·42
14.	मध्य प्रदेश	163 23	152·34	128·47
15.	महाराष्ट्र	402·23	415·16	499·11
16.	मणिपुर	3·50	4·85	5·40
17.	मेघालय	10·34	10·52	7·76
18.	मिजोरम	—	—	—
19.	नागालैण्ड	3·29	3·67	3·02
20.	उड़ीसा	57·30	87·53	115·55
21.	पांडिचेरी	0·36	1·21	2·91
22.	पंजाब	40·90	57·92	61·19
23.	राजस्थान	93·86	150·66	111·62
24.	सिक्किम	1·36	1·90	2·43
25.	तमिलनाडु	245·63	257·13	341·88
26.	त्रिपुरा	6·01	6·62	7·65
27.	उत्तर प्रदेश	143·86	158·91	123·50
28.	पश्चिम बंगाल	85·00	91·76	122 16
	योग :	1989·68	2318·39	2795·05

[हिन्दी]

पटसन का निर्यात

4830. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "जूट इन्डस्ट्री टु सीक गवर्नमेंट हैल्प फार रिनिगोसिएसन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष पटसन का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सारा उत्पादित पटसन देश में ही उपयोग में लाया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान पृथक-पृथक कितनी मात्रा में पटसन का निर्यात किया गया और कितनी मात्रा में देश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया;

(ङ) क्या प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में पटसन अप्रयुक्त रह जाता है; और

(च) यदि हां, तो पटसन का निर्यात करने अथवा देश में ही इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे पटसन और मेस्टा का अनुमानित उत्पादन निम्नोक्त अनुसार है : —

पटसन वर्ष (जुलाई-जून)	लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 180 कि०ग्रा० की)
1989-90	72.50
1990-91	90.00
1991-92	90.00

(स्रोत : जे० सी० आई०)

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे पटसन और मेस्टा का अनुमानित निर्यात तथा घरेलू खपत निम्नोक्त अनुसार होने का अनुमान लगाया गया है :—

(लाख गांठ में)

वर्ष	निर्यात	घरेलू खपत
1989-90	0.24	81.46
1990-91	0.55	87.36
1991-92	0.45	78.38

(स्रोत : जे० सी०)

(ङ) कच्चे पटसन के पिछले कुछ बकाया स्टाक से अगले मौसम की फसल की आवक शुरू होने तक की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

(च) सरकार ने वर्ष 1992-93 में पटसन मौसम के दौरान कच्चे पटसन की 1.5 लाख गांठों का निर्यात करने के लिए कोटा रिलीज किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने देश के भीतर कच्चे पटसन का उपयोग बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे : विनियमन बना करके पैकेजिंग के लिए इसके परम्परागत बाजार को संरक्षण देना, अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों के लिए निधियां

उपलब्ध कराकर विविधीकरण को बढ़ावा देना तथा राजकोषीय और विपणन सहायता प्रदान करना आदि ।

[अनुवाद]

रूस की निर्यात प्रतिबद्धता

4831. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस को चालू वर्ष में अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को शीघ्र पूरा करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रूस की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां ।

(ख) रूसी पक्ष ने व्यापार संलेख के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन दिया है ।

हरियाणा में धागा उत्पादक एककों को सहायता

4832. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हरियाणा में धागा उत्पादक एककों को गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार को हरियाणा के हथकरघा क्षेत्र से प्राप्त हुई मांगों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी कितनी मांगें पूरी की गई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान हरियाणा में किसी भी कताई मिल को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई क्योंकि भारत सरकार/एन०सी०डी०सी० को राज्य में मौजूदा कताई मिलों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने अथवा नई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) हरियाणा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पिछले दो वर्षों के दौरान विशेष छूट तथा बाजार विकास सहायता के रूप में राज्य को निम्नलिखित धनराशि रिलीज की गई है :—

वर्ष		रिलीज की गई सहायता की राशि (लाख रु० में)
1990-91	—	20.00
1991-92	—	68.20

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बंगलौर द्वारा उत्पाद शुल्क की वसूली

4833. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर की उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर 31 मार्च, 1992 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि बकाया थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बंगलौर द्वारा पिछले दो वर्षों की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क की वसूली में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क)

कम्पनियों की संख्या	31-3-92 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
270	74.00 (लगभग)

(ख) जी, नहीं, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष		(करोड़ रुपयों में) वसूल किया गया राजस्व
1989-90	—	945.65
1990-91	—	1056.14
1991-92	—	1247.01

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को ऋण

4834. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि के उदार शर्तों पर ऋण मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर अब सुविधा को वापस लेने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) से (ग) वित्तीय संस्थाएं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को रियायती शर्तों पर सावधि ऋण उपलब्ध कराती रही हैं। तथापि, वित्तीय संस्थाओं की निधिक लागत में वृद्धि को देखते हुए, उन्होंने 16 अगस्त, 1991 से सावधि ऋणों पर ब्याज दर संरचना संशोधित कर दिया है। उसी समय उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के एककों को दिए जाने वाले सावधि ऋणों पर दिए जाने वाली रियायत को भी हटा दिया है। तभी से, संस्थान ऐसी सहायता

सामान्य दरों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। नरसिंहम समिति रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने से काफी पहले ही संस्थानों ने यह निर्णय ले लिया था।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 22 सितम्बर, 1990 से पहले वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दर संरचना में अत्यधिक दरों की प्रचुरता थी। प्रत्येक कार्यकलाप के लिए न केवल कई दरें निर्धारित थीं बल्कि विभिन्न वर्गों के ऋणकर्ताओं से एक ही ऋण राशि के लिए पर्याप्त भिन्न दरें वसूल की जाती थी। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विद्यमान ऋण दर संरचना को युक्तियुक्त किया और 22 सितम्बर, 1990 से प्रभावी ब्याज दर संरचना को वाणिज्यिक बैंकों के मामले में उनके ऋणों के आधार के अनुसार निर्धारित किया। ब्याज दर संरचना के युक्तियुक्त करने का यह काम भी भारतीय रिजर्व बैंक ने नरसिंहम समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से काफी पहले कर दिया था। हालांकि, तदुपरान्त, ब्याज दर में कुछ परिवर्तन किए गए हैं तथापि, मूलभूत संरचना वही है।

[अनुवाद]

पैराक्जीलीन, डी० एम० टी०, पी० टी० ए०, पी० एस० एफ० और पी० एफ० वाई० का आगत अध्ययन

4835. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री छीतूभाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से पैराक्जीलीन, डी० एम० टी०, पी० टी० ए०, पी० एस० एफ० और पी० एफ० वाई० का ताजा लागत अध्ययन करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो कब तक अपनी रिपोर्ट देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने यह अध्ययन सचिवों की एक समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में आरम्भ किया है। यह पैराक्जीलीन, डी० एम० टी०, पी० टी० ए०, पी० एस० एफ० और पी० एफ० वाई० का एक व्यापक अध्ययन होगा ताकि इष्टतम शुल्क स्तर निर्धारित करने के लिए इन उत्पादों के उत्पादन की मानक लागत का आकलन किया जा सके।

(ग) इस अध्ययन को पूरा करने में लगने वाला समय काफी हद तक विनिर्माताओं के औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की प्रश्नावली के सम्बन्ध में समय पर उत्तर भेजने पर निर्भर करेगा।

शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

4837. **श्री अम्बारासु इरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में निजी न्यासों द्वारा चलायी गयी स्ववित्त-पोषित शैक्षिक संस्थाओं के लिए भारी वित्तीय सहायता स्वीकृत की;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं ने कितनी धनराशि की अदायगी की और 31 मई, 1992 को कितनी धनराशि इनके पास थी?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) गत 3 वर्षों के दौरान तामिलनाडु में गैर-सरकारी ट्रस्टों द्वारा चलाई जा रही स्वयं वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं को इंडियन बैंक द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	मंजूर सीमा	31-5-92 की स्थिति के अनुसार शेष	31-5-92 की स्थिति के अनुसार वापस की गई राशि
1989-90	789.64	907.45	192.48
1990-91	623.57	520.23	144.67
1991-92	372.59	376.26	16.95

इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में भी ऐसी सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

4838. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 1972 में असम सरकार से टीटाबोर स्थित रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था तथा असम और समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन के अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता देने हेतु एक केन्द्रीय मूगा और ईरी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की थी;

(ख) इन अनुसंधान केन्द्रों, विशेषरूप से बोको स्थित क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, टीटाबोर स्थित क्षेत्रीय रेशम-उत्पादन अनुसंधान केन्द्र और मंडीपथार (मेघालय) स्थित केन्द्रीय ईरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय मूगा एवं ईरी अनुसंधान केन्द्र के कार्य-निष्पादन का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) बोको स्थित क्षेत्रीय मूगा अनुसंसान केन्द्र, टीटाबोर स्थित क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र तथा मेंदीपाथर स्थित केन्द्रीय ऐसी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा की गई प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय ऐरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों सहित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न एककों को कार्य-निष्पादन को समय समय पर समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय ऐरी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जैसाकि उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का असम में एक केन्द्रीय मूगा अनुसंधान स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

विवरण

क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, बोको, आर० एस० आर०, एस टीटाबार/जोरहाट तथा केन्द्रीय ऐरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की गई प्रगति/उपलब्धि

1. क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र, बोको :

(1) केन्द्र ने सोम और सवालू मूगा खाद्य पौधों का प्रचार करने के लिए उपयुक्त कृषि सम्बन्धी प्रक्रियाओं का विकास तथा मानकीकृत किया है।

(2) मूगा रेशम कीट बीज की उपयुक्त इन्क्यूबेशन तकनीक बनाई गई है जोकि मूगा बीज की समान तथा अधिक हैचिंग प्रतिशत निश्चित करती है।

(3) केन्द्र ने दूसरे चरण तक मूगा रेशम कीट के आन्तरित कीट पालन की एक प्रक्रिया तैयार की है जिसके फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है तथा अधिक कोसा उत्पादन सुनिश्चित हुआ है।

(4) अधिक ऊंचाई पर दो महीनों के लिए मूगा कोसों के परिरक्षण की तकनीकी मानकीकृत की गई है जिससे बीज तैयार करने के क्रियाकलापों में सहायता मिलेगी।

(5) विभिन्न ग्रेनेज प्रचालनों में सुधार हुआ है तथा इसे क्षेत्रीय अंगीकरण के लिए सिफारिश की है।

(6) केन्द्र ने कोसा पकाने की तकनीक को मानवीकृत करने के अतिरिक्त मूगा रेशम यार्न का अधिक उत्पादन करने के लिए एक उन्नत मूगा रीलिंग मशीन बनाई है।

(7) सोम और सवालू पौधों का प्रसार करने के लिए नर्सरी तकनीक का निर्माण।

(8) केन्द्र ने मूगा के लिए 2 अनुसन्धान विस्तार केन्द्र की स्थापना की है जोकि असम में डाकूखाना और पश्चिमी बंगाल में कूच बिहार में स्थित हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्र में किए गए अनुसन्धान परीक्षणों के बारे में जानकारी देना है। ये केन्द्र किसानों/राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मूगा कृषि की अद्यतन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा साथ ही मूगा रेशम उद्योग का विकास करने के लिए तकनीति मार्गनिर्देशन भी करते हैं।

2. क्षेत्रीय रेशम कृषि अनुसंधान केन्द्र, जोरहाट (असम)

(1) क्षेत्रीय रेशम कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जोरहाट के तीन मुख्य अनुसन्धान प्रभाग अर्थात् मोरी कृषि, रेशम कृषि और एरी कृषि। ये केन्द्र शहतूत और रेशम कीट का जर्मप्लाज्म बैंक बनाये हुए हैं तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की कृषि सम्बन्धी जलवायु

के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शहतूती किस्मों और रेशम कीट प्रजातियों के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय परीक्षण भी कर रहा है।

(2) उन्नत तथा स्थानीय शहतूत की किस्मों की जांच की गई तथा 2-799 तथा जातिमुनी जैसी किस्मों की असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि के लिए सिफारिश की गई है।

(3) शहतूत की कृषि तथा शहतूत की छटाई की विशिष्ट प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है।

(4) मई और सितम्बर में कीट पालन के लिए विशिष्ट रेशम कीट बीज मिश्रण की सिफारिश की है।

3. **केन्द्रीय ऐरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, मेंदीपाथर, मेघालय**

(1) यह केन्द्र विभिन्न किस्मों के ऐरी रेशम कीट, खाद्य पौधों का अनुरक्षण कर रहा है तथा क्या उपज में सुधार लाने के लिए स्पेसिंग, मैन्योरिंग, विकास पैरामीटर आदि जैसी विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं सम्बन्धी अध्ययन कर रहा है।

(2) इस केन्द्र ने मिश्रित विभिन्न रेशम कीट प्रजातियों तथा नस्लों की जांच की है तथा 6 नस्लों को पृथक कर दिया है। दूसरे ऐरी रेशम कीट के खाद्य पौधों की जांच की गई है तथा केसेरू को ऐरी रेशम कीट के दूसरे खाद्य पौधे के रूप में उपयुक्त पाया गया है जिसकी क्षेत्रीय अंगीकरण के लिए सिफारिश की जा रही है।

(3) पर्यवेक्षण संकलन तथा ऐरी रेशम कीट के विभिन्न प्रकार के पौधों में से कास्टर की 35 किस्में, टोपियोका की 12 किस्मों तथा ऐरी के 4 अन्य गौण होस्ट प्लांटों का संस्थान में अनुरक्षण किया गया है।

(4) केसेरू की स्पेसिंग, वृद्धि तथा उपज के प्रभाव, केसेरू की पत्ता उपज, वृद्धि होने पर विभिन्न ऊंचाई में छटाई के प्रभाव तथा केसेरू की पत्ता उपज, का स्टार तथा टैपियोका पत्तों की खपत तथा इंजेशन की दर पर अध्ययन करने के साथ-साथ हैम्योलिफ के बायो-कैमीकल विश्लेषण किए जा रहे हैं।

(5) केन्द्र ने दो अनुसंधान विस्तार केन्द्र स्थापित किए हैं—एक सिलचर (अरूणाचल प्रदेश) में तथा दूसरा डिफु (असम) में है।

(6) इस समय वह केन्द्र किसानों को ऐरी के रोगमुक्त चक्तों की सप्लाई कर रहा है।

कम्पनी कानून में संशोधन

4839. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के पुन:संहिताकरण कार्य के भाग के रूप में विभिन्न प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। मामले पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात हेतु संरक्षण

4840. श्री पी० सी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को संरक्षण देने के लिए किरणित प्रणाली का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली के क्या लाभ हैं; और

(ग) किरणित झिंगा के निर्यात का क्या भविष्य है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) यद्यपि झींगे में साल्मोनेला जैसे रोगमूलक सूक्ष्मी जीवों को समाप्त करने में किरणित प्रणाली से सहायता मिलती है लेकिन जापान और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे समुद्री खाद्य के हमारे मुख्य क्रेता अपने देश में किरणित झींगे की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए किरणित झींगे के निर्यात की बहुत कम सम्भावना है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक

4841. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की कुछ शाखाओं को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन शाखाओं को बन्द करने का प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

बैंक खातों में कमियां

4842. श्री रवि राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखा परीक्षित लेखाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों की कतिपय लेखा परीक्षा/लेखा सम्बन्धी टिप्पणियां सभी प्रकाशित खातों में लगभग एक जैसी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन खातों में पाई गई कमियों के बारे में जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रकाशित लेखों में कुछ सामान्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों को अपेक्षित उपचारी कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित बैंकों के साथ उठाया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम में बीमा सम्बन्धी घाटे

4843. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा कारोबार में बीमा सम्बन्धी घाटे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकद प्रतिपूर्ति सहायता और शुल्क वापसी का निर्यातकों को भुगतान न करना

4844. श्री राम नाईक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों की एसोसिएशन अर्थात दि क्लोदिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया ने सरकार से नकद प्रतिभूति सहायता और शुल्क वापसी योजना के प्रवर्तन के दौरान इस योजना के अन्तर्गत दी गई राशि का तथा परिणामतः क्रय-विक्रय आयात-निर्यात शेयरों की राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र भुगतान हेतु तैयार की गई समयबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्लोदिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा किए गए अभिवेदन के मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं :—

1. उन एग्जिम स्क्रिपों/आर०ई०पी० लाइसेन्सों/अतिरिक्त लाइसेन्सों की स्थिति क्या है जो लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास पहले से ही प्रस्तुत आवेदन-पत्रों के आधार पर जारी होने हैं ? इनमें से कुछ लाइसेन्स निर्यातकों को जारी करने में महीनों लग सकते हैं।

2. उन एग्जिम स्क्रिपों की स्थिति क्या है जिनमें निर्यात आय 29 फरवरी, 1992 को या उससे पहले वसूल हो गई है किन्तु आवेदन पत्र बैंक वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. उन निर्यात बिलों की स्थिति क्या है जिन पर दिनांक 29-2-1992 को या उससे पहले बैंक द्वारा बट्टा दिया जाता था। अथवा जिन्हें रिजर्व के अधीन हस्तांतरित किया जा सकता था और

जिनकी वास्तविक वसूली 29-2-1992 के बाद होती है । आंशिक परिवर्तनीयता का लाभ किन्हें मिलता है क्या निर्यातक लोगों को ऐसे निर्यात के लिए एग्जिम स्क्रिप मिलते हैं ?

4. उन एग्जिम स्क्रिपों का दर्जा क्या है जिनके मामले में पोत लदान 29 फरवरी, 1992 को अथवा उससे पहले हो गया है किन्तु निर्यात आय की अभी वसूली करनी है और वसूली के लिए बिल बैंक को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं ।

5. सरकार का उन निर्यातकों को किस तरह का मुआवजा देने का प्रस्ताव है जिन्होंने एग्जिम स्क्रिप के लाभ का हिसाब मौजूदा प्रीमियम की तुलना में अपने निर्धारण/कीमत निर्धारण में 30% प्रीमियम (जैसाकि केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था) की दर से लगाया था जबकि मौजूदा प्रीमियम 30% से कहीं कम है । सरकार को चाहिए कि वह उचित प्रीमियम पर एग्जिम स्क्रिप खरीदने के सम्बन्ध में अपनी वचनबद्धता को पूरा करें ताकि निर्यातकों को भारी हानि से बचाया जा सके ।

6. नकद मुआवजा सहायता और शुल्क वापसी की बकाया राशियों का भुगतान ।

उपरोक्त मुद्दा 1 तथा 2 के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों और अतिरिक्त लाइसेन्सों की अनुमति देने के लिए दिनांक 12-3-1992 के आर०ई०पी० अनुदेश सं० 1/92 द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए थे ।

उपरोक्त मुद्दा सं० 3 के सम्बन्ध में दिनांक 29-2-1992 तक किए गए जिन निर्यातों के आधार पर बिल 29-2-1992 को अथवा उससे पहले खरीदे गए/हस्तांतरित किए गए उन निर्यातों के सम्बन्ध प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों की अनुमति देने के लिए आर०ई०पी० अनुदेश सं० 2/92 दिनांक 12-3-1992 द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे ।

उपरोक्त मुद्दा सं० 4 के सम्बन्ध में निर्यातक को उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाली का लाभ मिलेगा ।

उपरोक्त मुद्दा सं० 5 के सम्बन्ध में प्रीमियम विनियमन बाजार ताकतों द्वारा किया जाता है । किन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि एग्जिम स्क्रिप आदि की खरीद लाइसेन्स के सी०आई०एफ० मूल्य के 20% की दर से स्टेट बैंक आफ इण्डिया के जरिए की जाएगी ।

जहां तक माने गए निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता और शुल्क वापसी के बारे में उपरोक्त मुद्दा सं० 6 का सम्बन्ध है माने गए निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता और शुल्क वापसी के भुगतान के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 180 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गई है । लगभग 86 करोड़ रु० की एक और राशि पर विचार किया जा रहा है और उसे पात्र निर्यातकों को नकद मुआवजा सहायता तथा शुल्क वापसी के भुगतान के लिए शीघ्र ही रिलीज कर दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों की भूमि पर अतिक्रमण

4845. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छावनी बोर्डों की कुल वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने बोर्ड हैं;

(ग) छावनी बोर्डों की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों की कुल संख्या और क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने ऐसे सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) देश में कुल 62 छावनियां हैं, जिनमें से 22 उत्तर प्रदेश में हैं।

देश में छावनी बोर्डों के प्रबन्ध के अन्तर्गत आने वाली रक्षा भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के कुल 13,079 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें कुल मिलाकर लगभग 5,88,104 वर्गमीटर का क्षेत्र शामिल है। रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जा वाले मामलों की संख्या और उनका क्षेत्र तथा उन्हें हटाने के लिए की गई कारंवाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अदालत में चल रहे 12,907 मामलों में अनधिकृत कब्जा खाली करने की कारंवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अनधिकृत रूप से कब्जा के मामलों की संख्या	अनधिकृत कब्जे के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (वर्गमीटर में)	ऐसे मामलों की सं० जिनमें अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए कारंवाई की गई है
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	3536	1,36,677	3530
2.	मध्य प्रदेश	2073	78,174	2073
3.	बिहार	208	4,007	208
4.	महाराष्ट्र	2136	48,505	2136
5.	कर्नाटक	1153	1,802	153
6.	आन्ध्र प्रदेश	603	14,864	603
7.	राजस्थान	934	19,240	934
8.	तमिलनाडु	417	22,991	417
9.	केरल	2	269	2
10.	गुजरात	120	1,143	120
11.	पंजाब	2417	72,225	2258

1	2	3	4	5
12.	हरियाणा	27	1,133	27
13.	दिल्ली	377	1,76,486	577
14.	हिमाचल प्रदेश	27	7,973	27
15.	जम्मू और कश्मीर	5	984	5
16.	मेघालय	13	687	13
17.	पश्चिम बंगाल	31	944	31
	कुल :	13,079	5,88,104	12,907

[अनुवाद]

एर्नाकुलम से कन्याकुमारी तक अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाएं

4846. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम तट के साथ त्रिवेन्द्रम होकर एर्नाकुलम और कन्याकुमारी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम तटीय नहर के कोल्लम कोट्टापुरम खंड चम्पाकारा नहर और उद्योग मण्डल नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में लोक सभा में दिनांक 27-7-92 को एक विधेयक पारित किया गया था।

मसालों का निर्यात

4747. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से और विशेषरूप से केरल से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में विभिन्न मसालों का निर्यात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान कितना निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मसाला बोर्ड ने भारत से मसालों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) मसाला तेल तथा तेलीम राल, मसाला सम्मिश्रण तथा मिश्रण जैसी मूल्यवर्धित मदों का निर्यात तथा ब्रांड वाले उपभोक्ता पैकों में निर्यात को प्रोत्साहन देना।

(2) बाजार संवर्धन हेतु चुनिन्दा बाजारों प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन दल भेजना।

(3) व्यापार विकास हेतु भारत में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

(4) चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय तथा मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(5) भारतीय मसालों के विभिन्न ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा भारतीय ब्रांडों की साख बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड ने एक ब्रांड संवर्धन योजना आरम्भ की है।

(6) मसालों की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विकास तथा अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना।

(7) विभिन्न उपाय करना जैसे कि उपजकर्त्ता को शिक्षित करना तथा भारतीय मसालों की स्वच्छता में सुधार लाने के लिए क्वालिटी सुधार प्रयोगशाला स्थापित करना ताकि आयातकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात किये गये मसालों की मात्रा तथा मूल्य और 1992-93 के निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है: —

मात्रा: एम०टी० मूल्य करोड़ रु०

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1991-92	1,30,567	362,04
1992-93	1,50,000	474,16

आयकर विभाग द्वारा केरल में मारे गये छापे

4848. **प्रो० के०वी० थामस**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग द्वारा केरल में पिछले एक वर्ष के दौरान मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में जब्त की गई चल और अचल सम्पत्ति तथा उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनका निपटारा 1 जुलाई, 1992 तक नहीं किया गया था?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) वित्त वर्ष 1971-92 के दौरान केरल में ली गई तलाशियों का अभिगृहीत की गई मूल्यवान परिसम्पत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन सभी मामलों में तलाशियों के दौरान एकत्र की गई सूचना तथा अभिगृहीत की गई सामग्री के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही शुरू की गई है।

विवरण

क्रम संख्या	मामले का नाम	अभिगृहीत की गई चल परिसम्पत्तियों का मूल्य
1	2	3
1.	जे०एन० बाबाजी	3.20
2.	वेलियावेत्तिल चिट्स एण्ड फाइनेंशियर्स	81.65
3.	प्रो० तापी अबू	2.60
4.	पठान्स होटल	0.80
5.	एम०एच० कृष्णन नम्बूदरीपाद	4.31
6.	के०पी० भास्करन	—
7.	जवाहर लाल जैन	5.24
8.	डॉ० ई० सौदा बीबी	30.33
9.	डॉ० एन० एन०पी० शिवदोस तथा डॉ० लीला मंजई	—
10.	अयोध्या ज्वैलरी	49.49
11.	के०एल० डेनिस, विनीता ज्वैलरी	0.30
12.	मैंड्रोमेल इन्टरनेशनल	55.86
13.	पी०सी० कोचुन्नी, लाइट एण्ड स्टोव एजेन्सीज	4.27
14.	परास्	4.21
15.	एस०के० गुप्ता, कोचीन रोलर फ्लोर मिल्स	5.69
16.	राधाकृष्ण टेक्सटाइल्स	4.42
17.	अलुकास ज्वैलरी	10.47
18.	चेरियन डेनियल	10.00
19.	डॉ० महबूब ए० नथानी	9.81
20.	जेम्स जेकब	3.76
21.	के० थामस मैथ्यू	85.42
22.	वी० सुन्दरम अचारी	18.96
23.	सूर्य आयल इण्डस्ट्रीज	11.10
24.	वी० नारायण रेड्डियार	9.96

[हिन्दी]

मिग-29 में विकसित प्रणाली लगाना

4850. श्री सत्यदेव सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिकोयन कम्पनी ने अपने ग्रहकों को मिग-29 विमानों में मिग-33 विमानों की अनेक विकसित प्रणालियां लगाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रस्ताव को स्वीकार करके मिग-29 को और अधिक आधुनिक बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) वायु सेना अथवा रक्षा विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

सिंथेटिक और रेयन वस्त्र निर्यात

4851. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री महेश कनोडिया :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा सिंथेटिक और रेयन वस्त्र निर्यात अधिक उत्पादन लागत के कारण महंगा है और अन्य कुछ एशियाई देशों से इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) वर्ष 1992-93 में सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं; और

(ङ) सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों के निर्यात से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) सरकार ने शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का निःशुल्क आयात करने के सुविधा प्रदान की है ताकि निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल को आसानी से खरीद कर सकें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के आनन्तिम निर्यात निम्नोक्त अनुसार हुए हैं :—

वर्ष		निर्यात (करोड़ रु० में)
1989-90	—	601
1990-91	—	635
1991-92	—	1115

स्रोत : एस० आर० टी० ई० पी० सी०।

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र विदेशी बाजारों में उत्तरोत्तर सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं। वर्ष 1992-93 के लिए सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों का निर्यात लक्ष्य 536 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

4852. **श्री पांडुरंग पुन्डलिक फुन्डकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते में मूल वेतन का 71 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम राहत की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकार किया जाता है। महंगाई भत्ते की राशि चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय की जाती है। महंगाई भत्ता और आन्तरिक राहत दो अलग-अलग पहलू हैं। इस तरह मूल्यों अथवा महंगाई भत्ता में वृद्धि का अन्तरिम राहत मन्जूर करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) में कर्मचारी पक्ष की यह मांग रही है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच असमानता को दूर करने की दृष्टि से पूर्ण पुनरीक्षा किए जाने तक समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के मूल वेतन में 20% की तदर्थ वृद्धि दर दी जाए। इस मांग पर राष्ट्रीय परिषद में विचार-विमर्श किया गया था किन्तु वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया जा सका था। तथापि यह निर्णय लिया गया था कि परिलब्धियों में अन्तर का विश्लेषण करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन किया जाये और इस अध्ययन के आधार पर सरकार के विचारार्थ एक दस्तावेज तैयार किया जाये। इस प्रयोजन के लिए श्री एच० एन० रे की अध्यक्षता मे पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादकों को परेशान करना

4853. **श्री राम सागर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अप्रैल, 1992 के हिन्दी दैनिक "नवभारत टाइम्स" लखनऊ में "कई अफीम काश्तकार लाइसेंस से वंचित होंगे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अफीम उत्पादकों को परेशान करने के मामलों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अफीम के काश्तकारों को अनावश्यक रूप से परेशान न किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सरकार को 26 अप्रैल, 1992 के लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचारपत्र "नवभारत टाइम्स" में छपे "कई अफीम काश्तकार लाइसेंस से वंचित होंगे" शीर्षक समाचार की जानकारी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पोस्त भूखंडों के परिमापन परीक्षण और अफीम तौलन के समय कुछेक पोस्त काश्तकारों को तंग करने का आरोप लगाया गया है। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से इन आरोपों में कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। तथापि, नोर्कोटिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है।

रक्षा मन्त्री की चीन यात्रा

4854. श्री साईमन मरान्डी :
श्री शिबू सोरेन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी हाल ही की चीन यात्रा के दौरान चीनी नेताओं के साथ किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया; और

(ख) इस दौरे से दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दों के सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री ने 24 से 30 जुलाई, 1992 तक अपनी चीन यात्रा के दौरान, चीन के प्रधान मंत्री ली फांग, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल चिन जीवी तथा अन्य वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ, द्वि-पक्षीय क्षेत्रीय तथा विश्व हित के बहुत से मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री की चीन की यह यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बेहतर बनाने और सभी पारस्परिक समस्याओं, जिसमें सीमा विवाद भी शामिल है, का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए भारत और चीन के बीच उच्च स्तर पर बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ उसी के क्रम में है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और बेहतर हुए हैं और पारस्पर आदान-प्रदान की जो प्रक्रिया चल रही थी उसे और गति मिली है।

[अनुवाद]

कम्बोडिया को वित्तीय सहायता

4856. श्री के. प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्बोडिया को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार युद्ध से तबाह कम्बोडिया को पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नई सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत सरकार ने भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए 1991-92 में कम्बोडिया को 1.5 करोड़ रुपये का एक रियायती ऋण दिया है। इस ने का पूरी तरह से उपयोग किया गया है। पिछले तीन वर्षों में कम्बोडिया को यह सहायता वस्तुओं के रूप में भी दी गई है जिसमें डीज़ल पम्प (3.83 लाख रुपये मूल्य के) खाद्यसहायता (1989 और 1991 में प्रत्येक वर्ष में 5000 टन और 1992 में 1000 टन चावल) दवाइयां व चिकित्सा उपकरण (54 लाख रुपये के मूल्य के) और बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री (5 लाख रुपये के मूल्य की) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने 1986 से अंकोरवाट में पुनर्निर्माण (रेस्टोरेशन) कार्य भी किया है। सात चरण वाली इस परियोजना की कुल लागत लगभग 6 करोड़ रुपये है जिसमें भारत का अंशदान लगभग 3.8 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

दवाइयों की आपूर्ति	—	1.50 करोड़ रुपए
कृत्रिम अंग लगाने के लिए कैम्प	—	0.91 करोड़ रुपये

2000 टन चावल की खाद्य सहायता। इसके अतिरिक्त, अंकोरवाट में चालू पुनर्निर्माण (रेस्टोरेशन) कार्य को जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

बम्बई और गोवा के बीच जलपोत सेवा

4858. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई और गोवा के बीच समुद्री मार्ग पर यात्रियों के आवागमन और माल की ढुलाई के लिए जलपोतों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : सरकार ने बम्बई गोवा रूट के लिए कैटमैरेन्स खरीदने हेतु मैसर्स सत्यगिरी शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स लिंग आन सी लिंक प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति दी है। मैसर्स लिंक आन सी लिंक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया अनुमोदन अभी वैध है जबकि मैसर्स सत्यगिरी शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन की वैधता का और समय बढ़ाने की मांग की है। सरकार एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसलिए नौवहन कम्पनियां अगर विनिर्दिष्ट अवधि में वैसल नहीं खरीद सकें तो वे समय वृद्धि के लिए अनुरोध करती हैं। समयवृद्धि प्रदान करने के समय जहाज खरीदने के कार्य का ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा वैसल खरीदने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती है। सरकार अन्य नौवहन कम्पनियों को अनुमति देने पर भी विचार करेगी यदि वे इस रूट पर प्रचलनार्थ वैसल खरीदने का प्रस्ताव करें।

अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी और दूरसंचार मेल

4859. श्री एन० जे० राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन का विचार अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी और दूर-संचार मेला आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका प्रयोजन क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) मेले का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 23 से 29 सितम्बर, 1992 तक होना है। इस मेले का प्रयोजन नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति का अनुमान लगाना और भारत में इलैक्ट्रानिक तथा दूरसंचार उद्योग के और आगे विकास के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों एवं व्यापारी दर्शकों के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप को प्रेरित करना है। भारतीय इलैक्ट्रोनिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है।

(ग) उक्त मेले के आयोजन के लिए सचिव (इलैक्ट्रानिकी), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है। इस मेले को सफल बनाने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए गये हैं जिनमें ये शामिल हैं—भारत में तथा विदेशों में गहन प्रचार, सहभागिता जुटाना और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा भारतीय उद्योग संघों के जरिए दर्शक संवर्धन। सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने की भी योजना है।

[अनुवाद]

चाय उत्पादन

4860. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग ने अपने प्रारम्भिक उत्पादन आंकलनों को कम दिखाया है और केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि देश को 1992 में चाय के उत्पादन में भारी कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो चाय के उत्पादन में इस कमी के क्या कारण हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) केन्द्र सरकार का चाय के उत्पादन में और तदन्तर इसके निर्यात-निष्पादन में किस तरह से सुधार करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) चाय उद्योग द्वारा दिये गए नवीनतम संकेतों से पता चलता है कि वर्ष 1992 के दौरान चाय का उत्पादन केवल अधिकतम 726 मि० किग्रा० तक ही पहुंच सकेगा जबकि लक्ष्य 765 मि० किग्रा० का है।

(ख) वर्ष 1992 में उत्पादन में सम्भावित गिरावट चाय की उपज के प्रमुख क्षेत्रों में शुरूआती महीनों के दौरान प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की वजह से आई है इससे जून, 1992 के अन्त तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 26 मि० किग्रा० की संचयी गिरावट

आएगी। उत्पादन में गिरावट से ऐसे देशों द्वारा किया जाने वाला उठान प्रभावित होगा जिनको हमारा अधिकांश निर्यात होता है। अन्य क्षेत्रों को किए जाने वाला निर्यात सम्भवतः प्रभावित नहीं, होगा।

(ग) चाय बोर्ड चाय की उपज को बढ़ाने के लिए अनेक विकास योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत नये रोपण, पुनर्रोपण, नवीकरण, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, प्रसंस्करण मशीनों की खरीद आदि के लिए दीर्घावधि ऋण, उत्पादन तथा अनुदान सहायता दी जाती है। चाय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात अभियान चलाने तथा विदेशों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के साथ-साथ निर्यातकों को अनेक निर्यात प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं।

पटसन उद्योग द्वारा त्रिपक्षीय वेतन समझौता का उल्लंघन

4861. **डा० असीम बाला** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के मिल मालिक वर्ष 1992 के त्रिपक्षीय वेतन समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अमरीका में बैंक आफ बड़ौदा का कार्यकरण

4862. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही अमरीका में बैंक आफ बड़ौदा के बारे में कोई विवाद उठा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीव रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग ने, बैंक आफ बड़ौदा की न्यूयार्क शाखा पर निर्यात प्रशासन अधिनियम तथा विनियमनों के बहिष्कार-विरोधी प्रावधानों के 87 उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए एक पत्र जारी किया है। बैंक आफ बड़ौदा द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग के साथ मामले पर बात-चीत की गई थी तथा एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्य विभाग ने आरोपों को वापस ले लिया है।

रुपया-रूबल विनिमय दर

4863 **श्री राम कापसे** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस सरकार के साथ रुपये-रूबल विनिमय-दर के संशोधन पर हुई अन्तिम वार्ताओं के क्या परिणाम निकले;

(ख) रूस के साथ भारत के व्यापार, विशेषतौर पर कच्चे तेल की सप्लाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सरकार रूबल ऋण किस दर पर अदा करेगी; और

(घ) रुपया-रूबल विनिमय दर के संशोधन के कारण कितनी हानि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मास्को में दिनांक 9-10 जून, 1992 को आयोजित वार्ताओं के नवीनतम दौर में कोई सहमति नहीं हुई। ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में वार्ताओं का अगला दौर होगा।

(ख) कच्चे तेल की आपूर्तियों सहित रूस के साथ चालू व्यापार लेन-देन परिवर्तनीय मुद्राओं में मूल्यांकन किए जाते हैं और इस प्रकार रुपया-रूबल विनिमय दर का कोई प्रभाव नहीं है।

(ग) लागू करारों के अनुसार 31-3-1992 को 11,223 मिलियन रूबल ऋण की वापस अदायगी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की जानी है।

(घ) भूतपूर्व सोवियत संघ के प्रति भारत के ऋण के रुपया मूल्य में परिवर्तन ऋण वापसी अदायगी की रुपया-रूबल विनिमय दर संशोधन पर निर्भर करेगा।

सोने की तस्करी

4864. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तर होने के कारण निकट भविष्य में सोने की तस्करी में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में कितना अन्तर है;

(ग) क्या सरकार का विचार दोनों मूल्यों के अन्तर को कम करने के लिए सोने के आयात पर लिए जाने वाले शुल्क में कमी करने का है ताकि तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके; और

(घ) वर्ष 1991 के दौरान और 1992 में अब तक कर्नाटक में कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए और उनका ब्यौरा क्या है और कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धन्धा है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि निकट भविष्य में तस्करी में वृद्धि होगी अथवा नहीं। तथापि, जून, 1992 के मास के दौरान सोने का औसत मूल्य लंदन में प्रति 10 ग्राम 3060/- रुपये था तथा बम्बई में प्रति 10 ग्राम 4109/- रुपये था।

(ग) फिलहाल, सोने के आयात पर प्रभार्य शुल्क की दर में और कमी करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) वर्ष 1991 और 1992 (अभी तक) के दौरान कर्नाटक राज्य में गिरफ्तार किए

गए व्यक्तियों की संख्या तथा पकड़े गए सोने के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1991	1992*
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	67	17
पकड़े गए सोने का मूल्य (लाख रुपयों में)	272.09	129.42

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

4865. श्री मदन लाल खुराना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान-किन देशों को गेहूं का निर्यात किया गया; और

(ख) प्रत्येक देश को कितना गेहूं निर्यात किया गया और यह निर्यात किस दर पर किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

4866. श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितनी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां चल रही हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन समितियों द्वारा निर्मित हथकरघा वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों और शीर्ष निकाय के पास इनका कोई भण्डार एकत्र हो गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय उड़ीसा में 767 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(ख) उड़ीसा में इन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा 1991-92 के दौरान 4,693.37 लाख रुपये मूल्य के हथकरघा उत्पाद तैयार किए गए।

(ग) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के पास 1610.38 लाख रुपये मूल्य का स्टाक था। उड़ीसा की शीर्ष समितियों के पास 1367.32 लाख रुपये मूल्य का स्टाक था।

(घ) इस स्टाक की निकासी के लिए केन्द्र सरकार राज्य में प्राथमिक और शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निर्मित हथकरघा उत्पादों के विपणन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के बराबर-बराबर सहयोग से वित्तीय सहायता देती है। इस निकासी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। ऐसी बिक्री पर राज्य सरकार विशेष डिस्काउंट भी देती है।

[हिन्दी]

इलायची का निर्यात

4867. **श्री राजेश कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची का निर्यात मुख्य रूप से मध्यपूर्व के देशों को किया जाता है;

(ख) क्या इसके निर्यात के लिए अन्य बाजारों का पता लगाये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) हालांकि पश्चिम एशिया वर्ष 1987-88 तक इलायची (छोटी) के लिए हमारा प्रमुख बाजार रहा, लेकिन अब हमारे निर्यात मुख्यत: जापान, भूतपूर्व सोवियत संघ तथा पश्चिम एशियाई बाजारों में उसी तरह से होते हैं। बड़ी इलायची के लिए पाकिस्तान, यू० के० तथा सिंगापुर प्रमुख बाजार हैं।

[अनुवाद]

पत्थरों का निर्यात

4868. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने मूल्य के विभिन्न प्रकार के पत्थरों का निर्यात किया गया तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निर्यात में राजस्थान का कितना हिस्सा था और इस निर्यात से उसको कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के पत्थरों का निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

प्रतिवर्ष निर्यात में किए गए विभिन्न प्रकार के पत्थरों का ब्योरा और मूल्य इस प्रकार है :—

मूल्य करोड़ रुपये में

क्रम सं०	निर्यात किए गए पत्थरों का ब्योरा	1989-90	निर्यात का मूल्य 1990-91	1991-92
1.	ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट उत्पाद	147.0	227.0	380.0
2.	संगमरमर एवं संगमरमर उत्पाद	0.6	2.5	6.1
3.	स्लेट पत्थर	3.0	7.3	4.0
4.	सेतखड़ी सहित अन्य पत्थर	1.4	14.7	9.9

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों तथा उनके उत्पादों के कुल निर्यात में राजस्थान का अंश लगभग 1.3% था और इस निर्यात से लगभग 5.1 करोड़ रु० की निर्यात आय हुई थी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिए ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों के निर्यात का लक्ष्य निम्नानुसार है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट उत्पाद	संगमरमर एवं अन्य पत्थर और उनके उत्पाद	योग
1992-93	500	40	540
1993-94	650	50	700
1994-95	900	65	965
1995-96	1200	80	1280

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कांच के मोतियों का व्यवसाय करने वाली कंपनियों पर छापे

4869. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कांच के मोतियों का व्यवसाय करने वाली कुछ कम्पनियों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों में ऐसी प्रत्येक कम्पनी से जब्त की गयी विभिन्न वस्तुओं और संदेहास्पद दस्तावेजों का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जनवरी, 1992 में मैसर्स बनारस बीड्स लिमिटेड के वाराणसी और दिल्ली में स्थित कार्यालय परिसरों और उसके कुछ निदेशकों/अधिकारियों के आवासीय परिसरों में छापे मारे थे और कुछ संदेहास्पद दस्तावेजों को जब्त किया था। दस्तावेजों से पता चलता है कि निर्यात मामलों की पर्याप्त मात्रा में अदायगी नहीं की गई है।

मामले की जांच पड़ताल करने के पश्चात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत समुचित न्याय निर्णयन अथवा अभियोजन सम्बन्धी कारंवाइयां आरम्भ की गई हैं।

[अनुवाद]

जयपुर में नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ज्युअलरी डिजाइन

4870. श्री राम नारायण बैरवा :

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में जयपुर में नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ज्युअलरी डिजाइन (राष्ट्रीय आभूषण अभिकल्पना संस्थान) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बात पर भी सहमति प्रकट की है कि इस प्रस्तावित संस्थान के लिए राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और आधा खर्च वहन करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार जयपुर में उक्त इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि देने पर सहमत हुई है। इंस्टीट्यूट की स्थापना पर होने वाले व्यय का आधा भुगतान वहन करने पर राज्य सरकार सहमत नहीं हुई है किन्तु, वे पांच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रु० की राशि प्रदान करने पर राजी हुए हैं।

(घ) इस तरह का इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक संचालन-समिति का गठन किया गया है।

सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों का निर्यात

4871. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अब तक सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किये गए निर्यात का देशवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। अप्रैल-जून, 1992 के

दौरान सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों के निर्यात वर्ष 1991 की इसी अवधि के निर्यातों से लगभग 80 प्रतिशत अधिक हैं।

(ख) भारत के सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के निर्यात विश्व में सौ से अधिक देशों को किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान प्रमुख आयातक देशों को सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल, 91-मार्च 92 के दौरान प्रमुख आयातक देशों को सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्रों के निर्यात

देश	निर्यात (करोड़ रु० में)
1	2
ओमान	15.2
सऊदी अरब	60.5
यू०ए०ई०	210.2
श्रीलंका	25.3
मलेशिया	13.7
नेपाल	10.8
बंगलादेश	52.0
सिंगापुर	42.0
कोरिया गणराज्य	18.2
नाइजीरिया	12.1
मारीशस	23.9
बेल्जियम	44.5
फ्रांस	26.8
इटली	59.1
पुर्तगाल	15.1
यू०के०	186.6
स्पेन	26.0

1	2
कनाडा	20.7
यू०एस०ए०	16.2
अन्य	198.4
कुल :	1,114.6

स्रोत : एम०आर०टी०ई०पी०सी०, बम्बई ।

भारतीय चाय के लिए बाजार

4872. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखे के प्रकोप, बाजार में रूसियों की लगभग पूरी तरह से वापसी तथा गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों ने इन सबने मिलकर चाय उद्योग को अनिश्चितता तथा आकांक्षाओं में डाल दिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में तथा विदेशी में वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1992 के पहले 6 महीनों के दौरान चाय के उत्पादन में पिछले वर्ष की समानुरूप अवधि की तुलना में लगभग 26 मिलि० कि०ग्रा० की कमी दिखाई दी हैं जिसका मुख्य कारण भारत में चाय उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में प्रचलित कृषि-जलवायु की स्थितियों का प्रतिकूल होना था। रूस द्वारा कम चाय लेने से भारत से चाय के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कमी आ सकती है। इस प्रकार की संक्रमण अवधि में निर्यात में परिणामी अनिश्चितता अपरिहार्य है। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के क्रियाकलापों से दार्जिलिंग में चाय के उत्पादन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) सरकार ने पहले ही उपचारात्मक उपाय शुरू कर दिए हैं और रूस तथा उजबेकिस्तान के साथ व्यापार संलेख पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अन्य देशों जैसे पश्चिमी यूरोप, बाना क्षेत्र तथा उत्तरी अमेरिका में भारत के निर्यात को विविधता प्रदान करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में बाजार सुरक्षित करने हेतु उद्योग शिष्टमंडल प्रायोजित किए गए हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज-दर

4873. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 और 1 अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1992 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज-दर में कितनी बार परिवर्तन किया गया है; और

(ख) प्रत्येक बार ब्याज-दरों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90

से जून, 1992 तक सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों पर ब्याज की दरों में किया गया परिवर्तन नीचे सारणी में वर्षवार में दिया गया है :—

वर्ष	परिपक्वता (वर्षों में)	ब्याज की दर में परिवर्तन (प्रतिशत प्रतिवर्ष) से	तक
1989-90		कोई परिवर्तन नहीं	
1990-91	5	10.00	10.50
	10	10.50	10.75
	15	11.00	11.25
1991-92	5	10.50	10.75
(अक्तूबर, 1991)	10	10.75	11.00
	15	11.25	11.50
	20	11.50	12.00
(मार्च, 1992)	15	11.50	12.50
1992-93	5	10.75	12*
(जुलाई, 1992 तक)			

* जून, 1992 में हुई सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से जुटाए गए 5 वर्षीय ऋण पर पर निश्चित प्रतिफल।

ब्याज दरों में परिवर्तन पर निर्णय लेते समय सरकार मौजूदा सामान्य ब्याज दर ढांचा, बैंकों को लाभ, सरकार पड़ने वाली लागत आदि जैसे कई तथ्यों को ध्यान में रखती है।

अखबारी कागज का गैर-सरकारीकरण करने से समाचार प्रतिष्ठानों को पेश आ रही कठिनाइयां

4874. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1992 के स्टेट्समैन में "एस० टी० सी० हेरसिंग न्यूजपेपर्स : आई० एन० एस०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार का विचार अखबारी कागज के आयात का गैर-सरणीकरण करने के बाद भी समाचार प्रतिष्ठानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस वर्ष, 1992 के प्रारम्भ में जब असरणीकरण की परिकल्पना की गई थी, अखबारी कागज उद्योग ने इस बात पर बल दिया था कि एन० टी० सी० को संक्रमण अवधि से निपटने के लिए 31-3-92 तक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त स्टाक रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि उस अवधि में अखबारी कागज की कोई कमी न हो। उद्योग ने आश्वस्त किया था कि वह एस० टी० सी० के पास रखे स्टॉक को यह सुनिश्चित करते हुए ले लेगा कि एस० टी० सी० को माल पर कोई हानि न हो। खरीदे गए अखबारी कागज की मात्रा का निर्णय उद्योग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

1-4-92 की स्थिति के अनुसार अखबारी कागज के आयात के असरणीकरण की तारीख को एस० टी० सी० के पास 11000 मी० टन स्टैंडर्ड अखबारी कागज और 6000 मी० टन ग्लेज्ड अखबारी कागज था। भरसक प्रयत्नों के बावजूद उद्योग द्वारा एस० टी० सी० के स्टॉक को उठाना धीमा रहा था और अब एस०टी०सी० के पास 2000 मी० टन 22" के आकार का स्टैंडर्ड अखबारी कागज और लगभग 3000 मी० टन 22" और 32" के आकारों का ग्लेज्ड अखबारी कागज है। यद्यपि एस० टी० सी० ने वास्तविक प्रयोक्ताओं से इन स्टाकों को उठाने के लिए अनुरोध किया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक प्रयोक्ता इन स्टॉकों को उठाने से झिझक रहे हैं। एस० टी० सी० ने आर० एन० आई० से भी अन्य सभी प्रकार के आकारों के कागज के लिए आयात हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए और तथा एस० टी० सी० के पास उपलब्ध आकारों के कागज के वास्तविक प्रयोक्ताओं को उठाने के लिए समझाने का अनुरोध किया है। एस० टी० सी० ने इसी तरह का अनुरोध अखबारी कागजों के विभिन्न संगठनों से भी किया है। एस० टी० सी० ने स्टॉकों का निपटान करने के लिए प्रमुख अखबारों में प्रेस विज्ञापन भी जारी किया है। दिनांक 1-4-1992 से अखबारी कागज के आयात की अनियंत्रित प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ता मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय द्वारा जारी दि० 31 मार्च, 1992 की सार्वजनिक सूचना में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अखबारी कागज का आयात कर सकते हैं।

फिल्म उद्योग को बैंक ऋण

4875. **श्री अन्नारासु इरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म उद्योग को बहुत अधिक ऋण स्वीकृत किए; और

(ख) यदि हां, तो उन फिल्म कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ऋण लिया तथा उन्हें स्वीकृत की गई धनराशि और उनके द्वारा की गयी अदायगी का ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के फिल्म उद्योग पर बकाया अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बकाया अग्रिम (लाख रुपए)

बैंक	1989-90	1990-91	1991-92
इंडियन बैंक	859	1215	1609
इंडियन ओवरसीज बैंक	426	459	411

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार बैंक के किसी ग्राहक से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

अनिवार्य सैनिक सेवा

4876. श्री वी० शोभनाद्रीश्वरराव वाड्डे : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका और कुछ अन्य देशों की तरह इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कारण देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) भारत में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती सभी नागरिकों के लिए खुली है। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए भारत में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

स्पाइस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड

4877. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पाइस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड मसाला उत्पादकों को, विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु में, सहायता प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार का इस निगम को बन्द करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो स्पाइस ट्रेडिंग कारपोरेशन को फिर से कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) स्पाईसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—

(i) मसालों तथा इनके उत्पादों के घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन, और

(ii) मसाला उत्पादों के उत्पादन तथा बिक्री और निर्यात को सहायता देना, अनुमान लगाना, रख-रखाव करना, वृद्धि तथा संवर्धन करना।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा स्पाईसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश

4878. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रतिवर्ष जमा तथा निवेश कितना-कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रचालन की सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित मुख्य मुद्दा उनकी दयनीय अर्थक्षमता है जिसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल और समीकरण समिति के निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों में किए गए संशोधन से और वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कार्यदल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रचालन की समीक्षा की थी और उसमें सुधार लाने हेतु कुछ उपाय सुझाए थे। हाल ही में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, वित्तीय प्रणाली पर समिति ने सुझाव दिया है कि अर्थक्षमता लाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए परन्तु उनका लक्ष्य, लक्ष्य-समूह पर बना रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी अधिशेष राशियों को या तो नाबार्ड के पास या फिर उच्च लाभ अर्जित करने वाली परिसम्पत्तियों में निवेश के प्रयोजन हेतु स्थापित विशेष संघीय एजेंसी में रख सकें। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया है। कई माडल तैयार किए गए हैं और सभी दृष्टि से प्रत्येक की प्रभावकारिता की जांच की जा रही है। तथापि, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां और अग्रिम निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	जमाराशियां	प्रायोजक और अन्य बैंकों के पास शेष राशि	अग्रिम (बकाया)
1988-89	845.00	504.96	543.60
1989-90	1137.22	679.03	674.68
1990-91	1441.04	857.78	758.23

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47

4879. श्री एन० डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की करेंगे कि त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 जो बहुत क्षतिग्रस्त है और जो निरन्तर काफी समय तक यातायात के योग्य नहीं रहता की तत्काल मरम्मत और रख-रखाव हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : रा० रा० 47 का तिरुवअंतपुरम-कन्याकुमारी खण्ड सामान्य रूप से यातायात योग्य स्थिति में है इसके रख-रखाव/अन्य सुधार कार्यों को निधियों की उपलब्धता के आधार पर यथावश्यकतानुसार किया जाता है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

4880. श्री गोपी नाथ गजपति :

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री सत्यदेव सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या विधि अपनायी गयी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) भारत से कृषि-उत्पादों का आयात करने को कौन-कौन से देश उत्सुक हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च) सरकार कृषि-वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए उत्सुक है। सरकार की यह नीति है कि यह कार्य इस ढंग से किया जाए कि बहुउपयोग की मदों की घरेलू उपलब्धता प्रभावित न हो। सरकार ने निर्यात के लिए नीतिगत वातावरण में सुधार लाने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। इन उपायों को नई आयात-निर्यात नीति, 1992-97 के द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया गया है। यह नीति 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। कृषि वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो निश्चित उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है वे निम्नलिखित है :—

(i) अल्पावधि उपाय-बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन, क्वालिटी उन्नयन, पैकेजिंग सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण, बाजार आसूचना अवस्थापना का विकास, अवरोधों को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए योजनाएं हैं।

(ii) उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, नए बाजारों में प्रवेश, उत्पाद विकास, निर्यातोन्मुख प्रसंस्करण इकाइयों का संवर्धन, भारतीय खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता और साख में सुधार लाना।

कृषि वस्तुओं के संबंध में आठवीं योजना अवधि (1996-97) के अन्त तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य वर्ष 1991-92 की कीमतों पर 6519 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

कृषि वस्तुओं के अन्तर्गत व्यापक मदें आती हैं जैसे मसाला, काजू, तम्बाकू, फल और सब्जियां आदि विभिन्न देशों में इनकी मांग की मात्रा अलग-अलग है। यूरोप, यू० एस० ए० और पश्चिमी एशिया भारत की कृषि मदों के लिए प्रमुख बाजार हैं।

वस्त्रों का निर्यात

4882. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रुपए और विदेशी मुद्रा के रूप में कितने मूल्य के वस्त्र का निर्यात किए जाने की संभावना है;

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान हस्तनिर्मित रेशे के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हथकरघा नारियल जटा निर्यात के लिए जिन-जिन देशों के साथ वार्ता हुई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 अर्थात् आठवीं योजना के पहले वर्ष के लिए वस्त्र निर्यात (जिसमें कयर, हस्तशिल्प तथा पटसन शामिल है) के लिए 6349 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान निर्यात की मात्रा की दृष्टि से 13.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना की है। आठवीं योजना के दूसरे और अनुवर्ती वर्गों के लिए वस्त्र के निर्यात लक्ष्य उचित समय पर निर्धारित किए जायेंगे।

(ग) रेशमी वस्त्रों, हस्तशिल्प तथा कयर के निर्यात आयातक देशों द्वारा मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध के अध्यधीन नहीं होते हैं। मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों के निर्यात कुछ देशों में मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों के अध्यधीन हैं। वर्ष 1992 के दौरान कोटा मदों के निर्यात द्विपक्षीय करारों द्वारा संचालित होते हैं जोकि वर्ष 1991 के दौरान हुई वार्ताओं के आधार पर पहले से किए गए हैं।

(घ) सरकार ने निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे :— परिवर्तनीय मुद्राओं के रूप में कोटा मदों की फ्लोर कीमतों का निर्धारण, उदार विनिमय दर व्यवस्था योजना शुरू करना, लाइसेंस सम्बन्धी जरूरतों के बिना नई वस्त्र और परिधान मशीन मदों के आयात को सुकर बनाना, उदार निर्यात संवर्धन (पूंजीगत माल) योजना, लाइसेंस की जरूरतों के बिना परिधानों, होजरी तथा मेड-अप्स का निर्माण करने के लिए आवश्यक पुरानी मशीनों के आयात को सुकर बनाना, अग्रिम लाइसेंस योजना के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी के कच्चे माल को सुगमता से प्राप्त करना, उपर्युक्त नीति परक उपायों के जरिए विनिर्माता-निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना आदि।

रंगराजन समिति की रिपोर्ट

4883. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुगतान संतुलन के सम्बन्ध में रंगराजन समिति की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक सिफारिश पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। 'विनिमय दर प्रबंध" के संबंध में सिफारिशों की एक अन्तरिम रिपोर्ट फरवरी, 1992 में प्राप्त हुई थी। यद्यपि भुगतान संतुलन के बारे में रंगराजन समिति की निर्णायक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अंतरिम रिपोर्ट एक नई विनिमय दर प्रबंध प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की गई है जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) चालू लेन-देनों, जिन्होंने व्यापारिक माल का निर्यात तथा उद्दृश्य प्राप्तियां दोनों हो शामिल हैं, के अंतर्गत सभी प्राप्तियों को प्राधिकृत डीलरों के हवाले करना आवश्यक होगा।

(2) आय के 40 प्रतिशत भाग, जिसे रिजर्व बैंक की प्राधिकृत दर के अनुसार रुपयों में जमा करवाया जाएगा, को छोड़कर, आय के शेष 60 प्रतिशत भाग की विनियय दर प्राधिकृत डीलरों द्वारा उत्कथित मुक्त बाजार दर के अनुसार होगी। ये अनुपात वस्तुओं और सेवाओं तथा गैर-सरकारी प्रेषणाओं और आवश्यक आयातों के मूल्य के माध्यम से होने वाली संभावित निर्यात आय पर आधारित हैं।

(3) इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक चालू लेखा प्राप्तियों के 40 प्रतिशत भाग को प्राधिकृत विनिमय दर पर खरीद लेगा।

(4) प्राधिकृत डीलरों को विदेशी मुद्रा के शेष 60 प्रतिशत भाग को अपने पास प्रतिधारित करने की छूट होगी तथा वे इसे सभी प्राधिकृत और अनुमोदित लेन-देनों के लिए बाजार दर पर बेच सकेंगे।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत दर पर प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का उद्देश्य मात्र सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा चार आवश्यक मदों अर्थात्—कच्चा तेल, डीजल, किरोसिन तथा उर्वरकों का आयात करना है, जैसाकि भारत सरकार द्वारा अपने विदेशी मुद्रा बजट के माध्यम से प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों तथा विशेष अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) लाइसेंसों के मूल्य के 40 प्रतिशत भाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा प्राधिकृत दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। उपर्युक्त अनुमोदित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी प्राधिकृत दर के अनुसार प्राधिकृत डीलरों को विदेशी मुद्रा बेचेगा। भारतीय रिजर्व बैंक चुनींदा मुद्राओं के सम्बन्ध में अपनी प्राधिकृत क्रय दर की घोषणा करता रहेगा, जैसा कि अभी भी किया जा रहा है।

(6) जहां तक, अन्य सभी आयात सम्बन्धी लेन-देनों का सम्बन्ध है, उन्हें मुक्त बाजार में उपलब्ध विदेशी मुद्रा से पूरा किया जाना होगा। तथापि, भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय डीलर संघ द्वारा इस संबंध में बैंकों के साथ परामर्श करके, निर्देशात्मक

मुक्त बाजार विनिमय दरों की घोषणा प्रत्येक कार्य दिवस में की जाएगी।

(7) पूंजीगत लेखे की प्राप्तियों और अदायगियों पर नियंत्रण रखा जाना जारी रहेगा। तथापि, इन लेन-देनों के लिए विनिमय दरें मुक्त बाजार दर के अनुसार होंगी।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की शुरूआत पहले ही कर ली है।

कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

4884. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण पर अब तक कितना प्रतिशत कार्य हुआ है;

(ख) इस परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत कितनी थी और इसकी वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पुल का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ और इसे यातायात के लिए कब के खोल दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जुलाई 1992 के अन्त तक दूसरे हुगली पुल के 3 विभिन्न खंडों के तहत किए गए कार्य का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

खंड I (कलकत्ता अप्रोच)	—	99.87%
खंड II (हावडा अप्रोच)	—	97.37%
खंड III (मुख्य पुल)	—	98.50%
(ख) प्रारंभिक अनुमानित लागत	—	9 करोड़ रु० (1969)
वर्तमान अनुमानित लागत	—	388.34 करोड़ रु० (1992)

(ग) 1979 में इस पुल पर कार्य शुरू हुआ था और आशा है कि सितम्बर, 1992 के अंत तक इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

नरसिम्हन समिति की सिफारिशें

4885. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** :
श्री सूरज मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी संगठनों के बीच उन पर उनकी प्रतिक्रियाएं/सुझावों को जानने के लिए परिचालित किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को भी इन सिफारिशों को परिचालित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ अपनी बैठकों में अपर सचिव (बैंकिंग) तथा वित्त मंत्री द्वारा नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर चर्चा की गयी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

वाराणसी का रेशम साड़ी उद्योग

4886. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान वाराणसी के रेशम बुनकरों के सामने रेशम धागे के मूल्य में हुई भारी वृद्धि के कारण पेश आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में बुनकरों की ओर से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाराणसी के रेशम साड़ी उद्योग को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रेशम उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के रेशम उत्पादन क्षेत्रों में पेब्रीन रोग के फूट पड़ने के कारण देश में रेशम के उत्पादन में गिरावट आई जिसके फलस्वरूप इसकी कीमतों में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप सरकार को उत्तर प्रदेश में वाराणसी सहित विभिन्न राज्यों के बुनकरों से रेशम का आयात करने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(घ) उपर्युक्त संदर्भ में सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा मनोनीत राज्य स्तरीय एजेंसियों को 200 टन रेशम का आयात करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त कच्चे रेशम के आयात पर शुल्क को वर्ष 1992-93 के बजट में 55% सममूल्य से घटा कर 30% सम मूल्य कर दिया गया।

200 टन की अनुमत मात्रा में से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 46.26 टन कच्चे रेशम का आयात किया है तथा उसे विभिन्न राज्यों की एजेंसियों को वितरित कर दिया है (जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी समिति शामिल है) जिन्होंने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास बयाने की धनराशि जमा कराई थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप पेब्रीन रोग पर नियन्त्रण पा लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश में रेशम की उपलब्धता में सुधार हुआ है तथा इसकी कीमतें भी स्थिर हो गई हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की एजेंसियां आयातित कच्चे रेशम के प्रति इच्छुक नहीं है तथा सरकार ने रेशम की 153.74 टन की बाकी मात्रा का आयात नहीं करने का निर्णय लिया है।

उझर नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु धनराशि

4887. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार अन्तर्राज्यीय, अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत झालावाड़ जिले में राजमार्ग संख्या 19 पर उझर नदी पर एक पुल के निर्माण हेतु धन के आवंटन का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ई० एण्ड आई० कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों को, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श करते हुए अभी अन्तिमम रूप दिया जाना है। इनको अन्तिम रूप देते समय परिव्यय, प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता, कार्यक्रम की पात्रता हेतु मानदंड इत्यादि को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

वाराणसी की फर्मों द्वारा शीशे के मोतियों के लिए कच्चे माल का आयात

4888. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी की कुछ फर्मों ने शीशे के मोतियों के निर्यात हेतु उत्पादन के लिए पोटेशियम कार्बोनेड, कैडिनियम सल्फाइस इत्यादि जैसे कच्चे मालों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो वाराणसी की प्रत्येक फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्गंत आयात किये गए ऐसे कच्चे माल की मात्रा कितनी है तथा उसका ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त फर्मों को उक्त अवधि के दौरान उस सीमा शुल्क की राशि कितनी है जिसके लिए छूट दी गई थी;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाया है कि आयातित कच्चे माल का उपयोग शीशे के मोती बनाने में ही हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केवल एक फर्म को वर्ष 1989 से तीन अग्रिम लाइसेंस दिए गए थे। अनुमत कच्चे माल की मात्रा संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर अन्तर्ग्रस्त सीमाशुल्क 2,54,07,723/- रु० बैठता है।

(घ) और (ङ) जिस अग्रिम लाइसेंस पर लाइसेंसधारक शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात करने का हकदार होता है उसमें निर्यात दायित्व भी लगाए जाते हैं तो लाइसेंसधारक को पूरे करने

होते हैं। इन निविष्टियों की मात्रा का निर्धारण उन तकनीकी प्रधिकारियों द्वारा किया जाता है जो ए० एल० सी०/आर० ए० एल० सी० की सलाह देती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वाराणसी फर्म को जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं०	आयात की मद	मात्रा	कुल सी०आई०एफ० मूल्य
1.	पोटाशियम कार्बोनेट	31500 किग्रा०	1,07,51,615/- रु०
2.	सोलोनियम मैटल पाउडर	1740 किग्रा०	
3.	काडमियम सल्फाइड	5910 किग्रा०	
4.	एन्टीमनी ट्राइआक्साइड	3945 किग्रा०	
5.	आर्सेनिक ट्राइआक्साइड	17400 किग्रा०	
6.	एवेन्चुरी ग्लास ब्लाक	5400 किग्रा०	

निर्यात दायित्व का कुल एफ० ओ० बी० मूल्य — 3,52,30, 114/- रु०।

[अनुवाद]

कपड़ा निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय सीमा शुल्क का भुगतान न करना

4889. **श्री अंकुशराव रावसाहिब टोपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कपड़ा निर्माताओं ने टेक्सचराइज्ड धागे पर लगने वाले करोड़ों रुपये के सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया है जैसाकि 25 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा शुल्क की तत्काल वसूली करने तथा इस विषय पर जारी की गई अधिसूचना में यदि कोई कमी है. तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) महानिदेशक, अपवंचन रोधी ने शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आयात किये गए आंशिक रूप से चमकीले यार्न से विनिर्मित टैक्सचुराइज्ड यार्न पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की अदायगी न करने के लिए 21 टैक्सटाइल विनिर्माताओं से विरुद्ध जांच कार्य आरम्भ किया है।

(ग) सरकार ने अब दि० 1-7-83 की अधिसूचना सं० 178/83 को संशोधित करने के के लिए दि० 14-7-92 को अधिसूचना सं० 78/92 जारी की है। इस संशोधन का प्रभाव यह है कि टैक्सचुराइज्ड यार्न को उस स्थिति में भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, भले ही इसे अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत निःशुल्क आयात किये गए यार्न से विनिर्मित किया गया हो। जहां तक पूर्ववर्ती निकासियों पर शुल्क देयता का सम्बन्ध है, इस मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

सातवीं योजना के दौरान कपड़ा मिलों को दिये गए ऋण/रियायतें

4890. **श्री मोरंजन भक्त** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़ा मिलों को उनके आधुनिकीकरण अथवा पुन: चालू करने हेतु कितनी धनराशि के ऋण और अन्य रियायतें दी गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और कितनों को वास्तव में पुन: चालू किया गया है; और

(ग) इससे कितने श्रमिकों को फिर से काम मिला है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) आई० डी० बी० आई० द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत 576 करोड़ रु० की राशि वितरित की गई।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान 55 (पचपन) मिलों में आधुनिकीकरण योजना क्रियान्वित की है।

(ग) जानकारी नहीं रखी जाती।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निवेश

4891. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने निवेश करने हेतु सरकार की गारंटी प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंगटन से नियुक्त और स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए स्टाफ को लेकर भारत में अपने क्षेत्रीय मिशन का विस्तार कर रहा है ताकि यह इस क्षेत्र में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक निवेश संवर्धन और परियोजना प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य शुरू कर सके।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सीधे परियोजना वित्तपोषण प्रदान करता है। इसके करार-अनुच्छेद में अपने निवेश के लिए सम्बन्धित सदस्य सरकार से गारंटी लेना निषिद्ध है।

उड़ीसा में तटीय नौहृवन

4892. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तटीय नौवहन शुरू करने की बहुत बड़ी संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्य में तटीय नौवहन का विकास और विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) लघु और मध्यम पत्तनों का विकास जोकि तटीय नौवहन के विकास के लिए पूर्वापेक्षा है, के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। संसदीय सरकार ने उड़ीसा सहित देश में तटीय नौवहन के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं : –

(i) सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाना।

(ii) सरकार द्वारा देय सब्सिडी के मामले को छोड़कर तटीय शुल्क को नियत करने/संशोधित करने की शक्तियां महानिदेशक नौवहन को प्रदान करेगा।

(iii) विशेष परिस्थितियों में तटीय पोतों के लिए महापत्तनों पर प्राथमिकता के आधार पर बर्थ उपलब्ध कराना।

(iv) अन्य श्रेणी के जहाजों की तुलना में अधिक तटीय प्रचालन करने के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा पुराने जहाजों की खरीद के लिए कार्य काल मानदंड नियत करना।

(v) तटीय पोतों के लिए पत्तन देयताओं और पत्तन प्रभारों की रियायती दरें।

(vi) पारादीप सहित पत्तनों को थर्मल पावर प्लांटों की लिंकेज के लिए शामिल किया गया है।

केन्द्र सरकार ने पारादीप पत्तन पर पंजीकृत कोल हैंडलिंग सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव भी तैयार किया है जिसके कोल के तटीय शिपमेंट में वृद्धि होगी।

जूट से बनी वस्तुओं का निर्यात

4893. **डा० कृष्ण सिन्धु भोई :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को जूट से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस बारे में विशिष्ट प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्रों को प्रस्तावित जूट वस्तुओं के निर्यात का रुपयों में तथा विदेशी मुद्रा में देशवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पटसन के निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुआयामी क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं जिनमें शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बाजार अध्ययन शुरू करना, आयातकों और अन्तप्रयोक्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा प्रचार अभियान चलाना। इसके अतिरिक्त विपणन सहायता का विस्तार करने से भी निर्यात को बढ़ावा दिया गया

है तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्रों के देशों को पटसन उत्पादकों के निर्यात दायित्व के साथ पटसन क्षेत्रों की सप्लाई के डी० जी० एस० एण्ड डी० आर्डरों को जोड़ दिया है।

(ग) निर्यात के लिए देश-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। वर्ष 1992-93 के दौरान भारत ने 500 करोड़ या (161 मिलियन अमरीकी डालर) मूल के पटसन माल का निर्यात करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रक्षा लेखा के संयुक्त नियंत्रक द्वारा भुगतान

4894. श्री एन० जे० राठवा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में रक्षा लेखा के संयुक्त नियंत्रक (निधि) के माध्यम से चालाकी द्वारा धन निकालने/भुगतान करने के कुछ मामले लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) रक्षा लेखा (निधि) के संयुक्त नियंत्रक के कार्यालय के माध्यम से वर्ष 1991 के दौरान 4,92,905/- रुपये की राशि धोखाधड़ी करके निकाली गई थी। उक्त राशि 10 बिलों के आधार पर निकाली गई थी जिन पर रक्षा प्राधिकारियों और उक्त कार्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर थे। जाली आदेशों के आधार पर जारी किए गए "खाता देय" चैकों की राशि दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों में 5 बचत खातों में जमा कराई गई थी। फरवरी, 1992 में किए गए इसी प्रकार के एक प्रयास को विफल कर दिए जाने के बाद इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले जून, 1990 से फरवरी, 1992 तक के सभी भुगतानों की पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी के आधार पर किए गए उपर्युक्त भुगतानों का पता चला।

(ग) और (घ) रक्षा लेखा विभाग द्वारा की गई प्राथमिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया कुछ अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने, जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी से भुगतान हुआ, के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। इसके लिए पुलिस के पास प्राथमिकी (एफ० आई० आर०) दर्ज करा दी गई है। यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी सौंप दिया गया है।

(ङ) इस सम्बन्ध में सुधार के लिए समुचित उपाय शुरू किए गए हैं ताकि विस्तृत निर्धारित प्रक्रिया दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विदेशों में म्युचुअल फण्ड जारी करना

4895. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विदेशों में चलाई जाने वाली म्युचुअल फण्ड को सामान्य (ओपन-एण्डेड) निधि में बदलने की योजना को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका पूंजीगत ढांचा, निधि, विशेषरूप से इंडिया ग्रोथ फण्ड पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट दो एकल अपतटीय निधियों (क्लोज एण्डेड ऑफशोर फण्ड्स) अर्थात्, इण्डिया फण्ड और इण्डिया ग्रोथ फण्ड, का प्रबन्ध कर रहा है। इण्डिया फण्ड की अवधि, जैसाकि निधि को प्रारम्भ किए जाने पर नियत किया गया था, 1 जुलाई, 1993 तक है। इस तारीख से पहले इण्डिया फण्ड में किसी प्रकार का फेर-बदल तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि समस्त शेयरधारकों को ऐसा करना स्वीकार्य न हो। इण्डिया ग्रोथ फण्ड को सामान्य निधि (ओपन एण्ड) बनाने का कोई प्रस्ताव भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास नहीं है।

सिंचाई परियोजना की लागत जुटाने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा बांड जारी करना

4896. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार को राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए बांड जारी करने हेतु नये प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई नये प्रस्ताव भेज दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए यदि कोई वैकल्पिक योजना बनाई हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी नहीं, सरकारी क्षेत्र के बांडों की वर्तमान योजना को केवल उन्हीं उपक्रमों तक सीमित किया गया है जहां सम्पूर्ण ईक्विटी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित की जाती है।

(ङ) इस समय किसी वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव नहीं है।

बैंक आफ कराड का अधिग्रहण

4897. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री मोहन रावले :
श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ कराड लिमिटेड को, जिसका समापन किया जा रहा है, अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बैंक आफ इंडिया ने किन शर्तों पर बैंक आफ कराड का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या बैंक आफ कराड के कर्मचारियों को बैंक आफ इंडिया में समायोजित किया जाएगा और जमाकर्ताओं के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी तथा उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिग्रहण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) बैंक आफ इंडिया ने एक प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा है जिसमें बैंक आफ कराड लि० की शाखाओं की कुछ परिसम्पत्तियों को अधिग्रहीत कर उनकी शाखाओं को अपनी शाखाओं की तरह चलाने की बात कही गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव पर अनापत्ति दे दी है बशर्ते कि, विस्तृत औपचारिकताएं निर्धारित की जाएं और उच्च न्यायालय इसे अनुमोदित कर दें। सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा होने के बाद ही अधिग्रहण किया जा सकेगा।

(ग) बैंक आफ इंडिया के प्रस्ताव में भूतपूर्व बैंक आफ कराड के कर्मचारियों को नियोजित करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक आफ इंडिया के प्रस्ताव में बैंक आफ कराड की देयताओं को स्वीकार करने की परिकल्पना नहीं की गई है। परिसमापक, बैंक आफ कराड की परिसम्पत्तियों की बिक्री से जमाराशियों सहित विभिन्न देयताओं का भुगतान करेगा।

विद्युत चालित करघा सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

4898. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में कुछ विद्युत चालित करघा सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(घ) ये केन्द्र कहां-कहा स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) बुनकरों को क्या-क्या प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने का विचार है; और

(च) इन केन्द्रों में एक बार में कितने बुनकरों को प्रशिक्षण दिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 20 नए विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) बुनकरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना, डिजाइनों को विकसित करना और विद्युतकरघा उत्पादों का विविधिकरण, विकास क्रियाकलापों का समन्वय करना, तकनीकी परामर्श सुविधा प्रदान करना और आंकड़े संबंधी जानकारी एकत्र और संकलित करना।

(घ) आठवीं योजना अवधि अर्थात् 1992-97 के दौरान इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

(ङ) विद्युतकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मौलिक करघा यंत्रविन्यास में बुनकरों को सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(च) प्रत्येक केन्द्र 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति बैंच लगभग 12 प्रशिक्षार्थी नामांकित करता है।

हाथी दांत के उद्योग को बढ़ावा देना

4899. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में हाथी दांत उद्योग में अनुमानतः कितने शिल्पकार कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाथी दांत उद्योग और इसमें कार्यरत श्रमिकों के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राजस्थान में लाइसेंसशुदा हाथी दांत नक्काशी की संख्या 185 बताई गई है।

(ख) और (ग) दांत युक्त हाथियों को अवैध रूप से मारने के विरुद्ध सुरक्षा के उद्देश्य से और सम्पूर्ण रूप से हाथियों के संरक्षण के हित में भारत सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत हाथी दांत के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसे देखते हुए हाथी दांत उद्योग के संवर्धन का प्रश्न नहीं उठता।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाई गई हस्तशिल्प के विकास सम्बन्धी पहले की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हाथी दांत शिल्प में लगे कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए चन्दन की लकड़ी और अन्य लकड़ी, पशुओं की हड्डी आदि जैसे अन्य माध्यम अपनाने में उन्हें सहायता देने और विभिन्न विपणन समारोहों में सीधी बिक्री के सुअवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। राज्य स्तर पर और विभिन्न ऐच्छिक संगठनों द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रयास किए गए हैं और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों द्वारा भी भूतपूर्व हाथी दांत शिल्पकारों के लिए स्थानापन्न माध्यमों तथा शिल्पों का पता लगाने के संबंध में कार्य किए गए हैं।

सर्वोत्तम फ्लाइंग कैडिट को सम्मान

4900. **श्री शरद यादव** :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम फ्लाइंग कैडिट को दिए जाने वाले सम्मान को बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय के बाद नवराग तलवार का क्या होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जामसाहिब द्वारा भेंट की गई नावानगर सम्मान-तलवार एक बहुत ही मूल्यवान पुरावस्तु है, इसलिए वायुसेना ने इसे संग्रहालय में रखने और इसके स्थान पर वायु सेनाध्यक्ष द्वारा भेंट की गई एक नई तलवार का उपयोग करने का निर्णय किया है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन एक्सप्रेस बसें

4901. **डा० वाइ० एस० राजेशेखर रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जिस उद्देश्य के लिए व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन बसें चलाई गई थी वह पूरा हुआ है;

(ख) क्या इन बसों को चलाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सामान्य बसों को सम्बद्ध मार्गों पर कम कर दिया गया है;

(ग) क्या अब दैनिक यात्री विशेषतः छोटी दूरी की यात्रा के लिए पहले से बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इन सेवाओं की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है।

(ख) जी, नहीं। इन बसों के साथ साधारण बसें भी चल रही हैं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ग्रीन लाइन बसें उन यात्रियों को तीव्र और आरामदायक सेवा उपलब्ध कराने के लिये चालू की थी जो सामान्य किराए से कुछ अधिक किराया दे सकते हैं। ग्रीन लाइन बसों में प्रति व्यक्ति प्रति चक्कर 4 रु० की समान दर पर किराया लिया जाता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा व्हाइट लाइन बसें लोगों को व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन वाहनों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये शुरू की गई थी। ये बसें आरामदायक बसें हैं जिनका अन्दरूनी हिस्सा आरामदायक बसों, खिड़की के परदों, पंखों, संगीत प्रणाली आदि से सज्जित हैं। व्हाइट लाइन एक्सप्रेस का भाड़ा ढांचा निम्न प्रकार है :—

8 कि०मी० तक	4/- रु०
8 कि०मी० से अधिक	6/- रु०

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुनकरों को सूती धागे की गांठों की सप्लाई

4902. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिमाह सूती धागों की गांठें सप्लाई करने का केंद्रीय सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय उत्तर-प्रदेश में बुनकरों को सूती धागा उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) क्या सूती धागे, रंगों, रंग-सामग्री और रसायनों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है जिसके फलस्वरूप बुनकरों के लिए सरकार सहायता के बिना खुले बाजार से इन वस्तुओं को खरीदना कठिन हो गया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्य में हस्तशिल्प बुनकरों को सहायता देने के लिए कोई कदम उठाये हैं, ताकि उनकी स्थिति सुधारी जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बुनकरों को दी गई राशि/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उत्तर प्रदेश के बुनकरों को प्राइवेट साधनों के अतिरिक्त केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कई राज्य अभिकरणों द्वारा सूती धागे की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी राज्य हथकरघा अभिकरणों के सूत की आपूर्ति के कार्यकलापों में योगदान दे रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) यद्यपि हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन समस्या यह है कि हथकरघा कपड़े/तैयार माल के मूल्यों में वृद्धि नही हुई है।

(घ) पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की सहायता के माध्यम से राज्य में पर्याप्त कताई क्षमता स्थापित की गई है। केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य में हैंक यार्न के उत्पादन, मूल्य और वितरण की देख-रेख के लिए एक सूत मूल्य निर्धारण समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1992-93 के दौरान 10 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति के लिए मिल-रेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक योजना मंजूर की गई है जिसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है।

(ङ) हथकरघा के विकास के लिए विभिन्न चालू योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को पर्याप्त सहायता दी गई है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष		दी गई सहायता की राशि
1989-90	—	3191.32
1990-91	—	4499.84
1991-92	—	3769.42

[अनुवाद]

धागा मिलों की स्थापना

4903. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से धागा मिलों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) उदार नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यार्न की मिलों की स्थापना करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एककों के लिए सूत्र

4904. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण इकाइयों के लिए प्रबन्धन और श्रमिक संघों के परामर्श से कोई फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फार्मूले को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जापान में भारतीय वस्त्र उत्पादकों द्वारा वस्त्र प्रदर्शनी में भाग लेना

4905. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र उत्पादकों ने जून, 1992 में जापान में ओसाका में हुई वस्त्र प्रदर्शनी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाली वस्त्र मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रदर्शनी में भारतीय वस्त्र उत्पादकों को क्या सुविधायें दी गई थी; और

(घ) इस प्रदर्शनी में भारतीय वस्त्र उत्पादकों द्वारा भाग लेने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली तथा इसके परिणामस्वरूप भारत को इस क्षेत्र में कितनी सफलता मिलने की आशा है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) जून, 1992 के दौरान ओसाका में किसी भी वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया था तथापि, भारतीय व्यापार संबर्धन संगठन द्वारा ओसाका में 22-24 जून, 1992 को 13वां भारतीय परिधान और

फैशन आनुषंगिक मेलों का आयोजन किया गया था। भारत के सिले-सिलाए परिधान तथा आनुषंगिकों के 85 विनिर्माताओं/निर्यातकों ने इस मेले में भाग लिया। भाग लेने वालों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को क्वालिटी परिधानों और आनुषंगिकों की सप्लाई के संगठन स्रोत के रूप में प्रक्षेपित करना, फेब्रिक, स्टाइल, डिजाइन, फैशन आदि के संदर्भ में चालू बाजार की प्रवृत्तियों के बारे में भाग लेने वालों को क्रेताओं के साथ जानकारी आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करना और भाग लेने वालों को तेजी से बदलती फैशन प्रवृत्तियों के अनुरूप सक्षम बनाना। इस प्रदर्शनी को पूरे जापान से लगभग 1200 दर्शकों ने देखा और प्रदर्शनी स्थल पर ही 19.4 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के आर्डर बुक किए गए और 32.9 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य संभावित कारोबार के बारे में पूछ-ताछ की गई।

न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सहायता

4906. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को दी जा रही केन्द्रीय सहायता में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें कितनी कमी की गई है; और

(घ) किन-किन कार्यक्रमों के लिए उक्त सहायता में कमी की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार जहां कहीं भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के परिव्ययों पर व्यय में कमी रह जाती है, वहां पर केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजनाओं के अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों पर व्यय में कमी के कारण राज्य की केन्द्रीय सहायता की राशियों में नीचे दीए गए अनुसार कटौती की गई है :—

वर्ष		धनराशि (लाख रुपए में)
1989-90	—	29.39
1990-91	—	127.54
1991-92	—	43.43

(घ) 1989-90 में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता में कटौती प्रौढ़ शिक्षा तथा मेडिकल और जन स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 1988-89 के लिए उनके अनुमोदित

परिव्ययों की तुलना में विभागीय व्यय में कमी रहने के कारण हुई थी; 1990-91 में कटौती सिविल आपूर्ति तथा पोषण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 1989-90 के लिए उनके अनुमोदित परिव्यय की तुलना में विभागीय व्यय में कमी के कारण हुई थी; और 1991-92 की कटौती प्रौढ़ शिक्षा हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्कीम के लिए उनके 1990-91 के अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में विभागीय व्यय में कमी रहने के कारण हुई थी।

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल हेतु छूट सीमा

4707. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल के लिए छूट की सीमा क्या रखी गई है;

(ख) लघु उद्योगों पर उत्पाद शुल्क की मौजूदा छूट कब से लागू है;

(ग) क्या सरकार का विचार विगत कई वर्षों से हो रहे रुपये के लगातार अवमूल्यन को देखते हुए छूट में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक पहली मार्च, 1986 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 175/86-के० उ० शु० में विशिष्ट वस्तुओं के लिए निम्नलिखित छूटों की व्यवस्था है :—

(i) यदि विनिर्मित माल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के एक अध्याय के अन्तर्गत आता हो तो प्रति वर्ष 20 लाख रुपये मूल्य तक की प्रथम निकासियों के मामले में पूरी छूट की व्यवस्था है और यदि विनिर्मित माल उक्त टैरिफ के एक से अधिक अध्याय के अन्तर्गत आता हो तो प्रति वर्ष 30 लाख रुपये के मूल्य तक की निकासियों के मामले में पूर्ण छूट की व्यवस्था है; और

(ii) प्रति वर्ष 20/30 लाख रुपये से अधिक और 75 लाख रुपये तक की निकासियों के संबंध में, शुल्क की दर सामान्य प्रभावी दर की तुलना में 10 प्रतिशत प्वाइंट कम होगी, बशर्ते कि न्यूनतम शुल्क मूल्यानुसार 5 प्रतिशत के हिसाब से लगाया जायेगा। यह छूट केवल उस विनिर्माता को उपलब्ध है, जिसकी निकासियों का कुल मूल्य एक वर्ष में 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो। रियायत का लाभ प्राप्त करने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि कारखाने को कतिपय अपवादों के साथ एक लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऊपर उल्लिखित सामान्य छूट के अलावा, प्रसाधन सामग्रियों, वातानुकूलन और रेफ्रिजरेटिंग मशीनों जैसी वस्तुओं के लिए कुछेक विशेष छूट योजनाएं हैं।

(ख) एक अध्याय के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए 20 लाख रुपये की सीमा पहली अप्रैल, 90 से लागू है। दो करोड़ रुपये की सीमा 27 अप्रैल, 89 से लागू है। एक से अधिक अध्याय के अन्तर्गत आने वाले माल के सम्बन्ध में 30 लाख रुपये की सीमा पहली अप्रैल, 89 से लागू है। पचहत्तर लाख रुपये की सीमा 2 अप्रैल, 86 से लागू है।

(ग), (घ) और (ङ) ऊपर उल्लिखित छूट सीमाओं को बढ़ाने के लिए इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के हित की रक्षा के लिए पर्याप्त समझा गया है।

केरल में सूखे के कारण इलायची की खेती को क्षति

4908. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष केरल में सूखा पड़ने से राज्य में इलायची की खेती को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या इससे अगले वर्ष का उत्पादन और निर्यात प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) फसल को अनुमानतः 30.25 करोड़ रु० की क्षति हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) कृषि मंत्रालय की चालू योजना के तहत राहत खर्च के वित्त प्रबन्ध के लिए केरल की राज्य सरकार को 23 25 करोड़ रु० के केन्द्रीय अंशदान सहित 31.00 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है। केन्द्रीय अंशदान 4 बराबर तिमाही किश्तों में जारी किया जाएगा। राज्य सरकार से प्राकृतिक विपत्तियों के कारण दी जाने वाले राहत उपायों के खर्च को विपत्ति राहत कोष (सी० आर० एफ०) को उपलब्ध कोष में से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य के मुख्य सामान्य अध्यक्षता वाली राज्य स्तर की समिति को सहायता के तरीकों सहित राहत कार्यों से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार इस तरह के बड़े और घोर विपदा वाले मामलों में ही हस्तक्षेप करती है। जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निपटाने की जरूरत होती है और तब अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देती है।

तथापि, राहत उपायों से सम्बन्धित राज्य सरकार के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए, सी० आर० एफ० में केंद्रीय हिस्से की 5.81 करोड़ रु० की तीसरी किस्त केरल सरकार को अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। यह पहले ही जारी किए जा चुके 11.62 करोड़ रु० के दो तिमाही हिस्सों के अतिरिक्त है।

रुग्ण एककों को सहायता

4909. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रुग्ण एककों की संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता मिल रही है; और

(ख) इन रुग्ण एककों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि दिनांक 30-9-90 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन तारीख जिसके लिए ऐसी सूचना उपलब्ध है, 69539 रुग्ण अथवा कमजोर औद्योगिक एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी गई।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण और कमजोर एककों के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास पैकेजों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनरुद्धार पैकेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ चरणबद्ध रूप में उसकी वापसी अदायगी की अवधि के पुर्निर्धारण के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान देय रकमों का निधिकरण, ब्याज में रियायत, नए सावधिक ऋणों के साथ नई कार्यशील पूंजी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल हैं। गैर-लघु उद्योग की रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत स्थापित न्यायिकल्प औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और अन्य उपायों के लिए आवश्यक कार्यवाई करने और ऐसे उपायों को शीघ्र लागू करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

[हिन्दी]

चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

4910. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और बिहार विधान सभाओं के उपचुनावों में ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश विधान सभा के उप-निर्वाचनों में निर्वाचन-ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। बिहार की बाबत जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मद्रास शहर के लिए शहरी गरीबों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम (सेपव) के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

4911. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 हेतु मद्रास शहर के लिए शहरी गरीबों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम (सेपप) के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) योजना से लाभान्वित हुए लोगों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए मद्रास नगर में शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (सेपप) के तहत प्रतिवर्ष 5460 हिताधिकारियों को कवर करने के वास्तविक लक्ष्य आबंटित किए गए थे। सेपप योजना के तहत कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तमिलनाडु के राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस० एल० बी० सी०) के संयोजक बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में जिन हिताधिकारियों को ऋण मंजूर किए गए और धनराशि संवितरित की गई है उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

मामलों की संख्या	1990-91	1991-92 (अनंतिम)
स्वीकृत	2649	543
संवितरित	2488	535

(ख) सेपप योजना के तहत देश के उन सभी महानगरीय, शहरी तथा अर्ध-शहरी केंद्रों को कवर किया, जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कवर नहीं किया गया था। सहायता के लिए पात्रता के लिए अभ्यार्थी के परिवार की आय प्रतिमाह 600/- रुपये से अधिक नहीं होती चाहिए, तथा अभ्यार्थी को उस केंद्र का जिसमें कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक लगातार निवासी रहा हो। लक्ष्य का 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के लिए आरक्षित था। एक अप्रैल, 1992 से इस योजना को शहरी माइक्रो उद्यमों की योजना में विलय कर दिया गया है।

झींगा मछली की खराब गुणवत्ता के संबंध में अमरीकी खाद्य और औषध प्रशासन द्वारा एतराज

4912. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री हाराधन राय:
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
श्री बसुदेव आचार्य :
प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन की ओर से 1992 के दौरान भारतीय व्यापारियों द्वारा सप्लाई की जा रही झींगा मछलियों की खराब गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) अमरीकी प्राधिकारियों ने वाशिंगटन स्थित हमारे मिशन को हाल ही में यह सलाह दी है कि वे भारत से निर्यात की गई श्रिम्पों में गंदगी तथा सड़न के बारे में निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र को अब से स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर नमूनों में अत्यधिक उल्लंघन पाया गया है।

समुद्री खाद्य उद्योग, निर्यात निरीक्षण अभिकरण आदि को भेजे गए चेतावनी पत्र के रूप में उन्हें पहले ही उपर्युक्त अनुदेश जारी किये जा चुके हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण को इस बात के लिए भी सचेत किया गया है कि वे और अधिक गहन परीक्षण करें और निगरानी रखें। एक ऐसी प्रणाली प्रारम्भ की गई है जिसके जरिए कड़े क्वालिटी नियंत्रण उपाय अपनाते हुए गन्दगी तथा सड़न आदि को रोकने के लिए प्रसंस्करण-पूर्व तथा प्रसंस्करण-चरणों को मानीटर किया जा सके। वाशिंगटन स्थित हमारा मिशन इस बारे में अमरीकी प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए है।

लोहा अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध

4913. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री पी० जी० नारायणन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में आवश्यक वस्तुओं को लाना ले जाना

4913-क. **श्री धर्माण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इण्डिया ट्रांसपोर्टर्स एशोसियेशन द्वारा अपनी हड़ताल समाप्त कर देने के पश्चात् भी महाराष्ट्र राज्य में ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल काफी लम्बे समय तक जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के लिए उपभोक्ता और आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने, विशेषरूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं को समय पर लाने ले जाने हेतु स्वयं अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर कितनी सहायता दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) अखिल भरतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने 7 जुलाई, 1992 की मध्य रात्रि से हड़ताल समाप्त कर दी थी। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टरों की स्थानीय हड़ताल 12-7-92 तक जारी रही। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाएं की। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई रुकावट नहीं आई इसलिए केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं हुई।

लोक सभा में दिनांक 24-7-1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2620 के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में वित्त राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

लोक सभा में दिनांक 24-7-1992 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2620 के उत्तर में दो सूचियां (अनुबन्ध-II तथा अनुबन्ध-III) संलग्न की गई थीं, जिसमें कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए विवरणीगत आय तथा विवरणीगत धन के क्रमानुसार चोटी के 20 आयकर दाताओं तथा धनकर दाताओं के नाम तथा अन्य विवरण दिए गए थे। लेकिन, उक्त उत्तर के पश्चात् मंत्रालय में मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि उनमें कुछ गलतियां आ गई हैं; तथा अनुबन्ध-II एवं अनुबन्ध III पर उल्लिखित सूचियों के सम्बन्ध में तथ्यों का पुन: सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार का तथ्यापन किया जा रहा है तथा संशोधित सूचियों को, जैसाकि आवश्यक हैं यथाशीघ्र सबन-पटल पर रख दिया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

मण्डल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले आज के दिन सात अगस्त, 1990 को मण्डल कमीशन की सिफारिशों को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने लागू किया था। उसके बाद दो सरकारें आईं। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। इसी सदन में कई बार इस पर विचार-विमर्श हुआ और सरकार की तरफ से कहा गया कि हम मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन, दो साल के बाद भी आज स्थिति यह है कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। लीडर्स की बैठक आपने बुलाई थी और उसमें पालियामेंटरी मिनिस्टर भी थे, उस समय यानी दस दिन पहले हमने आग्रह किया था कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों के संबंध में सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और किसी भी दिन सरकार के इन-एक्शन के बारे में कोई निर्णय हो सकता है जो पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ में जा सकता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों के संबंध में जो मामला कोर्ट में है, उस संबंध में क्या कार्यवाही की है। आज हजारों की संख्या में लोग बोट-क्लब पर जमा हैं और हम लोग भी वहां जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। पूरे देश में राज्यों की राजधानियों में जनता-दल की तरफ से आज मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लेकर सरकार के खिलाफ में आंदोलन चलाया जा

रहा है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस सरकार को आए हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गया है। सामाजिक न्याय का यह मुद्दा इस समय अदालत में है। हमको कुछ मालूम नहीं है कि सरकार ने क्या पैरवी की है और क्या पैरवी करने जा रही है और इस बारे में कौन से कदम उठाने जा रही है। यह मुद्दा रिजर्वेशन का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय के सिलसिले में सरकार क्या करने जा रही है और इसके लिए कोई पहल भी नहीं हुई है। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि प्रधान मन्त्री आकर स्पष्ट करें कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों का जो मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसमें क्या पैरवी कर रहे हैं और सरकार से अदालत ने जो प्रश्न किए हैं तो उन प्रश्नों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है, इसकी भी सफाई देने का काम करें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले मण्डल कमीशन की सिफारिशों को श्री वी०पी० सिंह की सरकार ने लागू करने का एलान किया था और इस सरकार ने उस अधिसूचना में संशोधन कर दिया और संविधान की मूल भावना के विपरीत शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए जो मण्डल कमीशन का गठन किय गया था तो उसको आइडेंटीफाई करने के लिए उसमें आरक्षण के सिलसिले में आर्थिक आधार भी जोड़ दिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके खिलाफ चुनौती दी गई है। लेकिन, सरकार ने अपनी तरफ से उसमें ठीक ढंग से पैरवी नहीं की है और न पैरवी कर रही है। सरकार ने जो नई अधिसूचना जारी की है उसमें आर्थिक आधार जोड़ने के लिए कहा है उसी अधिसूचना मे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, उसको साथ में मिलाकर पूरी अधिसूचना में घालमेल कर दिया और संविधान के विरुद्ध बना दिया और ढंग से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की। केन्द्र सरकार ने कौन सी आर्थिक कसौटी होगी इसके बारे में अपनी राय सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी है। नतीजा यह है कि मामला वहां पर अभी तक लटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों का बिना डायल्युट किए लागू करने के सवाल पर सरकार की क्या नीति है, इस संबंध में प्रधान मन्त्री जी आकर स्वयं वक्तव्य दें। हजारों की संख्या में इस देश के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इस सवाल को लेकर दिल्ली आए हुए हैं और पूरे देश की राजधानियों में मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। हुबहू जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने 7 अगस्त को अधिसूचना लागू की थी उसको लागू करने के लिए, जोर डालने के लिए देश भर में करोड़ों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए, जो सामाजिक न्याय का सवाल उठाया है, जोकि वास्तविक सामाजिक न्याय का सवाल हमने उठाया था उसको अवरुद्ध करने के लिए आरक्षण के मामले में जानबूझकर गलतफहमी पैदा करके घालमेल किया जा रहा है। ये लोग सामाजिक न्याय की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेज के लिए फाइनेंस कारपोरेशन बनाने की बात की गई उस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ, डवलपमेंट कारपोरेशन बनाया गया उसके सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। जानबूझकर कांग्रेस ने इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट हासिल करने के लिए अपने घोषणा पत्र में इसको डाल दिया, फिर संशोधन कर दिया और मूल भावना जो संविधान

की थी उसके विपरीत संशोधन कर दिया और अब उस पर कुण्डली मारकर सरकार बैठी हुई है। हम इस बात का विरोध करते हैं और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री आकर स्वयं पूरी स्थिति को स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दा है। इस मामले को जितनी जल्दी अन्तिम रूप दिया जाएगा उतना ही यह सभी के लिए और देश के लिए अच्छा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में हमारे पिछड़े वर्गों को सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रस्तावों में कुछ संशोधनों के अध्याधीन हमने इसका स्वागत किया और हमने कहा कि सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी। परन्तु सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे याद है कि इस देश में किस तरह का उन्माद पैदा किया गया था, किस प्रकार आत्मदाह हुए थे, कैसे नौजवान लड़के और लड़कियों को पथभ्रष्ट करके ऐसे रास्ते पर धकेल दिया गया था जो रास्ता देश के लिए और उनके लिए हितकारी नहीं था। इसीलिए हम महसूस करते हैं कि यह ऐसा मामला है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट में शामिल इस मूल दृष्टिकोण को अन्तिम रूप दिया जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए। यह मामला अब बहुत महीनों से न्यायालय में चल रहा है और लगभग दो वर्ष से यह लम्बित पड़ा हुआ है। जहां तक उस कार्यवाही का संबंध है ऐसा नहीं दिखता है कि मौजूदा सरकार को अभी तक उसके शीघ्र निपटान की समझ है। क्योंकि हम देखते हैं कि, संशोधन के अधीन, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना आधार बहुत स्पष्ट नहीं किया है। इस टाल-मटोल से देश में केवल तनाव रह गया है और यह बढ़ रहा है।

हम इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि हम कल ही एक महत्वपूर्ण घटना को समारोहपूर्वक मनाने जा रहे हैं। हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। परन्तु अभी भी बहुत से लोग, अधिकांश लोग, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनसे भेदभाव किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके साथ भेदभाव होता रहा है।

मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इसको अन्तिम रूप दे, इस पर सकारात्मक रुख अपनाए ताकि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले का निर्णय कर सके और इसको यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके ताकि इस देश में बहुत से लोगों के लिए सामाजिक न्याय सिर्फ एक सपना बनकर न रह जाए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, राम विलास पासवान जी ने, नीतिश कुमार जी और सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करते हुए बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। हम लोग लोक सभा में बैठे हैं। संविधान में सामाजिक न्याय के चलते कुछ प्रावधानों को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया था। संसद को देखना है कि इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो। अध्यक्ष महोदय, आपको शायद पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शायद दो महीने पहले विज्ञान के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को

विश्वविद्यालय में विज्ञान के स्तर में अध्यापकों के चयन के खिलाफ एक राय दी है। उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक राय दी है। मैं भी उस सभा में था जिसमें भारत सरकार के वेलफेयर मिनिस्टर थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की आलोचना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब हम लोग इस बारे में बहस कर रहे हैं और सरकार की जब राय है कि जजमेंट संविधान के तहत नहीं है तो फिर उसके लिए सरकार को करना चाहिए था कि वह कोर्ट में जाकर एक याचिका दाखिल करती। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि एक मन्त्री द्वारा पब्लिक पोस्टर में यह लिया जा चुका है तो उसमें आगे के लिए उनको जो कारंवाई करनी चाहिए, वह नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि आज के दिन सरकार इस मामले में बयान दे।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सचमुच में हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के साथ गहरा सम्बन्ध रखता है। हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की नीति लागू की थी, उस समय कांग्रेस पार्टी का जो एटीट्यूड था, वही एटीट्यूड आज भी नजर आता है और उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। उनकी जो घोषणायें हैं, उनके अन्तर्गत वे जो प्रावधान करना चाहते हैं, उसके मुताबिक तो मण्डल कमीशन या संविधान की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसको समाप्त करने की घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई है। श्री वी० पी० सिंह की 27 प्रतिशत सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो घोषणा थी, हमारी पार्टी सी०पी०आई० इन टोटो उनके साथ थी और आज भी उनके साथ हैं। आज हमें इस बात की चिन्ता है और इस देश को चिन्ता है कि इतना बड़ा सवाल जो पहले भी काफी गम्भीर रूप धारण कर चुका है, अगर उसमें देरी की गई तो आगे आने वाले दिनों में उसके गम्भीर परिणाम होंगे। मैं समझता हूं कि टालकर ले जाने से परिस्थिति को बिगाड़ना उचित नहीं है। देश के अन्दर समाज को, समाज के जिस हिस्से को जो उसका वाजिब हक है, कांग्रेस पार्टी उसको दिलाने में क्यों एतराज कर रही है, यह बात समझ में नहीं आती है। कोर्ट का जो मामला है, उसको लिगर ऑन किया जा रहा है। सैबोटॉज करके इस मामले को टालने की बात की जा रही है। इसलिए जहां तक 10 प्रतिशत के रिजर्वेशन की बात है, जो उच्च जाति के लोग हैं और उनके आर्थिक आधार की बात की गयी है तो श्री वी०पी० सिंह जी ने भी अपने ऐलान में कहा था कि अगर उस मामले में संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत है, तो संशोधन की बात होनी चाहिए। शेष जो 27 प्रतिशत बैक-वर्ड लोगों के लिए कहा गया है, उसको लागू करने की प्रक्रिया है और कोर्ट में जो मामला है, वह एक्सपडाईट करके जल्दी करना चाहिए और प्रधानमन्त्री जी को इस हाउस में स्पष्ट घोषणा इस बात की करनी चाहिए कि उनकी नीति क्या है ? वे करना चाहते हैं या नहीं। आज देश में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है, बड़ा भूचाल आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में पूरी तत्परता से काम लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले तीन वर्षों से उस समय से इस देश के लोगों के मस्तिष्क को उत्तेजित कर रहा है जबसे श्री वी०पी०

सिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। सरकार ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया और मैं समझता हूं कि सरकार के फार्मूले को लगभग सहमति मिल गई थी। इस बात को लगभग एक वर्ष बीत चुका है। इस एक वर्ष के दौरान सरकार ने दस प्रतिशत आरक्षण के लिए कोई आर्थिक मापदंड परिभाषित नहीं किया है जिस आरक्षण की सरकार इस 27 प्रतिशत आरक्षण में से पहले ही घोषणा कर चुकी है। यह मामला लम्बे समय से न्यायालय में चल रहा है परन्तु सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मानदण्डों स्पष्ट रूप से बताना सरकार की जिम्मेदारी है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार के पास केवल सहमति है जो पहले ही बना ली गई है परन्तु सरकारी कारंवाई तनाव को बढ़ा रहा है। अतः, इससे हटकर, सरकार ने पहले ही एक गलती कर दी है और इस प्रकार मतभेद बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ा दी है। अतः आज—दो वर्ष पहले आज ही के दिन यह घोषणा की गई थी और हजारों लड़कों ने अपनी जान कुर्बान की थीं—यही सही समय है कि सरकार को यह सुस्पष्ट करना चाहिए कि 10 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए आर्थिक आधार क्या है। सरकार को कदम उठाने चाहिएं, ताकि उच्चतम न्यायालय में यह मामला समाप्त हो सके। पिछड़े वर्गों को न्याय देने के लिए हमें अपने संविधान के उपबन्धों की अवश्य सुरक्षा करनी चाहिए। ···(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, श्री रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और माननीय एवं प्रतिष्ठित भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रवि राय जी सभी ने सभा को एक बहुत ही ठोस परामर्श दिया है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जब भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इस आरक्षण-नीति की घोषणा की थी, तो उड़ीसा के उनके निकटतम मित्र, श्रीमन् विजयनंद पटनायक ने स्पष्ट रूप से इसकी निन्दा की थी।

इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, मण्डल आयोग के मुताबिक नहीं, बल्कि इस आशय के अनुदेश जारी किए कि एक पीढ़ी में केवल एक ही व्यक्ति आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि जनता दल आरक्षण का आधार क्या है। पहले उन्हें यह बताने दें कि केन्द्र में सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने उन्हीं द्वारा शासित राज्यों में आधार हेतु क्या आरक्षण तैयार किया है।

राज्य-सरकार द्वारा जारी उपयुक्त निर्देशों के आधार पर उड़ीसा सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ है। मैं इस माननीय सभा में अब दी गई परामर्श का अर्थ समझने में असमर्थ हूं, जबकि केन्द्र और राज्यों तथा जनता दल के बीच विवाद है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को यह स्पष्ट करने दें। भूतपूर्व-अध्यक्ष, माननीय श्री रवि राय जी ने बहुत-से अलंकृत शब्दों का सभा में प्रयोग किया। महोदय, उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने दें कि विजयनन्द पटनायक की उड़ीसा में क्या स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो मण्डल कमीशन का सवाल हमारे सामने आया है, आज वह ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 7 अगस्त, 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों को इस देश में लागू

करेंगे। जैसाकि आप जानते हैं यह सवाल इस पीड़ित और शोषित लोगों से सम्बन्धित है, इस देश में जो लोग हजारों वर्षों से शोषित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं, देश में ऐसे पिछड़े लोगों की संख्या कुल आबादी का 52 प्रतिशत है और यह सवाल उन्हें हक दिलाने से जुड़ा हुआ है।

अतः इस सवाल की अहमियत को देखते हुए, सरकार जो टालमटोल की नीति अपना रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह वर्तमान सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्यों इस तरह टालमटोल कर रही है जबकि दबे-पिछड़ों को आरक्षण देने का सवाल संविधान सम्मत है, मण्डल कमीशन की सिफारिशें संविधान सम्मत हैं। जब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को मण्डल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण देने का सवाल सामने आया है परन्तु यह सरकार उसमें क्यों आर्थिक आधार को जोड़ देना चाहती है और कहती है कि हम यह आरक्षण केवल निर्धनतम लोगों को ही देंगे और उस बात को भी स्पष्ट रूप में नहीं कह रही है।

मैं चाहता हूं कि सरकार टालमटोल की नीति को छोड़े और न्यायालय के सामने उचित ढंग से पैरवी करके इस मामले को निष्पादित कराये अन्यथा मुझे निश्चित रूप से इस सरकार की नियत पर शक है क्योंकि हजारों वर्षों से जो दबे पिछड़े लोग हैं, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की घोषणा 7 अगस्त, 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने की थी, सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया था लेकिन वर्तमान सरकार उसके रास्ते में अवरोध डाल रही है, उस रास्ते को रोका जा रहा है और जो सरकार की गतिविधियां हैं, सरकार के एक्शन हैं, उनसे यही स्पष्ट होता है कि उसकी नियत साफ नहीं है। अत हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि सरकार तुरन्त न्यायालय के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करे और अविलम्ब मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करे।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने जो बातें और भावनाएं व्यक्त की हैं, उनके ऊपर विस्तार से न कहकर उनके साथ अपनी भावना जोड़ते हुए आपके संज्ञान में इतना भर कहना चाहता हूं कि जो बड़ी नौकरियां इस देश में हैं वे आरक्षित लोगों में से सिर्फ 2 प्रतिशत लोगों को दी गई हैं। 52 प्रतिशत आबादी और 2 प्रतिशत नौकरियां, यह स्वयं अपने आप में अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को टालने की परम्परा बनाए हुए है। अभी भी हमारा पक्का यकीन और विश्वास है कि जबसे कांग्रेस पार्टी यहां आई है, तबसे उसने इन जातियों को समुचित आरक्षण देने के सवाल को टालने वाला काम किया है। बार-बार ऐसा प्रयास किया है कि 27 परसेंट के आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक आधार लगाना, दोनों नोटिफिकेशनों को साथ-साथ लागू करना, अदालतों में इस मामले को लगातार टांगे रखने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी ने अपनाया हुआ है।

यहां पर उड़ीसा का सवाल एक माननीय सदस्य ने उठाया है मण्डल कमीशन का तो केन्द्रीय सरकार से वास्ता है, उड़ीसा से कोई वास्ता नहीं है।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : उन्होंने विरोध किया है। स्टेटमेंट में कहा है। ऐसा कीजिए आप बीजू पटनायक जी से आप एक स्टेटमेंट देने को कहें।

श्री शरद यादव : उन्होंने विरोध नहीं किया है। अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी का और

केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध इस मण्डल कमीशन से है, इससे प्रदेश सरकार का कोई वास्ता नहीं है। जो केन्द्रीय सरकार की नौकरियां हैं, उनमें ही इस मण्डल कमीशन को लागू किया जाना है। इसलिए मैं इसके बारे में आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को जानबूझकर लटका रही है। इससे लोगों के मन में बहुत बेचैनी और तकलीफ बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश के तमाम लोगों की भावनाओं को मैं आज यहां आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं इन चीजों को दबाने से काम नहीं चलेगा। केन्द्रीय सरकार को, प्रधान मन्त्री को इस बाबत जो देश की जनता में खासकर के पिछड़े लोग हैं, उनके मन में एक शंका है और ऐसी भावना मजबूत होती जा रही है, उसके बारे में बयान देना चाहिए, ताकि देश के पिछड़े लोगों का विश्वास कांग्रेस सरकार में जम सके।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी भावना इसलिए भी मजबूत होती है कि जस्टिस काटजू ने जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया है, लेकिन प्रदेश सरकार का यह मामला तो केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। इसलिए मैं राज्य सरकार को कोई ज्यादा दोष नहीं देना चाहता हूं। अब तक केन्द्र सरकार की तरफ से उस फैसले के विरोध में कोई मुकदमा दायर करने की पहल नहीं हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार का मतलब यह है कि आरक्षण की समूची व्यवस्था को टालकर हिन्दुस्तान में तनाव पैदा किया जाए और शांति से जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, उनको शांति से उनका हक न दिया जाए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। प्रधान मन्त्री और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस पर टालमेल नहीं चलेगा, इस पर किसी भी प्रकार से टालने वाली नीति को नहीं चलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि पार्टियों के भीतर मनभेद चलते हैं और जो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना चाहते हैं या जो संसद-सदस्य स्वेच्छा से दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, उनके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। हिन्दुस्तान की पार्टियां अलग होती हैं, होती रहें, लेकिन जनता दल इस देश में शोषित और पीड़ितों का एक हथियार है। उसकी पार्टी के लोगों को होली डे इन में रखा। रामप्रसाद कुशवाह और सुखदेव पासवान यहां हाजिर हैं, ये लगातार उन घटनाओं में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक तनाव बना हुआ है, उसके चलते हुए भी हमारी पार्टी के भीतर एक बड़ा सिलसिला बनाने का काम हुआ है और ये दो माननीय सदस्य हैं, मेरी आपसे विनती है कि जिस तरह से दस-दस लाख लोगों के चुने हुए लोग हैं, उनको कहां-कहां ले जाया गया और किस-किस जगह उनको ले जाया जाता है, उनको भी मौका देंगे।

मण्डल कमीशन के बारे में मेरी आपसे विनती है कि प्रधानमन्त्री को यहां आकर तत्काल बयान देना चाहिए और हिन्दुस्तान की आबादी जो पिछले 40 वर्षों से अपने हक से अलग है और उसको उसका हक दिलाने के ऊपर इतने टाल-मटोल की व्यवस्था अपनाई हुई है, इस पर आपको भी प्रधानमन्त्री महोदय से बयान कराना चाहिए। इस पर आन्दोलन का सिलसिला चला हुआ है। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की बात कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार और प्रधानमन्त्री को लोगों की बात सुननी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि श्री बीजू

पटनायक ने अथवा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मण्डल आयोग रिपोर्ट को लागू करने के प्रस्ताव को नकारा है। सच तो यह है कि यद्यपि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान में शामिल है, तथापि आजादी के 43 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। केवल मंडल आयोग रिपोर्ट को ही नहीं, बल्कि महात्मा फूले आयोग और काका कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन को भी दबा दिया गया है। इस मामले को हमें दलगत आधार पर नहीं लेना चाहिए।

वास्तव में, सभा के सामने सवाल यह है कि मण्डल आयोग प्रतिवेदन को लागू किया जाए अथवा नहीं। मुख्य प्रश्न यही है।

3 जुलाई, 1992 को जब मैं ओंगोले जिले के कंडूकूर में एक जन-सभा को संबोधित कर रहा था, तो अनेक लोग मांग कर रहे थे कि मुझे मण्डल आयोग रिपोर्ट पर बोलना चाहिए। 1989 में जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मण्डल आयोग प्रतिवेदन को लागू कर रहे थे, तो शायद उस समय लोग गलियों में नहीं आए थे और उन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार का समर्थन कर दिया था। लेकिन अब पिछड़ी जाति के लोग मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने हेतु जागरूक हो गए हैं। अब उन्हें इसका पता चल गया है। अगर लोग इसे एक हल्के तरीके से ले रहे हैं, तो इसकी गम्भीरता का उन्हें बाद में पता चलेगा।

अब मुख्य समस्या यह है कि पिछड़ी जातियों के ये लोग दस्तकार वर्ग से संबंधित हैं।

यदि पिछड़ी जातियों के 50 प्रतिशत लोग सम्पत्ति का सृजन करते हैं और यदि प्रशासन के दिन-प्रति-दिन के कार्य-निष्पादन में पिछड़ी जातियों ने अपना उचित योगदान नहीं दिया है अथवा अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अथवा भारतीय पुलिस सेवा में अथवा संसद में अथवा राज्य विधानसभाओं में उन्हें उनको देय 10 प्रतिशत हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि पिछड़ी जातियों के लोगों के मन में जागरूकता सृजन की कोई उपलब्धि नहीं हुई है।

यदि कांग्रेस पार्टी अथवा श्री बीजू-पटनायक सरकार पिछड़ी जातियों के मन में सृजित-जागरूकता के बारे में गलत समझ रही है, तो मेरा विश्वास है कि उन्हें ही अपनी गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : मैंने आपको पूर्व-सूचना दी हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी पूर्व-सूचना इस मुद्दे के बारे में नहीं है। आपका मुद्दा इससे अलग है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं इसी मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। इसके लिए मैंने पूर्व-सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अलग विषय पर बोलने के लिए पूर्व-सूचना दी हुई है।

(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी जरूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : हम मण्डल आयोग के विरुद्ध नहीं हैं। हम आर्थिक-आधार के विरुद्ध नहीं हैं। लेकि श्री बीजू पटनायक मण्डल आयोग के विरुद्ध हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, वास्तव में आज एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, मैं जानता हूं कि यह मामला न्यायाधीन है और मैं यह भी जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय पर कोई भी समय सीमा नहीं लगा सकता। लेकिन सरकार से मेरा यह निवेदन है कि अगर वे इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं और दो वर्ष पूर्व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा पेश किये गए इस प्रस्ताव का राष्ट्रीय महत्व जानते हैं, तो फिर वे देश के सामने यह प्रण करें कि वे तीन कार्य करेंगे। सबसे पहले तो वे उच्चतम-न्यायालय के सामने अपने प्रस्तुतीकरण को तेज करें। उच्चतम न्यायालय के समक्ष वे अपना एक सुस्पष्ट मत रखें।

दूसरे, उन्हें उच्चतम न्यायालय से यह निवेदन करना चाहिए कि इस सवाल के अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण, उच्चतम न्यायालय को इस मामले से निबटना चाहिए और अपना निष्कर्ष एवं निर्णय यथासम्भव शीघ्र देना चाहिए।

तीसरे, उन्हें इस सभा को यह वचन देना चाहिए कि अगर उच्चतम न्यायालय संविधान में कोई कमी अथवा अस्पष्टता उद्घाटित करती है और, इसीलिए उठाये गए इस प्रश्न पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है, तो फिर वे निश्चित रूप से संविधान में तुरन्त संशोधन हेतु सभा में प्रस्ताव रखेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान 7 अगस्त, 1990 को जो मण्डल कमीशन माननीय वी० पी० सिंह जी ने लागू करने की घोषणा अपनी जनता सरकार के समय में की थी, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत अहम मसला है और इस पर सभी को विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक संवैधानिक अधिकार है कि पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से आरक्षण दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संविधान में यह व्यवस्था होते हुए भी और आजादी के 45 साल बीतने के बाद भी आज तक उसको लागू करने की बात नहीं की गई। जब वी० पी० सिंह जी ने इसको लागू कर दिया तो देश के बुद्धिजीवी लोगों ने बवंडर मचा दिया। मण्डल बवंडर के लिए नहीं है बल्कि हक प्रदान करने के लिए है। हक उन गरीब पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए जिनकी आबादी 52 प्रतिशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दल के लोग 'अगर-मगर' करके मंडल आयोग को लागू करने की बात कहते हैं कि हम सब इसको मानते हैं लेकिन वे उस पर एक लैकूना लगा देते हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम आर्थिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग और गरीब तबके के लोग हैं उनको 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे और 10 प्रतिशत ऊंचे वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। इसके अनुसार आरक्षण संविधान में नहीं है। गरीब तबके के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसको करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए आप संविधान में संशोधन करें। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और कांग्रेस सरकार के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करके स्पष्ट नीति जाहिर करें। अदालत में जो मामला चल रहा है, उसे समाप्त किया जाए। अंत में एक बात कहकर समाप्त करता हूं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और अनुसूचित जाति और जन-जाति आरक्षण को लेकर टिप्पणी की है। जैसाकि दूसरे सदस्यों ने भी कहा है कि सरकार की भी ऐसी नीयत है। यह निर्णय संविधान के अनुसार नहीं है। किसी जज को संविधान के खिलाफ निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई जज ऐसा निर्णय करता है तो सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे जजों को निर्देश दें वह ऐसा निर्णय न दे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। सरकार को इसके लिए जवाब-तलब करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस गम्भीर विषय पर वह सोच-समझ कर अपना निर्णय देगी जिससे गरीबों को हक मिल सके।

श्री एस० एन० लालजान बाशा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। आज पूरे दो साल हो गए हैं, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इन्दरा जी और श्री राजीव जी के समय में मंडल कमीशन इम्पलीमेंट करने की बात हुई थी, लेकिन ये खाली वायदे करके और अपना टाइम पास करके चले गए। जब वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने मजबूती से मंडल कमीशन को लागू करने की बात कही तो उसको लेकर सारे देश में बवंडर मचा दिया। कहीं वी० पी० सिंह की विजय और अच्छा नाम इसको लेकर न हो जाए, कांग्रेस पार्टी ने मण्डल कमीशन को दूसरे ढंग से इम्पलीमेंट करने की बात कही। मण्डल कमीशन से करोड़ों लोगों को फायदा होना था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे लागू नहीं किया। मण्डल कमीशन को इम्पलीमेंट करवाने के लिए आज प्रधान मंत्री सदन में आकर घोषणा करें और पूरे सदन को विश्वास में लें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि सामाजिक न्याय और हमारे समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों, जोकि हमारे देश की कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, की भागीदारी सुनिश्चित करना मण्डल आयोग का आधार था, तो मैं समझता हूं कि पूरी सभा मुझ से सहमत होगी। लगभग सभी राजनैतिक दल सैद्धान्तिक रूप से मण्डल आयोग की मुख्य सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन यह देखकर निराशा होती है कि श्री नरसिंह राव के अधीन भारत सरकार, हालांकि आयोग की रिपोर्ट को लागू करने हेतु कृतसंकल्प हैं फिर भी उससे विमुख हो रही है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सरकार ने अभी तक मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है। अतः, महोदय, इससे सामाजिक उलझनें पैदा होंगी। यह हमारे देश के लोगों के बहुमत की आशाओं और अभिलाषाओं को प्रकट करती है। यह आगे कोई विलम्ब बरदाश्त नहीं करेगा।

अतः, मैं प्रधान मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बारे में तैयार की गई अपनी अन्तिम स्थिति से तुरन्त अवगत कराएं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मण्डल इश्यू पर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए।

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, मण्डल कमीशन लागू करने के लिए हमारे पूर्व

के मित्रों ने जो विचार व्यक्त किया है, हम उससे अपनी सहमति जाहिर करते हैं। हम लोग ज्यों ही इस सदन में आते हैं, सदस्य होकर, तो हम लोग संविधान के प्रति श्रद्धा रखने की कसम खाते हैं लेकिन दुख है कि संविधान सम्मत आरक्षण की बात आदरणीय वी०पी० सिंह जी ने लागू की थी और कांग्रेस पार्टी संविधान सम्मत आरक्षण में आर्थिक आधार जोड़कर संविधान का मजाक उड़ा रही है। जब भी इस सदन में संविधान के खिलाफ कोई बात उठती है तो इस सदन में भूचाल आ जाता है लेकिन मण्डल कमीशन के सवाल पर आरक्षण के सवाल पर जब आर्थिक आधार जोड़कर संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है तो यह सदन मूक बना हुआ है।

अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री जी को यहां आकर घोषणा करनी चाहिए, आज ही, कि मण्डल कमीशन को हम लागू करेंगे और जो संविधान सम्मत घोषणा वी० पी० सिंह जी ने की थी, उसके आधार पर, इसके अलावा कहीं उलझाने का काम इसमें नहीं होगा।

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, आज का दिन निहायत ही तारीखी दिन है, चूंकि आज ही के दिन हमारे इज्जत मआब साबिक वजीरे आजम श्री वी० पी० सिंह ने इस मंडल कमीशन को लागू करने की कोशिश की थी और उसके बाद इसका एलान किया था।

आज यह आवाज सिर्फ इस सदन में ही नहीं गूंज रही है, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में यह आवाज गूंज रही है। न केवल बोट क्लब पर लोग जमा हो रहे हैं बल्कि इस दिन को मानने के लिए और इस चीज को हासिल करने के लिए, मण्डल कमीशन को लागू कराने के लिए आज पूरे हिन्दुस्तान में हलचल मची हुई है इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यह सरकार जो इसको बिल्कुल अनदेखा करके बैठी हुई है और जो आज यहां पर प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, आज के दिन हमने मण्डल कमीशन को लागू कराने के लिए जो अनथक कोशिश की थी और हम लोगों ने तमाम हिन्दुस्तान में खून की बूंद को बहाया है, वह कभी भी इस प्रकार से बेकार नहीं जाने वाला है, जाया नहीं जाने वाला है इसलिए मैं यह कहता हूं कि सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए।

यह सिर्फ एक सेक्शन और एक तबके की बात नहीं है, इसमें मुस्लिम अक्लियत के लोग भी शामिल हैं और सारे हिन्दुस्तान में इस सरकार से एक आवाज बनकर उठ रही है इसलिए मैं इस सरकार से कह रहा हूं कि वह आकर अपने स्टैण्ड को क्लियर करे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कहे कि अगर मण्डल कमीशन के खिलाफ किसी तरह का जजमेंट दिया गया तो कांस्टीट्यूशन में एमेण्डमेंट लाकर मण्डल कमीशन को पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर यहां पर जारी किया जाएगा, लागू किया जाएगा, यह स्टैण्ड यहां पर आना चाहिए।

साथ ही साथ मुल्क में इत्तेदाह और इत्तफाक बरकरार रखने के लिए यह मण्डल कमीशन निहायत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी मजहबी नाइत्तेफाकी फैलाई जाती है लेकिन यही मंडल कमीशन है जो सारे हिन्दुस्तान के तमाम हिस्से को, तमाम चीजों को जोड़कर रखने में कामयाब हो सकता है इसलिए मैं सरकार से डंके की चोट पर यह कहने के लिए तैयार हूं कि मण्डल कमीशन को आपने अगर लागू नहीं किया तो हिन्दुस्तान को फराक साबित करने वाला है इसलिए मेरी यह गुजारिश है, मेरी मिन्नत है, मेरी समाजत है कि वजीरे आजम यहां पर आकर अपनी आवाज को खुलकर इस एवान में बुलन्द करें ताकि यह आवाज पूरे हिन्दुस्तान के सारे गोसे-गोसे में फैलकर तमाम गरीबों,

तमाम दलितों और तमाम शोषितों की आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों और उनकी आशाओं के अनुसार हो इसलिए वह आकर खुलकर मण्डल कमीशन को लागू करने का काम करें। यही हमारी उनसे गुजारिश है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आप इस बात को जानते हैं कि आज का दिन हिन्दुस्तान की आजादी के 45 सालों के बीतने के बाद एक लम्बे संघर्ष के बाद हमारे मुल्क के पिछड़े हुए लोगों को 7 अगस्त, 1990 को यह अधिकार राष्ट्रीय मोर्चा के राज में मिला। इसके बावजूद भी लगातार इसकी उपेक्षा की जा रही है। देश में काका कालेलकर आयोग बना और उसके बाद मंडल आयोग बना, लेकिन उनकी सिफारिशें उसी तरीके से लागू नहीं हो रही है, जिस तरीके से हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपेक्षा की थी। डा० भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र सैण्ट्रल हाल में होना चाहिए था, लेकिन उसकी लगातार उपेक्षा होती रही और जब जनता के अन्दर चेतना बढ़ती गई और जनता का दबाव बढ़ता गया, तो बाद में जाकर वह चित्र सैण्ट्रल हाल में लगाया गया। आज हमारे देश की यह कांग्रेस पार्टी, जो सरकार में है, वह उसी तरीके से टाल-मटोल कर रही है। हमारे मुल्क की जनता, जो इसकी समर्थक है, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पिछड़ी हुई है, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। वह दिन दूर नहीं, आप जो उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं, जब आप टाल-मटोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि यहां पर प्रधानमन्त्री जी आयें और स्पष्ट तौर पर जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, जिसके तहत इनको अधिकार मिला हुआ है, उन अधिकारों का ऐलान करें, वरना आने वाला दिन भारत के लिए दर्दनाकपूर्ण दिन होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पात्र। लेकिन आप अन्य विषयों पर नहीं बोल पाएंगे।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाए गए ये आरोप सच नहीं हैं कि कांग्रेस सरकार मण्डल आयोग रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है अथवा इसके लागू करने की प्रक्रिया में विलम्ब कर रही है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब इसे लागू किया जाने लगा तो हजारों युवकों ने अपनी जानें क्यों कुर्बान की और प्रक्रिया में देरी क्यों की गई? अब, मामला न्यायाधीन है।

अगर कोई संविधान के उद्देश्य की जांच करे और उसे सही ढंग से समझे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान का उद्देश्य इस देश के पददलितों और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण देकर ऊपर उठाना है। संविधान की यह मंशा है।

महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर श्री राजीव गांधी तक, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी कार्यक्रम पद्दलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े-वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु बनाये गए थे। यह एक ज्वलन्त मुद्दा है और इस पर कुछ मतभेद हैं। उन मतभेदों को कम किया जाना चाहिए और आर्थिक रूप से पिछड़ी-जातियों और पद्दलित लोगों को एक उच्च-स्तर पर कैसे लाया जाये, उचित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए। अत: आरक्षण का मुद्दा, जिसकी अब वे मांग कर रहे हैं, भारत के सभी लोगों की भलाई के लिए लम्बित रखा गया है। अतः, मेरा यह निवेदन है कि माननीय-सदस्यों द्वारा लगाये गए आरोप सही नहीं हैं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, हम भी मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करवाना चाहते हैं, लेकिन आवंटित प्रतिशत उचित नहीं है। पिछड़े और पद्-दलित लोगों को पूर्ण सामाजिक न्याय देने के लिए, वे और अधिक प्रतिशत आरक्षण के पात्र हैं। तमिलनाडु में, हम पिछड़ी-जातियों के लोगों को अधिक प्रतिशत, अर्थात् 50 प्रतिशत, आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अतः, मेरा निवेदन यह है कि पिछड़ी जातियों की बड़ी जनसंख्या होने के कारण आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, कांग्रेस दल और सरकार सामाजिक न्याय के सिद्धांत और कमजोर वर्गों, विशेषकर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के प्रति सदा वचनबद्ध रही है। पूर्व में, हमारी वचनबद्धता को कार्यरूप में देखा गया है। कांग्रेस दल ने ही संविधान का प्रथम संशोधन प्रस्तुत किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस दल ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया था।

मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी हमारी आशा थी और अब भी यही हमारी आशा है और इच्छा भी। हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हम विवाद से नहीं अपितु आम सहमति से ही नौकरियों में आरक्षण लागू कर पाएंगे। दो वर्ष पहले जो आदेश जारी किये गए थे, उनके समर्थन में आज जनता दल के सदस्यों ने आवाज उठायी है। मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें कुछ कमी थी। सभी राजनैतिक दलों के नेताओं, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सहयोग से सरकार आम सहमति जुटा पाई है। आरक्षण के मामले पर हमने आर्थिक मापदण्ड को पूर्व-शर्त के रूप में नहीं बल्कि प्राथमिक मामले के रूप में इसलिए रखा था जिससे पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। अर्हताओं आदि से युक्त आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उम्मीदवार नहीं मिलने पर अन्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से रखा है। केवल मापदण्ड के मामले को ही छोड़ दिया गया था। उस समय भी, हमने और प्रधानमन्त्री जी ने सभा के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि मापदण्ड का मामला केवल सरकार द्वारा ही निपटाया नहीं जा सकता। यह आम सहमति से हो सकता है। इसके लिए सभी दलों को प्रयास करना होगा। इस प्रयास में हर एक को सम्मिलित होना चाहिए। यह दलगत राजनीति अथवा अलगाववादी दृष्टिकोण से संबंधित मामला नहीं है। वह हमारे संविधान के प्रथम प्रस्तावनाओं में से एक को लागू करने से सम्बन्धित मामला है। हम सब लोग भी इसी के प्रति समर्पित हैं और वचनबद्ध हैं। हमें इस प्रकार जनता में फूट नहीं डालनी चाहिए। हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। इस तरह से ही हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि पिछड़े वर्गों को — कमजोर वर्गों को ऊपर उठने का अवसर दिया गया है। (व्यवधान) इसी पृष्ठभूमि में बैठकों का आयोजन किया गया था। मैं माननीय सदस्यों की इन भावनाओं का आदर करता हूं कि इस समस्या का तुरन्त समाधान होना चाहिए। लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने कहा है, कि न्यायालय के लिए समय-सीमा निर्धारित करना किसी के लिए भी असाध्य है। न्यायालय

अपने आप में स्वतन्त्र है। (व्यवधान) बिहार का आर्थिक मानदण्ड का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय इस मामले को अपने आप देख रहा है। (व्यवधान)

मैं सहमत नहीं हूं। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की तरफ से कोर्ट को, क्या इकनोमिक क्राइटेरिया हो, यह लिख करके दिया गया है या नहीं ? अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी को मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : श्री पासवान जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान) इस तरह मत कीजिए (व्यवधान) यह क्या है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमारा आपसे आग्रह है कि आप रूलिंग दीजिए। (व्यवधान) हमारा आग्रह सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया के संबंध में हलफनामा दिया है या नहीं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं और अभी तक इन लोगों ने एक काम भी नहीं किया है। (व्यवधान) ये हमें क्या बताएंगे ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया है—

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि मंडल आयोग रिपोर्ट में क्या कहा गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने न्यायालय को क्या जवाब दिया ·· (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अतः वे इस मुद्दे को राजनैतिक मुद्दा बना रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे की जानकारी है और हम इस पर उचित कदम अवश्य उठायेंगे। श्रीमान, हम इस कार्य के प्रति उनसे अधिक बाध्य हैं। हम इस मुद्दे को राजनैतिक नहीं बनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक प्रश्न सब ने पूछा है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो प्रश्न किए थे, उनका उत्तर सरकार ने दिया है या नहीं दिया है, इसका कोई जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। मंत्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें और प्रधानमंत्री जी को आकर बताना चाहिए कि अदालत में इतने दिनों से जो कार्यवाही चल रही है, अदालत ने सरकार से जो प्रश्न किए हैं, सरकार ने उनका उत्तर दिया है या नहीं दिया है, यह स्पष्ट करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सरकार ने न्यायालय को ये सूचना दी है कि आर्थिक मापदंड हेतु विभिन्न दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए वह प्रयास कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम झगड़े की स्थिति नहीं चाहते जैसाकि हमारे माननीय सदस्य इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। यदि वे कमजोर वर्गों ी सेवा करना चाहते हैं तो वे इस तरह बात नहीं करते थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, टू बी आन रिकार्ड, मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने पूरी कंसेंसेस की बात की है, आप स्वयं जानते हैं, जब आपने दोनों नोटिसेस एक साथ किए थे, पिछड़े वर्ग का 27 परसेंट और अन्य वर्ग, जिनको मंडल कमीशन से लाभ नहीं मिलता है, उनको 10 परसेंट, मैंने उस समय भी कहा था कि इन दोनों को एक साथ करना एक तौर से दोनों को गिराने जैसा है, एक को भी लाभ मिलने वाला नहीं है, इनको कृपया अलग-अलग किया जाए। इसलिए मैं आन रिकार्ड करना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि कंसेंसेस थी, इसलिए यह रिकार्ड पर रहे कि हम सब लोगों ने यह बात नहीं मानी थी, हमने इसका विरोध किया था।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारा सीधा सा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार सरकार को समय दिया और अभी लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार को थ्रेटन किया है कि यदि सरकार अब जवाब नहीं देती है तो कोर्ट सुओ-मोटो, अपने आप निर्णय कर लेगा कि क्या इकनामिक क्राइटेरिया है। क्या यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय इस सरकार को आए हुए एक साल हो गया है और मैंने कई बार लीडर्स की मीटिंग में, बी० ए० सी० की मीटिंग में कहा है कि यह हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन हम जानबूझ कर सदन में इसको नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम सरकार से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। पिछली बार 10 दिन पहले आपने स्वयं कुबूल किया था, गुलाम नबी जी यहां पर नहीं हैं, हमने कहा था कि 7 तारीख को यह मामला आएगा, हजारों की संख्या में लोग आएंगे और हम लोग सदन में इस मामले को उठाएंगे, सरकार को पूरी तैयारी के साथ बतलाना चाहिए कि क्या स्थिति है और आपने उस दिन डायरेक्शन दिया था कि सरकार इसको सीरियसली ले, लेकिन सरकार इस तरह से सीरियसली ले रही है कि कुमार-मंगलम जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे पता लगता है कि इनको कोई जानकारी ही नहीं है। हमारा सीधा सा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या डायरेक्शंस दिए हैं और सरकार ने उन डायरेक्शंस के संबंध में सरकार को क्या लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है कि आपने महत्व का विषय उठाया है, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद कुछ कहेंगे तो ठीक होगा, बीच-बीच में न कहें।

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : मान्यवर, मुझे विस्तार से इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अगर 6 बजे तक का समय दिया जाए तो बेहतर होगा। (व्यवधान) मेरी बात सुनिए। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं कि हर बात का फौरन हम उत्तर नहीं देंगे। आपने जिन प्रश्नों को उठाया है, मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे 1-2 घंटे का समय दे दीजिए ताकि मैं विस्तारपूर्वक वक्तव्य दे सकूं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह सीधा सवाल पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर सरकार ने दिया है या नहीं दिया है, हां या न में बताइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इतने गंभीर हैं कि इनको इतनी जानकारी नहीं है, एक छोटा सा सवाल पूछा गया है कि अदालत ने पूछा है कि 27 परसेंट का क्या काइटेरिया है, और भी सवाल पूछे हैं, उनका जवाब सरकार ने फाइल किया है या नहीं किया है, आप मंत्रालय चला रहे हैं। मैं केसरी जी का बड़ा आदर करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी में बड़े प्रेशर में हैं, 27 परसेंट में आर्थिक आधार नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब ये इतने दबाव में हैं और इतने कमजोर हो चुके हैं कि इस मामले को छोड़ दिया है। (**व्यवधान**)

श्री सीता राम केसरी : मान्यवर, इस मामले को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जितनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए उससे ज्यादा मैं दिखाऊंगा, मैंने दिखायी भी है। (**व्यवधान**) मैं जो बोलता हूं, ठीक बोलता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे एक-दो घण्टे का समय दीजिए, मैं विस्तारपूर्वक सारी बातों का उत्तर दूंगा। बहुत सारे प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, एक ही प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या तीन बजे तक आप उत्तर दे सकते हैं ?

श्री सीता राम केसरी : ठीक है, तीन बजे उत्तर दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आज फ्राईडे है, तीन बजे से पहले आपको आना होगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज तो हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, 5.30 बजे तक प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस है इसके बाद उत्तर दे दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, साढ़े पांच बजे उत्तर दे दें। आपने गम्भीर विषय उठाया है, शायद गवर्नमेंट की तरफ से मंत्री जी उस पर कुछ सोच कर बोलना चाहते हैं। अगर 3.00 बजे उत्तर देने में दिक्कत होती है तो 5.30 बजे दे दें।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करूंगा कि सोमवार को मंत्री जी पूरे उत्तर के साथ आएं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सोच समझ कर इनको समय दे रहे हैं। ठीक है, मंत्री जी, सोमवार को 12.00 बजे उत्तर दे दें।

श्री सीता राम केसरी : ठीक है सर।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में नासिक में जो इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस है और करन्सी-नोट प्रेस है, जहां करन्सी-नोट छपवाए जाते हैं, वहां के कामगरों ने इनडेफिनेट स्ट्राइक का नोटिस दिया है। इनडेफिनेट स्ट्राइक के नोटिस के कारण 14 अगस्त से यदि दोनों प्रेस बन्द हो जायेंगी तो सरकार को इनफ्लेशन में नये नोट नहीं मिलेंगे। यदि इस प्रकार के नोट सरकार को

प्राप्त नहीं होंगे तो देश आर्थिक संकट में आ सकता है। इसलिए सरकार इस विषय की ओर ध्यान करें, ऐसा मेरा आग्रह है।

12.58 म० प०

[अनुवाद]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि नासिक प्रिंटिंग प्रैस के काम करने के घण्टे साढ़े सैंतीस आवर इन ए वीक हैं, उसको बढ़ा कर चवालिस आवर इन ए वीक कर दिया गया है। साढ़े छह घण्टे इस प्रकार बढ़ने से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने में 750 रुपये से 1200 रुपये तक नुकसान होने वाला है। इस प्रकार की प्रिंटिंग प्रैस या मुम्बई में जो मिंट है, कलकत्ता में मिंट है, यानी जो सरकार के विभाग के साथ जुड़ी हुई है, वहां सब जगह पर साढ़े सैंतीस आवर एक सप्ताह में काम चलता है। लेकिन नासिक में जो किया गया है उसके कारण अशान्ति हुई है। इस मामले को लेकर भारतीय मजदूर संघ की वहां जो यूनियन है, उसके अध्यक्ष रमण भाई शाह हैं, मैंने खुद उनको लेकर दलबीर सिंह जी के साथ इस बारे में चर्चा की। उन्होंने हमें कहा कि कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अब तक कोई रास्ता निकला नहीं है। इसलिए वहां के कर्मचारियों ने 14 अगस्त से इनडेफिनेट स्ट्राइक करने का नोटिस दिया है। मैं सरकार से इस बात पर वक्तव्य चाहता हूं। आपने इस बारे में क्या किया है? इंडस्ट्रियल पीस वहां रहनी चाहिए। यदि करन्सी-नोट प्रिन्ट नहीं होंगे तो सरकार पर कठिनाई आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। उसका आप विचार कर सकते हैं।

मेरी मांग यह है कि आप तुरन्त नैगोसिएशन प्रारम्भ करें और नैगोसिएशन प्रारम्भ करने के बाद जब तक फैसला नहीं होता है तब तक पहले का समय, जो साढ़े सैंतीस आवर का सप्ताह का है, उसी प्रकार से काम कराने का आप आदेश दें। इसके संबंध में वित्त मंत्री बयान दें, ऐसी मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

1.00 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 5 अगस्त, 1992 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 जुलाई, 1992 को पारित किये गये भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) संशोधन विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

1.01 म० प०

[अनुवाद]

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के विसम्मति-टिप्पण

महासचिव : महोदय, मैं श्री योगेन्द्र झा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 संबंधी संयुक्त समिति के विसम्मति टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

श्री राम० नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैंने जो मामला उठाया था, उसके बारे में मंत्री जी को कुछ कहना चाहिए। (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : महोदय, मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया है और मैं माननीय मंत्री जी को इस बात से अवगत करा दूंगा।

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष एक गम्भीर मामले को उठाना चाहता हूं।

पेट्रोलियम पदार्थों के छोटे एवं सीमांत व्यापारी अनेक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। उनको जो कमीशन दी जाती है वह अपर्याप्त है और ऐसी परिस्थिति में इस व्यापार को चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है।

वर्ष 1976 में व्यापारी का कमीशन 0.418 रुपया प्रति लिटर निर्धारित किया गया था जब पेट्रोल 5 रुपये प्रतिलिटर बेचा जाता था। अब, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का दाम दुगुना हो गया है लेकिन व्यापारियों का कमीशन अभी भी लगभग समान ही है। इससे लघु एवं सीमांत व्यापारियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

कुछ समय पहले छोटे एवं सीमांत पेट्रोलियम व्यापारियों का कमीशन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से तथा कुछ प्रमुख संसदीय सदस्यों ने भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 9355 के उत्तर में, जोकि 7-5-92 को सभा पटल पर रखी गई थी, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा है कि यह अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के छोटे एवं सीमांत व्यापारियों के कमीशन को बढ़ाने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।

अब, मैं समझता हूं कि इस वर्ष 11 अगस्त को अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ राष्ट्र-व्यापी हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत के सभी राज्यों में सभी पेट्रोल बंक बंद रहेंगे क्योंकि सरकार ने उनके अभ्यावेदन का अब तक कोई अनुकूल उत्तर नहीं दिया।

महोदय, यह बहुत गम्भीर स्थिति है और सरकार जब तक उनकी मांग पर तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, यह स्थिति विस्फोटक बन सकती है। अतः मैं, सरकार से यह अपील

करता हूं कि व्यापारियों के विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों के छोटे एवं सीमांत व्यापारियों के कमीशन को बढ़ाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैं पेपर मिल के संबंध में निवेदन कर रहा हूं। असम के पंचग्राम के कछार पेपर मिल से हमेशा एक विषम गंध आती है। यह गंध इस मिल के चारों ओर लगभग 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में व्याप्त है। वर्षाऋतु में यह गंध बहुत अधिक होती है। मिल के समीप निवास करने वाले ग्रामीण लोगों पर इसका काफी असर हुआ है। इससे अतिसार और ऐसी अन्य बिमारियों के फैलने की आशंका है। ऐसा लगता है कि इस गंध का कारण, मिल के अवशेष पदार्थ को निकालने की उचित व्यवस्था न होना ही है। अतः मैं संबद्ध मंत्री जी से इस मामले की ओर ध्यान देने और तुरन्त ही आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि यह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री बारे लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 4-8-92 को म०प्र० के मुरैना जिले में प्रदेश के मुख्य मंत्री के आदेश पर बिना किसी पूर्व सूचना दिए एवं बिना किसी योजना के अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर गरीब लोगों के मकान तोड़े गए। जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं लाठी चलायी गयी, गोली चलायी गई व आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कांग्रेस (इ) कार्यकर्त्ताओं पर झूठे प्रकरण पंजीकृत किए गए। प्रदेश की भा०ज०पा० सरकार द्वारा वनखंडी रोड पर स्थित लगभग 200 वर्ष पुराने मंदिर को भी तोड़ दिया गया। यह मन्दिर चतुरदास बाबा के मन्दिर के नाम से क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। आंसू गैस के गोले घनी बस्तियों के मकानों में छोड़े गये जिससे बच्चों व जानवरों की हालत खराब हो गयी है और वे बीमार हो गए हैं।

मेरा सदन से अनुरोध है कि वह इस पूरे प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवायें तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कराने की व्यवस्था की जाए एवं इससे जो लोग बेघर हुए हैं, उन्हें उचित मुआवजा तथा पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करायी जाए तथा इस प्रकरण में कांग्रेस (इ) के जिन कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध झूठे केस दायर किए गए हैं, उनको वापिस लिया जाए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार एक पिछड़ा राज्य है जहां पर कृषि के मामले में 29 प्रतिशत सिंचाई होती है। आज वहां सुखाड़ है। वहां खेत के मजदूर हैं वे काम के अभाव में भूखे मर रहे हैं, इधर-उधर शहरों में दौड़ रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से सम्भालना मुश्किल हो रहा है। अंगरेजों के समय सोन नहर बनी थी जितनी सिंचाई वह करती थी जितना कमांड एरिया था उसका आधा रह गया है और आधे में पानी नहीं पहुंचा है। जो नीचे वाली जमीन है जहां रोपण नहीं हुआ है वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। सोन की स्थिति इतनी जर्जर है कि न उसकी सफाई होती है और न उसकी देखभाल होती है। राज्य सरकार यह बात कहती है कि धन का अभाव है। इससे बिहार जल रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है इसलिए हम आपके द्वारा प्रधान मंत्री और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिहार में अधिक से अधिक धन देकर सुखाड़ से लोगों को बचाया जाये और काम को चालू करवाया जाये जिससे खेतिहर मजदूर जो भूखे मर रहे हैं उनकी जान बचाई जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, केरल में अगले महीने ओनम पर्व मनाया

जाएगा। यह हमारा राज्य पर्व है। लेकिन, हमारे पास चावल की उतनी मात्रा नहीं है जितनी हमको आवश्यकता है। वर्तमान में हमें हर वर्ष 1,65,000 टन चावल की आवश्यकता होती है लेकिन हमें प्रतिवर्ष केवल 1,50,000 टन चावल मिल रहा है। हम और अधिक चावल के आबंटन की मांग करते रहे हैं लेकिन हमें अभी तक अधिक चावल आबंटित नहीं किया गया।

अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कम-से-कम, विशेषकर ओनम पर्व के अवसर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल में भारी वर्षा हो रही है और निर्धन श्रमिकों के पास काम नहीं है, चावल का अधिक कोटा दिया जाना चाहिए। वे रोजगार खो रहे हैं। उनको साधारण काम भी नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं फिर एक बार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि ओनम पर्व के अवसर पर चावल का अधिक कोटा आबंटित करें।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैनल का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें दक्षिण राज्यों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। अब तक यह प्रथा रही है कि दक्षिण राज्यों से दो प्रतिनिधियों को पैनल में सम्मिलित किया जाता था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक केन्द्रीय एजेन्सी है जो विश्वविद्यालय के विकास का परिवीक्षण करता है। यह आयोग योजना, वित्त, परीक्षा प्रणाली में सुधार, नये पाठ्यक्रम का विकास, अनुसंधान और प्रयोगशालाओं के प्रति उत्तरदायी होता है। वि०अ०आ० के पैनल में जो बारह सदस्य हैं वे सब उत्तर भारत के हैं। यह भारत सरकार द्वारा लिया गया गलत निर्णय है। सरकार ने दक्षिण राज्यों के विशिष्ट विद्वानों और शिक्षाविदों को पूर्ण रूप से दूर रखा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नये पुनर्गठित वि०वि०अ०आ० पैनल में महिला सदस्य भी नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे निश्चित ही स्त्री शिक्षा में हुई प्रगति विस्थापित हो जाएगी।

यह एक गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह वि०वि०अ०आ० के पैनल के विषय में पुनर्विचार करें और दक्षिण राज्यों, विशेषकर केरल के विशिष्ट विद्वानों और शिक्षाविदों को पैनल में सम्मिलित करें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाना चाहता हूं।

"आगरा स्थित ताज" पर्यावरण प्रदूषण के कारण निरन्तर अपनी चमक खोता जा रहा है। इससे चिन्तित होकर 103 संसद सदस्यों ने प्रधानमन्त्री जी से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए अपील की है।

पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए शासन ने अभी तक नकारात्मक कदम उठाये हैं जोकि सफल नहीं हुए। अपील में कहा गया है कि शासन सकारात्मक कदम उठायें। शासन ऊर्जा

हेतु आगरा में कोयले से कारखानों के संचालन के स्थान पर एच०बी०जे० पाईप लाईन के जरिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराये या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के माध्यम से सीधे विद्युत आपूर्ति करें। इंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गोबर के प्रयोग को निषिद्ध कर रसोई गैस (एल०पी०जी०) उपलब्ध कराएं। वैकल्पिक मुद्रिका मार्ग बनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों को ताज से दूर जोड़ा जाए, यमुना नदी पर बैराज बनाकर आगरा में बढ़ते रेगिस्तान के प्रकोप को दूर कर सघन वृक्षारोपण किया जाए तथा ताज नेशनल पार्क परियोजना को अविलम्ब बनवाकर पार्क का निर्माण कराया जाए ताकि पर्यावरण में प्रदूषण का सफल नियन्त्रण हो सके।

अतः मेरा प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि वह पर्यावरण मन्त्रालय के माध्यम से समयबद्ध कार्य योजना बनवाकर ताज को पर्यावरणीय प्रदूषण से नष्ट होने से बचाएं अन्यथा विश्व के कला प्रेमी व इतिहास क्षमा नहीं करेगा।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के हजारीबाग जिले के रामगढ़ कंटोनमेंट बोर्ड में आज वर्षों से पेयजल के अभाव के कारण हाहाकार मचा हुआ है। रामगढ़ कंटोनमेंट बोर्ड जिसमें सेना के जवानों के साथ आम लोग भी रहते हैं। इसके अन्तर्गत सात वार्ड हैं जिसमें चार वार्ड की छः वर्ष पूर्व पेयजल समस्या के निराकरण हेतु उनासी लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। रक्षा मन्त्रालय ने इस रकम को मुहैया किया। लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण बिहार के द्वारा काम भी शुरू किया गया। पानी की टंकी का अस्सी प्रतिशत काम लगभग पूरा है, सात वार्डों के लिए पाईप भी खरीदे गये हैं। आबंटित राशि खत्म हो जाने के बाद एक संशोधन प्राक्कलन बनाकर उनहत्तर लाख रुपए की मांग की गई ताकि शेष काम पूरे किए जा सकें तथा रामगढ़ में पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन रक्षा मन्त्रालय आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर इस रकम को देने में आनाकानी कर रही है। मैंने इस संबंध में मन्त्री महोदय से बात की थी। वार्ता के क्रम में उन्होंने शेष रकम देने का आश्वासन भी दिया, परन्तु इसके बावजूद आर्थिक तंगी की बात की जा रही है। बहुत खेद है कि रामगढ़ आर्मी सहित आम लोगों को एक डेढ़ किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीना पड़ता है। दामोदर नदी के दूषित जल को, जो कोयले की छाई की वजह से काला हो चुका है, व्यवहार में लाने के लिए लोग मजबूर हैं।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी हालत में संशोधित राशि मुहैया की जाए और पेयजल योजना को पूर्ण किया जाए। यह भी खेद का विषय है कि जिस रामगढ़ से सन् 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, "अंग्रेजों भारत छोड़ो" का फैसला हुआ, जिसकी आज 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, वहीं की जनता, सेना और जवान आज पेयजल की समस्या से त्रस्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा करें। जिन सदस्यों ने 10 बजे संसद भवन में आकर अपना नाम दे दिया था, उन्हें न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर मैं नियम से हटकर उन लोगों को बुलाता हूं तो सदस्यों को अच्छा नहीं लगेगा। उन सदस्यों का क्या होगा जो प्रातः 10 बजे संसद भवन आये और अपने नाम दिए। मैं समझता हूं कि यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। अगर थोड़ा-सा अन्याय हो भी जाता है तो उसे हमें शान से सह लेना होगा।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान, दिल्ली से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बीच उपलब्ध विमान-सेवा को अगस्त 1992 से सप्ताह में दो दिन यानि

सोमवार और बुधवार के दिन रद्द कर दिए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे उड़ीसा के लोगों को काफी असुविधा हो रही है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुर्नविचार करे और रद्द हुई विमान सेवा शीघ्र पुनः चालू करे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : हम भी उनकी बात का समर्थन करते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मैसर्स अल कबीर एक्सपोर्टस् लि० आंध्र प्रदेश के मेढक जिले के अन्तर्गत पाटनचेरू मंडल के रूद्राराम गांव में स्थापित है। उसके मशीनीकृत पशुवधगृह में 500 भैंस और 2000 भेड़-बकरियों का वध करने की क्षमता है, इस प्रकार प्रतिवर्ष वहां लगभग 2.00 लाख भैंसें और 7 लाख भेड़-बकरियों का वध किया जाता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने गैर रिट-याचिका पर सुनवाई करने के बाद, 16-11-91 को अपना निर्णय दिया जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह चार सप्ताह के अन्दर उनके शिकायतों की सुनवाई कराने हेतु याचिका पेश करे और आठ सप्ताह के बाद केन्द्र सरकार इस संबंध में रिपोर्ट सौंपे। 1 फरवरी, 1992 में आठ सप्ताह की उक्त अवधि समाप्त हो चुकी, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक केन्द्र सरकार को वह रिपोर्ट नहीं दी है।

कांग्रेस के लोग भा०ज०पा० को अयोध्या में न्यायालय की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कोस रहे हैं। कांग्रेस के लोग आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री की बर्खास्तगी का मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है (व्यवधान) आज मैंने अध्यक्ष महोदय को एक नोटिस दिया है। मैं आंध्र प्रदेश से उस रिपोर्ट की एक प्रति* साथ लाया हूं। (व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अगर इस पशुवधगृह को एक या दो वर्ष और चलते रहने दिया गया तो पूरे तेलंगाना क्षेत्र में कोई पशु नहीं बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः आप चाहते हैं कि सरकार उस पर उचित कार्यवाही करे। श्री धनंजय कुमार।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। क्या अन्य लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? यही कारण है कि कुछ सदस्यों को शून्य-काल के दौरान मौका ही नहीं मिल पाता है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महाराष्ट्र से जब उन्हें साढ़े चार करोड़ रुपए का मुआवजा प्राप्त हो रहा है। अब वे आंध्र प्रदेश आ गये हैं। उस पशुवधगृह से 200 गज की ही दूरी पर एक मंदिर भी है जहां एक बार लाठीचार्ज भी हुआ था या जिसमें कई लोग जख्मी हो गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि आप सिद्धान्तों के विरुद्ध जा रहे हैं। आप इस बात को मात्र तीन या चार वाक्यों में भी कह सकते हैं। श्री धनंजय कुमार।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। भूतपूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आंध्र प्रदेश के हैं।

---

*चूंकि अध्यक्ष महोदय ने बाद में इसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी, इसलिए उस कागजात/दस्तावेज को सभा-पटल पर रख गया पत्र नहीं माना गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू, अधिनियम में और भी विशिष्ट प्रावधान हैं जिसके अन्तर्गत आप इन बातों को उठा सकते हैं अगर आप इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानते हो। क्या आप विभिन्न नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत इन बातों को नहीं उठा सकते ? क्या इन बातों को उठाने के लिए शून्यकाल ही है ? नियमों के अन्तर्गत इसके लिये अन्य तरीके भी हैं, आप उनका उपयोग क्यों नहीं करते ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैंने शून्यकाल में बोलने के लिये नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जो कहता हूं कृपया उसे समझें। आप इसे रोकने हेतु सरकार से प्रभावशाली कदम उठवाना चाहते हैं। है न ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : माननीय कृषि मंत्री से मैं राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवाने की अपील करता हू तथा यह चाहता हूं कि उस पशुवध-गृह को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार। हमारे पास अब मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं। 1.30 म० प० बजे सदन स्थगित कर दिया जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : हमें कुछ समय प्रदान करें। हम एक ही मिनट में दूसरे विषयों पर कुछ बोलना चाहते हैं। कृपया हमें अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार। शीघ्रतापूर्वक संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं कम-से-कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।

दूरदर्शन द्वारा "निरंकुश" नामक धारावाहिक को दूरदर्शन पर दिखलाये जाने की मंजूरी दिये जाने से कर्नाटक में जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, दूरदर्शन का यह धारावाहिक मस्ती वेंकटेश आयंगर द्वारा लिखित '**चिकवीरा राजेन्द्र**" नामक कन्नड़ उपन्यास पर आधारित है। उसी धारावाहिक को पहले **अनथीमराजु** नाम से दूरदर्शन पर दिखलाया गया था जिसका कर्नाटक में वीराशैवा संप्रदाय के लोगों ने तीव्र विरोध किया था। यह चिकवीरा राजेन्द्र कोडगु का शासक रहा है, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इस धारावाहिक में तत्कालीन राजा को दैत्यावतार और पागल मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। उस तीव्र विरोध के बाद दूरदर्शन ने उस धारावाहिक को वापस ले लिया था और उसे दूरदर्शन पर दिखाना बन्द कर दिया था। अब फिर ऐसा समझा जा रहा है कि दूरदर्शन उसी धारावाहिक को '**निरंकुश**' के अन्य नाम से मंजूरी दे रहा है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि दूरदर्शन के अनुरोध पर एक बार कर्नाटक उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ने उस धारावाहिक के कुछ प्रकरणों को देखा भी था। उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में से सिर्फ एक वाक्य ही उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था—

> "संक्षेप में, दूरदर्शन धारावाहिक के अन्तर्गत चिकवीरा राजेन्द्रा को एक पागल मनुष्य एवं दैत्य के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। उसके चरित्र में कहीं भी उज्ज्वल पक्ष नहीं है।"

वस्तुतः इतिहास कहता है कि तत्कालीन राजा चिकवीरा राजेन्द्र, कानून के शासन का रखवाला था; महिलाओं का रक्षक था और वस्तुतः उसके शासन के दौरान कोडागु समृद्ध हुआ था।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और कर्नाटक के एक प्रमुख समुदाय द्वारा तीव्र विरोध किये जाने के बाद भी दूरदर्शनकर्मी उसी धारावाहिक को भिन्न नाम देकर दूरदर्शन पर फिर से दिखलाये जाने की मंजूरी देने की सोच रहे हैं।

महोदय, दूरदर्शन पर इस तरह की दबाव डालने एवं इसमें रुचि लेने वाले व्यक्ति कौन हैं, यही मैं जानना चाहता हूं। मैं सरकार को यह भी आगाह कराना चाहता हूं कि अगर इस धारावाहिक को दूरदर्शन पर दिखलाने की अनुमति दी जाती है तो कर्नाटक में बड़ी भारी हिंसा होगी। मेरा सम्बद्ध अधिकारियों से अनुरोध है कि इस धारावाहिक को 'निरंकुश' के दूसरे नाम से दूरदर्शन पर दिखाने से बचें अन्यथा कर्नाटक में काफी हिंसा होगी और लोग सड़कों पर उतर जायेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, इंडियन एयरलाइंस में बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। 50 के करीब पायलटों ने "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" की खातिर आवेदन किया है जिससे कि वे इंडियन एयरलाइंस छोड़कर दूसरी विदेशी एयरलाइंसों में पदग्रहण कर सकें। पायलटों के प्रशिक्षण पर भारत सरकार को 40 से 50 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, खासकर कुछ पायलटों को तो हाल ही में ए-320 एयरबस के खातिर फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया था।

इंडियन एयरलाइंस ने ही सबसे पहले ए-320 एयरबस को खरीदा था, जिसे विदेशी एयरलाइंस अब खरीद रहे हैं और वे प्रशिक्षित पायलटों को प्रलोभन दे रहे हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारत में पूर्व से पश्चिम तक कुछ निजी एयरलाइंस कार्यरत हैं जिन्हें कि उस क्षेत्र में पहले से ही एकाधिकार प्राप्त है और उन्होंने हमारे प्रशिक्षित पायलटों को अपने यहां रख लिया है। और अब विदेशी एयरलाइंस भी हमारे प्रशिक्षित पायलटों को अपने यहां आने की प्रलोभन दे रही हैं।

हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कमजोर करने की अपने आप में यह एक अद्वितीय मिसाल है। सरकारी बजटरी समर्थन, अपनियोजन और अन्य दूसरे तरीकों से सार्वजनिक क्षेत्रों को कमजोर करने की साजिश पहले से ही चल रही है। और अब इंडियन एयरलाइंस को कमजोर करने का यह एक नया तरीका आया है।

प्रशिक्षित पायलट इंडियन एयरलाइंस छोड़कर न जायें, इसके सरकार को कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। अगर वे छोड़ना ही चाहें, तो उन्हें पहले अपने प्रशिक्षण में हुए खर्च को वापस करने के लिये तैयार रहना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य एक मिनट ही बोले जिससे सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल जाये। अगर उनके नाम सूची में हैं, तो मैं उन्हें अवश्य ही पुकारूंगा। अगर आप सब सहयोग करें तो हम पूरे सूची को दस मिनट में समाप्त कर सकेंगे। पूरी चीज यह सब आपके हाथ में हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर स्थित अपनी प्रयोगशालाओं को बन्द करके पूर्वोत्तर भारत में शोध-कार्य को बन्द करने की दिशा में कदम उठा रही है। लैटराइट वनों और सुन्दरबन एवं पूर्वोत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में वानिकी शोध के क्षेत्र को विस्तृत करने के बारे में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

के राज्य मंत्री द्वारा मुझे तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखित आश्वासन दिये जाने के बावजूद भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद ने मिदनापुर केन्द्र में सुधार करके उसको पूर्वोत्तर भारत की एक संस्था या प्रतिष्ठान का दर्जा देने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं किया है। वन शोध संस्थान, देहरादून के अधीन मिदनापुर में वनभूमि वनस्पति-जीवन सर्वेक्षण (एफ०एस० वी०एस०) और यूक्लिपटस शोध केन्द्र तथा सिलीगुड़ी में पर्यावरणीय शोध केन्द्र की स्थापना की गई थी, जिनमें बहुमूल्य शोध कार्य हुए जिनसे वानिकी विकास में काफी मदद मिली। लेकिन उनकी गतिविधियों को दिल्ली में बैठे कुछ उच्च अधिकारियों की पहल पर धीरे-धीरे संकलित किया गया।

1991 में, वन शोध संस्थान के रजिस्ट्रार ने पश्चिम बंगाल से सभी प्रयोगशालाओं को हटाने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन हमारे हस्तक्षेप के कारण यह मामला कुछ समय तक अछूता रखा गया। अब फिर भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा संस्थान के प्राधिकारियों ने चुपचाप मिदनापुर की प्रयोगशालाओं को बन्द कर देने का कदम उठाया है। वहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को पहले ही जबलपुर स्थानान्तरण किया जा चुका है और दूसरे अधिकारियों को भी चुपचाप अपना स्थानान्तरण स्वीकार कर लेने के लिए दबाया जा रहा है कुछ प्रलोभन भी दिये जा रहे हैं जिससे कि उस केन्द्र को कमजोर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा अन्ततः वह बन्द हो जाये। पांच अधिकारियों को इसी तरीके चंगुल में लिया जा चुका है। 4 वैज्ञानिकों में से अब वहां वर्तमान में मात्र केवल एक ही रह गया है तथा 13 तकनीकी कर्मचारियों में से सिर्फ 4 रह गए हैं। इन सारी चीजों से इन केन्द्रों को पश्चिम बंगाल से हटाने की साजिश का पता चलता है। माननीय मंत्री का आश्वासन भी अब तक निरर्थक ही साबित हुआ है।

अतः मैं मांग करता हूं कि :

(क) पश्चिम बंगाल से इन सभी केन्द्रों को हटाने के सारे गुप्त एवं खुले कोशिश तुरन्त बंद हो;

(ख) मिदनापुर में एक पूर्णरूप से सज्जित वानिकी शोध संस्थान की स्थापना की जाए; और

(ग) माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि संथाली बोलने वाले लोग पिछले कई वर्षों से लगातार संथाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से ही संथाली ने एक लिखित भाषा का रूप, लिया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस भाषा को एक स्थानीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों ने संथाली बोलने वाले छात्रों को संथाली सीखने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सुविधाएं प्रदान की हैं। आकाशवाणी कलकत्ता ने संथाली में प्रोग्राम दिए हैं। संथाली बोलने वाले लोग प्रायः उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में हैं।

संथाली शायद पांच करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है।

मैं सदन और माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान, हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा।

चार अगस्त, 1992 को टाडेपल्ली गुडेम के पास गोदावरी एक्सप्रेस में हुई दुर्घटना के तुरन्त बाद पांच अगस्त को दक्षिण मध्य रेलवे जोन में दो अन्य रेल दुर्घटनाएं रेल के पटरी से उतरने की वजह से हुई। इसमें एक निदादावोले में कोणार्क एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई और दूसरे मामले में एक मालगाड़ी जिसमें सिंगरेनी कोयले की खान से कोयला लाया जा रहा था मडा मारी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना हुई।

दक्षिण मध्य रेलवे जोन में रेल दुर्घटना हाल ही में आम बात हो गई है और कोई भी हफ्ता दुर्घटना के बिना नहीं बीतता। पिछले एक साल में, तीस से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 29 लोगों की जानें गयी हैं, और करोड़ों रु० की सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे जोन में दुर्घटनाएं चिंताजनक स्थिति पर पहुंच गई हैं और रेल यात्रा यात्रियों के लिए एक भयानक सपने की तरह बन गई है और सुरक्षित यात्रा से उनका विश्वास टूट गया है और लक्ष्य तक पहुंचना बहुत असुरक्षित हो गया है।

ज्यादातर यह कहा जाता है कि यह दुर्घटनाएं रेल के पटरी से उतरने की वजह से होती हैं यह तकनीकी खराबी लापरवाही और रेल पटरियों का सही रखरखाव नहीं करने की वजह से आती हैं। इस गलती के लिए उत्तरदायी, रेल तंत्र है।

दक्षिण मध्य रेलवे जोन में हाल ही में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है इसके लिए विस्तार से जांच करानी चाहिए, इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उच्च शक्ति प्राप्त एक तकनीकी समिति का गठन करे जो बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करे और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय भी सुझाए। यह जांच प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए ताकि यात्रियों में यह आत्मविश्वास पैदा हो कि उनकी यात्रा सुरक्षित होगी, और भारतीय रेल की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम 8 अगस्त को पूरे देश में "भारत छोड़ो" आन्दोलन की 50वीं जयन्ती मना रहे हैं। परन्तु इसी के साथ आन्ध्र प्रदेश में अल्लकबीर नाम के एक बहुत बड़े बूचड़खाने में 7 लाख बकरियां और दो लाख भैंसों का कत्ल होने जा रहा है। जो चीज गांधी जी को बहुत प्रिय थी, उन्हीं का कत्ल होने जा रहा है। इस बारे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश के अनुसार फार्मर प्राइवेट सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन कमीश्नर ने स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि—

[अनुवाद]

"अनापत्ति प्रमाण पत्र "एनिमल हजबेंडरी डिपार्टमेंट" ने खाद्य और कृषि विभाग से परामर्श किए बिना ही दे दिया और इस विभाग ने अलकबीर संयंत्र लगाने के हानिकारक प्रभावों की विस्तार से जांच किए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया और इसके लिए मानदण्डों, क्षमता और आर्थिक परिणामों की भी उपेक्षा की गई। मवेशियों और कृषि अर्थव्यवस्था के पूर्ण आर्थिक विकास के हित में, प्रस्तावित संयंत्र स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

[हिन्दी]

यह रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उसको दबा दिया और उसे भारत

सरकार को नहीं भेजा है। 8 तारीख को वहां अल्लकबीर का बूचड़खाना प्रारम्भ होने वाला है। मेरा यह निवेदन है कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर आर्थटिकेट करके रखी गई है। अब इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दबाया जा रहा है और गोपनीय रखा जा रहा है। प्रधान मंत्री जी उसी प्रदेश से हैं। देश में हर साल मवेशियों का इस तरह से कत्ल होगा तो देश की इकानमी बरबाद हो जायेगी और देश को नुकसान होगा। अतः इस बूचड़खाने को प्रारम्भ होने से रोका जाये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमा क्षेत्र से जो समाचार आ रहे हैं, उनसे सारा भारत आज बहुत चिंतित है। कल पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा है कि कश्मीर को हर हालत में मुक्त करायेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने देश के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान समझौते की बातें कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में मुख्य सचिव स्तर की दोनों देशों की जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक भी हो रही है। दूसरी तरफ कल के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा खतरा देश पर डालना चाहता है। आज यह समाचार भी मिले हैं कि पूंछ, राजौरी और डोडा क्षेत्रों में उसने पांच हजार ट्रेंड व्यक्ति भेजे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ट्रेनिंग प्राप्त करके ये आतंकवादी हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा खतरा पैदा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले सात दिनों में सारे कश्मीर बार्डर पर आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होकर अपनी सेना को लगाया है जिसके कारण सारा देश चिंतित है।

मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सभा में रक्षा मंत्री का वक्तव्य हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को सरकार विश्वास में ले, सदन की वस्तुस्थिति बताये कि आखिरकार सीमा क्षेत्र पर क्या हो रहा है। सेना पूर्णतया सुसज्जित है या वास्तव में हम पर जबरदस्ती युद्ध लादने की चाल है, कश्मीर को हड़पने का षडयन्त्र है वह नाकामयाब हो कृपा करके इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खण्डूरीजी, मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने सुबह अपने नाम दिए हैं। अब हमारे पास चार से पांच मिनट ही शेष हैं। अगर प्रत्येक एक मिनट ले, तो मेरे विचार में, हम सूची को पूरा कर सकते हैं। आपका सहयोग जरूरी है। (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : केवल एक ही पंक्ति कहूंगा। जम्मू और कश्मीर सीमा पर बहुत भारी गोलाबारी हुई है। श्री जोशीजी ने जो कुछ कहा है, मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही बोल सकते हैं। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मौका देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, तीन अगस्त को रायबरेली में एक भारी विस्फोट हुआ, जिसमें एक मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई। वह मस्जिद छोटे बाजार में थी। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधायी दल के नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अन्य लोगों के साथ मुझे उस जगह जाने का मौका कल मिला।

मस्जिद में धमाका हुआ और मस्जिद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। दो बच्चे, जो भाई थे, वहां क्लास के लिए गये थे, मर गए। दो औरतें घायल हुईं। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसमें लाशें इधर उधर 30-50 मीटर की दूरी पर जाकर गिरीं। एक लाश कुछ ही दूर स्थित एक इमारत के ऊपर गिरी हुई मिली। कुछ लोगों के अनुसार वह डाइनेमाइट था, न कि कोई देसी बम। वह एक बहुत तीव्र विस्फोटक पदार्थ था। इससे अल्पसंख्यक समुदाय में घबड़ाहट व्याप्त है।

यह बहुत खेद और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी धमाके के स्थान पर केवल दो घंटे के बाद पहुंचे। वह एक जिला मुख्यालय है। परन्तु जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक यहां पर दो घंटे के बाद पहुंचे। समय पर कोई भी नहीं पहुंचा। मैं तो कहूंगा कि साम्प्रदायिक सद्भाव को भंग करने के गंभीर प्रयास किए गए हैं।

रायबरेली एक ऐतिहासिक स्थान है, यह सर्वविदित है कि यहां पर हिन्दू और मुसलमान शान्ति से इकट्ठे रहते हैं। यह शान्ति भंग हो चुकी है। इसका श्रेय कांग्रेस के लोगों और वहां के धर्मनिरपेक्ष तत्वों और अल्पसंख्यकों और नगर के समझदार लोगों को जाता है, जिनकी कोशिशों की वजह से, एक धमाकेदार स्थिति के बावजूद, वहां पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। परन्तु, स्थिति को देखते हुए, वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो वहां सत्ता में है, प्रत्येक वर्ग के लोग, इसको केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराना चाहते हैं। वह सी० आई० डी० जांच से सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आप साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में, बी० जे० पी० का रिकार्ड जानते हैं। हम सब जानते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में, यह मुद्दा राज्य से सम्बन्धित है। फिर भी, आप कृपया जल्दी से अपनी बात खत्म करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : नहीं, यह मामला केवल राज्य से सम्बन्धित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मामला है। वहां पर क्या हो रहा है? केवल एक वर्ग को छोड़कर सभी लोग, चाहते हैं, कि सी०बी०आई० इस मामले की जांच करे। श्री वी० पी० सिंह ने इसकी मांग की है और सभी ने मांग की है कि सी०बी०आई० इसकी जांच करे। यह एक राज्य सम्बन्धी मामला नहीं है। यह एक राज्य का विषय कैसे हो सकता है?

महोदय, बी० जी० पी० के नेता यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे और वहां की राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए और लोगों का विश्वास वापस दिलाने के लिए किसी भी जांच की अव्यवहारिकता को देखते हुए, सी०बी०आई० जांच कराई जानी चाहिए। यह रहस्य अभी प्रकट नहीं हुआ है। कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है।

मैं इस मामले में सी० बी० आई० की जांच चाहता हूं और पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा देश अगस्त क्रान्ति की अर्धशताब्दी मनाने जा रहा है, इस शुभ अवसर पर हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम स्वाधीनता सेनानियों का समुचित सम्मान करें। मान्यवर, पेंशन प्राप्त हो रही है परन्तु उनके परिवार वालों को और उन्हें, जो दिवंगत हो गये हैं, उनको

विधवाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः उनकी समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जाय। गृह मंत्रालय में स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन से सम्बन्धित प्रकरण रह गए हैं, जिनको नहीं मिल पा रही है, और जिनको वृद्धि मिलनी चाहिए, उन प्रकरणों को भी अविलम्ब निपटाया जाए। आजाद हिन्द फौज के ऐसे सैनिक हैं, जिन सैनिकों के देहावसान हो चुके हैं, उनकी पत्नी के नाम पेंशन स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन दे रखे हैं, उनके सम्बन्ध में भी अभी तक आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपना खून आजादी के लिए बहा दिया था, उन स्वतन्त्रता सेनानियों के परिवारों को भी किसी प्रकार का कष्ट, उनकी अनुपस्थिति में या उनके दिवंगत होने पर नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समाचारों के अनुसार सरकार भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी के निजीकरण के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। लेकिन इस सरकारी उपक्रम का निजीकरण करने में कोई औचित्य नहीं है। यह व्यर्थ है क्योंकि 'इस्को' एक लाभ कमाने वाला संगठन है। यदि आधुनिकीकरण और विस्तार व्यवस्थित तरीके से किया जाये तो 'इस्को' और अधिक क्षमता प्राप्त कर सकती है।

'इस्को' ने 1991-92 के दौरान 12 करोड़ रु० का कुल लाभ कमाया और ऐसा इसके सतत प्रयासों और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सहयोग के फलस्वरूप हुआ। थोड़े से निवेश के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में स्थित 'इस्को' संयंत्र प्रति वर्ष 80 करोड़ या अधिक लाभ कमा सकेगा और इस समय निजीकरण जैसा गलत विचार केवल निहित स्वार्थ गुटों को लाभान्वित करेगा।

महोदय, जब 'इस्को' घाटे में चल रही थी तब किसी ने इसके निजीकरण के लिए नहीं कहा और यह विडम्बना ही है कि अब जब इस इकाई ने घाटे को लाभ में बदल दिया है तब इसे किसी निजी कम्पनी को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय इस्पात एग्जेक्यूटिव फैडरेशन इसके एकदम विरूद्ध है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्थिति का सही मूल्यांकन करे और उसके अनुसार ही निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अहम समस्या की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं। राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है और वहां हिन्दुस्तान की पांच प्रतिशत-जनसंख्या निवास करती है और पानी उसको केवल एक प्रतिशत मिलता है। वहां पर एक नहर है, जिसका नाम राजस्थान नहर है और अब उसका नाम हमने इन्दिरा गांधी नहर रख दिया है। सामरिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और यह नहर राजस्थान के लिए एक प्रकार से प्राण है और आज की परिस्थितियों में जीवन-रेखा है। उस नहर को रावी-ब्यास नदी से पानी देने के लिए एक समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद हमारे मुख्य मंत्री काफी कोशिश कर चुके हैं और हम भी सदन में काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रावी-ब्यास का जो पानी हमको मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। पंजाब के मुख्य मंत्री उसमें कई बार अड़ंगा

लगा देते हैं और उपदेश देते हैं हरियाणा को इतने परसेंट पानी और दे दिया जाए। इसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान नहर बिल्कुल सूख जाएगी। यदि यह नहर सूख गई, तो इससे राजस्थान नहर का नाम ही बदनाम नहीं होगा बल्कि मंत्री जी अब इसका नाम इन्दिरा गांधी नहर है। इन्दिरा गांधी नहर में पानी नहीं होगा, तो पानी फिर कहां होगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान की बहबूदी के लिए इन्दिरा गांधी नहर को पूरे का पूरा पानी, जो समझौते के अनुसार तय हुआ था, वह मिलना चाहिए। इससे राजस्थान की ही बहबूदी नहीं होगी, बल्कि पूरे देश को लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है, आज बोट क्लब पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ सारे व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं और आज दिन भर अनशन पर हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में बना था, जिसकी धाराएं बेढंगी हैं, उत्तर प्रदेश के सारे व्यापारी बैठे हैं। उनको सजा हो जाएगी, बिना सुनवाई के सजा हो जाएगी, तीन साल की सजा हो जाएगी। उनको परेशान किया जाएगा, उनके माल को जब्त कर लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि उनका नुकसान न हो।

बोट क्लब पर आज सात तारीख से बराबर बैठेंगे और हर प्रांत के लोग अलग-अलग एक-एक दिन बैठेंगे। इस लिए केंद्रीय सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की सीमा हम नहीं बढ़ायेंगे, जोकि व्यापारियों के हित में नहीं है। यही दो निवेदन आपके माध्यम से मैं सरकार के समक्ष करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष केरल में मछलियों में एक महामारी फैल गई जिसके कारण हजारों मछुआरे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। केरल सरकार ने इन मछुआरों को मुफ्त राशन दिया था। इन वर्ष भी केरल के विभिन्न भागों में मछलियों में इस महामारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस महामारी को प्राकृतिक आपदा माने और केरल राज्य को सभी संभव सहायता दे ताकि मछुआरा समुदाय की मदद की जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के अन्तर्गत आने वाले 3 विधान सभा क्षेत्रों बहा, फतिहाबाद तथा खैरागढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। ये तीनों ही विधान सभा क्षेत्र आगरा जिले में आते हैं।

मान्यवर, ये तीनों ही विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इन विधान सभा क्षेत्रों की लगभग 5 लाख की आबादी है और उद्योग के नाम पर यहां पर कुछ नहीं है। भारत सरकार ने जब कि यह घोषण कर रखी है कि हर जिले में एक उद्योग स्थापित किया जाएगा, फिर भी इस क्षेत्र की आज तक उपेक्षा होती रही है। मैं इस मामले को इससे पूर्व भी दो बार सदन में उठा चुका हूं।

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस क्षेत्र का पढ़ा-लिखा नौजवान बेरोजगारी के कारण चोरी, डकैती जैसे गलत कामों की ओर आकर्षित हो रहा है जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

अत: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के अन्तर्गत आने वाले बहा, फतिहाबाद तथा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी कम से कम दो उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था करें ताकि वहां के भटके हुए नौजवानों को राहत मिल सके तथा बेरोजगारी कम हो सके।

— — —

1.47 म० प०

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की ग्यारहवीं से तेरहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

— — —

1.47½ म० प०

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 10 अगस्त, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. नागालैंड राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे रखने से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा।
3. विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के संव्यवहार से सम्बन्धित अपराधों का विचारण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले सकंल्प पर चर्चा और विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के संव्यवहार से सम्बन्धित अपराधों का विचारण) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।
4. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना
5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित किया जाना :—

   (क) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992

   (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक, 1992

(ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1992

(घ) सरकारी स्थान (अप्रधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1992

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषय सम्मिलित कर कृतार्थ करें :—

1. अजमेर के लोको और कैरीज कारखानों में करोड़ों रुपए के उपयोगी समान को कबाड़ होने से बचा कर मितव्ययतता बरती जाए तथा जंग खा रहे शेष कबाड़ को नीलाम कर शीघ्र निस्तारित किया जाए।

2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सांगानेरी गेट, जयपुर एवं इसी की एक शाखा लोको वर्कशाप, अजमेर इन दोनों शाखाओं को लाखों रुपए की हेरा-फेरी, गबन और घोटाले की अविलम्ब जांच कराई जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं अनुरोध करती हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :—

1. विदेशी फिल्मों के आयात पर सभी पाबन्दियां हटाने के सरकारी निर्णय को वापस लेने की आवश्यकता

2. इण्डियन एअरलाइन्स द्वारा संचालित मार्गों पर निजी विमान सेवाओं को अनुमति देने के केन्द्र सरकार के निर्णय की समीक्षा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :—

1. राजस्थान को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा जल का तयशुदा भाग दिया जाए।

2. रावी-ब्यास-सतलुज नदियों के पानी से चलने वाली विकास परियोजनाओं में राजस्थान का जो हिस्सा और हक है, उसे दिलाया जाए।

[अनुवाद]

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :—

1. रेलवे द्वारा उड़ीसा में अपने विकास कार्यों की उपेक्षा।

2. कोयला उद्योगों पर संयुक्त द्विपक्षीय समिति गठित करने की मांग।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये :—

1. कोटा में बन रहे 5000 टेलीफोन क्षमता के नये एक्सचेंज में हो रहे विलम्ब के कारण व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

2. कोटा को बी० श्रेणी का नगर घोषित करने बाबत्।

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न दो विषयों का समावेश किया जाए :—

1. केन्द्र सरकार द्वारा "उत्तरांचल राज्य" के सृजन के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं त्वरित निर्णय न लिए जाने के कारण पूरे पर्वतीय क्षेत्र की जनता में असंतोष।

2. उत्तर प्रदेश के पौड़ी एवं चमोली जनपदों में पेयजल का गंभीर संकट व्याप्त है। इन जनपदों के पेयजल संकट के समाधान के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाएं :

1. विकास कार्यों हेतु प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा सदस्य की इच्छा के अनुसार प्रतिवर्ष न्यूनतम 15 करोड़ का बजट आवंटन करने की आवश्यकता।

2. व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने की सरलीकृत प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता।
(व्यवधान)

महोदय, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है............

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस पर अब प्रतिक्रिया बताएं। ऐसा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए :—

केन्द्र सरकार बिहार राज्य में चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए पहल करें और यहां के लाखों कृषकों व मजदूरों को आर्थिक संकट से बचाएं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय में शामिल किया जाए :

चिलका मत्स्य फार्म की प्रस्तावित झींगा मछली संवर्धन परियोजना के कारण उड़ीसा में चिलका झील के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हुआ खतरा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न को सम्मिलित किया जाए।

ग्रामीण विकास हेतु संपर्क मार्गों का निर्माण, नलकूप, पुलिया, विद्युतीकरण (ग्रामीण) को भी दस लाख कुआं योजना जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, के अन्तर्गत सम्मिलित करवाएं।

1.52 म० प०

[अनुवाद]

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : श्री बलराम जाखड़ की ओर से मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि के विकास और कृषि और सहबद्ध विज्ञान सम्बन्धी विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान को अग्रसर करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि विकास का और कृषि और सहबद्ध विज्ञान सम्बन्धी विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान को अग्रसर करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० सी० लेंका : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.54 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.05 म० प०

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.05 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब सभा पटल पर पत्र रखने सम्बन्धी कार्यवाही हाथ में लेगी।

---

*दिनांक 7 अगस्त, 1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टनों में भार का मापना) संशोधन नियम 1992 जो 6 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 479 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2444/92]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 144 (अ) जो 21 फरवरी, 1992 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अधिसूचना में उल्लिखित फीस की दर 1 मई, 1992 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन सभी स्थाई पुलों पर लागू नहीं होगी, जिनकी लागत 25 लाख रुपए से अधिक तथा 100 लाख रुपए से कम है तथा जिन्हें 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया था तथा यातायात के के लिए खोला गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थाई पुलों के इस्तेमाल के लिए फीस) नियम 1992 जो 21 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 145 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2445/92]

(4) महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 372 (अ), जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राज्य में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) दूसरा संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 412 (अ), जो 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास प्रथम श्रेणी कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति के पश्चात् नियोजन की स्वीकृति) पहला संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 426 (अ), जो 20 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (त्यौहारों

के सम्बन्ध में अग्रिम अनुदान) विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 437(अ), जो 27 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगांव पत्तन न्यास (निवासों का आवंटन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 472(अ), जो 4 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा०का०नि० 485(अ), जो 11 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें कलकत्ता पायलट सेवा (हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स को छोड़ कर) (प्रशिक्षण श्रेणीकरण और वरिष्ठता) पहला संशोधन विनियम, 1991 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(सात) सा०का०नि० 552(अ), जो 25 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 569(अ), जो 1 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगांव पत्तन कर्मचारी (निवासों का आवंटन) (पहला संशोधन) विनियम, 1992 का अनुमोदन दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2446/92]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क विनिर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2447/92]

कम्पनी अधिनियम, 1956 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कम्पनी

(केन्द्रीय कर्मचारी) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 11 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 484(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2448/92]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 1992, जो 24 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 230(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 26 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या का० आ० 530(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2449/92]

सीमा शुल्क उत्पाद अधिनियम 1962, आयकर अधिनियम, 1961 और केन्द्रीय शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञप्ति (संशोधन) विनियम 1992, जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में सा० का० नि० 448(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 450(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 26/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि बालबियरिंग को अधिसूचना के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 451(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके आशय इथाईल, बैनजिन, स्टारिन, ब्यूटेन-1 तथा शुद्ध ओक्टेन पर मूल सीमा शुल्क की रियायती दर विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 452(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट औषधों तथा औषध मध्यस्थों पर आयात शुल्क से पूरी छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 453(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बल्क औषधों के निर्माण के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट औषध मध्यस्थों पर मूल्य अनुसार 50 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 454(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक दवाईयों/औषधों/विनिर्मितियों को सीमा शुल्क की पूरी छूट के दायरे में लाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 455(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बॉल तथा रोलर बियरिंगों तथा उनके हिस्सों पुर्जों पर प्रभावी मूल सीमा शुल्क की दर लगाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 456(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फारमास्यूटिकल उद्योग के लिए आसैप्टिक फोरम फिल सील मशीनों पर मूल्य अनुसार 35 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि 457(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो फ्लाई ऐश तथा फोस्फो-जिप्सम ईंटों के विनिर्माण के लिए कतिपय पूंजीगत माल को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 458(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट इलाक्ट्रोनिक माल के विनिर्माण के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर मूल्य अनुसार 35 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 459(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट इलाक्ट्रोनिक माल के विनिर्माण के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर मूल्य अनुसार 35 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 460(अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन इलाक्ट्रोनिक माल के विनिर्माण के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट हिस्से पुर्जों पर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 461 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन इलाक्ट्रोनिक माल के विनिर्माण के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट हिस्से पुर्जों पर 55 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 462 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग के लिए कांट-छांट और सजावट की और 6 मदों पर मूल शुल्क मूल्यानुसार 40 प्रतिशत कम करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 463 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 117/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 464 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 93/92-सी० शु० और 94/92-सी० शु० का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 465 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 122/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० का० नि० 466 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 124/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० का० नि० 467 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 136/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० का० नि० 468 (अ) जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 137/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का० आ० 474 (अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रओं में परिवर्तित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का० आ० 475(अ), जो 26 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० का० नि० 541(अ), जो 20 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 159/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सामान (दूसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 602(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) आवास अंतरण (दूसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 603(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) पर्यटक सामान (संशोधन) नियम, 1992, जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 604(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 605(अ), जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 137/90-सी० शु० में कतिपय संशोशन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सामान (तीसरा संशोधन) नियम, 1992, जो 23 जून 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 633(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नतीस) सा०का०नि० 668(अ), जो 6 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 172/92-सी० शु० और 174/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा० का० नि० 669(अ), जो 6 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या 290/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2450/92]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आय-कर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1992, जो 17 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या का० आ० 529(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2451/93]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 653(अ), जो 1 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 27/90-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि गिटकर कुम कुम को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 670(अ), जो 7 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि मॉडवेट स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्रैडिट प्राप्त करने के लिए उच्चतम सीमा को 660 रुपये से 920 रुपये प्रति टन तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2552/92]

निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय निवेश केन्द्र के वर्ष 1989-90 और 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ का वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विनियम, 1991, जो 23 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीआईसी जीसी/300/बीएस-17/91 में कतिपय संशोधन किये गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-2453/92]

(2) भारतीय निवेश केन्द्र के वर्ष 1989-90 और 1990-91 के वार्षिक* प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-2454/92]

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 31 जुलाई, 1992 को सभा पटल पर रखे गए थे।

(3) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2455/92]

(दो) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हिसार के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2456/92]

(तीन) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल के वर्ष 1991-22 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2457/92]

(चार) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2458/92]

(पांच) वालसाड डांग ग्रामीण बैंक, वालसाड डांग के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2459/92]

(छह) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2460/92]

(सात) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2461/92]

(आठ) अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2462/92]

(नौ) थाणे ग्रामीण बैंक, थाणे के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2463/92]

(दस) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2464/92]

(ग्यारह) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2465/92]

(बारह) वर्धा ग्रामीण बैंक, वर्धा के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2466/92]

(तेरह) श्री राम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2467/92]

(चौदह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद के वर्ष 1991-92 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2468/92]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगी। हम विधेयकों के पुरः-स्थापन को ले सकते हैं। श्रीमती बासवा राजेश्वरी।

3.06 म० प०

श्रमजीवी बाल कल्याण विधेयक*

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्रमजीवी बालकों के कल्याण के लिए कतिपय उपाय करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि श्रमजीवी बालकों के कल्याण के लिए कतिपय उपाय करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.06½ म०प०

[अनुवाद]

देश में विदेशी राष्ट्रिक अन्तर्वाह निवारण विधेयक*

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में विदेशी राष्ट्रिकों का अनधिकृत प्रवेश रोकने और उनके निवासन तथा उससे सम्बन्धित मामलों सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 7-8-92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खंड 2, में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि देश में विदेशी राष्ट्रिकों का अनधिकृत प्रवेश रोकने और उनके विवासन तथा उससे सम्बन्धित मामलों सम्बन्धी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

———

श्री अर्जुन चरण सेठी—अनुपस्थित

3.07 म० प०

[अनुवाद]

लघु परिवार सन्नियम (संवर्धन और प्रोत्साहन) विधेयक*

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे परिवारों, जिनका केवल एक ही बच्चा हो तथा सभी अविवाहित व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क आवास तथा अन्य सुविधाओं और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि ऐसे परिवारों, जिनका केवल एक ही बच्चा हो तथा सभी अविवाहित व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क आवास तथा अन्य सुविधाओं और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.07½ म०प०

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 371 में संशोधन)

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीप भाई संघानी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 7-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

3.08 म० प०

[अनुवाद]

संसद (सभा की गणपूर्ति) विधेयक*

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद की किसी सभा की बैठक गठित करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि संसद की किसी सभा की बैठक गठित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति निर्धारण करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीप भाई संघानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

3 08½ म०प०

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय और महाविद्यायल (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्तियों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों में रिक्तियों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.09 म० प०

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नये अनुच्छेद 330क, आदि का अन्तःस्थापन)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 7-8-1992 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.09½ म० प०

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(नये भाग 4क का अन्तःस्थापन)

श्री चित्तबसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.10 म० प०

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 22 में संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 7-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

3.10½ म०प०

[अनुवाद]

वैयक्तिक स्वतन्त्रता (संरक्षण) विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.11 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 124, आदि में संशोधन)

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.11½ म० प०

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 330क और 330ख आदि का अंतःस्थापन)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 7-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.12 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 31, आदि का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.12½ म० प०

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 46क का अंतःस्थापन)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* दिनांक 2-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

3.13 म० प०

[अनुवाद]

पंथनिरपेक्षता संवर्धन विधेयक*

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार तथा प्रशासन में पंथनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को लागू करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकार तथा प्रशासन में पंथनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को लागू करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

3.13½ म० प०

[अनुवाद]

संविधान सभा विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संविधान सभा के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत की संविधान सभा के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

*दिनांक 7-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.14 म० प०

[अनुवाद]

विदेशी राष्ट्रिकों के साथ विवाह (विनियमन और रजिस्ट्रीकरण) विधेयक*

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय नागरिकों के विदेशी राष्ट्रिकों के साथ हुए विवाहों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय नागरिकों के विदेशी राष्ट्रिकों के साथ हुए विवाहों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

विदेशस्थ भारतीय राष्ट्रिक (संसद में प्रतिनिधित्व) विधेयक*

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशों में निवास करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को संसद में प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशों में निवास करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को संसद में प्रतिनिधित्व देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.15 म०प०

[अनुवाद]

प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक*

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फ़तेहपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी उद्योग में लगे हुए

*दिनांक 7-8-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता को उपबंध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता का उपबंध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

3.15½ म०प०

[अनुवाद]

श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी का संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दिलकुमारी भण्डारी द्वारा 10 अप्रैल, 1992 को प्रस्तुत, आठवीं अनुसूची में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर, आगे चर्चा करेंगे। अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : महोदय, इस विधेयक पर दो या तीन सत्रों में काफी विस्तार से चर्चा हुई थी और इस चर्चा में काफी संख्या में वक्ताओं ने भाग लिया था। पिछले सत्र में, वाद-विवाद में मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया था और अब विभिन्न वक्ताओं द्वारा उल्लेखित सभी मुद्दों का उल्लेख अपने उत्तर में विस्तार से नहीं करना चाहता। इससे वक्ताओं की यह इच्छा स्पष्ट होती है कि भारत सरकार को आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को सम्मिलित करने की बात को स्वीकार करना चाहिए। चर्चा के दौरान दो या तीन भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वास्तव में, विभिन्न भाषाई समुदायों से भारत सरकार को अभ्यावेदन और मांगें प्राप्त हुई हैं। सरकार के पास जो मुख्य मांग है, वह है नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी के साथ-साथ राजस्थानी, डोगरी, भोजपुरी, मैथिलि, बोडो, संथाली और ऐसी अन्य भाषाओं को भी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैंने खुद ही पिछली बार इस सभा में यह इच्छा व्यक्त की थी कि हम सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे और हम उसी तरह से काम करेंगे जैसाकि सभा को स्वीकार्य होगा। गृह मंत्री के कहने पर प्रमुख दलों के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी और इसमें विचार व्यक्त किए गए थे। इस चर्चा के आधार पर, जोकि दल के नेताओं की बैठक में हुई थी, एक आम सहमति हुई थी और उस सहमति के आधार पर एक विधेयक तैयार किया जा रहा है और यह अन्तिम स्तर पर पहुंच चुका है। यही कारण है कि हमने सभा की कार्यवाही में आठवीं अनुसूची को भी कार्य सूची में रखा

है। इसके पुरः स्थापन में विलम्ब इस कारण हुआ है क्योंकि हम संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं ला सके थे। विगत कुछ दिनों से सभा अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर व्यस्त थी, जिससे सदस्य उत्तेजित हो गये थे।

अतः मैं समझता हूं कि सरकार चालू सत्र में आठवीं अनुसूची के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी, जैसाकि विपक्ष के नेताओं की बैठक में चर्चा हुई थी। यह मामला प्रधानमंत्री और मंत्रीमण्डल का ध्यान आकर्षित करने वाला है। जैसे ही इसे मंजूरी दे दी जाएगी इसे पुरःस्थापित किया जाएगा। इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपका समय नहीं लेना चाहता।

मेरा उत्तर पूरा होने के बाद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी को बोलने का अधिकार है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि इन विचारों को विधान में लाया जा रहा है वे अपना विधेयक वापस ले लें। साथ ही सदस्यगण इस पर पूर्ण वाद-विवाद करना चाहेंगे। सभा में विधेयक पुरःस्थापित करते समय उन्हें निश्चित रूप से यह अवसर मिलेगा। इस विधेयक को इसी सत्र के दौरान ही यथाशीघ्र पुरःस्थापित करने के लिए मैंने और मंत्रालय ने हरसंभव प्रयास किया है।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशननगर) : क्या हम इस महीने की 17 तारीख तक इसकी उम्मीद कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री एम०एम० जैकब : यदि कोई और आशंका है तो माननीय सदस्य स्थगन के लिए कह सकते हैं। मैं भी इसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। हम इस विधेयक को स्थगित कर सकते हैं और किसी और शुक्रवार को इसे ले सकते हैं।

3.21 म०प०

[श्री तारासिंह पीठासीन हुए]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने अभी-अभी हमसे कहा है कि इस विधेयक को मंत्रीमण्डल ने उच्च स्तर पर अभी तक मंजूर नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि वह इसे अन्तिम रूप देने में व्यस्त हैं और वह इसे पुरःस्थापित करेंगे। सिद्धांतः प्रश्न यह है कि यदि सिद्धांत पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जब विधेयक को अभी तक मंजूरी नहीं की गई है तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा। मेरे विचार से पुरःस्थापना का प्रश्न केवल तभी उठेगा, जबकि विधेयक को मंत्रीमण्डल द्वारा अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी जाएगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि प्रस्तावित विधेयक में केवल एक ही भाषा शामिल होगी या अनेक भाषाएं इसमें शामिल होंगी। यदि हां, तो नेपाली सहित अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में क्या प्रस्ताव हैं।

भाग (ख), के बारे में जो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं वह यह है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल करने के लिए इनका चयन करने के क्या मानदण्ड हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि वे विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। ये राज्य मन्त्री हैं और कैबिनेट में क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जानकारी नहीं है। गृह विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर यह बात कही है। अभी जब यह विधेयक इस सदन के सामने आया, सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत की और सरकार की ओर से समाचारपत्रों में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि सरकार भी कोई विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नतीजा यह हुआ कि दो और भाषाओं को जानने वाले लोग सड़कों पर उतर आये। डोगरी और मैथिली भाषा को जानने वाले लोग सड़कों पर उतर आएंगे। मैं तो भोजपुरी भाषा का हूं। यदि इसके जानने वाले भी सड़क पर उतर आए तो मैं सरकार से साफतौर पर चाहूंगा कि सरकार के पास अभी जो विधेयक विचाराधीन है जिस पर अभी तक कैबिनेट ने अपना पूरा मंतव्य जाहिर नहीं किया है, उसमें कौन-कौन-सी भाषाएं होंगी ? क्या जितनी भाषाओं का नाम लिया या सरकार ने ऐसा कोई निश्चय कर लिया है कि जिस भाषा के समर्थक सड़क पर उतर आएं, वे सरकार पर दबाव डालेंगे, तभी सरकार अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी या सरकार का स्वयंमेव विवेक जाग्रत होगा कि ऐसी सभी भारतीय भाषाएं, जिनको बोलने और समझने वालों की संख्या कुछ लाख, 50 लाख या एक करोड़ है। क्या सरकार ने कोई मापदंड निर्धारित किया है कि जिस भाषा को बोलने, समझने, लिखने और जानने वालों की संख्या इतनी होगी, उस भाषा को हम इस विधेयक में इंट्रोड्यूस करेंगे, यह स्पष्टीकरण मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, माननीय सांसद मोहन सिंह जी ने जो बात कही, उसी संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नेपाली पर एक बिल आया, उसके बाद मणिपुरी पर ऐजिटेशन हुआ, भोजपुरी की बात इन्होंने की और अपने-अपने क्षेत्र की बात सब कर रहे हैं और डोगरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जम्मू में बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है। राजस्थानी की बात यहां लोक सभा में उठ चुकी है। मंत्री महोदय बिलकुल स्पष्ट आश्वासन दें कि आपके क्या मापदंड होंगे ? कौन-कौन-सी भाषाओं को आप आठवीं अनुसूची में शामिल करने जा रहे हैं और क्या जो बात उन्होंने कही है, क्या यह सत्य निकलेगी कि जब भी किसी भाषा के पक्षधर हिंसक आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे, उसके बाद आप अचानक कह देंगे कि इसको हम शामिल कर रहे हैं। इसलिए कृपया राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मापदंड बनाए जाएं जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाए कि किस-किस भाषा को आप आठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे अन्यथा एक गलत संकेत सारे देश में जाएगा कि जहां हिंसक आंदोलन होता है उस भाषा को तो ले लिया जाता है और जहां लोग शांतिप्रिय ढंग से मांग करते हैं, चाहे उनकी मांगें उचित भी हों, वह भाषा बहुत बड़े भाग में बोली भी जाती हो, उसके बावजूद अगर आप उसको शामिल नहीं करेंगे तो एक तरह से यह मानिए कि इतने आंदोलनों को आप और आमंत्रण दे रहे हैं जबकि आप पहले से ही अनेक आंदोलनों में उलझे हुए हैं तो क्यों एक आंदोलन को और इनवाइट कर रहे हैं ! मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया स्पष्ट नीति अपनाकर सदन को और इस राष्ट्र को भी सूचित करें कि आप क्या करना चाहते हैं।

श्री अयूब खान (झुन्झुनू) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान इस मुल्क का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है। इस प्रांत की जुबान एक गौरवशाली जुबान

है। वहां का कण-कण वीरता से भरा पड़ा है। वहां के हमारे लोगों ने बोट क्लब पर धरना भी दिया था और मंत्री महोदय को आकर अपना ज्ञापन भी दिया कि क्या इस बिल के अन्दर राजस्थानी जुबान को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। मेरा पुरजोर आग्रह है कि यह बिल जब पास हो तो राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाए।

[उर्दू]

[جناب ایوب خاں (جھنجھنو) : محترم چیئرمین صاحب - میں راجستھان سے آتا ہوں - راجستھان اِس ملک کا رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا پرانت ہے - اس پرانت کی زبان ایک گوروشالی زبان ہے - وہاں کا کرن کرن ویرتا سے بھرا پڑا ہے - وہاں کے ہمارے لوگوں نے بوٹ کلب پر دھرنا بھی دیا تھا اور منتری مہودے کو آکر اپنا گیاپن بھی دیا کہ کیا اس بل کے اندر راجستھانی زبان کو بھی شامل کیا جائے گا یا نہیں - میرا پُر زور آگرہ ہے کہ یہ بل جب پاس ہو تو راجستھانی بھاشا کو بھی شامل کیا جائے -]

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : सभापति जी, यहां जो चर्चा हो रही है आठवीं अनुसूची में भाषाओं को स्थान दिलाने की, इस बारे में क्या मंत्री महोदय इस बात का ख्याल करेंगे जब आठवीं अनुसूची के बारे में नई भाषा का सवाल तय करेंगे, कि भाषा और बोली में क्या फर्क है ? हमारे यहां बिहार में जो बातें उठ रही हैं, मैथिली, भोजपुरी और मघी की; हमारी भाषा हिन्दी है लेकिन वहां मैथिली, भोजपुरी और मघी बोलते हैं। यह सवाल मैंने नहीं उठाया कि मघी भाषा को भी अनुसूची में जोड़ा जाए लेकिन देश के अन्दर जो बोलियां हैं, वह थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बदल जाती हैं। वह भाषा का रूप नहीं ले सकती हैं। तो क्या मंत्री महोदय जिस भाषा के ऊपर विचार करेंगे, उस समय इन बातों का ख्याल रखेंगे या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेपाली सहित सभी तीनों भाषाएं प्रस्तावित विधेयक में होंगी। मैं मंत्री जी से यह बात स्पष्टरूप से जानना चाहता हूं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, बहुत सी भाषाएं हैं जिन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना है। ये लोग पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि नेपाली और मणिपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब इस विधेयक के माध्यम से हम चाहते हैं कि इन दोनों भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि यदि वह कोई कानून बनाना चाहते हैं, सरकार की ओर से कोई विधेयक लाना चाहते हैं, तो वह यह देखें कि इन दोनों भाषाओं को अवश्य शामिल किया जाए। यदि वह इन पर विचार करना चाहते हैं तो इन पर अलग विधेयक के द्वारा विचार किया जाए। ताकि भारतीय नेपालियों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जा सके चूंकि वे इसके लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं।

डा० करण सिंह जी 1971 में एक विधेयक लाए थे और 94 सांसदों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था। इसलिए इसको आज पुरःस्थापित करना कोई नई बात नहीं है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह नेपाली और मणिपुरी भाइयों की भावनाओं का सम्मान करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं समझता हूं कि यह मामला अनिश्चित मामला नहीं था क्योंकि अध्यक्ष महोदय के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक के समय सरकार ने सत्र आरम्भ होने पर पूरा आश्वासन दिया था कि यह विधेयक इसी सत्र में पुरस्थापित किया जाएगा। यह आश्वासन इस सभा में भी दिया गया था। मैंने इस बात को कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट के आते समय स्पष्ट करवाया था कि इस विधेयक को इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा।

हमारा एक दल प्रधानमंत्री जी से मिला। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यह विधेयक लाया जाएगा। हमारी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से कहा कि इस संबंध में तत्काल अध्ययन करें और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं विलंब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं, "यह मामला तुम्हारे ऊपर निर्भर है।" माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और हम बैठक से चले आए, सर्वदलीय शिष्टमण्डल वहां उपस्थित था, उन्होंने कहा कि नेपाली भाषा को इसमें शामिल करते हुए इस विधेयक को इस सत्र में पुरःस्थापित किया जाना चाहिए। इन आश्वासनों के बावजूद यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अब यह वक्तव्य दे कि इस मामले को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वजह से सत्रकाल पहले ही बढ़ा दिया गया है। अन्यथा सत्र 12 तारीख को समाप्त हो जाता, आज तक नहीं चलता, छह सप्ताह तक नहीं चलता। वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार छह सप्ताह तक कोई निर्णय नहीं ले सकी। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। विधान सभा में एक सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ, एक नहीं अनेक संकल्प पारित हुए। कांग्रेस सहित सभी दलों के प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आये थे। कांग्रेस दल में नया सदस्य आ सकता है, हो सकता है यह उसकी अपनी कोई मजबूरी रही हो, मुझे मालूम नहीं है। परन्तु कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। (**व्यवधान**) आप अपना प्रश्न अपने नए दल से पूछिए मुझ से नहीं।

अतः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इसमें विलंब न करें, इस मामले को और जटिल न बनाएं और मंत्री महोदय को अपना वचन अवश्य पूरा करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि यह विधेयक इस सत्र में ही पुरःस्थापित किया जाए। अन्यथा हम महसूस करते हैं कि भविष्य में इस सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को स्वीकार करना बहुत कठिन होगा।

इस सत्र के आरम्भ में ही एक वचन दिया गया था कि और हम चाहते हैं कि नेपाली को बिना किसी हेराफेरी के शामिल किया जाना चाहिए। मामलों के बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण स्पष्ट है। माननीय मंत्री जी को पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्हें गुमराह किया जा

रहा है और जहां तक भाषा का संबंध है, यदि पक्षपातपूर्ण विचारों से उनका पथप्रदर्शित किया जाता रहा तो वह एक बहुत बुरा और खतरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित करने वाले हैं।

अत: हम सरकार से नेपाली भाषा को बिना किसी हेराफेरी के शामिल करने का अनुरोध करते हैं। मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि पिछले महीने दार्जिलिंग में एक सर्वदलीय बैठक होने वाली थी। यह नहीं हुई ताकि स्थिति और अधिक जटिल न हो जाए क्योंकि इस सरकार ने निश्चित आश्वासन दिया था कि यह सरकार इस विधेयक को इस सत्र में पुर:स्थापित करेगी। इसके बाद यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो यह जानबूझ कर किया गया विश्वासघात है और दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है। निश्चय ही मैं अब कोई विवादपूर्ण वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। शायद वह इसे पसंद न करें। मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि 'अब इस काम को करें, अन्यथा मुश्किल होगी।"

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : जो विधेयक सभा के समक्ष है वह नेपाली और मणिपुरी से संबंधित है। गृह राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब द्वारा दिए गए आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में, उसके आधार पर, मैं विधेयक के प्रस्तावक से इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं। विधेयक का दो भाषाओं नेपाली और मणिपुरी से संबंध है।

हमने अभी-अभी सुना है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य भाषाओं का भी मुद्दा उठाया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि उनके मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हमें बहुत प्रसन्नता होगी, और यदि उनके मामलों को भी सदन में लाया जाता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम उन पर अलग से विचार करेंगे।

सभापति महोदय : मैंने आपको केवल कुछ बातें कहने के लिए समय दिया है, भाषण देने के लिए नहीं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं इस माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि अन्य नई भाषाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को उसी तरह में न लिया जाए जैसा कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय किया गया था जिसका यहां उल्लेख किया गया है। अत: इन कुछ शब्दों के साथ मैं भी अन्य लोगों के साथ इस विधेयक की प्रस्ताविका श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस आश्वासन की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। मैं तो कहूंगा कि जब वायदा किया है, तो निभाना पड़ेगा और इस बिल को इसी सेशन में लाना पड़ेगा।

मेरा एक सुझाव है नेपाली भाषा और मणिपुरी भाषा, ऐसी भाषाएं हैं जो दो राज्यों की अपनी आफीशियल लैंग्वेज हैं और राजस्थानी और मैथिली भाषाएं राजस्थान या बिहार में आफिशियल लैंग्वेज नहीं हैं। हालांकि उन्हें साहित्य अकादमी ने स्वीकृति दी है। तो आपके सामने तो गाइडलाइन बिलकुल स्पष्ट दी हुई हैं। जो भाषा किसी स्टेट की आफीशियल लैंग्वेज हो और साहित्य अकादमी की स्वीकृत भाषा हो, उसको संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल किया जाए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अविलम्ब, इसी सत्र में विधेयक लाया जाए।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारे कुछ माननीय

सदस्य मुझ से पूछ रहे थे कि हम विधेयक में क्या शामिल करने जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम विधेयक में क्या कुछ कहने जा रहे हैं। सरकार की यह बहुत पुरानी प्रथा है कि विधेयक के सभा में वास्तविक रूप से पुरःस्थापित होने और परिचालित होने से पहले कोई भी विधेयक की विषयवस्तु को सार्वजनिक नहीं करेगा। ऐसा करना वास्तव में खुद नियम का उल्लंघन करना है।

मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं उस विधेयक की विषय-वस्तु को ठीक-ठीक बता सकूं। परन्तु साथ ही जिस भावना से यह विधेयक लाया जा रहा है और जिस भावना से इसे तैयार किया गया है वह सब इस सभा को मालूम हैं।

पिछली बार बोलते समय मैंने यह सब बिलकुल स्पष्ट कर दिया था। श्री सोमनाथ चटर्जी मेरी आरंभिक प्रतिक्रिया के बाद आए, इसलिए वह मेरी बात नहीं सुन सके, इसीलिए संभवतः उन्होंने कहा कि सरकार आश्वासनों आदि का उल्लंघन कर रही थी। मैंने कहा कि भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करना इस समय प्रकाशित हुई कार्यसूची में शामिल है। अतः सरकार का यह विचार है कि इसे इस सत्र में लाया जा रहा है। मैंने यह भी कहा था कि हम आजकल सदन में अन्य कार्यों में व्यस्त थे। यहां तक कि जो अध्यादेश हम लाने वाले हैं यदि पारित नहीं किया गया तो वह भी व्यपगत हो जाएंगे। समयाभाव के कारण इन्हें भी पारित नहीं किया जा सका क्योंकि सदन अन्य अनेक मुद्दों पर उत्तेजित था।

मैं सभा की उत्तेजना को समझता हूं और उससे सहमत हूं। परन्तु जिन भाषाओं को शामिल किया जा रहा है उनके ब्यौरे, उस भाषा का नाम क्या होने जा रहा है आदि सभी बातें विस्तार की बातें हैं और इन पर उस समय वाद-विवाद होना चाहिए जब विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया जाए। अतः हमने जो भी सुझाव यहां पर दिए गए हैं उन पर विचार कर लिया है। सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है, वह पहले ही विधेयक का अंग बन गया है। अधिकांश सुझावों पर विचार कर लिया गया है। अतः शीघ्र ही एक समुचित विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा। हमें यह विधेयक इस सत्र में पुरःस्थापित होने की आशा है।

कृपया अन्य अध्यादेशों को पारित करने में और अन्य आवश्यक कार्यों में हमारे साथ सहयोग करें ताकि हमें अन्य विधेयकों को लाने का समय मिल सके।...(व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक अच्छे काम करने का संबंध है, इस सरकार को मौजूदा विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष नहीं मिल सकता। परन्तु दिक्कत यह है कि सरकार मुश्किल से ही अच्छा काम करती है।...(व्यवधान)...एक व्यक्ति के अलावा भाषा विधेयक को चर्चा किए बिना ही पारित कर दिया जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि आठ करोड़ लोगों की भाषा, राजस्थानी को इस विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा। यह भाषा पहले से ही साहित्य अकादमी में है...(व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता से इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं ताकि हम अपने विधेयक को प्रस्तुत कर सकें।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं तथा माननीय गृह मंत्री श्री एम० एम० जैकब जी को बधाई देती हूं। संविधान की आठवीं सूची में नेपाली और मणिपुरी भाषा को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी मेरे विधेयक का गम्भीरतापूर्वक और पूरी तरह के समर्थन करने के लिए मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

इस सम्माननीय सभा के विद्वान सदस्यों ने बड़े परिश्रम से नेपाली और मणिपुरी भाषा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है तथा इसे मान्यता प्रदान करने का समर्थन किया है। उन्होंने इसका वैज्ञानिक पहलू, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष उजागर किया तथा उनमें से कुछ ने देश के लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता में इसे सम्मिलित किया है। श्री इन्द्रजीत को छोड़ कर इस विधेयक का सभी ने समर्थन किया। मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत के नेपाली लोगों की भावना को इस समर्थन तथा विश्वास ने, जो आपने हम लोगों के प्रति प्रकट किया है, स्पर्श किया।

महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सकारात्मक उत्तर से बहुत प्रभावित हुई हूं क्योंकि बहुत कम मुद्दों में इस प्रकार का सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई जब वाद-विवाद के दौरान मैंने उड़ीसा के एक माननीय सदस्य को न केवल इस विधेयक का समर्थन करते देखा बल्कि उन्हें नेपाली भाषा में बोलते भी सुना।

महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि सभी माननीय सदस्यों के विचार उनके राजनीतिक दलों के राजनीतिक स्वार्थ से प्रभावित नहीं थे बल्कि वे विषयनिष्ठता तथा स्वतन्त्र विचार के परिचायक थे तथा उनके व्यक्तिगत विचार थे। यह हमारी स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा का संकेत है। हमें इस विषयनिष्ठता, स्वतन्त्र तथा उचित निर्णय की इस विशेषता को बरकरार रखना चाहिए।

पुनः एक बार सरकार को मैं सही और भौतिक कार्यवाही करने को पीछे न हटने के लिए बधाई देती हूं। इस कार्यवाही से मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा बोलने वाली विशाल जन-संख्या को सम्मिलित करने में सहायता मिलेगी।

भारत सरकार की ओर से माननीय मंत्री श्री एम० एम० जैकब द्वारा दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को शामिल किए जाने पर विचार किया जायेगा और चूंकि इसे नये विधेयक में शामिल कर लिया गया है, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन कि इस सत्र में ही विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा, सभा से अपना विधेयक वापस लेने की अनुमती चाहती हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्या अपना विधेयक वापस लेने के लिए सभा की अनुमति हेतु प्रस्ताव कर सकती हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मैं विधेयक वापस लेती हूं।

3.45 म० प०

[अनुवाद]

श्री भगवान शंकर रावत का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक

(अनुसूची में संशोधन)

सभापति महोदय : अब हम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान शंकर रावत प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

मान्यवर, यह कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर अमेंडमेंट बिल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिये यह प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के इतने लम्बे अंतराल के बाद भी अभी तक हम लोग यह तय नहीं कर पाये कि कौन-कौन-सी जातियां आज समाज के अन्दर ऐसी हैं जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में सम्मिलित और समाहित किया जाये और उन्हें सुविधायें दी जायें, कौन-कौन-सी जातियां ऐसी हैं देश भर में जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में समाहित किया जाये और उन्हें सुविधायें दी जाये और कौन-कौन-सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें पिछड़ी जातियों के रूप में माना जाए और सुविधायें दी जायें। समूचे देश के अन्दर विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रदेशों में उन्हें विभिन्न प्रकार से ट्रीट किया जाता है। मुझको बहुत हास्यास्पद स्थिति उस समय नजर आई जब पता चला कि हिमाचल प्रदेश के एक हिस्से में जिसे पुराना हिमाचल प्रदेश कहते हैं वहां गद्दी और गूजर अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन जो नया क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है वहां उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। एक ही प्रदेश के अन्दर एक ही जाति के लोगों के साथ दो प्रकार का व्यवहार होता है। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये एक नियम बना था जो भारत सरकार ने बनाया है—

[अनुवाद]

"अस्पृश्यता के परम्परागत प्रथाओं ने अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म दिया है।"

[हिन्दी]

ऐसी सारी कम्युनिटीज शेड्यूल्ड कास्ट्स के अन्दर आयेंगी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में —

[अनुवाद]

"आदिम व्यवहार, अलग संस्कृति, भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग रहना, तथा सामान्य रूप से समाज से मिलने में संकोच करना—ये पिछड़ेपन के लक्षण हैं।"

[हिन्दी]

ये क्राइटीरिया रखे गये ।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि एक बार समीक्षा तथा सिंहावलोकन किया जाये इस बात का कि देश के अन्दर आज तक जो जातियां शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में और बैकवर्ड कम्युनिटीज की लिस्ट में शामिल की गई हैं, उनकी क्या स्थिति बनी। इसके अतिरिक्त अन्य जो जातियां हैं देश भर की उसमें 60 जातियां ऐसी हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन पड़े हुए हैं और उन जातियों के लोगों ने मांग की है कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल करिये, हमको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करिये, हमको बैकवर्ड कम्युनिटी में शामिल करिये। उस सूची के अन्दर उन्हें शामिल नहीं किया गया है। वे राजनीतिक दल जो यहां पर अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रलोभनों की बातें तो करते हैं—चाहे मंडल आयोग के नाम पर हो, या अन्य आधारों पर हो लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उन जातियों को, जिनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होना चाहिए था, ऐसी जातियों के लोगों को जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह एक दुःख भरी कहानी किसी एक पर्टिकुलर पोलिटिकल रिजीम की नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि बंजारा समाज के लोग निरन्तर मांग करते रहे हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल करिए। उत्तर प्रदेश के अन्दर उनको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बिहार व उड़ीसा में बंजारा समाज के लोगों को एसटी में शामिल कर दिया गया है। सन् 1988 में मेरे मित्र श्री सैयद शहाबुद्दीन जी इस समय सदन में नहीं हैं, ने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री, श्रीमती सुमति उरांव, से पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि रिप्रजेंटेशन पर विचार चल रहा है और एक काम्प्रिहेंसिव रिवीजन आफ लिस्ट एसटी एंड एससी पर विचार किया जा रहा है। यह भी कहा कि—

[अनुवाद]

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की वर्तमान सूची में कोई संशोधन सिर्फ संसद के अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

लेकिन 1988 से लेकर सरकारें बदलती गई, प्रधान मंत्री बदलते गए, राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार से आते गए, लेकिन किसी राजनीतिक दल को, उनकी सरकार को फुरसत नहीं मिली कि उन पिछड़े हुए बंजारा समाज के लोगों को या अन्य जातियों के लोगों को देश की विकास की गंगा में कुछ सुविधा दे सकें। संविधान का कुछ लाभ दे सकें और उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए काम कर सकें। उसके बाद 1990 में एक सांसद थे, श्री अजित जोगी, मेरे ख्याल से वे अभी भी हैं, उन्होंने 23-3-1990 को एक अतारांकित प्रश्न तत्कालीन श्रम व कल्याण मंत्री श्री राम विलास पासवान से पूछा था। उन्होंने भी चलता हुआ उत्तर दिया।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में व्यापक संशोधन पर एक मंत्रीमंडलीय

नोट तैयार किया गया था और पूर्व की सरकार के मंत्रीमण्डल में विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया गया था। मंत्रीमंडल ने 26-12-1988 के अपने बैठक में इसे टाल दिया था।

[हिन्दी]

यानि कि जो मंडल कमीशन की बात करते हैं, उन्होंने भी गरीबों के आंसू पोंछने के लिए पिछली सरकार के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा —

[अनुवाद]

इस सम्बन्ध में प्राप्त सभी प्रस्तावों/सिफारिशों/सुझावों पर वर्तमान सरकार फिर से विचार कर रही है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन···

[हिन्दी]

वही रटा-रटाया जवाब कि उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। । आखिर कानून बनाने के लिए किसने रोका था। आज भी स्थिति यह है कि इस बंजारा समाज के लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनकी हिमायत करने वाला कोई नहीं है। आज भी अगर आप यहां एक किलोमीटर की दूरी पर जायें, तो बोट-क्लब के मैदान में बंजारा समाज की महिलायें और पुरुष अनशन पर बैठे हैं, धरना देकर बैठे हैं। आज के समाचार पत्रों में और कल के समाचार पत्रों में है कि वे स्ट्राइक कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर वर्तमान में घोसिया, बकासा, जौनसारी, राजी और थारु जनजातियां आती हैं। ये जातियां भी बंजारा जैसी हैं और स्थायी तौर पर नहीं रहती हैं। जो नॉर्म्स बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार ने बनाए हैं, उन नॉर्म्स के अन्तर्गत आती हैं, बैकवर्ड अनुसूचित जनजाति के रूप में। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को पास किया जाए।

इस बारे में मैंने सत्ता पक्ष के लोगों से बात की और समाज कल्याण मंत्री जी से बात की तथा चर्चा की। मैं जब एक वर्ष पहले चुनकर आया था, मेरे पास बंजारा समाज के लोग आए थे, तो मैंने उनके डेप्युटेशन के सिलसिले में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप चिन्ता न करिए, बस तुरंत अभी हम बिल लेकर आ रहे हैं, हम भी विचार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 88 से लेकर अब तक जितनी सरकारें आईं और चली गईं लेकिन वह विचार इनका पूरा नहीं हो सका इसलिए यह विचार पूरा हो जाए और सरकार को बिल लाने की फुरसत नहीं, इसलिए मैं यह बिल लाया हूं और मैं चाहूंगा कि इस बिल को पास किया जाए जिससे अनुसूचित जनजाति में अब बंजारा समाज के लोग शामिल हो जाएंगे तो उनके बच्चों को भी सहूलियतें मिल जाएंगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मंडल आयोग के बड़े हल्ले हैं और इसके साथ अनुसूचित जाति की भी यहां पर बड़ी दुहाई दी जाती है। मैं केन्द्रीय सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप सुविधाएं दें चाहे न दें लेकिन हमारा अपमान न करें। मैं आगरा के क्षेत्र से आया हूं और वहां पर जाटव समाज के लोगों को अगर चमार शब्द कह कर सम्बोधित किया जाता है तो यह गाली समझी जाती है। आपके पास हमारे लिए देने के लिए कुछ हो तो दीजिए, न देना चाहें तो न दीजिए लेकिन हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न कीजिए। मैंने उनका यह आदेश देखा है, दिल्ली

एडमिनिस्ट्रेशन की वह लिस्ट, यह दिखाना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन-यूनियन टेरेटरी शेड्यूल्ड कास्ट आर्डर 1951 ये सेंसस आफ 1981 शेड्यूल्ड कास्ट का नं० 2 में दिया हुआ और वहां पर जाटव समाज को जाटव चमार कह कर कहा गया है, 10वें नं० का कोलम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और समूचे देश के अन्दर लोगों को पता लगेगा तो जाटव समाज के लोगों को और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमान की आग लग जाएगी और दुर्भाग्य की बात है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर राजा विश्वनाथ सिंह तक की सरकार ने और श्रीमान् चन्द्रशेखर जी की सरकार ने इस काम को ठीक नहीं किया और हमारे जाटव समाज के स्वाभिमान पर लात मारी है, अपमान किया है। यह नं० 10 है, उसमें लिखा है कि "चमार, चंवर, चमार, जट्वा या जाटव चमार", हमारा जाटव अपने को जाटव चमार कहने को तैयार नहीं है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के ठेकेदार, ये राजनैतिक नेता समझते हैं कि जब हिन्दू समाज के लोगों को, जो समाज में ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित रहे हैं, उनकी उपेक्षा हुई है इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत जो उनको उन्नति के अवसर दिए गए वहां वे उन्नति तो करेंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ जीकर करेंगे और इसलिए मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस चमार शब्द को, जाटव चमार शब्द को हटा कर केवल जाटव रखा जाए और अगर इसको नहीं रखेंगे तो देश भर के अन्दर यह समाचार जाएगा, संदेश जाएगा और एक भूतपूर्व संकट पैदा हो जाएगा जिसे यह सरकार झेल नहीं पाएगी। यह चेतावनी देना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार पुनः सामाजिक न्याय का नारा देने वाले उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मंडल आयोग की सिफारिश के अन्दर भी इन बंजारों के हित की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि इन्हें अनुसूचित जन-जातियों में रखिए। लेकिन लोगों को वोट की खातिर मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का ध्यान तो आ गया लेकिन उस मंडल आयोग की सिफारिशों में दिया हुआ है कि बंजारों को अनुसूचित जाति में शामिल कराइए, ये स्वीकार करने की उन्हें फुरसत नहीं मिली। इसलिए इन बंजारों का और समाज के अन्य पिछड़े हुए तबकों का, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है जो अपने को शेड्यूल्ड कास्ट में कहने को तैयार हैं और उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अपने को कहने को तैयार हैं। उनकी परिस्थितियां वैसी हैं जो पिछड़ी हुई जाति में कहने को तैयार हैं, उनकी परिस्थितियां उन नार्मस के अंतर्गत आती हैं जो घोषणाएं आपने की हैं, सिद्धान्त और नियम बनाएं हैं। एक बार उन सारी जातियों का पुनरावलोकन करिए और पुनरावलोकन करने के बाद, स्क्रूटीनाइज करने के बाद, समाज के उन पिछड़े हुए तबकों को, जिनको आप सबकी और शासकीय सहायता की आवश्यकता है, संविधान की भावना को सही रूप से साकार करने के लिए पुनरावलोकन करने के बाद उनको उसमें शामिल करिए। एक बार समूची लिस्ट का नए सिरे से आंकलन करिए और जहां जिसको आवश्यकता है जो पिछड़े हुए हैं उनको सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपील करता हूं कि इस विधेयक को राजनीति की फुटबाल न बना कर इसको सही स्पीरिट में लेते हुए और सरकार कहती है कि हम इसको करना चाहते हैं,

4.00 म०प०

इसको करे। आज भी संयोग से उसी पार्टी की सरकार है। 1992 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा, जनता

दल की सरकार थी और जहां तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, हमारे नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत पहले कहा हुआ है कि इस काम को किया जाए। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, एक बहुत ही सीमित प्रश्न पर रावत जी ने बहुत अच्छा संशोधन प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967 में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की सूची बनाई है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति-जनजाति में आती हैं, लेकिन उनका समावेश उन सूचियों में नहीं है। इसलिए यह सुझाव बहुत उचित है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जो बंजारा जाति है, उसकी चालढाल, रहन-सहन, जो चीजें अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई हैं इस देश में, उस कसौटी के अनुसार यह जाति अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करने योग्य है और इसको सम्मिलित न करना उसकी उन्नति में बाधा पैदा करना है।

मुझे ठीक से याद है, जब इस आदरणीय सदन में पहले सत्र में एक विधेयक कल्याण मंत्रालय की ओर से गुजरात की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए लाया गया था और उस समय विभिन्न राज्यों के कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा था कि उनके राज्य में भी जो सूची है, वह त्रुटिपूर्ण है। इस पर एक बात आई थी, उस दौरान जब मण्डल कमीशन की संस्तुतियां लागू की जा रही थीं, उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि नए सिरे से शूद्र और अति-शूद्र, पिछड़ी और अति-पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की जाए और कल्याण मंत्रालय ने उसके तहत एक मुकम्मिल सूची नए सिरे से बनाकर रखी है। मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने आश्वासन भी दिया था कि उस सूची के अनुरूप एक विस्तृत और मुकम्मिल विधेयक आज की तारीख तक सदन के सामने नहीं रखा जा सका है।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में एक गोण जाति है, उसके बारे में कई प्रकार की विसंगतियां हैं। कुछ जिलों में उसको अनुसूचित जाति में, कुछ जिलों में पिछड़े वर्ग में और कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति में माना जाता है। नतीजा यह है कि विभिन्न जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, उनको प्रमाण-पत्र जारी करने में दिक्कत होती है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि 10 वर्ष पूर्व जो जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक आज की तारीख में 3-4 फीसदी अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। संविधान इस बात का आश्वासन देता है कि हर जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा, क्षेत्रों का

पुनरसीमन होगा, लेकिन 1976 में एक संविधान संशोधन करके यह कर दिया गया कि अब यह पुनरसीमन सन् 2000 के बाद होगा। इसके पीछे एक बहुत सोची-समझी साजिश है और वह साजिश यह है कि संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ी जातियों का परिगणित और अनुसूचित जातियों-जनजातियों का जो अनुपात हो गया है, उसी अनुपात में तत्काल विधान सभा और लोक सभा में सीटों में वृद्धि करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षित स्थान हैं, उसमें भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यह कुटिल कोशिश होती रहती है। यदि और जातियों को अनुसूचित जाति-जनजाति में समाहित कर लिया गया तो सरकारी नौकरियों में भी उनके आरक्षण अनुपात में वृद्धि करने का दबाव सरकार पर आएगा। इसलिए सरकार के ऊपर हावी जो द्विज मस्तिष्क के लोग हैं, वे किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह जो लम्बी साजिश है, इसके कारण इस सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने में सरकार को परेशानी होती है।

इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर कल्याण मन्त्री जी जो मुकम्मिल विधेयक प्रस्तुत करेंगे, कल्याण मन्त्री जी का आश्वासन है और कल्याण मंत्रालय में मण्डल कमीशन की संस्तुतियां लागू होने के बाद पूरे देश में जो सर्वेक्षण करवाया था उस सर्वेक्षण के अनुपात में पिछड़े, अति-पिछड़े, शूद्र, अति-शूद्र और दलित जातियों की संख्या नये सिरे से निर्धारित की जाए तथा उसी जनसंख्या के अनुपात में विधान सभा तथा लोक सभा की सीटें और सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित की जाएं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : चेयरमैन साहब, आज जो नया बिल आपके सामने प्रस्तुत है, मैं इसका समर्थन करते हुए एक-दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे यहां जो शेडयूल्ड कॉस्ट्स और ट्राइब्स की लिस्ट है यह अजीब ढंग से बनती है, जिससे सवालात पैदा होते हैं। लिस्ट का सबसे बड़ा लेकूना हम समझते हैं कि एक-एक स्टेट की लिस्ट अलग-अलग है। एक स्टेट में जो शेडयूल्ड कॉस्ट्स या ट्राइब्स के हिसाब से मान्यता प्राप्त नहीं है। मुश्किल यह होती है कि आज के जमाने में बराबरी नहीं रहती, वे लोग काम-काज के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, बसते हैं। जब वे वहां जाते हैं तो नान-शेडयूल्ड कॉस्ट्स हो जाते हैं और उनके लिए बहुत-सी दिक्कतें पैदा होती हैं।

सरकार से मेरा आग्रह है कि आफिशियल बिल जब लायेंगे तो इस बात का ध्यान रखें और एक कॉमन लिस्ट बनाएं ताकि यदि कोई शेडयूल्ड कॉस्ट्स का आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो जाए तो उसका नाम शेडयूल्ड कॉस्ट्स या ट्राइब्स की लिस्ट से न कटे। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, यह मैं समझता हूं।

राजस्थान के बंजारे के बारे में एक माननीय सदस्य ने बोला, ऐसे बंजारे बहुत से स्टेट्स में हैं। हमारे यहां भी हैं, यू०पी० के कुछ हिस्सों में भी हैं, बहुत सी जगहों पर हैं। अक्सर एक जगह से दूसरी जगह ये लोग अपने धन्धे के लिए जाते हैं। इन लोगों के लिए बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं। कहीं रिकाग्नाइज्ड हैं, कहीं रिकाग्नाइज्ड नहीं हैं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं।

दूसरी बात यह है कि शेडयूल्ड कॉस्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इनक्लूजन की बात यहां आयी है, किन-किन को इनक्लूड करना चाहते हैं, यह अगर पता चलता तो बोलना और आसान होता। कहीं ऐसा न हो जाए कि इनक्लूजन के समय जो शेडयूल्ड कॉस्ट या शेडयूल्ड ट्राइब्स के अन्दर

नहीं आते हैं उनका नाम भी आ जाए। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो शेडयूल्ड कॉस्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट बनाते हैं, वह एक ही ख्याल से बनाते हैं, कि उनकी हालत में कुछ सुधार आए, सरकार की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिले, उनकी माली हालत में, सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन लिस्ट बना कर हम छोड़ देते हैं और इलेक्शन के समय कुछ सीटें रिजर्व हो जाती हैं बाकी जो काम करना है, माली हालत को सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए, इस पर लोग ध्यान देना भूल जाते हैं।

अगर इस चीज को भूल जाएं तो लिस्ट बनाकर क्या फायदा। आज भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें सबसे बड़ी समस्या रेडीकल लेंड रिफार्म न हो की है और गरीब तबके के लोगों के हाथ में जमीन न पहुंचायी जाए तो इनकी माली हालत नहीं बदल सकती है। लिस्ट बढ़ायेंगे, लिस्ट से बाहर जायेंगे या सिर्फ इलेक्शन के लिए कुछ कांस्टीच्युऐंसी रिजर्व रहेगी तो इससे काम नहीं होगा। वेलफेयर मिनिस्टर यहां पर हैं इसलिए मैं कहूंगा कि लेंड रिफार्म आपके दायरे के बाहर है लेकिन आपकी केबीनेट के बाहर नहीं है। वेलफेयर मिनिस्टर होने के नाते आपको ज्यादा जोर देना चाहिए। अनुसूचित जाति और जन-जाति की जो लिस्ट बनी हुई है और जो बहुत से पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, तीस साल से ऊपर हो गए हैं तो लेंड रिफार्म एक्ट होने के बाद भी उनके पास जमीन क्यों नहीं पहुंची है। उनको जमीन क्यों नहीं दी जा रही है। जो जमीन सरकार के पास है और वह वेस्ट हो गई है तो उस जमीन को निकालकर पट्टे पर दिया जा रहा है। जहां भी देते हैं तो यह पट्टा छीन लिया जाता है। इनके ऊपर दबाव है, पट्टा पाने के बाद भी जमीन वापिस देने पर मजबूर हो जाते हैं। इनके प्रोडक्शन के लिए इन्तजाम करना होगा। उनके हाथ में जमीन नहीं पहुंची हैं, उनके घर के दरवाजे तक शिक्षा का इन्तजाम नहीं किया है तो उनकी माली हालत खराब है। सिर छिपाने के लिए भी उनके पास इन्तजाम न हो तो यह लिस्ट बनाकर कोई काम नहीं होगा। इस पर ज्यादा लंबी चर्चा करना मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि सदन में जितने विद्वान सदस्य हैं वे इस बात को जानते हैं कि क्या हो रहा है। गांव में सामन्तवाद का ज्यादा दबाव है। इस दबाव से उनको निकालना है और बचाना है और उनकी माली हालत एवं सामाजिक स्थिति को बदलना है। उन्हें शिक्षा दिलानी है और उनके लिए घर बनाना है। हर जगह से शेडयूल्ड कास्ट-शेडयूल्ड ट्राइब्स एम०एल०ए० और एम०पी० हो गए हैं तो उसकी बराबर साझेदारी होनी चाहिए। सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का नौकरी का कोटा फिल-अप नहीं हो रहा है। आप समझते हैं कि उनमें क्वालिटी नहीं है और वे ए-बी-सी ग्रेड में नहीं हो सकते हैं। ग्रेड-फोर यानी जो पीयन की पोस्ट भी फिलअप नहीं हो रही है और आप कहते हैं कि सूटेबल कंडीडेट्स एवेलेबल नहीं हैं इसलिए एस०सी०एस०टी० का कोटा फिलअप नहीं हो रहा है। कल्याण मंत्री यहां बैठी हुई हैं वे जवाब देंगी। मैं उनसे कहूंगा कि आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। सिर्फ लिस्ट बदलने से काम नहीं होगा, कोई नाम जोड़ दिया जाये और कोई निकाल दिया जाये इससे काम चलने वाला नहीं है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि कॉमन लिस्ट हो अगर कोई अनुसूचित जाति का आदमी एक राज्य में अनुसूचित जाति में है और दूसरे राज्य में नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही बात अनुसूचित जनजाति के बारे में भी होनी चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि यह

ठीक है कि आपके दायरे में यह बात नहीं है, लेकिन केबिनेट के दायरे में है, आप वहां दबाव डालिये और रेडिकल लैंड रिफार्म जिसके बारे में आपकी सरकार कमिट कर चुकी है, उस कमिटमेंट को फुलफिल करायें। जो वेस्टेड जमीन है उनको दिलायें जिनके पास कुछ नहीं है इससे उनकी माली हालत सुधरेगी।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, श्री भगवान शंकर रावत ने जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल रखा है अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में संशोधन करने के लिए उसको बहुत ही सीमित उद्देश्य है, क्योंकि इसको उन्होंने उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखा है। मेरा सुझाव कल्याण मंत्रीजी को यह है कि इस तरह के बहुत से प्रस्ताव और विधेयक पहले भी अलग-अलग सांसदों द्वारा अपने-अपने प्रदेशों या क्षेत्रों तक ही सीमित रहकर आते रहे हैं। पिछले सत्र में जम्मू-कश्मीर में गूजरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विधेयक आया और यहां पास हुआ। उस समय भी हमने सुझाव दिया था कि किसी क्षेत्र विशेष या जाति विशेष तक सीमित न करें। राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि कोई आदमी एक प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति में गिना जाता है तो वह उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला जाये तो वहां उसको वे सुविधायें नहीं मिलती जो अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को मिलती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी पेशे से जुड़े हुए जो नाम हैं वे उस प्रदेश में कुछ हैं और दूसरे में कुछ और हो जाते हैं। क्योंकि वह जाति उस नाम के न होने पर अनुसूचित जाति और जनजाति लिस्ट में शामिल नहीं है इसलिए उसकी वे सुविधायें समाप्त हो जाति हैं।

मैं आपको एक विचित्र बात बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में कुछ भाग जब पंजाब का 1966 में पुनर्गठन हुआ तो पंजाब से जोड़ा गया हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की भी स्थापना हुई, तो हिमाचल प्रदेश में जिसको हम पुराना क्षेत्र कहते हैं वहां जो गद्दी या गूजर हैं वे अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन उसी प्रदेश का नया हिस्सा जो पंजाब से कटकर गया वे अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : कौन सी जगह में रहते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : भाटिया साहब पुराने का मतलब जो नीचे का एरिया है वहां गूजरों को, गद्दी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।

श्री आर०एल० भाटिया : आप लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, क्यों नीचे आना चाहते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : गद्दी और गूजर पहाड़ों पर भी रहते हैं इसलिए कह रहा हूं। इनके साथ जो सामाजिक अन्याय हो रहा है वह समाप्त नहीं हुआ है। एक प्रदेश में भी इस तरह की श्रेणियां बन गई हैं।

सभापति महोदय, एक और उदाहरण है। लोहार को लोहे का काम करता है, तरखान जो लकड़ी का काम करता है, दोनों एक परिवार के सदस्य होते हैं, लोहार को अनुसूचित जाति में रखा है। और लकड़ी का काम करने वाला नहीं है। तरखान को वह सुविधा नहीं मिल रही है। जो कांस्टीट्वेंसी शेड्यूल्ड कॉस्ट के लिए रिजर्व है वहां पर लुहार एम०पी० या एम०एल०ए० बन सकता है लेकिन उसी परिवार में जो लकड़ी का काम करने वाला है और पटवारी ने इसकी एण्ट्री कर दी है,

उसको वह सुविधा नहीं है, उसके बच्चों को स्कूल में सुविधा नहीं है। एक शेड्यूल्ड ट्राईब के नाते कोई चुनाव लड़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है जैसाकि मैं शुरू में कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में जब आपने गूजरों को पिछले सैशन में शेड्यूल्ड ट्राईब्स में शामिल किया, उसी समय मैंने कहा था कि सारे देश को देख लिया जाये। साथ लगते प्रदेश को भी देख लीजिए और एक बार संविधान संशोधन लाईये और जो जातियां बाहर रह गई हैं, उसमें शामिल करें। इसलिए मेरा तो यह सुझाव रहेगा कि आरक्षण की नीति पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। ऐसा न हो कि हर बार छोटे-छोटे प्रदेश से कोई मांग आये कि इनको शामिल किया जाए। तो इसलिए कोई लेजिस्लेशन पीसेज में लाकर कोई कानून बन सकता है? जैसे बंजारा को आपने शामिल कर दिया या कहीं कुर्मी रह गया। मैं ज्यादा जाति का नाम नहीं लूंगा लेकिन यह सुझाव अवश्य दूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्धारण कर दिया जाना चाहिये कि कौन-कौन सी जाति को आप शेड्यूल्ड कास्ट में रखना उचित समझते हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिये तो करें।

सभापति जी, अब दूसरा मसला जुड़ा हुआ है कांस्टीट्वेंसी रोटेशन का। 5-10 साल के बाद चुनाव क्षेत्र बदल दिया जाये। जो आरक्षित क्षेत्र हैं, वे खुले हो जायें और जो खुले हैं आरक्षित कर दिया जाये। कई कांस्टीट्वेंसी 20-20 साल से रिजर्व चल रही है। यदि उस कांस्टीट्वेंसी से कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह उस रिजर्व सीट से चुनाव नही लड़ सकता है। उसी प्रकार से यदि ओपन सीट है तो वहां से शेड्यूल्ड कास्ट का यदि अच्छा कार्यकर्त्ता भी हो, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसी सीट कोई होगी जहां से अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ओपन से जीतकर एम०पी० या एम०एल०ए० बना हो। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसी रोटेशन निश्चित कर देनी चाहिए कि वह स्थान दस वर्ष तक रिजर्व रहेगा, उसको बाद में ओपन कर दिया जाये। इससे भी समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय, फिर शेड्यूल्ड ट्राईब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में शामिल होने का मुख्य आकर्षण नौकरी में आरक्षण प्राप्त करना है। शिक्षा में समय जो भिन्न-भिन्न सुविधायें मिलती हैं, रोजगार में सुविधायें प्राप्त करना भी इसमें आता है। इस कारण यह दौड़ लगी हुई है कि इस जाति को शामिल करो। जैसाकि मण्डल कमीशन की बात उठी थी। मण्डल आयोग की लिस्ट में एक नाम चिड़ीमार जाति भी है, यह कौन सी है? एक जाति पटियाल है जो उच्च जाति के राजपूत हैं। वे सभी प्रकार का सुविधायें चाहते हैं क्योंकि मण्डल आयोग की लिस्ट में नाम है। इसलिए यह सारा झगड़ा जाति के आधार पर है। मेरा अनुरोध है कि एक बार राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करे और एक कमीशन बैठे जो सारी सूचनायें इकट्ठी करें कि कौन-कौन सी जाति होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिये, वे न हों ताकि स्थान परिवर्तन पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने पर जो सुविधायें मिलती हैं, वह बनी रहें क्योंकि ऐसा न होने पर ही वे लोग पीछे रह गये हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके धन्यवाद।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : सभापति जी, यह जो बिल माननीय सदस्य ने पेश किया है, मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे मुल्क को आजाद हुए 45 वर्ष हो गए हैं। एस० सी० एस० टी० के लोगों को अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया। असेम्बली में और संसद में तो रिजर्वेशन के मुताबिक लोग एस० सी० के आ जाते हैं मगर जहां कोई काम होता है, वहां इनका जिक्र नहीं होता। यहां की वजारत बन गई और उसमें 16 मिनिस्टर हैं मगर उसमें एक भी शेड्यूल

कास्ट का नहीं है। बाकी जो स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर होते हैं ये तो मिनिस्टर ही नहीं होते हैं। ये तो कैबिनेट में नहीं बैठते। जो बैठते हैं वह 16 हैं और उनमें पापुलेशन के मुताबिक जितने संसद के अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, उनके अनुपात में होना चाहिए। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि राज्य सभा में पंजाब से इस साल दो मेम्बर शेड्यूल कास्ट के आए हैं। 40 साल तक कोई अनुसूचित जाति का मेम्बर राज्य सभा में नहीं लिया गया, इस साल दो मेम्बर आए हैं। मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूं प्राईम मिनिस्टर साहब का कि इन्होंने ऐसा किया है। आप यह देखिए कि पैदा होने के 20 साल बाद व्यक्ति बी० ए० कर लेता है। बी० ए० करने के बाद वकालत भी करता है। 10-15 साल वकालत करे तो वह उच्च पदों पर पहुंच सकता है। यहां कितनी हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां कोई शेड्यूल कास्ट है? वहां कोई सेशन जज भी जनजाति का नहीं है। इसलिए राज्य सभा में रिजर्वेशन चाहिए, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन चाहिए वजारतों में रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन की बात तो बहुत चलती है मगर जहां कुछ देना होता है वहां कोई कुछ बात नहीं करता। शेड्यूल कास्ट तो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। यह तो हालात हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट कांग्रेस को वोट डालते हैं। 45 सालों से शेड्यूल कास्ट कांग्रेस को वोट डालते आए हैं। राजस्थान में 15 जाटवों का कत्ल हो गया तो यहां आनरेबल मेम्बर साहब कुछ बोले ही नहीं जो अब जाटवों की बात करते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह :) चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा कि कैबिनेट में कोई शेड्यूल कास्ट का नहीं है शंकरानन्द जी को ये भूल गए। उनका नाम इन्हें याद नहीं आया।

श्री हरचन्द सिंह : शंकरानन्द जी तो पट्रोल और गैस देते हैं। उनको इससे क्या करना है। उनकी ड्यूटी के मुताबिक मिलना चाहिए। हरिजनों की गिनती के मुताबिक होना चाहिए।

सभापति महोदय : भाटिया जी की सिफारिश करो कि सरदार हरचन्द सिंह जी को भी मंत्री बनाएं!

श्री हरचन्द सिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मुल्क में हो रही हैं, सरकार की नीयत सही है तो इनकी कुछ भलाई करें। आज 20 करोड़ हरिजन हिन्दुस्तान में हैं। 20 करोड़ हिन्दू हैं मगर इनको हिन्दू ही हिन्दू नहीं मानते। ये सब कांग्रेस को वोट देते हैं। यू०पी० में 29 आदमियों का कत्ल हो गया और राजस्थान में 15 आदमी कत्ल हो गए। जिसका भी राज आता है तो हरिजनों की तो छुट्टी हो जाती है।* (व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल : सभापति जी, इन्होंने मुख्य मंत्री जी पर जो आरोप लगाया है, हमें उस पर आपत्ति है। कृपया इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरचन्द सिंह : मैं तो एक ही बात कहता हूं ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : आज तो फ्री फार आल हो रहा है।

श्री हरचन्द सिंह : मैं तो एक ही बात कहता हूं कि राज्य सभा में भी रिजर्वेशन हो, कैबिनेट में भी रिजर्वेशन हो और हाई कोर्टस में भी रिजर्वेशन हो, तब तो बात बनती है, वरना फिर कांग्रेस को वोट डाले जाते हैं और डाले जायेंगे, पूछे कोई चाहे न पूछे। इन्होंने शंकरानन्द जी की बात कहीं, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि यहां आये मुझे 5 महीने हो गये, कोई मुझे बताये कि शंकरानन्द जी ने हरिजन भाईयों के लिये क्या बोला है, वे उनके लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला हो या कोई बात कही हो तो आप मुझे बताएं, जितने यहां बैठे हैं क्या उन्होंने बात कही है।

कर्नल राव राम सिंह : शंकरानन्द जी बड़ा सपोर्ट करते हैं।

श्री हरचन्द सिंह : क्या कहने, कर्नल साहब, आप भी उन्हें बड़ा सपोर्ट करते हैं। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि अपने जो प्रधान मंत्री जी हैं, वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। जब वे तिरूपति गये थे तो सब लोग वहां इनकी तारीफ करते रहे थे। मैं स्वयं वहां गया था। मैंने देखा कि विशाखापट्टनम में डेढ़ लाख लोग इकट्ठा थे जो इन्हें सुनने के लिए आये थे। सब लोग आपस में खड़े होकर इनकी तारीफ कर रहे थे। इसलिये मैं इनसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, चेयरमैन साहब, कि अभी वक्त है, आप गरीब-नवाज हैं, इसलिये आप हरिजनों और पिछड़े लोगों को राज्य सभा में भी रिजर्वेशन दो। इतना ही कहते हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेश कुमार (गया) : सभापति जी, राज्य सभा में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। सदन में जो संविधान संशोधन विधेयक, 1967 लाया गया है, उसमें बंजारा जाति को शामिल करने का प्रावधान है, और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ, मैं अपने कुछ सुझाव भी आपके सामने विचार के लिए रखना चाहता हूं।

आज स्थिति यह है कि एस० सी० और एस० टी० की जो सूची बनी है, उसमें अभी कई जातियों को शामिल करना शेष है, जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में ऐसी अनेकों जातियां हैं जो एस० सी० और एस० टी० की सूची में शामिल नहीं हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बिल्कुल बदतर है। जिन जातियों को एस० सी० और एस० टी० की सूची में शामिल किया गया है, उनके अलावा अन्य कई जातियों की स्थिति बहुत बदतर है। इसलिये जहां मेरा सुझाव है कि बंजारा जाती को तो इसमें शामिल किया ही जाए, वहीं कई दूसरी जो जातियां हैं, जैसे हिन्दुओं में नट हैं, साईं हैं, कीर हैं, वैसे ही मुसलमानों में धोबी हैं, अन्य लोग हलखोर हैं, इन लोगों की स्थिति, हरिजन जातियों की सूची में जो लोग शामिल हैं, उनसे हजार गुना खराब है। ऐसे लोग चाहे किसी भी हल्के, किसी भी राज्य या किसी भी गांव में हों, वे अपने लिये अधिकारों की मांग ठीक से कर नहीं पाते हैं, बढ़िया तरीके से बोल नहीं पाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि ऐसी सभी जातियों को इस सूची में और शामिल किया जाए।

सभापति जी, यह उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, एस० सी० और एस० टी० के नाम पर आज पूरे देश में, कई लोगों ने शैक्षणिक या एजूकेशन प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरियों,

रेल विभाग में, इंजीनियरिंग कालेजों में यानी पढ़ाई लिखाई के हर मामले में जाली सर्टिफिकेट लेकर प्रवेश प्राप्त कर लिया है। कहीं-कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि जाली सर्टिफिकेट लेकर दूसरे लोग विधान सभाओं में भी चुनाव लड़कर आ गये हैं। अतः हमारा अनुरोध होगा कि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए और वह समिति पार्लियामेंट की समिति बननी चाहिये जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, इस तथ्य की गहराई से जांच करे ताकि हरिजनों की एस० सी० और एस० टी० की जो लिस्ट है, उसके नाम पर जितने गैर-जातियों के लोग आ जाते हैं, उनका वह कार्य संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है और इस मामले में हम लोगों को और सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट रोज-रोज हो रहे हैं, इन अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है।

एक बार व्यापक तौर से इसमें जांच कराकर संशोधन होना चाहिए। जो रोज-रोज संशोधन हो रहे हैं, मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता हूं। पूरे देश में इसकी गहराई से जांच करवाकर ऐसे लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि रोज-रोज अमेंडमेंट की जो बात की जाती है, वह न आने पाए।

जिसकी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा गिरी हुई है, वैसे लोगों को एस० सी० एस० टी० की सूची में शामिल करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वे भी स्वतंत्ररूप से अपने राज्य में खाने का रहने का और नौकरी में जाने का अधिकार प्राप्त कर सकें और जो ऐसी जातियों के लिए अन्य सुविधाएं हैं वे सभी सुविधाएं उनको मिल सकें। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

अन्त में, मैं बताना चाहता हूं कि बंजारा जाति को ये सुविधाएं देने के सम्बन्ध में जो बिल यहां पर लाया गया है, इसका तो हम शत प्रतिशत समर्थन करते हैं और जो सुझाव मैंने दिए हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को उन सुझावों को मानना चाहिए और व्यापक संशोधन करके पूरे देश में, प्रदेशों में जिले और गांव के स्तर व्यापक जांच-पड़ताल करवाने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए और हरिजन तथा आदिवासियों की जांच-पड़ताल के लिए जो कमेटी बने उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के संसद्-सदस्यों को सदस्य बनाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके कि किन-किन लोगों को इस सुची में शामिल करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, मेरे मित्र श्री भगवान शंकर जी रावत ने जो बिल यहां पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पिछली, नौवीं लोक सभा में भी और इस दसवीं लोक सभा में भी कई बार इस प्रकार की बात सदन में उठाई गई है और हमेशा आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर जल्दी ही विस्तृत विचार करके एक बिल लाया जाएगा जिसमें ऐसी सारी जातियां, जो छूटी हुई हैं, उनको सम्मिलित किया जाएगा। परन्तु मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने इसको निभाया नहीं, आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में इसका सर्वेक्षण करके और इस बात की जानकारी करके कि किसको किस जाति में रखा जाए, इसका निश्चय करके बिल लाया जाना चाहिए।

महोदय, यह बंजारा जाति भी इसी प्रकार की एक जाति है जिसके ऊपर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की एक और जाति के बारे में यहां कहना चाहता हूं

जिसको मैंने नौवीं लोक सभा में उठाया था कि उत्तर प्रदेश में एक लाख आबादी 'भुर्जी' समुदाय की है और यह भुर्जी समुदाय अपने सामाजिक, आर्थिक और हर दृष्टि से अनुसूचित जाति के लोगों से मेल खाता है और ये लोग चना, चूड़ा और चावल से जुड़े हुए उद्योग से सम्बद्ध हैं, परन्तु उपयुक्त सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण यह जाति भी समाप्त होती जा रही है और इस जाति का व्यवसाय और कला समाप्त होती जा रही है। इनकी कला बनी रहे, इस जाति को अच्छा प्रोत्साहन मिले, इसके लिए यह आवश्यक है कि इनके बारे में विचार करके इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लें।

इसके लिए मैंने नौवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में भी पत्र लिखे थे, तब भी इस बात की स्पष्ट जानकारी दी गई थी कि हां, यह जाति इन नियमों के अन्तर्गत आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जाति को भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए। इस बारे में मैं ज्यादा न कहते हुए, जो श्री सीताराम केसरी जी ने कहा था कि हम बैकलॉग को पूरा करेंगे और सारे काम करेंगे, उनको करना चाहिए। मै इस बात को निश्चितरूप से समझता हूं कि विगत 44 वर्षों में इन जातियों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। आपस में भेद को समाप्त करने का काम हम करें और इन जातियों को प्रोत्साहन देकर एक ऐसा माहौल बनाए, जिसमें सब लोग समाज में बराबरी के साथ रहें। मैं आग्रह करूंगा कि यह बिल एक जाति से जुड़ा हुआ नही है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। आज इस बिल के माध्यम से सदन को आश्वासन दें क्योंकि इससे पूर्व का जो बिल था, उसमें भी सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की कि हिंन्दुस्तान की ऐसी जितनी भी जातियां हैं जो वास्तव में इस योग्य हैं कि उनको इसमें सम्मिलित किया जाए, उसके बारे में विचार करके निर्णय लेंगे। यह आश्वासन दें कि इतने दिनों के अन्दर हम इन जातियों को सम्मिलित करने की बात करेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : मुझे बोलने के लिए यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे संविधान का उद्देश्य इस देश में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। इसे प्राप्त करने हेतु हमारे पास अनेक कार्यक्रम हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए। अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को आरक्षण उपलब्ध है और कुछ राज्यों में उन्हें इससे वंचित रखा गया है। हम इस समुदाय की बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं क्या इतना ही काफी है कि हम सरकारी नौकरियों अथवा अन्य स्थानों में उन्हें आरक्षण प्रदान कर दें अथवा क्या हम उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें और उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए छोड़ दें? अनेक अवसरों पर इसकी आलोचना की गयी है, अनेकों बार समाचारपत्रों में निराशाजनक खबरें छपी हैं। गांवों में और नगरों में भी, विशेषकर अनुसूचित जातियों के मामले में, अनेक घटनायें घटी हैं। उन पर अत्याचार और उनका शोषण गांवों में होता है।

अब इन बातों पर हम किस प्रकार सफलतापूर्वक काबू पा सकते हैं? क्या सरकार अथवा अन्य ऐजेंसियों द्वारा किये जा रहे कल्याण-योजनाओं द्वारा हम इन पर काबू पा सकते हैं? मेरे

विचार से इन बातों पर काबू पाने तथा इस समुदाय का उत्थान शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, इन्हें शिक्षित बनाकर किया जा सकता है। इन पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की सभी समस्याओं का निराकरण शिक्षा ही है। जब उन्हें शिक्षा दी जाती है तो स्वभाविक रूप से उन्हें उच्च वर्ग के लोगों की भांति सामान्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण संविधान में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से संविधान में इन सब बातों का प्रावधान है। यदि आरक्षण की व्यवस्था न हो तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। कई बार एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त समान आयु के व्यक्ति उच्च वर्ग के लोगों की भांति सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन लोगों की पृष्ठभूमि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों से बिलकुल भिन्न होती है। वहां उन्हें एक बेहतर दुनिया, बेहतर वातावरण, अच्छे विद्यालय, अच्छी शिक्षा तथा उसी स्तर के अच्छे मित्र मिलते हैं तथा इधर उनका जन्म धूल में निर्धन परिस्थितियों में होता है तथा उन्हें न तो अध्ययन हेतु उचित वातावरण मिलता है और न ही उन्हें खुला वातावरण मिलता है और न तो सरकारी तंत्र में या व्यापार अथवा अन्य किसी जगह उनका कोई सम्बन्धी होता है। अतः उन्हें संविधान द्वारा सहारा दिया जाना चाहिए। इस वर्ग को कोई सहारा अथवा आरक्षण प्रदान किये बिना वे कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं।

अनेक व्यक्ति यह कहते हैं कि इन 40 वर्षों में हमने उन्हें आरक्षण की सुविधा प्रदान की है और अब आगे आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से ऐसा नहीं है क्योंकि गांवों में उच्च वर्ग में भी अशिक्षा व्याप्त है और उन्हें उचित रूप से उजागर नहीं किया गया है। उन लोगों का क्या होगा जो आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से पिछड़े हैं? मुश्किल से एक या दो प्रतिशत भी नहीं उठ पाये हैं और नौकरी में आ पाये हैं तथा अधिकांश व्यक्ति जो भा०प्र०से० अथवा भा०पु० से० या अन्य बड़ी नौकरियों में आ गये हैं वे अपने गांवों में जाकर अपने समुदाय में नहीं मिलते हैं ताकि वे भी आगे आ सकें। यह भी समाज की एक कमजोरी है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि उन्हें नीचा समझा गया है क्योंकि अभी भी अनेक स्थानों में अस्पृश्यता विद्यमान है। हमारी शिक्षा तथा सदन में और सदन के बाहर हमारे सभी नेताओं द्वारा इस सम्बन्ध में बोलते रहने के बावजूद अभी तक यह प्रथा मौजूद है। इससे हम किस प्रकार उबर सकते हैं?

ऐसा सिर्फ आरक्षण द्वारा हो सकता है। आरक्षण का अर्थ आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होना नहीं होता है। इस समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। हम उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं? शिक्षा द्वारा। अब वे विद्यालयों में हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं। इनमें से कोई भी विद्यालय नहीं जा रहा है क्योंकि उनके माता-पिता मजदूरों का कार्य कर रहे हैं और बच्चे घरों में रह जाते हैं, कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है। उनका भोजन भी नहीं रहता है। कुछ भी नहीं रहता है। अतः जैसा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने सुझाव दिया था, हमें पूरे देश में नवोदय विद्यालय की स्थापना करनी होगी और विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए। इन वर्गों के लड़के लड़कियों को उनके घरों से बाहर निकालना होगा तथा उन्हें आवासीय विद्यालयों में रखकर बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करना होगा। फिर हम सामाजिक परिवर्तन की बात सोच सकते हैं। क्योंकि यदि शैक्षिक परिवर्तन होता है तब निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन होगा। ये सामाजिक परिवर्तन उन्हें आर्थिक दृष्टि से बेहतर बनायेंगे। यह आर्थिक आकर्षण अच्छा होगा और फिर वे नौकरी अथवा व्यापार में जा सकते हैं। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रवेश कर सकते हैं।

अब अनुसूचित जाति तथा जनजाति में यह हो रहा है कि वे सिर्फ नौकरियों में ही जाना पसन्द करते हैं। सिर्फ यही बात नहीं है। इससे निश्चित रूप से उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा। इससे बहुत थोड़े लोगों की प्रतिष्ठा हासिल हो पायेगी लेकिन इससे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सभी लोगों में सुधार नहीं आ सकता है। अतः उन्हें अन्य क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग अथवा छोटी नौकरियों जैसे इलेक्ट्रिशियन या मकैनिक आदि में जाना चाहिए।

ऐसी कई बातें हैं, काम हैं जो हमने पहले कभी नहीं किए। अपने निजी जीवन में हमने कई संस्थाएं देखी हैं।

इन समुदायों के लोगों के मन में तकनीकी शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करना होगा। तब उनकी सेवाएं अनिवार्य हो जाएंगी। उनमें से कोई मैकेनिक नहीं है, क्यों? ऐसे कई अन्य समुदाय हैं जो इतने ही या इनसे भी गरीब हैं। लेकिन वे मैकेनिक के रोजगार के लिए जाते हैं, चालक के कार्य के लिए जाते हैं और इसी प्रकार अन्य रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन इन लोगों में से कोई नहीं जाता। मैंने देखा है कि उनमें से कोई चालक नहीं है, उनमें से न कोई रिक्शा-चालक है और न कोई कार-चालक वे तो बस केवल सरकारी रोजगार ही चाहते हैं। इसलिए उन्हें इस दायरे से बाहर निकालने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

माना किसी गांव में कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वह एक दुकान खोलता है। उसकी दुकान से कोई खरीददारी नहीं करता। यह किसी शहर अथवा बड़े कस्बे में जाता है तो वह किसी रोजगार आदि के माध्यम से, आर्थिक रूप से अच्छा काम करता है। वह अच्छा कार्य कर सकता है। क्यों। क्योंकि अभी भी एक ऐसा सामाजिक कलंक है जो लोगों के दिमाग पर हावी है। यह सदा हमारे साथ है। इसी के वजह से एक अलगाव पैदा हो गया है, एक विभेद पैदा हो गया है। इस अलगाव की प्रवृत्ति को हमें दूर करना होगा, यह या तो समूची जनता को शिक्षित करके किया जा सकता है या आर्थिक रूप से उनकी सहायता करके ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। अन्यथा अगली शदी तक, मैं नहीं समझता, कि हम इन लोगों को कुछ रोजगार उपलब्ध कराकर इनके प्रति न्याय कर सकते हैं।

मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने दूसरी जाति में विवाह करके अपनी जाति को भुला दिया। यह इन लोगों की दूसरी खामी बन गई है। इस पहलू पर सामाजिक दृष्टिकोण से गम्भीरता से गौर किया जाना चाहिए। यदि वे विवाह नहीं करना चाहते तो समुदाय के बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। यहां इस तरह की हीन भावना है। यदि कोई लड़का स्कूल जाता है तो उसके अन्दर ऐसी हीन भावना रहती है कि वह अनुसूचित जाति का है अथवा अनुसूचित जनजाति का है, वह इतना योग्य नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता है। यह भावना दूर होनी चाहिए। लेकिन कैसे? यह केवल शिक्षा से ही हो सकता है।

अनुसूचित जाति के कई लोगों ने देवदासी पद्धति अपना ली है। वे वेश्यावृत्ति में आ गए हैं। वे वेश्यावृत्ति के लिए क्यों जाते हैं? वे इन स्थितियों को क्यों अपनाते हैं? वे अज्ञानता, अशिक्षा, सीमित दृष्टिकोण और गुण्डों के दबाव में ऐसा करते हैं। इन सब मुद्दों पर गौर किया जाना चाहिए। जब एक लड़की शिक्षित हो जाती है, जब एक लड़का शिक्षित हो जाता है, वे अपना अध्ययनशील जीवन नहीं अपना सकते।

बंजारे आदि जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग लगभग जंगलों में ही रहते हैं। उन्हें वर्तमान

व्यवस्था का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। वे कुछ नहीं जानते। उनमें से कई लोगों ने रेलगाड़ी तक नहीं देखी है। उनमें से कई लोगों ने हवाई जहाज तक नहीं देखा है। वे इतना अधिक पिछड़े हुए हैं। निश्चित रूप से देश में धनी और निर्धन, शिक्षित और अशिक्षित तथा शहरी और ग्रामीण व्यक्ति के बीच बहुत बड़ी खाई है। हमारे दो भारत हैं। एक भारत वह देश है जहां गरीब लोग रहते हैं और दूसरा वह भारत है जहां धनी लोग और शहरी लोग रहते हैं। जब मैं विमान से अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो मेरा भाई मुझे लेने कार में आता है। हमने देश में इस प्रकार की विषमता पैदा कर दी है। इसे दूर करना होगा। यह विषमता कब दूर होगी ? अधिकांश लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं। वे अभी तक पिछड़े हुए हैं। उनका उत्थान करना होगा, उनकी सहायता करनी होगी। केवल कानून से ही यह नहीं हो पाएगा। सभी धार्मिक नेताओं को आगे आकर इन लोगों की सहायता करनी होगी जिससे एक भारत, एक समाज तथा एक राष्ट्र बन सके।

[हिन्दी]

श्री एस० एम० लालजान बाशा (गुन्टूर) : सभापति जी, भगवान शंकर रावत जो बिल लेकर आये हैं, हालांकि उनको बहुत पहले यह बिल लाना चाहिए था लेकिन चलो अभी भी इस बिल को लेकर आये हैं तो यह बहुत खुशी की बात है।

बंजारे लोगों का न घर होता है, न द्वार होता है और वह यहां वहां भटकते रहते हैं। पूरे देश भर के लोगों जैसे न उनकी कोई जगह होती है, न कोई ठिकाना होता है, कुछ भी नहीं होता है, उन लोगों के लिए आज यह बिल लेकर यह आये हैं और इस सदन ने इसको समर्थन दिया है तो उन लोगों को भी हमें धन्यवाद देना है। हमारे देश में मुसलमानों में ऐसी जातियां हैं, जैसे धोबी, हलाल और मेहतर जातियां हैं। और भी कोमों में बहुत सी इस तरह की जातियां हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी भी हालत बहुत बदतर है। उनको एस० सी०, एस० टी० से भी हजारों परसेण्ट बदतर कहने में मुझे कोई शक नहीं है। मैं मांग करता हूं कि जो भी पिछड़ी जातियां हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, जो देश में बहुत गरीब हैं और इतने पिछड़े हैं कि पढ़ाई में, इल्म में कमी होने की वजह से उनको मौके भी कम मिलते हैं इसलिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है।

वैसे गवर्नमेंट इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करती है लेकिन वह पैसा किधर जाता है, किसी को भी मालूम नहीं होता है। मेरी नोलिज में यह है कि कांग्रेस के लीडर्स अपने लोगों की फोर्स ककी पालने के लिए जितना भी पैसा गवर्नमेंट से निकलता है, वह अपने आदमियों को पालने के लिए और अपनी फोर्स को बढ़ाने के लिए, उनको लोन फैसिलिटी देने के लिए, घर देने के लिए उपयोग करते हैं और वे इसमें बहुत माहिर हो गये हैं, गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा इसमें बर्बाद होता है। मेरी मांग है कि इन लोगों को जो भी पैसा मिलता है, एस० सी०, एस० टी० के लिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोगों को विचार करके उनकी जो सही मांग है, उसको सही ढंग से करना चाहिए।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम चन्द राम (नवादा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य संविधान संशोधन का जो

बिल सदन में लाए हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित, मैं उसका समर्थन करता हूं। दूसरी ओर अफसोस जाहिर करता हूं, क्योंकि मैं खुद अनुसूचित जाति का हूं और आरक्षित संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है। मेरी जिन्दगी के मेरे अनुभव मेरे साथ हैं। समाज ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। जिस दूर तक इस जाति के विकास के लिए चलना चाहिए था, उस दूर तक जाने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि एक-चौथाई सांसदों की संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है और वे लोग अपनी-अपनी जिन्दगी से परिचित हैं। जिस अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा के बारे में संविधान में लिखा हो, उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए आजादी के 45 वर्षों के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, यह कितने अफसोस की बात है। इस सदन में पूरे देश का नेतृत्व होता है और एक भी ऐसी जगह नहीं है, जहां नेतृत्व नहीं हो रहा हो। सब नेतृत्व कार्यशक्तियां जिसका समर्थन करें, दुहाई दें कि अनुसूचित जाति की जय हो और जय के बजाए उसकी खय हो, यह कहां तक उचित है। असल बात यह है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मेरा अनुरोध होगा कि इनके कल्याण की जितनी भी योजनायें हैं, वे उन तक पहुंचें। बहुत प्लानिंग है, एजुकेशन में, खेल-कूद में और उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सी योजनायें हैं, लेकिन एक भी योजना शत-प्रतिशत उन तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में ही लूट ली जाती हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो समझता हूं कि जो संविधान में पवित्र दृष्टिकोण अख्तियार किया है, उस पर कोई शक-सुबह रहेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सदन में कल्याण मंत्री जी मौजूद हैं। हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। वहां भी कुछ आरक्षण हैं, लेकिन जो आरक्षित विद्यार्थी वहां जाते हैं, चाहे छात्रा हों या छात्र, दोनों के साथ बदसलूकी की जाती है और छः महीने भी उनका वहां टिक पाना मुश्किल हो जाता है। मैं नवादा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे यहां के दो जिले उससे अटैच हैं। संयोग की बात है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो नवोदय विद्यालय हैं। दोनों नवोदय विद्यालय की गाथा यह है कि उनमें से एक तो बतरीबनावा क्षेत्र में है, जो नवादा जिले के प्रखण्ड में पड़ता है। उस विद्यालय के कई अभिभावक मेरे पास आए और बोले कि उनकी लड़कियों के साथ वहां का प्रिंसिपल छेड़छाड़ करता है और उसके बाद उनको कहता है कि तुम अपने भाई के साथ हनीमून मनाते हो। इस तरह से उनके साथ बदसूलकी की जाती है।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स में दर्ज न किया जाए। वहां लड़कियां पढ़ती हैं। एक संस्था है। अगर ऐसी कोई बात भी हैं, तो ये लिख कर भेज सकते हैं और उस पर जांच हो सकती है, एन्क्वायरी हो सकती है। लेकिन सदन में इस तरह की बातें महिलाओं के लिए कहना उचित नहीं जान पड़ता है। मेरा प्वाइंट आर्डर है कि ये लिख कर भेजें, सरकार जांच करेगी। ··· (व्यवधान) ···

श्री प्रेमचन्द राम : मैं जो घटना घटी है, उसके बारे में कह रहा हूं। ··· (व्यवधान) ···

श्री राजेश कुमार : महोदय, उसके बारे में इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है। लिख कर दे देंगे। लेकिन जो माननीय सदस्य बोले हैं, हरिजन-आदिवासियों की देश में हालत है, उसके बारे में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है। मंत्री महोदय चाहेंगी, तो वे लिख कर दे देंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : सही है, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकती हूं। मैंने कहा है संसद में कि शब्दों के चयन में थोड़ा-सा ख्याल रखें।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है, यह तो रहेगा।... (व्यवधान)...

श्रीमती कृष्णा साही : लड़कियों की बात है। अतः मर्यादा का ख्याल रखें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई ऐसी बात नहीं है। चलने दो।

(व्यवधान)

———

श्री प्रेम चंद राम : सभापति महोदय, जो वस्तुस्थिति है, ठीक है उसको दूसरे रूप में लिया जाए, लेकिन जो वस्तुस्थिति है अगर हमको डिसकशन में भाग लेने का मौका मिला है तो मैं यहां नहीं कहूं तो कहां कहूं।

5.00 म० प०

[उपसभा अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या रोड़ पर मैं अपनी बात को कहूं ? हमारे ऊपर जो घटना घटती है उसको मैं सदन में न कहूं तो कहां कहूं ? फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं बोलना बन्द कर देता हूं। (व्यवधान) जो सत्य है उसको मैं कहूंगा और सदियों से यह जाति उपेक्षित रही है और कल इतिहास में भी इसको शुद्र कहा गया है। गले में घंटियां बांधी गई और उसके बाद आजादी प्राप्त होने के बाद बड़ी उम्मीद थी और जब यह कांस्टीट्यूशन बना था, वेलफेयर की बात हुई थी, सोशल सिक्योरिटी स्टेट की बात हुई थी तो सोशल जस्टिस की बात कही गई, फंडामेंटल राइट्स बनाए गए और कहा गया कि कमजोर लोगों को न्याय मिलेगा। शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जैसी जातियों को शेड्यूल में लिया गया जो चारों तरफ से उपेक्षित रहा था और इसके विकास के लिए चिन्ता की गई। (व्यवधान) अगर नैतिक जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की और पूरे सदन से मैं यह अपील करूंगा कि अगर सचमुच सदन इस पर चिन्ता जाहिर कर रहा है, सचमुच सदन व्यवहारिक दृष्टिकोण अख्तियार करने को तैयार है तो सरकार सदन से बाहर नहीं होगी।

हमें सरकार से उम्मीद है कि यदि सरकार का इस ओर चिन्तन है तो एक बार इसकी पूरी व्यापक जांज करावे और जांच के बाद जो इस क्राइटेरिया में आता है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उपेक्षित है और यह तमाम जो उसको अब तक दबाने की कार्यवाही हुई है उसके लिए पालियामेंटरी कमेटी का गठन हो और उसमें हरिजन और आदिवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दो सांसद हैं वे उसमें शामिल किए जाएं और उनका एक लिमिटेशन कर दिया जाए कि वे निष्पक्षता से जांच करें और अगर वे नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? अगर वे लोग जाएंगे और वे अगर निष्पक्ष नहीं होते हैं तो फिर सदन के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी लेकिन अगर ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट है तो मैं समझूंगा कि जो सरकार है वह एक

बार फिर रोटी का टुकड़ा देने के लिए, कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए विधेयक लाने की तैयारी में है। फिर दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा लाएगी लेकिन इससे कोई समाधान नहीं होगा और जो विस्फोटक स्थिति है, गरीबों के साथ जो अनर्थ हो रहा है, गरीबों के साथ इस तरीके से काबू नहीं पाया जा सकता है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और वैसे लोग, जो चारों तरफ से उपेक्षित हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और उन पर व्यापक दृष्टिकोण अख्तियार किया जाए, यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० डी० खनोरिया (कांगड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो बिल भगवान शंकर रावत ने लाया है, बैकवर्ड क्लासिस के बारे में, एससी-एसटी के बारे में मैं उसका समर्थन करता हूं। यह सही बात है कि जो बैकवर्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं जब तक उनको सरकार की तरफ से सहायता न मिले तब तक वे उत्थान नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रांत का ही दुख नहीं है यह पूरे देश का दुख है, पूरे देश में गरीबी की रेखा में रहने वाले काफी लोग हैं और उनकी देखभाल भी सरकार को जरूर करनी पड़ेगी।

मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोग, जो कि बैकवर्ड हैं उनका उत्थान करने के लिए एक ऊंचे स्तर की कमेटी बनाई जाए ताकि इस किस्म की बातें फिर दोबारा इस सदन के अन्दर चर्चित न हों। यहां तक कि प्रांतों में भी लोग बांटे हुए हैं, कई जातियां उसमें शामिल नहीं की गई हैं, कई जातियां उसमें शामिल नहीं की गई हैं। सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन की साइड से होना चाहिए जैसाकि कई हमारे मित्रों ने यहां पर बताया। अगर एजुकेशन की साइड में लोग आगे बढ़ते हैं तो वे गरीबी रेखा भी आगे बढ़ेंगे। केवल नौकरियों में ही रिजरवेशन न हो, बल्कि हर-एक इंस्टीट्यूशन में उनका रिजरवेशन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, कांगड़ा कांस्टीट्वेंसी है, हमारे यहां गूजर हैं, बगरवाल है, गदी हैं, इन लोगों को एस० सी० एस० टी० में शामिल नहीं किया गया है। मैं कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को, इन जातियों को एससीएसटी में शामिल किया जाए, ताकि जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वे भी इस सुविधा को पा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और सुझाव देना चाहूंगा कि इस सुविधा को लेने के बाद जो परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाता है, उसको इस सुविधा से निकाल दिया जाए, ताकि दूसरा परिवार उस सुविधा को प्राप्त कर सके। मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार यहां पर जो कमेटी बनाएगी, वह पूरे देश की स्थिति की जानकारी प्राप्त करे और जो भी जातियां सूची में शामिल होने से वंचित रह गई हैं, उनको इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं रावत साहब का भी आभारी हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के बारे में अपने विचार यहां पर व्यक्त किए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइबल हूं और ट्राइबल सूची में हर राज्य में कुछ जातियां सम्मिलित होना चाहती हैं, इनकी अलग-अलग कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश में हर राज्य में ट्राइबल रिसर्च डिपार्टमेंट हैं और यह डिपार्टमेंट इस चीज की रिसर्च करता है। सैकड़ों साल की रिसर्च के बाद कौन-कौन सी जातियां अनुसूचित जाति-जनजाति की जमात में ओरिजनली हैं और कौन सी जातियां इसमें आना चाहती हैं, इसका पता लगाती हैं। मेरी जहां तक मालूमात है, जो अनुसूचित जाति के लोग इसमें शामिल हैं, उनको ही पूरी सहूलियतें जो मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं और हमारे यहां महाराष्ट्र में बहुत से लोग अनुसूचित जाति-जनजाति के नकली प्रमाण-पत्र प्राप्त करके असुविधाओं का लाभ नौकरियों में और शिक्षा में उठा रहे हैं। सही में जो अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग हैं वे पहाड़ों और देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जो लोग इसमें समाविष्ट होना चाहते हैं, वे शहरों में रहते हैं। आज देश में कंपीटीशन का जमाना है और हर जगह मेरिट देखी जाती है। जो सही ट्राइबल लोग हैं वे पहाड़ों, देहातों में रहते हैं, इस वजह से वे मेरिट में नहीं आ सकते हैं और जो शहर रहते है, बोगस ट्राइबल जो लोग हैं, जिन्होंने 1977-78 से जाति-पमाण पत्र ले कर रखे हुए हैं, वे हर जगह, शिक्षा में, नौकरी में और राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ पाते हैं। इस बारे में कल्याण मंत्री और भारत-सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो सही ट्राइबल लोग हैं, पिछड़े इलाकों, पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पुरानी सूची में किनके नाम नहीं हैं, वे इन सुविधाओं से वंचित न रहें। वे इससे वंचित न रहें, इसकी तरफ भी कल्याण मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। मैं रावत साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछड़ी जाति के लिए अपना मत यहां पर व्यक्त किया। लेकिन सही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अन्याय न हो। उनको आज जो शिक्षा की और नौकरियों की सहूलियतें मिल रही हैं उससे भी आज भी वंचित हैं। हमारी सरकार कहती है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलाग पूरा करेंगे, अभी तक यह नहीं भरा जा रहा है, सिर्फ कागजों पर यह दिखाया जाता है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति का बैक-लांग भर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं देखा, अन्य राज्यों में कुछ पूरा हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। दिल्ली में भी भारत सरकार के जो आफिसिज है डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कितनी वैकेंसिज खाली पड़ी हैं। शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के नाम पर दिल्ली में भी लोग रहने लगे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार में आप देखेंगे वहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आदिवासी लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं। लेकिन सहूलियत से वे वंचित हैं। आज भी उनको सहूलियत नहीं मिल रही है।

इसलिए मेरा भारत सरकार से और खासतौर से रावत साहब से नम्र निवेदन है कि शेड-यूल्ड ट्राइब्स की जो ओरिजनल लिस्ट है उसमें अगर दूसरी जातियों को लेना चाहते हैं तो उसकी रिसर्च होनी चाहिए। ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट रिसर्च करके, तीन-चार सौ साल पहले का रिकार्ड देख कर जो सही है उसको ले। जो गलत है, बोगस है, जिनकी शैक्षणिक और आर्थिक दशा अच्छी है उनको नहीं लेना चाहिए। ऐसी मेरी भारत सरकार से विनती है। मुझे इस बिल पर बोलने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए रावत साहब से विनती करूंगा कि इस बिल को वापस ले लें। अनुसूचित जनजाति पर अन्याय न हो, यह भी देखा जाए, ऐसी मैं भारत सरकार से विनतीकरता हूं और अपने दो लफ्ज पूर्ण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूरी तरह से

समर्थन करता हूं जिसमें माननीय सदस्य भगवान शंकर रावत जी ने बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए प्रस्ताव किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सीमा में बांध देना और आरक्षण के जरिए उनका विकास सम्भव हो सकता है, इस बारे में मुझे कुछ कहना है। आरक्षण की जो बात करते हैं, सरकार चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की हो, पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात करती हैं उनका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए, उनकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। वोट के दृष्टिकोण से किसी का जीवन-स्तर उठाने के लिए, चुनाव के दृष्टिकोण से किसी का जीवन स्तर उठाने के लिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी का जीवन स्तर उठाने के लिए उनको किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना नीति और नियत में खोट है। इसलिए नीति और नीयत में शुद्धता होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाए, इस बारे में हमारी नीति और नीयत में शुद्धता होनी चाहिए। जो आरक्षित सीमा में आते हैं।

उस सीमा में जिन लोगों को आरक्षण मिलता है तो गांव में रहने वाले व्यक्ति आरक्षण के बारे में कितना जानते हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। मेरी समक्ष में आरक्षण की सीमा में आने वाले कुछ पढ़े लिखे लोग जिनको आरक्षण के द्वारा क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और सुविधाएं प्राप्त कर गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो वे भी आरक्षण की सीमा में आते हैं और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग आरक्षण की सीमा में रह ही जाते हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आरक्षण की पूरी तरह सुविधा उठा सकें। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो आरक्षण की सीमा में नहीं आती हैं जैसे गांव का भूजा भूजने वाला गुण होता है उसको आरक्षण की सीमा में लाना चाहिए। मुस्लिम धोबी बैसवार जाति मिर्जापुर जनपद में है और सीधी तथा रीवा यानी मध्य प्रदेश में भी है। वहां आरक्षण की सीमा में नहीं आती जबकि उत्तर प्रदेश में आती है। कोई जाति किसी प्रदेश की आरक्षण की सीमा में आती है और किसी प्रदेश में नहीं आती है तो इसके लिए सर्वेक्षण करके एक पथ-प्रदर्शन लाईन बनायी जानी चाहिए कि एक जाति हर प्रदेश में आरक्षण की सीमा में हो। आरक्षण की सीमा में जो लोग आते हैं उनको आरक्षण देने से उनका जीवन-स्तर उठने वाला नहीं है। उनमें जो हीन भावना पैदा हो गई है तो उसको निकालना होगा। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ऐसे लोग गांव में जाकर देखें कि जो आरक्षण की सीमा में आते हैं और जिनमें स्वाभाविक हीन भावना पैदा हुई है तो उस भावना को निकाल कर आरक्षण की सीमा से सुविधाएं मिल सकती हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। हीन भावना जब पैदा हो जाती है तो उसको नौकरी की सुविधाएं देकर नहीं उठा सकते हैं। उसकी भावनाओं को प्रोत्साहित करना होगा और वह कभी भी अपने को शोषित न समझे और कभी भी अपने को विवशता में जिन्दगी न जीने वाला न समझे तभी सामाजिक न्याय की बात की जा सकती है। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का स्वाभाविक आचरण होता है। वे खेल खेलते हैं तो उनके खेलों को गांव की संस्कृति से जोड़कर उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे आदिवासी लड़का तीरंदाजी कर सकता है तो उसी तरह शहर में रहने वाला लड़का नहीं कर सकता है। उसी तरह जो मल्लाह का लड़का नौकायन कर सकता है और जो तैराकी कर सकता है तो शहर में रहने वाले लड़के उस तरह नहीं कर सकते। इसलिए गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजातियों का स्वाभाविक आचरण होता है। उस आचरण के

रूप में उनको प्रोत्साहित करके उनकी हीन भावना को निकालकर उनके जीवनस्तर को ऊंचा किया जा सकता है तभी आरक्षण का लाभ हो सकता है। मैंने जो नीति और नीयत की शुद्धता की बात की है तो वह भी परिलक्षित होगी और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं अनुसूचित जाति की सूची में बंजारा समुदाय को सम्मिलित करने हेतु श्री भगवान शंकर रावत द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस अवसर पर इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं कुछ सम्बद्ध मुद्दे स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि शायद गत एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में बंजारा समुदाय जैसे समुदायों को सम्मिलित करने हेतु संसद में कई बारे ऐसे विधेयक लाए गए थे।

यह मामला बार-बार उठता है क्योंकि समूची स्थिति के बारे में अभी कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा के दौरान ऐसा सुझाव देना अति उपयुक्त होगा कि इस प्रयोजन के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की जाए। एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस पहलू का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न समुदायों के बारे में विभिन्न राज्यों से अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ने की मांग की गई हैं जो इस सूची में शामिल किए जाने योग्य हैं लेकिन उन्हें कुछ कारणों से छोड़ दिया गया है। अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में हमारे इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी यह प्रक्रिया जारी है। आज की सुबह की चर्चा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर बातचीत से शुरू हुई। अब दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का सवाल उठता है। वे दूसरी पार्टियों को बदनाम कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिक निकट हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही है। वास्तव में आज लगभग दो घंटे तक सभा की कार्यवाही इस मामले पर रुकी रही कि कौन सी पार्टी अनुसूचित जाति के अधिक निकट है। खैर, यह अच्छी बात है कि श्री भगवान शंकर रावत की पार्टी भी इस विधेयक का समर्थन कर रही है। यह एक अच्छी बात है। मेरा कहना यह नहीं है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हैं। लेकिन जब वे इस मामले को उठा रहे हैं तो सभा में एक सर्वसम्मति का महोल बन रहा है। इस माहौल का उपयोग सभा में इस मामले का स्थाई समाधान करने में करना चाहिए।

कुछ अन्य समुदाय भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के पात्र हैं। जो लोग पहली वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ अथवा तीसरी वर्षगांठ अथवा इस तरह के तरह के अवसर भागना चाहते हैं उन्हें इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें इस मामले को अपूर्ण तरीके से नहीं उठाना चाहिए। हम कतिपय उन मुद्दों को उठाते रहे हैं जो हमारे पक्ष में हैं, हम कुछ मुद्दों को चुनाव आने के दौरान ही उठते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का कांग्रेस पार्टी का पहला वायदा है। इस देश में अन्य कोई पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति अधिक उत्सुक है। इस देश में सत्तारूढ़ पार्टी को श्री भगवान शंकर रावत की पार्टी से सहमत होने का शायद ही अवसर मिलता हो। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि जब अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित मामलों जैसी समस्याएं सामने आती हैं तो हमें इन पर सर्व-सम्मत होना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि वे समस्या का समाधान टकराव के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि वे समूचे मामले को न्यायालय में ले जाकर इसका समाधान सकते हैं। लेकिन यह समाधान का तरीका नहीं है। इस देश की जिम्मेवार पार्टियों को, कम से कर कम उन पार्टियों को जिनका सभा में प्रतिनिधित्व है, एक साथ बैठकर सर्वसहमति एवं आम सह-मति से समस्याग्रस्त स्थिति से निपटना चाहिए। निःसन्देह बंजारा समुदाय को सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं हार्दिक रूपसे इसका समर्थनकरता हूं। लेकिन इस सभा मेंएकसंकल्प रूप में अथवा एक विधेयक के रूप में इसप्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब है कि ऐसे समुदाय तथा छोटे-छोटे समूहों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि कुछ समुदायों को इसमें सम्मिलित करके इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता क्योंकि इन समुदायों को लोग कई कारणों से कई सदियों से हजारों वर्षों से उपेक्षित रहे हैं और सामाजिक प्रगति में पिछड़ते रहे हैं। हमारे समाज पर यह एक अभिप्राय है। इसलिए हमें इन का उत्थान करना है। जैसे कई लोगों का कहना है आरक्षण ही एकमात्र निदान नहीं है। कई काम किए जाने हैं। इसके लिए सूझबूझ, एक सर्वसम्मिति, एक आम विचारधारा की आव-श्यकता है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की समस्या पर एक समान दृष्टिकोण अपना सकते हैं, एक आम सहमति की बात सोच सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : मैं एक सूचना देना चाहता हूं, इसके बाद आने वाला बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल पर दो घंटे की चर्चा हो चुकी है, आने वाले बिल का ध्यान रखा जाय, साढ़े पांच बज गए हैं उसको आना चाहिए नहीं तो वह डेड हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल लैंस नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को : मुझे उम्मीद है कि वे सभी जो इस मुद्दे पर बोल चुके हैं इस विधेयक की भावना से सहमत हैं और इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इस विधेयक के महत्वको कम नहीं करेंगे। हमसभी इस बात से सहमत हैं कि इस सभा के समक्ष लाए जाने वाले किसी भी विधेयक के समान महत्व दिया जाए। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक सदस्य को, जो इस विधेयक पर बोलना चाहता है अथवा जो इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर सभी संबद्ध पार्टियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए क्योंकि हमें अक्सर ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि आज भी हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। बात यह है कि यह विधेयक पारित करने केबाद — यह तो एक संशोधन मात्र है — यह मामला भुला दिया जाता है। जब किसी दिन वही मुद्दे पुनः सामने आते हैं तो हम पुनः इनके बारे में सोचने लगते हैं। अन्यथा हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों का मामला अगले वर्ष इसी दिन अर्थात् अगली वर्षगांठ पर याद आता है। हमारे सोचने का तरीका ऐसा हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामले पर आम सहमति होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और बंजारा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की जोरदार वकालत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री भगवान शंकर रावत जो बिल लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जिस बंजारा जाति को शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में लाने के बिल लाए हैं, वह काफी उपेक्षित, शोषित तथा पीड़ित है। इसको शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बंजारा जाति को तो जरूर शामिल किया जाए लेकिन जो सीमा 24% आरक्षण की है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आजादी के 45 सालों के बाद भी जो सुविधा अनुसूचित जाति के लोगों को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है क्योंकि गत वर्षों में दूसरी जातियां भी इस सूची में शामिल की गई हैं। पहले जो उपेक्षित रही हैं, और अब नई आने से वे उपेक्षित न हों, इसलिए मेरा सुझाव है कि इनको पूरी सुविधाएं मिलें। श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने अपने संतुलित भाषण में यह कहा है कि गांवों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हीन भावना में शिकार हो रहे हैं, इसलिए उनको पूरी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगवान शंकर रावत जो बिल अनुसूचित जाति का लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो बंजारा जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है, उसका भी समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के छोटा नागपुर इलाके से आता हूं। वहां पर कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करना आवश्यक समझता हूं। चूंकि इनके रहन-सहन और सभ्यता, संस्कृति सारी बातें आदिवासियों से मिलती-जुलती हैं, और वे गरीब हैं।

मैं यह कह रहा था कि कुछ जातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजाति में लाना आवश्यक समझता हूं और बराबर वे लोग आंदोलन भी करते आए हैं और सरकार को आवेदन-पत्र भी देते आए हैं कि वहां जो जातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति में लाया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यवाही के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। इसलिए आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

अब सदन में अरब देशों को बच्चों की तस्करी से संबंधित आधे घंटे की चर्चा होगी। श्री रवि राय।

आधे-घंटे की चर्चा

5.31 म०प०

अरब देशों को बच्चों की तस्करी से संबंधित आधे घंटे की चर्चा

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अरब देशों को बच्चों की तस्करी से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 307 के बारे में श्रम राज्य मंत्री द्वारा 29 जुलाई, 1992 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि इस सदन में पहले जो भी सवाल उठाए गए हैं, चाहे वह उद्योग के बारे में हों, वाणिज्य के बारे में हों, यह उन सवालों की तुलना में एक बहुत गम्भीर सवाल है। इस सवाल पर किस तरीके से आधे घंटे की चर्चा की आवश्यकता आई, उस संदर्भ में मैं जिक्र करना चाहूंगा ताकि इसकी गंभीरता के बारे में सदन को सूचना मिल जाए।

उपाध्यक्ष जी, 29 तारीख को इस सदन में एक सवाल आया था जो इस प्रकार था :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से दुबई को ऊंट दौड़ के लिए बड़ी संख्या में बच्चों की तस्करी की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ व्यक्तियों को इस संबंध में गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या है; और

(घ) अरब देशों को की जा रही बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस आसन पर विराजमान हैं, इस पर प्रश्न पूछने के समय अध्यक्ष महोदय आसीन थे और इसका जवाब श्रम मन्त्री दे रहे थे तथा प्रधान मन्त्री भी मौजूद थे। जब इस सवाल का जवाब श्रम मन्त्री देने लगे तो जिस तरीके से वह जवाब दे रहे थे, उस दौरान सदन में यह महसूस किया गया और प्रधान मन्त्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वयं खड़े होकर स्पीकर साहब से विनती की कि इस सवाल का इस तरीके से जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि विदेश मंत्रालय इससे संबंधित है और अभी इसको टाल दिया जाए ताकि बाद में सदन में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा हो। उसी के तहत ये आधे घंटे की चर्चा सामने आई है। यह अच्छा है कि आज इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे मित्र राज्य मन्त्री श्री भाटिया जी यहां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, असली बात क्या है? असली बात यह है कि बच्चों की तस्करी के व्यापार के संबंध में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ लोग पकड़े गए और उससे यह सवाल सदन के सामने आया। उपाध्यक्ष जी, हरेक हिन्दुस्तानी इस सिलसिले में सोचता है कि हमारे देश के गरीब बच्चे, चाहे वह दूसरे परिवार के हों, देश के बच्चे जबकि उनको विद्यालय जाना चाहिए, खेलना-कूदना चाहिए तो ये जो तस्कर व्यापारी हैं, उनको उनके माता-पिता से लेकर दुबई या पश्चिम एशिया में बेचते हैं, मिडिल ईस्ट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह गलत शब्द होगा, पश्चिम एशिया में बेचते हैं। उन बच्चों को वैस्ट एशिया भेजा जाता है। इस सिलसिले में मैंने जो जानकारी एकत्रित की है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि—

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात के छोटे से शेख राज्य ओमार-अल-आॅयबेय में ऊंट-दौड़ बहुत ही लोकप्रिय है।

पश्चिम एशिया के देशों में ऊंट-दौड़ के लिए बच्चों के प्रयोग का काफी चलन है। परम्परागत रूप से यह बच्चे इन देशों के गरीब परिवारों के होते थे। परन्तु उनकी आर्थिक उन्नति के पश्चात्, इन देशों ने सूडान, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा हाल ही से भारत से बच्चों को लेना आरम्भ कर दिया है।

[हिन्दी]

मैं फिर कहता हूं कि किन-किन देशों से बच्चे स्मगल करके अरब देशों में ले जाए जाते हैं, वे हैं सूडान, पाकिस्तान, बंगलादेश और फिलहाल हिन्दुस्तान से ले जाए जाते हैं। जो बच्चे हिन्दुस्तान से, बंगलादेश से, पाकिस्तान से या सूडान से वहां ले जाए जाते हैं, उन बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है—

[अनुवाद]

वे दौड़ के लिए बच्चों को ऊंट की पीठ पर बांध देते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जब बच्चा डरकर चिल्लाता है तो ऊंट उत्तेजित होकर और तेज भागता है। अधिकतर बच्चे दौड़ समाप्त होने तक जिन्दा नहीं रहते हैं। वे या तो सदमें से, डर से अथवा ऊंट की पीठ से गिरकर मर जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए उपाध्यक्ष जी कि उन बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। हमारे देश से, बंगलादेश से, पाकिस्तान से और सूडान से जो बच्चे वहां ले जाए जाते हैं उन्हें ऊंट की टेल से बांध दिया जाता है। जब बच्चा रोता है तो उससे ऊंट ज्यादा प्रोवोक्ड होकर दौड़ता रहता है, जिसे देखकर बच्चा तो शाक से मर जाता है, गिर जाता है परन्तु वहां के लोग इस खेल को चाव से देखते रहते हैं, यह उनके यहां प्रैक्टिस है, जैसे कभी प्रिमिटिव युग में हुआ करता था। इसलिए उपाध्यक्ष जी, यह एक हृदयविदारक सवाल हमारे सामने है कि इस तरह कैसे हमारे देश के बच्चों को वहां स्मगल करके ले जाया जाता है, उनके साथ क्या सलूक होता है।

युनाइटिड अरब एमिरात में या वहां के रिपब्लिक्स में जो कुछ होता है, वह उनके देश का सवाल है, उस चीज को हम नहीं मानते हैं लेकिन आज सदन में बहस के लिए जो सवाल है, वह इस बात का है कि हमारे संविधान में प्रावधान रहने के बावजूद कैसे यहां से बच्चों को ले जाया जाता है। एक सवाल यह भी है कि हमारे संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान है या नहीं है, इस बारे में संविधान ज्ञाताओं को सोचना चाहिए। जब पहले से प्रावधान है, जो प्रैक्टिस में है तो कैसे बच्चों को यहां से ले जाया जाता है, यह पहला सवाल मैं उठाना चाहता हूं। कैसे हमारे देश से उन बच्चों को ले जाने की इजाजत दे दी जाती है। इस बारे में हम लोगों को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

यहां जितने सांसद बैठे हैं, वे सोचें कि यदि वह हमारा बच्चा होता, क्योंकि जितने बच्चे हैं, सब एक-समान हैं, सब में हड्डी और खून एक जैसा होता है, अगर वह हमारा बच्चा होता, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि वह किसी सांसद या विधायक का बच्चा नहीं हो सकता, किसी सांसद या विधायक के बच्चे को इस तरह नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं, गरीब लोगों की तुलना में, अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न हैं। इस देश में जिन बच्चों के मां-बाप गरीब होते हैं, हो

सकता है जिनके पास खाने के लिए न हो, इसीलिए वे अपने बच्चे मजबूर होकर वहां भेजते हों, लेकिन वे गरीब घरों के बच्चे होते हैं जो वहां ले जाए जाते हैं। अतः हमें इस संसद में क्या मानसिकता बनानी चाहिए, यह भी हमारे सामने एक सवाल है।

जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि यह एक ऐसा सवाल है जिसमें वाणिज्य और उद्योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब हम सदन में दूसरी चीजों की बहस करते हैं तो उन सबसे बढ़कर यह सवाल गम्भीर है। आखिर, हमारे देश में कैसे इन चीजों को करने की इजाजत दी जाती है। उस दिन मैंने एक सवाल पूछा था कि हमारा पश्चिम एशिया में जो दूतावास है, भारत का, वह दूतावास क्या इस बारे में कोई पहल करता है। क्या उसने कभी कहा कि यह प्रैक्टिस एक प्रीमिटिव युग की प्रैक्टिस है और हमारे देश से जो बच्चे स्मगल करके, तस्कर या व्यापारी लोग ले जाते हैं, क्या उन्हें देखकर हमारा दूतावास कुछ करता है, लेकिन उसका कोई जवाब माननीय मन्त्री जी ने उस दिन नहीं दिया था। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विषय में गम्भीरता से सोचकर जवाब दें।

उपाध्यक्ष जी, जब हमारे देश के संविधान में पहले से ऐसी व्यवस्था है, उसके बावजूद इस तरह की चीजें कैसे हो रही हैं, यह सोचने का विषय है। इसलिए मैं संसद के सामने और खासकर मन्त्री महोदय के सामने इस सवाल के जरिए जानना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे संविधान में इस बारे में क्या प्रावधान हैं, क्योंकि यहां हम सब लोग संविधान के प्रति कसम खाकर आते हैं, सबसे पहले हम संविधान के प्रति आस्था रखने की शपथ लेते हैं और मैं यहां संविधान के आर्टिकल 23,24 और खासकर आर्टिकल 26 को पढ़कर के सुनाता हूं—

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है :

"कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध—चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।"

अनुच्छेद 23 में कहा गया है —

"मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध—(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सवाल करते हैं, आप यह देख रहे हैं, यह 4 बच्चों की तस्वीर है, जो 3 दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थी। बच्चों के नाम हैं— शंभु चेरो-13 साल का, दाहरू उरांव-15 साल का, सगुन राम-10 साल का और विनोद मेहतो-11 साल का। ये सारे बच्चे बांडेड लेबर की तरह काम करते थे। 4-5 दिन पहले इनको मुक्ति मिली है।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोई क्षेत्रों में जो कार्पेट इंडस्ट्री चल रही है, उसमें करीब ऐसे डेढ़ लाख बच्चे काम करते हैं और इस इंडस्ट्री से देश को 600 रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है। मैं

अभी उस विषय में नहीं जाऊंगा। उस इंडस्ट्री में डेढ़ लाख बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। उनमें से चार की यह तस्वीर है। मतलब यह है कि देश में यह स्थिति सिर्फ इन्हीं की नहीं है, करोड़ों लोगों की है। इस संबंध में संविधान का प्रावधान हमने आपको पढ़कर सुनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे कैमल-रेस में जाते हैं उनकी उम्र 4, 5, 6 और 7 साल की है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, भाटिया जी से मैं पूछना चाहूंगा, वे काबिल मन्त्री होंगे, यह मानकर मैं चलता हूं, पहली बार 1990 में दुनिया के इतिहास में विश्व में पहली बार सारे देशों के प्रधान मन्त्री और राजा महाराजा, जिस देश के मुख्य हैं, उनका एक शिखर सम्मेलन, बच्चों के अधिकारों के बारे में हुआ था।

[अनुवाद]

भारत ने बच्चों के अधिकारों के संबंध में उस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

मैं भाटिया जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दुनिया का शिशु शिखर सम्मेलन हुआ था और उसमें यह प्रावधान था कि कार्यक्रम भारत तैयार करेगा कि बच्चों की देखभाल, शिक्षा वगैरह का प्रावधान होना चाहिए।

[अनुवाद]

बच्चों पर आयोजित शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप बनाई गई भारत की कार्य योजना को मन्त्रिमण्डल से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। बच्चों से दुर्व्यवहार और शोषण को रोकने के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या सरकार यह सूचना सदन के समक्ष रखेगी?

[हिन्दी]

यह कैबिनेट ने पारित किया है। 1990 का विश्व शिशु अधिकार के ऊपर जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह क्या सिर्फ कागज में ही रह जाएगा? इसके बारे में सरकार कोई ठोस कार्यक्रम बनाएगी?

यह तो इतनी बड़ी किताब है, इसमें से सिर्फ एक जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं कन्वेंशन ऑफ दि राइट्स टू दि चाइल्ड के ऊपर—

[अनुवाद]

बच्चों के माता-पिता, कानूनी संरक्षक अथवा उन अन्य लोगों के कर्त्तव्यों तथा अधिकारों को समक्ष रखते हुए, जोकि विधायी रूप से उसके कल्याण के लिए उत्तरदायी हैं, राज्य की पार्टियां वह सारी सुरक्षा तथा देखभाल बच्चों को देंगी जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक हैं अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाएगी।

मेरा कहना है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से यहां कहा जाएगा कि हम इसको रोक लेंगे, लेकिन उससे सदन संतुष्ट नहीं होगा। जब इस देश में इतनी अधिक गरीबी है और हम उनको उनके अधिकारों से बारे में संरक्षण नहीं दे रहे हैं और बच्चों के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा।

जो विश्व सम्मेलन, शिशु अधिकारों के बारे में 1990 में हुआ था, जैसा मैंने कहा, उसके बारे में भाटिया जी खुलासा करें कि भारत सरकार क्या पग उठा रही है ?

उसी तरह से मैं फिर कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के अथवा अन्य देशों के बच्चों का भारत के माध्यम से दुर्व्यापार।

[हिन्दी]

बंगलादेश के बच्चे अरब कंट्रीज में हिन्दुस्तान होकर जाएंगे उसके बारे में क्या करना है।

[अनुवाद]

सितम्बर में आयोजित होने वाले बच्चों के सम्बन्ध में सार्क सम्मेलन तथा राबर्ट शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण क्या होगा ?

[हिन्दी]

मेरी खबर है कि सार्क सम्मेलन के संगठन का बच्चों के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में भारत सरकार ने माना है लेकिन अभी तक उसको रैटीफाई नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल, बच्चों के अधिकारों के बारे में विश्व में सम्मेलन हुआ था, उस बारे में कार्यान्वियन करके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान ने इस बारे में सिर्फ प्रस्ताव पारित करके एक्शन प्लान के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

यह एक गम्भीर सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अन्तर्मुखी होकर मेरे सवालों का जवाब दें क्योंकि बच्चों की स्मगलिंग के बारे में सिर्फ कहने से, कि बन्द कर देंगे, नहीं होगा। जब तक बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाएंगे यह नहीं हो पाएगा। ये बच्चे खासकर गरीब परिवारों के हैं। यदि गरीब परिबार के न हों तो कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे।

मैं उम्मीद करूंगा कि भाटिया जी सारे सवालों का समुचित जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर आज यह आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति हैं। वास्तव में वे देश का भविष्य है। हमारे बच्चों में अमिट प्रतिभा छिपी हुई है। अनुकूल परिस्थितियों में यह प्रतिभा और निखर कर प्रस्फुटित होती है। अगर बहुत से अपेक्षित बच्चों को उचित वातावरण प्रदान किया जाए तो वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, लोकप्रिय कवि इत्यादि बन सकते हैं। किसमें कौन-सी प्रतिभा छिपी हुई है; कोई नहीं कह सकता। बेशक दक्षिण-पश्चिम अथवा पश्चिम एशिया के देशों में यह एक बहुत ही अमानवीय और असम्भव प्रथा चल रही है। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ लोग इन बच्चों की असहाय स्थिति का आनन्द लेते हैं। जैसाकि श्री रवि राय ने अभी-अभी कहा कि इन बच्चों को यह पता नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं; किस

लिए जा रहे हैं और उनमें से कुछ असमय मौत का शिकार हो जाते हैं। यह हमारे देश के लिए बड़े अपमान की बात है।

हमारा देश समृद्ध संस्कृति वाला महान् देश है। हमें अपनी विरासत पर गर्व है। मैं माननीय मंत्री जी से इस समस्या की गंभीरता को जानना चाहता हूं। क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकलन किया गया है ? पिछले कुछ समय से हमारे देश के सामने भी यह समस्या आ खड़ी हुई है। जो भी हमारे देश के बाहर हो रहा है; अगर हम उसे अपने देश में नहीं होने देना चाहते हैं; तो हमें ऐसे उपाय करने होंगे कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हमारे देश में न हों; और भारत इसका शिकार न बने। हमारे देश में गरीबी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं माता-पिता की सहमति से भी होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विधायी रूप में क्या उपाय किये गए हैं ?

पिछले महीने की 29 तारीख को जब यह मुद्दा सदन में उठाया गया था तो प्रधान मंत्री महोदय स्वयं यहां उपस्थित थे तथा उन्होंने भी इस पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी। क्या इस सम्बन्ध में कोई पुनरांकलन किया गया है अथवा क्या हमारे कानून में कोई कमजोरी है। मेरे विचार में यह समस्या केवल कानून बनाने से ही नहीं सुलझ जाएगी ? कई क्षेत्रों में कड़े कानून हैं; परन्तु जब उनके क्रियान्वयन का प्रश्न आता है तो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इसलिए हमें केवल कानून बनाने ही नहीं होंगे बल्कि उनके अक्षरशः कार्यान्वियन भी करना होगा।

हम तीसरी दुनिया के अग्रणी राष्ट्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, अब आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, अगर सदन सहमत हो तो हम 5-10 मिनट और बैठ सकते हैं। महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय ने लगभग सभी पक्षों पर विचार अभिव्यक्त किए हैं। आप उनके अतिरिक्त पहलुओं पर बोलना चाहिए जिन पर आप जानकारी लेना चाहते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं कुछ संभव स्पष्टीकरण चाहता था। भारत एक महान् राष्ट्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय का मामला है। इस चर्चा के लिए आधे घण्टे का समय निश्चित किया गया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत को तीसरी दुनिया के देशों का नेता कहा जा सकता है। कई क्षेत्रों में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका में हमारी भूमिका को लीजिए। मानव अधिकारों, बाल श्रमिकों इत्यादि पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा बैठकें प्रायोजित की गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे किसी सम्मेलन में इस समस्या को भी उठाया गया ? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की घोषणा की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या पर विचार किया गया। हमारी एक महान् विरासत है। हमारा एक प्रमुख देश है। हमने रंग, उपनिवेश के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। हमने ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। इन सब क्षेत्रों में हमारी भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण, प्रशंसनीय और उल्लेखनीय रही।

अब मैं, गरीबी के मुद्दे पर आता हूं। गरीबी एसी समस्याओं की मूल जड़ है।

इस घटना के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि 21 जून को इस घटना के प्रकाश में आने के बाद दो बंगलादेशी नागरिकों को पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। मेरे विचार में कुछ दलाल हैं जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। जो गिरफ्तार किये गए उनके पास वैध पासपोर्ट इत्यादि नहीं थे। वे बिना किसी वैध दस्तावेज के ठहरे हुए थे। उसके पश्चात् एक गैस्ट हाऊस पर छापा मार कर कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गए। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। इससे हमारे बच्चे—गरीब परिवारों के बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या इससे हमारी प्रतिष्ठा पर असर नहीं पड़ता? ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह एक बहुत ही अपमानजनक, बुरी और असभ्य प्रथा है।

उपाध्यक्ष महादय : प्रो० रावत। यह आधे घण्टे की चर्चा है। आप केवल प्रश्न पूछिए।

प्रो० राणा सिंह रावत (अजमेर) : पहले ही 6 बज चुके हैं। आधा घण्टा पहले ही पूरा हो चुका है। क्या मैं कोई प्रश्न पूछे बिना ही बैठ जाऊं?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : आपको समय बढ़ाना होगा क्योंकि मंत्री महोदय ने चर्चा का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपको बताया है। हमारे पास समय बहुत कम है। प्रो० रावत, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावना समझेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा गया है, वास्तव में बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति होते हैं और यह किसी राष्ट्र के लिए कलंक है कि वहां के बच्चे तस्करी के अन्दर दूसरे देशों को ले जाये जाते हों। चाहे हमारे मित्र राष्ट्र हों, मध्य पूर्व के देशों के साथ में हमारे बड़े निकट के और मधुर सम्बन्ध हैं, हमारे लाखों लोग वहां रोजगार के अन्दर लिप्त हैं परन्तु यदि वहां के कुछ लोग अपने पैसे के बल पर या अपनी हुकूमत के बल पर हिन्दुस्तान के बच्चों को ले जाकर अपने मनोरंजन, रीक्रिएशन और शौक को पूरा करते हैं तो यह हमारे राष्ट्र के लिए अत्यन्त चिन्तनीय है और हमारे मैत्री सम्बन्धों में भी यह चीज बाधा डालने वाली है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने विदेश मंत्रालय के स्तर पर अथवा पासपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों को अथवा और भी सम्बन्धित अधिकारियों को या कूटनयिक स्तर पर इस प्रकार के प्रयास किये हैं और उन देशों के शासकों या वहां के कूटनयिकों से सम्पर्क स्थापित कर यह कहा गया है कि हमारे देश के अन्दर इस प्रकार की भावना है, हममें असन्तोष व्याप्त है और बच्चों की तस्करी की बात को लेकर और बच्चों के साथ ऊंट की सवारी करके अपने मनोरंजन और अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए जो खिलवाड़ किया जाता है, उसको लेकर हमारे देश के लोगों की भावनाएं बड़ी उद्वेलित हैं? क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों को जानकारी प्रदान की गई है या नहीं?

[6.00 म०प०]

मेरा दूसरा प्रश्न, जैसा मैंने कहा बच्चा कोई भी हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, बच्चा-बच्चा

ही होता है। मैली आत्माओं को पवित्र करने की ईश्वर की पवित्र देन हैं। ऐसे बच्चे चाहे स्ट्रीट चिनड्रन हो, रिजेक्टेड हों, डेजर्टेड हों और चाहे बहिष्कृत हों या बन्धुआ बच्चे हों, उन सब बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ऐसी स्थिति में वे बच्चे पड़े हुए हैं, तो कल्याण करने के लिए, कल्याण करने वाली जो बाल कल्याण संस्थायें हैं, या सरकारी एजेंसियां हैं या बाल कल्याण गृह हैं या समाज कल्याण विभाग हैं, इन सब का भी इन बच्चों के लिए दायित्व है। ऐसे बच्चे जो दीन-हीन स्थिति में हैं, निराश्रित स्थिति के अन्दर हों, डेस्टीच्यूटस हों या आर्फन्स हों, बच्चों का कल्याण करने के लिए हमारी सरकार का भी दायित्व बन जाता है, ताकि ऐसे बच्चों की तस्करी न हो और ऐसे बच्चों को कोई पकड़ कर न ले जाए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। क्या विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि वे पासपोर्ट बनाते समय या हवाई अड्डों पर जांच करते समय तस्करी के अन्दर लिप्त रहने वाले गिरोह या विदेश जाने वाले या मध्य पूर्व के देशों में जाने वाले यात्री होते हैं, उनके साथ में जो जाने वाले बच्चे हैं, उनकी विशेष जांच-पड़ताल की जाए? तीसरी बात, बच्चे राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं। उनके समन्वित विकास, सर्वांगीण विकास हेतु, शोषण-उत्पीड़न रोकने हेतु कल्याणकारी सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह किन-किन प्रकार से किन-किन रूप में कर रही है?

अंत में, मैं यह भी कहना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल कल्याण कार्यक्रम हो या भारत सरकार का बाल कल्याण कार्यक्रम हो, हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है, सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह हमारे बच्चों को तस्करी होने से रोके। इसलिए मैं विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा मध्य पूर्व के जो देश हैं, उनसे हमारे मैत्री के संबंध हैं, कि वे अपने स्तर पर इस मामले को, इस प्रकरण को अवश्य उठायें और उनसे हमारी अप्रसन्नता, देश की भावनाओं को बतायें और बच्चों की तस्करी वास्तव में रोकें। तस्करी सब प्रकार से बहुत बुरी है, लेकिन बच्चों की तस्करी मानवता के नाम पर कलंक है। घोर सामाजिक अभिशाप है और राष्ट्रीय अभिशाप है, ऐसा मैं समझता हूं। दुर्भाग्य हमारा यह है कि आज हम अगस्त क्रान्ति की अर्द्धशताब्दी मनाने जा रहे हैं और हमारे स्वाधीन भारत के बच्चों को इस प्रकार से तस्करी के नाम पर विदेशियों के मनोरंजन के लिए ले जाए जाते हैं। इसी में एक और भी प्रश्न छिपा हुआ है और वह यह है कि बच्चों को गोद ले लिया जाता है। विदेशी लोग, पाश्चात्य देशों के लोग कहते हैं कि हम इन बच्चों का पालन-पोषण करेंगे, नकली प्यार दिखा कर, नकली स्नेह दिखा कर कल्याणकारी संस्थाओं के गृहों से बच्चों को गोद ले लेते हैं और गोद लेने के बाद उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अमानुषिक व्यवहार और अपनी भावनाओं को शान्त करने के लिए दुराचार करते हुए पाए गए हैं। बच्चों के बारे में हमें ऐसी रिपोर्टस मिली हैं। यह एक चिन्तनीय विषय है, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि बच्चों के हित के अन्दर इस तस्करी को सब प्रकार से रोकना चाहिए। इसके साथ ही बंगलादेशी घुसपैठियों की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली के अन्दर लाखों की संख्या में बंगलादेशी आ गए हैं ये लोग इस व्यवसाय में लिप्त हैं और गरीब घरों के बच्चों को लेकर अनजान शेखों के हाथों में या अनजान अमीरों के हाथों में चन्द चांदी के टुकड़ों के नाम पर बेच देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी भी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : सहमति के लिए धन्यवाद। मैं संक्षेप में बात कहूंगी।

प्रश्न संख्या 307 के उत्तर में जिस मामले का उल्लेख किया गया है। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को उसमें माध्यम के रूप में उपभोग किया गया है। वे बंगलादेशी बच्चे थे जिन्हें अरब देशों को ले जाया जा रहा था। फिर भी, हमें यह सोच कर बैठ नहीं जाना चाहिए कि यह धंधा केवल हमारे देश को माध्यम बना कर किया जा रहा है।

जैसा कि पहले वक्ताओं ने कहा है कि ऐसी घटनायें भारत में भी हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जब यह धन्धा दिल्ली हवाई अड्डे तक इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते हो रहा है तो इससे पता चलता है कि इस समस्या का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है।

यह यही दर्शाता है कि ऐसे गिरोह हैं, अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह हैं जिनकी पहुंच इतनी अधिक है कि उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय रुकावटें भी कोई मायने नहीं रखतीं। वास्तव में कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि बंगलादेश अथवा भारत से केवल बच्चों को ही दूसरे देशों में नहीं ले जाया जाता अपितु नेपाल और बंगलादेश से लड़कियां भी भारत के वेश्यालयों में काम करने के लिए लाई जाती हैं। यह भी हो रहा है।

पिछले वर्ष अमीना के मामले में यह स्पष्ट हो गया कि ये गिरोह कितने शक्तिशाली हैं और बहुत से मामलों में तो पता भी नहीं चलता कि इनके पीछे कौन है। आप दलाल को पकड़ें। वे दो आदमी जो बच्चे को ले जा रहे थे, वे कौन थे? वे तो उनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां मात्र हैं। आप उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन इनके पीछे वास्तविक लोग कौन हैं, वे अदृश्य ही रहते हैं। यह एक समस्या है।

दूसरी समस्या आर्थिक है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अन्य लोग इस बारे में बोल चुके हैं। बच्चे क्यों बेचे जाते हैं? बात यह है कि ऐसा केवल इसी वजह से नहीं होता कि लोग भूखे मर रहे हैं। निःसंदेह हमने कुछ मामले ऐसे भी सुने हैं जिसमें मां-बाप भूखे मर रहे हों और उन्होंने अपने बच्चे बेचे हों। लेकिन ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि जहां परिवार भूखों मर रहा हो तो वे यह महसूस करते हैं कि अगर एक बच्चे को बेचा जाता है तो शायद उसका भाग्य उतना बुरा नहीं होगा जितना कि उसको घर में रखने से होगा। इसी वजह से बच्चे को बेचा जाता है। यह बहुत भयंकर स्थिति है लेकिन हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय की चिंता का विषय है। ऐसे बच्चों का पुनर्वास उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि मेरे विचार में इस मामले में केवल उनको वित्तीय सहायता ही नहीं बल्कि विशेषकर उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विकेन्द्रित और विस्तृत योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। हम कुछ राज्यों का पता लगा सकते हैं जहां ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व केरला में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था। एक गिरोह हैदराबाद में सक्रिय था। अतः जहां कहीं भी पता चलता है कि ये गिरोह सक्रिय हैं वहां विशेषकर गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए पोषण, शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत योजना होनी चाहिए। मैं सरकार को अपना यह विशेष सुझाव देना चाहूंगी।

मेरी अंतिम बात यह है: हमारे पास सक्षम विदेश मंत्रालय है और हम उन विनियमों की बात करते हैं जिनका पासपोर्ट देने में ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन क्या इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि ये दलाल, ये व्यक्ति, जो बच्चों को ले जा रहे हैं क्या वे उन बच्चों के वास्तव में

संरक्षक हैं अथवा नहीं ? असली संरक्षक वास्तव में जानते हैं कि उनके बच्चे ले जाये जा रहे हैं, उन्होंने बच्चे को बेचा है । अतः यह प्रश्न केवल विधिक पासपोर्ट होने का ही नहीं है अपितु उससे भी अधिक गंभीर मामला है और मेरे विचार में उन मामलों में केवल विदेश मंत्रालय का ही नहीं अपितु गृह मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है । मुझे खेद है कि आज इस विशेष चर्चा में गृह मंत्रालय की ओर से अभ्यावेदन नहीं है ।

जब अमीना का केस सुर्खियों में था तब बहुत से महिला संगठन गृह मंत्रालय में गये और उन्हें राज्य सरकारों से परामर्श करके एक विशेष सेल का गठन करने के लिए कहा । उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के लिए कहा जहां ऐसे गिरोहों के सक्रिय होने की जानकारी है । जहां तक मुझे मालूम है अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है । इस प्रकार जब तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विशेषकर गृह मंत्रालय मिलकर संयुक्त कार्यवाही नहीं करते और एक ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित नहीं करते, हम इन अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकते । अतः, जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक ऐसी घटनाएं समाचारपत्रों में कुछ दिनों के लिए सनसनीखेज भी रहेंगी और फिर हम उसके बारे में सब कुछ भूल जायेंगे । और फिर दुबारा जब ऐसा मामला होगा और फिर हलचल उत्पन्न होगी ।

मेरा सरकार को यही सुझाव है कि सभी मंत्रालयों को मिलकर एक विस्तृत योजना बनानी चाहिये ताकि बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद-फरोख्त बंद हो सके और भारत को माध्यम के रूप में प्रयुक्ता न किया जा सके और न ही एक ऐसे देश के रूप में जहां बाहर से बच्चे लाये जा रहे हों और अन्य देशों को भेजे जा रहे हों ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा इस सभा में उस दिन उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में की गई जबकि प्रधान मंत्री यहां मौजूद थे औप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चाहते थे ।

श्री रवि राय ने यह मामला उठाकर ठीक ही किया है और इस प्रश्न को उठाकर पूरी सभा की चिंता को अभिव्यक्ति प्रदान की गई ।

महोदय, सच्चाई यह है कि केवल भारत से ही नहीं अपितु बंगलादेश, श्रीलंका और अन्य देशों से बच्चे संयुक्त अरब अमीरात ले जाये जाते हैं, जहां पर शेख ऊंटों की दौड़ करवाते हैं । जैसे भारत में घुड़दौड़ होती है उसी प्रकार रेगिस्तान में ऊंटों की दौड़ होती है और वे उस खेल का आनंद उठाते हैं । उसके लिए बच्चों को घुड़सवार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उनमें वजन कम होता है और ऊट ज्यादा तेज दौड़ सकता है । यह सही है कि बच्चे की चिल्लाहट ऊंट को और तेज दौड़ाती है क्योंकि इस जानवर के लिए यह उकसाने का काम करती है और वे तेज दौड़ते हैं तथा शेख उस क्रीड़ा का आनन्द उठाते हैं ।

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि ये बच्चे जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया है कुछ लोगों द्वारा, जिनमें उनके माता-पिता गरीबी के कारण शामिल हो सकते हैं या कोई गिरोह भी शामिल हो सकता है, द्वारा ले जाये जाते हैं । पहली बार यह बात हमारे सामने आई है । इस कार्य के लिए इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है । वहां पर बंगलादेशी इन बच्चों को ले जा रहे थे और वे हमारे हवाई अड्डे को केन्द्र के रूप में प्रयुक्त कर रहे थे । वहां पर हमारे अप्रवास अधिकारियों ने देखा कि इन बच्चों की उम्र, जो वहां मौजूद थे,

उनकी वास्तविक उम्र से जो पासपोर्ट में वर्णित थी, अलग थी। स्वभावत: उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने मामले की आगे जांच पड़ताल की। उन्होंने पता लगाया कि एक बंगलादेशी उन दो बच्चों को ले जा रहा था। उसके बक्से में 26 बच्चों के 26 पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। स्वभावत: वे लोग पकड़े गये और हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की तथा उन लोगों को सजा दी गई। हमने उन लड़कों को विदेश जाने से रोका।

इस मामले में हमने पता लगाया है कि कुछ भारतीय बच्चे भी बाहर भेजे जा रहे हैं। हम नहीं जानते क्योंकि यह हमारे नोटिस में तभी आ सकता है जबकि कुछ बच्चे अथवा कुछ माता-पिता हमारे पास सहायता के लिए आयें।

श्री रवि राय ने पूछा है कि हमारे मिशन इस संबंध में क्या कर रहे हैं? श्री पाणिग्रही ने भी यही बात उठाई है। हमारे मिशन द्वारा हस्तक्षेप करने से हम बच्चों को वापिस लाने में समर्थ हो सके। हमने उनको वापिस भेज दिया है और दो को और भेजा जा रहा है। उन्होंने एक बच्चे को जाने की अनुमति दी है और अब एक और बचा है। हमें इसका तब पता चला जब उस बच्चे का पिता मिशन में बीजे की स्वीकृति के लिए आया इस प्रकार हमें उसका पता चला। इस प्रकार अन्य कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हमें पता लग सके कि यह सब चल रहा है। लेकिन चूंकि यह मामला अब हमारे नोटिस में आ गया है और हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं। सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है। हम गृह मंत्रालय के नोटिस में यह मामला लाये हैं। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी मामले की छानबीन करने के लिए कह दिया है। हमने राज्यों को भी लिखा है कि यह गिरोह सक्रिय है और उन्हें सतर्कता बरतने के लिए कहा है। जहां तक हमारे विभाग का सम्बन्ध है, हमने अप्रवास अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जब कभी भी बच्चे लोगों के साथ जा रहे हों तो इसकी भली-भांति जांच की जानी चाहिए कि वे उनके संरक्षक हैं, माता-पिता हैं या फिर गिरोह के सदस्य हैं एक जांच हवाई अड्डे पर की जाएगी।

पासपोर्ट जारी करने के संबंध में भी हमने उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी लोग अपने बच्चे ले जायें, उनकी सदाशयता पर विचार किया जाना चाहिये और उन्हें ये पासपोर्ट इतनी उदारता से नहीं दिये जाने चाहिये। पूर्ण जांच की जानी चाहिये। अगर कोई शक होता है तो उन्हें मामले की रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिये ताकि इस मामले में वे कार्यवाही कर सकें।

श्री रवि राय ने एक प्रश्न उठाया है कि क्या हमारे मिशन इस बात की जानकारी हमारे प्राधिकारियों के नोटिस में लाये हैं। हमारे मिशन लगातार उनके संपर्क में हैं और उनके सहयोग के कारण ही हम सभी बच्चों को वापिस लाने में समर्थ हो सके थे। जब कभी भी ऐसी घटना हमारे नोटिस में लाई जाती है तो तत्काल ही हमारे मिशन उनसे संपर्क का प्रयत्न करता है।

श्री रवि राय ने एक बात और उठाई है कि इन बंगलादेशियों के पारगमन के संबंध में भारत क्या करेगा। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि अप्रवास अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे लोग, जो बच्चों के साथ हों उनकी भली-भांति जांच की जानी चाहिये। उनके कागज-पत्रों की अच्छी प्रकार जांच करनी चाहिये और यहां तक कि बच्चों से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वह आदमी जो उनके साथ जा रहा है वह उनके माता-पिता हैं, संरक्षक है अथवा कौन हैं, मेरे विचार में यह पूछताछ भी काफी सहायक सिद्ध होगी।

श्री रवि राय ने दक्षेश का भी जिक्र किया। हमने उसका अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है। इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री रवि राय : यह सितम्बर माह में होने जा रहा है। सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

श्री आर० एल० भाटिया : मामले को वहां उठाया जायेगा। परन्तु, जहां तक दक्षेश के बारे में आपकी बात का सम्बन्ध है, हमने उसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

जैसा मैंने सदन को बताया कि 21 जून को दो बंगलादेशी, राष्ट्रिकों मोहम्मद मियां और मोहम्मद आलम को जिनकी उम्र चार और पांच वर्ष की थी, हवाई अड्डे पर पकड़ा है, उन्हें रोका गया और कार्यवाही की गई है। मामले न्यायालय में दर्ज हो गये हैं और जो लोग जिम्मेदार थे, उनको सजा दी गई है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने कहा है कि यह एक बड़ी समस्या है। इसका संबंध बच्चों के मामलों से है। इसका संबंध विभिन्न मंत्रालयों से है। यह एक तथ्य है। इस संबंध में हम अन्य मंत्रालयों से भी संपर्क रखे हुए हैं कि किस प्रकार हम इस समस्या को जिसमें बच्चों को बाहर बेचा जा रहा है, सुलझा सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने पूछा है कि समस्या के विस्तार के विषय में क्या कोई अनुमान लगाया गया है। मैंने संख्या दी है कि 18 बच्चे वापिस लाये गये थे और अनेक लोगों को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। जहां तक लड़कियों की समस्या का संबंध है, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने बताया है कि वह उतनी विस्तृत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी इसकी शुरूआत हुई है सरकार इसे गंभीरता से लेगी और अगर आवश्यक हुआ तो आवश्यक विधान लाया जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जो बच्चे इस प्रकार बाहर ले जाये जाते हैं उनको न केवल सवार के रूप में बल्कि यह पता चला है कि बच्चों को 'जिन्स' के रूप में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। उन पर प्रयोगशालाओं में अनुसंधान भी किया जा रहा है। अमीना जैसे मामले भी होते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री आर० एल० भाटिया : श्री रवि राय और श्री पाणिग्रही ने भी एक और मुद्दा उठाया था कि इस प्रक्रिया में कुछ बच्चे मर गये हैं। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया में बच्चा मर गया है ··(व्यवधान)। हमने अपने मिशन से जांच की है कि कोई मृत्यु नहीं हुई है।

जैसाकि मैंने कहा है, हमने कुछ कार्रवाइयां भी हैं। पहली कार्रवाई यह की है कि राज्य सरकारों को इसके बारे में दृढ़ रहने के निर्देश दिये गए हैं और कहा गया है कि वह बच्चों में फैल रहे इस अवैध-व्यापार का ध्यान रखें। अधिकारियों को यह हिदायतें जारी की गई हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ बच्चों को, विशेषकर जब उनके माता-पिता अथवा संरक्षक उनके साथ नहीं होते, उनसे पूछताछ करके, आप्रवासन-नियमों को दृढ़तापूर्वक लागू करें।

पासपोर्ट प्राधिकारियों को भी निदेश दिये गए हैं कि पुलिस उन मामलों की सूचना दें, जिनमें लोग बच्चों को ले जा रहे हों और जहां उन्हें उनके संरक्षकों, माता-पिता अथवा किसी और के बारे में कुछ संदेह हो।

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता से पूर्णतया सहमत है। यह एक अति-मानवीय···(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मात्र एक प्रश्न मैं और पूछना चाहती हूं। जिन बच्चों को बचाया गया था, उनका क्या हुआ ?

श्री आर० एल० भाटिया : उन्हें भारत में वापिस लाया गया था।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या उन्हें उनके अभिभावकों को वापिस सौंप दिया गया है ?

श्री आर० एल० भाटिया : स्वाभाविक है कि हमें उन्हें उनके अभिभावकों को वापिस सौंपना है। लेकिन, मान लीजिए कि कोई अभिभावक उन्हें लेने नहीं आ रहा है, तो फिर सरकार उन्हें जिन स्थानों पर बेहतर समझती हैं, भेजेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आपने जिन बच्चों को लिया है तो उनका क्या किया। क्या उनको बंगला देश भेज दिया या यहां के जो अनाथालय हैं वहां भेज दिया।

श्री आर० एल० भाटिया : बच्चों को वापिस भेज दिया उनको यहां रखकर क्या करें, सिर्फ दो बच्चे थे।

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : क्या आपके पास वापिस लाये गये बच्चों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा है ?

श्री आर० एल० भाटिया : मेरे पास यह जानकारी नहीं है लेकिन, मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : एक-दो उत्तर तो मुझे मिल गए हैं लेकिन एक बात और है। क्या वहां के शेखों के साथ अपने स्तर पर वार्ता करके देश की भावना से अवगत कराया जायेगा। इस बारे में हमारे राष्ट्र के नागरिक उद्वेलित हैं और जो जाने वाले बच्चे होते हैं तो उनके बारे में विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर जांच-पड़ताल करायेगा।

श्री आर० एल० भाटिया : हमारे जो मिशन हैं उनको अवगत कराया है कि यह जो बच्चे आ रहे हैं यह बात ठीक नहीं है और उनको बाकायदा कांटेक्ट किया गया है और उनकी कोआपरेशन से यहां सारे बच्चे वापिस आए हैं। आपने एयरपोर्ट पर चैकिंग के लिए कहा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया है।

[अनुवाद]

सरकार इस सम्बन्ध में इस सभा की चिन्ता से पूर्णतया अवगत है। जैसाकि मैंने कहा है, इस सम्बन्ध में हमने कुछ कदम उठाये हैं, जिनको मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं और हम इस बारे में जो भी बातें आवश्यक होंगी, वह सब करेंगे।

क्योंकि यह बात हमारे ध्यान में ला दी गई हैं, अत: मैं कहूंगा कि यह अमानवीय कार्य है, यह एक नई घटना है और सरकार को इसकी जानकारी है। यदि जरूरी हुआ तो हम आवश्यक विधान बनाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैंने यह सवाल उठाया था कि वर्ल्ड सम्मीट ऑन चिल्ड्रन के एग्रीमेंट पर भारत सरकार ने दस्तखत किए हैं, उसके बारे में केबीनेट ने एक्शन प्लान कर दिया है। उसकी पब्लिक को जानकारी देंगे या नहीं और हाऊस को कांफीडेंस में लेंगे या नहीं।··· (व्यवधान)

श्री आर० एल० भाटिया : सार्क चिल्ड्रन सम्मीट के एग्रीमेंट को रेटीफाई नहीं किया है। जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह अभी तक रेटीफाई नहीं किया है।

श्री रवि राय : 1990 में वर्ल्ड सम्मीट आन चिल्ड्रन हुआ था। उस दिन दस्तखत नहीं किए थे इसका हमको पता है। जब श्री चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री बने तो दस्तखत किए। उसके बाद केबीनेट ने एक्शन प्लान एप्रूव किया। संसद को जानकारी नहीं है कि क्या एक्शन प्लान हुआ है।

श्री आर० एल० भाटिया : मैं आपको लिखकर भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन बच्चों को बचाया गया है, उन्हें पुनर्वासित किया जाना चाहिए। लेकिन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय के पास जिन बच्चों को बचाया गया, उनका क्या हुआ था, इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है, जोकि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह जानकारी उपलब्ध करायें ?

श्री आर० एल० भाटिया : अब मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। चार बच्चों को नारी-निकेतन भेज दिया गया था। (व्यवधान) शेष बच्चों को उनके घर दिया गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : केवल चार बच्चों का प्रश्न नहीं है, कई वर्षों से बच्चों की तस्करी निरन्तर चल रही है। पहले भी कांड हुए, समाचार-पत्रों में उजागर हुए हैं, इसके बारे में रिपोर्ट आनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह रावत जी, हमारे सामने जो विषय है, वह केवल उन बच्चों के बारे में है, जिन्हें विदेश भेजा गया था। लेकिन, आप यहां विश्वव्यापी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत आभारी हूं तथा आपकी सराहना करता हूं। अब सभा कल, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1992 को केन्द्रीय-कक्ष में होने वाली बैठक के समाप्त होने के 15 मिनट उपरान्त समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 8 अगस्त, 1992/17 श्रावण, 1914 (शक) को केन्द्रीय-कक्ष में होने वाली बैठक के समाप्त होने के 15 मिनट उपरान्त तक के लिए स्थगित हुई।

चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैंने यह सवाल उठाया था कि वर्ल्ड सम्मीट ऑन चिल्ड्रन के एग्रीमेंट पर भारत सरकार ने दस्तखत किए हैं, उसके बारे में केबीनेट ने एक्शन प्लान कर दिया है। उसकी पब्लिक को जानकारी देंगे या नहीं और हाऊस को कांफीडेंस में लेंगे या नहीं।... (व्यवधान)

श्री आर० एल० भाटिया : सार्क चिल्ड्रन सम्मीट के एग्रीमेंट को रेटीफाई नहीं किया है। जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह अभी तक रेटीफाई नहीं किया है।

श्री रवि राय : 1990 में वर्ल्ड सम्मीट आन चिल्ड्रन हुआ था। उस दिन दस्तखत नहीं किए थे इसका हमको पता है। जब श्री चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री बने तो दस्तखत किए। उसके बाद केबीनेट ने एक्शन प्लान एप्रूव किया। संसद को जानकारी नहीं है कि क्या एक्शन प्लान हुआ है।

श्री आर० एल० भाटिया : मैं आपको लिखकर भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन बच्चों को बचाया गया है, उन्हें पुनर्वासित किया जाना चाहिए। लेकिन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय के पास जिन बच्चों को बचाया गया, उनका क्या हुआ था, इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है, जोकि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह जानकारी उपलब्ध करायें ?

श्री आर० एल० भाटिया : अब मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। चार बच्चों को नारी-निकेतन भेज दिया गया था। (व्यवधान) शेष बच्चों को उनके घर दिया गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : केवल चार बच्चों का प्रश्न नहीं है, कई वर्षों से बच्चों की तस्करी निरन्तर चल रही है। पहले भी कांड हुए, समाचार-पत्रों में उजागर हुए हैं, इसके बारे में रिपोर्ट आनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह रावत जी, हमारे सामने जो विषय है, वह केवल उन बच्चों के बारे में है, जिन्हें विदेश भेजा गया था। लेकिन, आप यहां विश्वव्यापी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत आभारी हूं तथा आपकी सराहना करता हूं। अब सभा कल, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1992 को केन्द्रीय-कक्ष में होने वाली बैठक के समाप्त होने के 15 मिनट उपरान्त समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 8 अगस्त, 1992/17 श्रावण, 1914 (शक) को केन्द्रीय-कक्ष में होने वाली बैठक के समाप्त होने के 15 मिनट उपरान्त तक के लिए स्थगित हुई।

चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53